खण्ड-127, अंक-5
शुक्रवार, 27 अग्रहायण, शक संवत् 1875
(18 दिसम्बर, 1953 ई0)

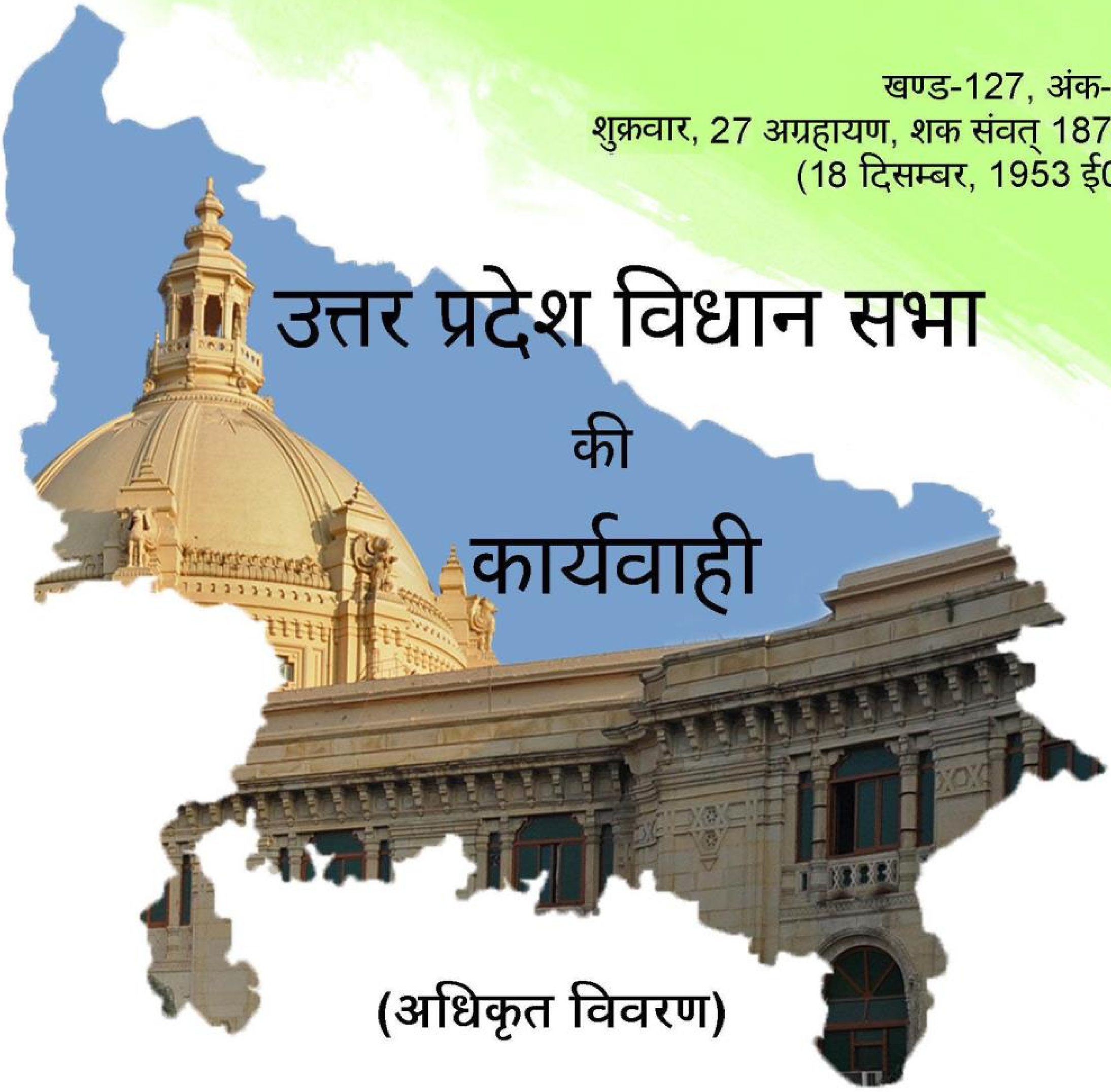

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 127 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ (विचार जारी) ..	३९८–४०८
लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र-आन्दोलन के सम्बन्ध में गृह मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा (जारी)	४०९–४३९
सदन के समय में एक घंटे की वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	४३९
लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र-आन्दोलन के सम्बन्ध में गृह मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा (समाप्त)	४३९–४५३
नत्थियां	४५४–४७९

विधान सभा प्रदेश मुंबई

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १८ दिसम्बर, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मईज़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले,
उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
ख़यालीराम, श्री
ख़ुशीराम, श्री
ख़ूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री

गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथदीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्द कुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री

प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री,
बलदेवसिंह, आर्य
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बिश्राम राय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री

राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिव रामराय, श्री
शिवबक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री

शुगन चन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्या मल ल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हमीद ख़ां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जुलाई, १९५३ में जिला झांसी में डाके की वारदातें

*१—श्री राम सहाय शर्मा (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा करके बताएगी कि माह जुलाई, १९५३ में जिला झांसी के किन-किन ग्रामों में और किन-किन तारीखों में भयंकर डाके पड़े हैं?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मांगी गई सूचना नीचे दी हुई है—

ग्राम जहां डाका पड़ा		तारीख
१—कारीटोरन	..	१९–२० जुलाई, १९५३
२—डौडिया	..	२१–२२ ,, ,,
३—तिलैया खुर्द	..	३०–३१ ,, ,,

श्री राम सहाय शर्मा—क्या सरकार को सूचना मिली है कि तहसील कहरौली ग्राम लौंडी में ११९ रुपये की डकैती पड़ी थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री राम सहाय शर्मा—क्या सरकार को विदित है कि थाना पनवाड़ी के भूतपर्व थानेदार वहां उन्हीं लोगों के यहां जाकर ठहरा करते थे और खाना खाया करते थे जिनके यहां डकैती पड़ी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द— मुझे इसकी भी कोई सूचना नहीं है।

श्री राम सहाय शर्मा—क्या यह सही है कि ग्राम मवैया, थाना हिंडोन, जिला झांसी में डकैती के बाद थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह स्वाभाविक बात है कि अगर रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है तो उसकी मुझे कोई सूचना नहीं हो सकती।

श्री राम सहाय शर्मा—क्या यह सही है कि इन समस्त डकैतियों के पूर्व ही एस० पी० झांसी को डाकू शंकरसिंह की उपस्थिति की सूचना मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे इस बात की कोई सूचना नहीं है कि वहां के एस० पी० को इस बात की सूचना मिल चुकी थी।

थाना पनवाड़ी, जिला हमीरपुर के पुलिस अफसरों की गोली से मृत व्यक्तियों के नाम और पते

*२—श्री राम सहाय शर्मा—क्या सरकार कृपा कर के बतायगी कि होली के अवसर पर थाना पनवाड़ी (हमीरपुर) के पुलिस अफसरों की गोली से ६ आदमियों की मृत्यु हुई ? यदि हां, तो उन मारे गये आदमियों के नाम और पते क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, पुलिस की गोली से ६ आदमी मर गये। उनके नाम और पते नीचे दिये हैं :

१—धन सिंह पुत्र भुजबल लोधी, निवासी नेकपुरा, थाना पनवाड़ी।
२—रामदयाल पुत्र भुजबल लोधी, निवासी नेकपुरा, थाना पनवाड़ी।
३—टीकाराम पुत्र भुजबल लोधी, निवासी नेकपुरा, थाना पनवाड़ी।
४—कुंवर लाल पुत्र मन्ती लोधी, निवासी नेकपुरा, थाना पनवाड़ी।
५—दल्लू पुत्र मन्ती लोधी, निवासी नेकपुरा, थाना पनवाड़ी।
६—भागीरथ पुजारी, निवासी नेकपुरा, थाना पनवाड़ी।

श्री राम सहाय शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मृत व्यक्तियों के परिवार के लोगों को कुछ पेंशन अथवा सहायता दी जायगी ? यदि हां, तो कितनी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। इसका कोई इरादा नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय गृह मंत्री बतलायंगे कि ये ६ आदमी जो पुलिस की गोली से मरे उसका क्या कारण था ? और पुलिस को क्यों गोली चलानी पड़ी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्यों को यह याद होगा कि इस सम्बन्ध में कई मर्तबा पिछले सेशन में जिकर आया था और उसका पूरा कारण बतला दिया गया था। पुलिस वहां पर मामले की जांच करने के लिये गई थी और वहां एक मकान में रहने वाले लोगों के साथ गिरफ्तारी के सम्बन्ध में यह झगड़ा हुआ, जिसके कारण पुलिस को गोली चलानी पड़ी। पूरा विवरण पिछले सेशन में बतलाया जा चुका है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बतलायगी कि पुलिस ने जो यह गोली चलायी वह किसकी आज्ञा से चलायी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो सब-इन्सपेक्टर पुलिस के चार्ज में रहता है, उसकी आज्ञा से ही यह गोली चलायी गयी होगी। मैं इतना और बतला दूं कि अब वह सब-इन्सपेक्टर बरखास्त कर दिया गया है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बतलायेगी कि जब कहीं पर पुलिस वाले गोली चलाते हैं उसके बाद मैजिस्ट्रीरियल इन्क्वायरी होना आवश्यक है ?

श्री अध्यक्ष—यह खुद आपको मालूम होना चाहिये।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बिना ऊपर की आज्ञा के एक सब-इन्सपेक्टर गोली चला सकता है ?

श्री अध्यक्ष—यह नियम का प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार उस थानेदार के ऊपर मुकदमा चलाने का विचार रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी कोई सामग्री नहीं थी कि मुकदमा चलाया जा सके, इसलिये विभागीय कार्यवाही की गयी।

जर्मनी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायता प्राप्त छात्रों की संख्या

*३—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जर्मनी में कितने भारतीय छात्र ऐसे हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से सहायता मिल रही है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)—एक भी नहीं।

*४—श्री नेकराम शर्मा—क्या अलीगढ़ से भी काई छात्र जर्मनी गया है ?

डाक्टर सीताराम—सरकार ने किसी को नहीं भेजा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने विद्यार्थी इस वक्त जर्मनी में हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)— इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि जिला अलीगढ़ के डी० एम० मिस्टर मित्तल की लड़की इस समय जर्मनी में है और उसको कुछ रुपया सरकार की तरफ से मिलता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हो सकता है कि कुछ रुपया दिया जाता हो। आपने प्रश्न पूछा था कि क्या सहायता दी जाती है, तो ऐसी कोई छात्रा नहीं है जिसको सहायता दी जाती हो।

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि इस छात्रा को रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मेरा ख्याल है कि कुछ रुपया दिया गया है, कितना दिया गया है, इसकी सूचना नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायंगे कि यह छात्रा किस कार्य के लिये जर्मनी भेजी गयी है और क्या अध्ययन कर रही है।

श्री हरगोविन्द सिंह—इसकी सूचना चाहता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार विधान सभा के सदस्यों को भी जर्मनी पढ़न के लिये भेज सकती है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

हथियार रखने के लिये निर्धारित योग्यतायें

*५—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायगी कि भिन्न-भिन्न हथियारों के रखने के लिए कौन-कौन सी योग्यतायें निर्धारित की गई हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस प्रश्न के उत्तर के लिये कृपया यू० पी० आर्म्स रूल्स, १९३५ ई० के नियम १२९ तथा नियम १३२ देखिये।

राजा वीरेन्द्र शाह-(जिला जालौन)— क्या माननीय मंत्री जी बतलायंगे कि हथियार का लाइसेंस लेने के लिये किसी पोलिटिकल पार्टी की सिफारिश की भी जरूरत पड़ती है?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता। यह आक्षेप है।

रायबरेली में पुलिस विभाग से भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय

*६—श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)— क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में गत ३ साल के भीतर भ्रष्टाचार सम्बन्धी कितने मामले पुलिस विभाग में पकड़े गये और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४५४–४५५ पर)

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली में भ्रष्टाचार दूर करने के क्या-क्या साधन हैं?

श्री अध्यक्ष—आपका सवाल कुछ केसेज के बारे में है यह उससे उत्पन्न नहीं होता।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या मंत्री महोदय बतायंगे कि रायबरेली जिले में पुलिस विभाग से भ्रष्टाचार दूर करने के लिये कौन-कौन उपाय किये गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो और सब जिलों में किये जाते हैं वही किये गये और उसका परिणाम यह हुआ कि २२ को सजा हो चुकी है जिनकी सूची दी हुई है।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या यह सत्य है कि कहीं के एस० पी० भी भ्रष्टाचार के बढ़ाने में हिस्सा ले सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—इसका आप स्वयं ही उत्तर दे लें तो अच्छा है।

समाचार-पत्रों व प्रेस मजदूरों के बीच चले हुये एडजुडिकेशन आर्डर की वापसी

*७—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश के कुछ समचार पत्रों व उनके प्रेस मजदूरों के बीच चले हुये Adjudication Order के मामले को सरकार ने अभी हाल ही में अपनी आज्ञा द्वारा कोर्ट से वापस ले लिया? अगर हां, तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। भारत सरकार ने हाल ही में एक प्रेस कमीशन की नियुक्ति की है, जो समाचार पत्रों की वर्तमान व भविष्य की व्यवस्था पर विस्तृत जांच करेगी। चूंकि विवादास्पद विषय इस जांच से संबंधित थे, राज्य सरकार ने Adjudication Order वापस ले लेना उचित समझा।

प्रेस मजदूरों के लिये मालवीय कमेटी व निम्बकर कमेटी की सिफारिशों पर कार्यवाही

*८—श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायगी कि यू० पी० के प्रेस मजदूरों के लिये केशवदेव मालवीय उपसमिति ने निम्बकर कमेटी की जो सिफारिशें की थीं, उन्हें लागू करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मालवीय कमेटी व निम्बकर कमेटी की सिफारिशों पर अब कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रेस कमीशन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। उनकी रिपोर्ट आने पर ही आगे कार्यवाही की जा सकती है।

कानपुर के विश्वमित्र प्रेस के कर्मचारियों के पक्ष में लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले पर कार्यवाही

*९—श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायगी कि कानपुर के विश्वमित्र प्रेस के कर्मचारियों के पक्ष में लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया था, उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। वह पूरी तरह से कार्यान्वित किया जा चुका है।

चरित्र गठन के लिये निर्धारित पाठ्य पुस्तकें

*१०—श्री नरेंद्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायगी कि चरित्र गठन के लिये भी स्कूलों में कोई पाठ्य पुस्तक प्रेसक्राइब की गयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—चरित्र गठन के लिये पाठ्य पुस्तकें तो निर्धारित नहीं की गई हैं परन्तु इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिये पुस्तकों में पाठ रखे जाते हैं।

*११—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (अनुपस्थित)—यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसी पुस्तकें प्रेसक्राइब करने का विचार रखती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

हाथरस मिल मजदूरों की गिरफ्तारी के वारंट

*१२—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस मिल मजदूरों के गिरफ्तारी वारन्ट किस सिलसिले में जारी हुये हैं और अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हाथरस के रामचन्द्र स्पिनिंग मिल के मजदूर अपनी बकाया मजदूरी की अदायगी के संबंध में मैनेजिंग डायरेक्टर श्री हीरालाल वर्मन के मकान पर गये। समझौता न होने पर मजदूर आवेश में उनके मकान पर चढ़ गये और मार पीट करने लगे। पलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर शांति स्थापित की और एक मुकदमा धारा १४७/४५२/३२३ पारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज किया। इसी सिलसिले में भागे ये तथोक्त अपराधी मजदूरों के विरुद्ध वारन्ट गिरफ्तारी जारी किये गये थे किन्तु आवश्यक सबूत तथा श्री वर्मन की उदासीनता के कारण आगे कार्यवाही नहीं की गयी। इस संबंध में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई।

श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो मजदूर बताये गये हैं उनकी पिछले ६ महीने की मजदूरी अभी बाकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मजदूरी बाकी है।

देहातों में पुलिस के गश्तों की चेकिंग

*१३---श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस के जो गश्त देहातों में होते हैं उनको चक करने के लिये कौन अधिकारी नियत है ? क्या उनकी रिपोर्ट जिला सुपरिन्टेंडेंट पुलिस को मिलती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---देहातों में पुलिस के गश्तों की चेकिंग सर्किल अफसर, इन्सपेक्टर तथा सब-इन्सपेक्टर द्वारा समय-समय पर होती है तथा इसकी सूचना जिले के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को रहती है।

*१४---श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस अलीगढ़ के यहां कम्प्लेंट बक्स में गत वर्ष कितने पत्र प्राप्त हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कम्प्लेंट बक्स से निकाले गये पत्रों का कोई अलग ब्यौरा नहीं रखा जाता है परन्तु गत वर्ष में डाक तथा कम्प्लेंन्ट बक्स द्वारा ३३१६ शिकायतों के पत्र प्राप्त हुये तथा उन पर आवश्यक कार्यवाही की गई।

श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ट---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सरकिल इन्सपेक्टर गश्त का चेकिंग करते हैं वह उस के लिये हफ्ते में या महीने में कितनी बार जाते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसके कोई बंधे हुये नियम नहीं हैं क्योंकि उनके होने से सरप्राइज चेकिंग नहीं हो सकेगी, एस० पी० जैसे समय-समय पर नियम बनाते हैं उन्हीं के अनुसार चेकिंग होती रहती है।

श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनकी गश्तों को चेक करने के लिये जिले में कोई क्षेत्र बांटे गये हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, जिस की जितनी दूर तक हद होती है उसी हद के अन्दर गश्त करते हैं।

श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो गश्त हुये और उनकी चेकिंग में जो शिकायतें मिलीं उन पर कोई कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सकड़ों गश्तें हुई होंगी और उनकी रिपोर्ट जरूर सुपरिंटेंडेंट पुलिस के पास की गई होगी और उन्होंने जरूर कार्यवाही की होगी। लेकिन गवर्नमेंट के पास उन सारी कार्यवाहियों की सूची तो आती नहीं।

थाना बछरावां के अन्तर्गत ताले बन्द खेरा में डकैती

*१५---श्री रामेश्वर प्रसाद---क्या सरकार के पास इस आशय की शिकायत आई है कि थाना बछरावां के अन्तर्गत ताले बन्द खेरा में एक तेली के यहां अभी कुछ ही दिन हुये डकैती पड़ी थी जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*१६—श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या यह सही है कि १८ जुलाई, सन् १९५३ को उसी तेली के यहां पुनः डकैती पड़ी जिसमें कई व्यक्ति बन्दूक से घायल हुये ? क्या सरकार बतायगी कि इस संबंध में किन व्यक्तियों के चालान किये गये।?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१८ जूलाई सन् १९५३ को श्री राजा राम तेली के यहां एक डकैती की घटना हुई जिसमें दो व्यक्ति बन्दूक से घायल हुये। इस संबंध में राम प्रसाद, कालीदीन, किशोरी, रघुबीरसिंह, रामस्वरूप, पूरन मासी, प्रभू, छंगा, रामनरेश सिंह, इमाम-बक्स और दुरजन का चालान हुआ।

श्री रामेश्वर प्रसाद—जब कि माननीय मंत्री महोदय को ६-८-५३ को उसी घटना की इत्तिला उस क्षेत्र के रामेश्वर प्रसाद एम० एल० ए० के द्वारा दी गई थी तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर बिल्कुल सही है और मैं श्री रामेश्वर प्रसाद जी को यह बताना चाहता हूं कि अगर श्री रामेश्वर प्रसाद जी मुझको कोई इत्तिला दे दें तो उसी से कोई डकैती नहीं पड़ जाती। इसमें यह कहा गया है कि डकैती नहीं पड़ी, मैंने यह नहीं कहा कि रामेश्वर प्रसाद जी ने सूचना नहीं दी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि श्री रामेश्वर प्रसाद जी जो कि वहां के एम० एल० ए० हैं उन्होंने इत्तिला गृह मंत्री को दी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उन्होंने गृह मंत्री से यह कहा कि उन को यह खबर मिली है कि डकैती पड़ी।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि माननीय सदस्य ने जो उस क्षत्र के एम० एल० ए० हैं उन्होंने शिकायत की और उस शिकायत के बाद क्या माननीय मंत्री जी ने कोई इन्क्वायरी करायी कि वाकई वहां डकैती पड़ी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, इन्क्वायरी कराई गई।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह इन्क्वायरी किसके द्वारा करायी गई थी और क्या नतीजा हुआ ?

श्री अध्यक्ष—नतीजा तो आपको मालूम हो गया। किसके द्वारा इन्क्वायरी कराई गई इसका उत्तर माननीय गृह मंत्री जी देंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डी० वाई० एस० पी० ने इन्क्वायरी की।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या यह सही है कि इसी घटना के छिपाने के कारण तुरन्त ही १५ दिन के अन्दर दूसरी डकैती उसके यहाँ हुई ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दे दिया गया है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि माननीय रामेश्वर प्रसाद जी ने जो प्रार्थना-पत्र दिया था उसमें एस० पी० के भी विरुद्ध शिकायत थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मुझे याद पड़ता है उसमें कहीं नहीं लिखा था कि एस० पी० ने डाका डाला या डलवाया।

श्री गेंदासिंह—एस० पी० के विरुद्ध यह शिकायत कि डकैती पड़ते हुये भी एस० पी० ने उसको डकैती नहीं दर्ज की, इस तरह की शिकायत क्या उसमें की गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--डकैती का दर्ज करना या न करना यह एस० पी० का काम नहीं है।

जौनपुर जिले में डकैतियां

*१७--श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के त्येक थाने के अन्तर्गत मार्च, सन् १९५३ से जलाई, सन् १९५३ तक कितने डाके पड़े ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मार्च, १९५३ से जुलाई, १९५३ तक जौनपुर जिले में कुल चार डाके पड़े एक रामपुर थाने में, दूसरा मड़ियाहू थाने में, तीसरा सराय ख्वाजा में तथा चौथा केराकत में।

*१८--श्री बाबू नन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त डाकों में कितने मर्द, औरत तथा बच्चों की हत्या हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--केवल एक मनुष्य की हत्या हुई।

*१९--श्री बाबू नन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन डाकों से संबंधित डकैत पकड़े तथा मारे गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रत्येक डाके से संबंधित डकैत पकड़े गये। कोई डकैत मारा नहीं गया।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रत्येक थाने के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों के घर डाका पड़ा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--किन किन व्यक्तियों के घर डाका पड़ा उनका सबका नाम तो मेरे पास नहीं है जो लोग पकड़े गये उनके नाम मेरे पास हैं।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कौन से व्यक्ति हैं जो पकड़े गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--रामपुर वाली डकैती में खिलावन, बंस राज और जगरदेव शुक्ल पकड़ गये। मड़ियाहू वाली डकैती में बालकेश्वर दुबे, ननकू, कुदई, मूलचन्द, शारदागुसाईं और विशेश्वर चमार पकड़े गये। सराय ख्वाजा वाली डकैती में झूरी अहीर, जीतू चमार, जीवन खटिक, खिलावन चमार, चन्द्रबली पाठक, रामसुन्दर सिंह पकड़े गये और केराकत वाली में चन्द्रबली पाठक, राम नरेश सिंह और रामसरनधर पकड़े गये।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक डाके में कितने धन तथा जन की क्षति हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसका पूरा ब्यौरा मेरे पास नहीं है।

रस्तोगी विद्यालय, फर्रुखाबाद में एक विद्यार्थी के प्रति निष्कासन आज्ञा रद्द करने की सूचना

*२०--श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि श्री रस्तोगी विद्यालय, फर्रुखाबाद के बारहवीं कक्षा के किसी विद्यार्थी को अक्टूबर, सन् १९५२ में दी गयी निष्कासन आज्ञा को हाई कोर्ट, इलाहाबाद ने "रिट" प्रार्थना पर कई मास हुये रद्द कर दिया था ?

श्री हर गोविन्द सिंह--जी हां।

*२१—श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायगी कि निष्कासन आज्ञा रद्द करने की सूचना प्रदेश के सब विद्यालयों को दे दी गयी है? यदि नहीं तो क्या सरकार अब सूचना भेजने की कृपा करेगी?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं। सूचना समस्त सम्बन्धित लोगों तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेज दी गई है। विद्यालयों को सूचना जिला निरीक्षकों की ओर से ही भेजी जाती है।

कांधला (मुजफ्फरनगर) की पाठशाला के निर्माणार्थ सरकारी अनुदान

*२२—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उसने कितना रुपया काँधला (मुजफ्फरनगर) की पाठशाला को बनवाने के लिये दिया?

डाक्टर सीताराम—१६,९००० रुपया।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रुपया कब-कब और कितना-कितना दिया गया?

डाक्टर सीताराम—काँधला नगर में दो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। पहला नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसको सन् १९४६-४७ में ४,०००, १९४८-४९ में २,०००, १९५०-५१ में २,००० रुपया दिया गया और दूसरा इंटरमीडियेट कालिज है—हिन्दू इंटर कालेज काँधला। उसको १९४६-४७ में २,०००, १९४८-४९ में ४,४०० रुपये और १९४९-५० में १,००० रुपया और १९५०-५१ में १,५०० रुपया दिया गया। इस प्रकार १६,९०० रुपया दोनों पाठशालाओं को दिया गया।

श्री दीनबन्धु हाई स्कूल, कानपुर की मान्यता

*२३—श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर के श्री दीनबन्धु हाई स्कूल को जब जिला विद्यालय निरीक्षक (डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स) ने १७ जुलाई, सन् १९५१ में मान्यता प्रदान की तो उस समय उसके पास कितना कोष था और क्या कोई विद्यालय की रजिस्टर्ड कमेटी भी है?

डाक्टर सीताराम—मैनेजर ने २,००० रु० दिखाये थे। वार्षिक आय और व्यय प्रत्येक ११,२५० रु० था।

कोई अलग रजिस्टर्ड प्रबन्धकारिणी समिति न थी वरन् उसका सम्बन्ध शिक्षा सुधार समिति नेमषारायण से था जो रजिस्टर्ड समिति है। मान्यता के समय स्कूल की प्रबन्धकारिणी समिति को रजिस्टर्ड कराने का प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह स्कूल कब खुला?

डाक्टर सीताराम—इस स्कूल के खुलने की तो सूचना नहीं है लेकिन जहाँ तक इसके आवेदन-पत्र का सम्बन्ध है वह उन लोगों ने सन् १९५१ में दिया था।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र—क्या सरकार को यह पता है कि यह स्कूल जून, १९५१ में खुला और जुलाई, १९५१ में मान्यता प्रदान कर दी गयी?

डाक्टर सीताराम—उसकी सूचना नहीं है।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र—क्या सरकार को यह पता है कि जब मान्यता प्रदान की गयी तब एक दर्जे से लगा कर दसवें दर्जे तक कुल ४९ लड़के थे ?

डाक्टर सीताराम—इसकी सूचना भी नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मान्यता देने के जो नियम हैं क्या सरकार उसमें कुछ छूट भी दे दिया करती है ?

डाक्टर सीताराम—नहीं, ऐसी बात तो नहीं है।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र—क्या सरकार को यह पता है कि यह स्कूल जिस वक्त खुला था उस वक्त कृष्ण मन्दिर में इसका साइन बोर्ड था, उसके बाद फजलगंज नेता जी स्कूल के साथ चला गया, उसके बाद प्रेमनगर में चला गया और आज गाँधी चौक पर इसका साइन बोर्ड टंगा हुआ है ?

डाक्टर सीताराम—इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र—क्या सरकार को यह पता है कि इस स्कूल म जो लड़के पढ़ते हैं उनके फार्म म डर्न उद्योगशाला के द्वारा भेजे जाते हैं और इस प्रकार की शिकायत डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स के पास लड़कों ने भेजी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसकी सूचना तो नहीं है, लेकिन इस स्कूल की मान्यता छीन ली गयी है।

श्री माडल उद्योगशाला, कानपुर की मान्यता प्राप्ति

*२४—श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर की श्री माडल उद्योगशाला को जब जुलाई सन् १९५१ में मान्यता प्रदान की गयी तो उस समय विद्यालय का कितना कोष था और तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर के आदेशानुसार जो निरीक्षण हुआ उसकी रिपोर्ट क्या थी और सरकार न इस उद्योगशाला को मान्यता प्रदान करने में क्या-क्या सुविधायें दीं और किन-किन शर्तों में ढिलाई की गई क्या उसे अब हायर सेकेंडरी की मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है ?

डाक्टर सीताराम—मैनेजर ने १,२०० रु० का कोष दिखाया था और १३,३०० रु० आय और १३,२९० रु० व्यय भी दिखाये थे।

ऐसा कोई निरीक्षण नहीं हुआ अतः रिपोर्ट का प्रश्न नहीं उठता।

न तो कोई विशेष सुविधाएं ही दी गईं और न शर्तों के पालन में ढिलाई ही की गई।

जी हाँ।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिस वक्त इसको मान्यता प्रदान की गयी उस वक्त न तो इसके पास १५ हजार रुपये कोष में थे, न इसके पास बिल्डिंग थी, न कोई ट्रेंड टीचर्स ?

डाक्टर सीताराम—नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, इस स्कूल के पास छै में से दो ट्रेन्ड टीचर्स थे।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र---क्या सरकार को यह पता है कि इस स्कूल को मान्यता प्रदान करने के लिये अथारिटीज ने बगैर रिकगनिशन कमेटी को भेजे हुये स्पेशल पावर्स से यह तय करते हुये कि १५ हजार रुपये उन दिनों में जमा कर लिये जांय, उसको मान्यता प्रदान की ?

डाक्टर सीताराम---इसकी तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन जहाँ तक रिकगनिशन का सवाल है वह रिकगनिशन बोर्ड के सामने जरूर जाता है और उसी की आज्ञा के मुताबिक रिकगनिशन दिया जाता है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस स्कूल के पास कोई अपनी निजी इमारत है।

डाक्टर सीताराम---जी हाँ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार को यह विदित है कि इस स्कूल को जब मान्यता प्रदान की गयी उस समय इंटरमीडियेट बोर्ड और रिकगनिशन कमेटी दोनों ही स्थापित नहीं हुये थे ?

श्री हरगोविंद सिंह---शायद ऐसा हुआ हो।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र---सरकार ने जो अभी जवाब दिया कि इस स्कूल के पास अपनी निजी बिल्डिंग है, क्या यह जवाब सही है या ग़लत ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता, सही मानकर ही उत्तर होगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या यह बात सही है कि इस स्कूल का साइन बोर्ड कानपुर के अलग अलग मुहल्लों में फिरता रहा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस बिल्डिंग का नम्बर क्या है और कहाँ पर सिचुएटेड है ?

डाक्टर सीताराम---यह स्कूल कानपुर से चार मील दूर स्थित है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा प्रसार की योजना के अनुसार मान्यता प्रदान करने के नियम अभी कठिन हैं ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता, यह तो आपने आम सवाल पूछा।

श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र---क्या सरकार कृपा करके बतायगी कि इसकी जो बिल्डिंग है वह किस मुहल्ले में है ?

डाक्टर सीताराम---अभी मैंने बतलाया कि वह जगह कानपुर से चार मील दूर है जहाँ पर शरणार्थी और कुछ मजदूर वर्ग के आदमी रहते हैं। तो इसका सवाल नहीं उठता कि वह कहाँ है।

प्रतापगढ़ की पुलिस द्वारा कुख्यात डाकू मेंहदी की मृत्यु

*२५---श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या यह सच है कि जुलाई माह में प्रतापगढ़ की पुलिस का कुख्यात डाकू मेंहदी से मुकाबला हुआ और उसमें मेंहदी मारा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हाँ।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि डाकू मेंहदी के मारे जाने के बाद जरायम की हालत प्रतापगढ़ और उसके आस पास के जिलों में अच्छी हो गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हाँ, मेरी सूचना तो यही है।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन बहादुर पुलिस के सिपाहियों को सरकार कुछ इनाम देने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार तो इस विचार को कार्यान्वित भी कर चुकी है। मेरे विचार से जब वहाँ इनाम बांटे गये थे उस समय वहाँ पर रामनरेश शुक्ल जी भी मौजूद थे।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कभी ऐसे डाकुओं के नाम पर भी इनाम बाँट देती है जो कि जिन्दा होते हैं ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता, यह तो केवल मजाक है।

श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)—क्या मेंहदी के मारे जाने के बारे में कोई जांच हो रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मारे जाने के बाद क्या जाँच होगी, यह बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई।

श्री दलबहादुर सिंह—क्या यह सच है कि लोगों को यह शक है कि मेंहदी नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति उसकी जगह पर मारा गया और मेंहदी को मशहूर कर दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिन लोगों के मन में शक है उनके दिमाग़ के सही होने कि बावत भी शक किया जा सकता है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतलायगी कि उस डाकू मेंहदी को मारने वाले सब-इन्सपेक्टर और सिपाहियों के क्या नाम हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो आफिसर इन्चार्ज था उसका नाम सुखबीर सिंह है। सबके नाम तो मैं नहीं बतला सकता हूं।

डाक्टर मुकर्जी के निधन सम्बन्धी शोक सभाओं तथा जुलूसों पर प्रतिबन्ध

*२६—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने डा० मुकर्जी के निधन पर २३ जून को पूरे उत्तर प्रदेश में शोक सभाओं को रोकने के लिए दफा १४४ के प्रयोग करने के लिये जिलाधीशों को आदेश दिये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द— जी नहीं। बल्कि सरकार ने जून २४ को वायरलेस द्वारा कानपुर के सिवाय समस्त जिलाधीशों को आदेश दिया कि वे अपने जिले में १४४ दफा लागू होने के बावजूद डाक्टर मुकर्जी के निधन पर शोक सभायें करने तथा जुलूस निकालने की आज्ञा दे दें।

*२७—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में शोक सभा पर रोक लगाने का क्या कारण था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जम्मू प्रजा परिषद् आन्दोलन के कारण कानपुर शहर का वातावरण काफी दूषित हो गया था। १४४ दफा लागू होने से शहर में शान्ति भंग नहीं हुई। डाक्टर मुकर्जी के निधन की सूचना मिलने पर भारतीय जनसंघ तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थानीय सदस्यों ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि डाक्टर मुकर्जी को जहर दिया गया और उन्होंने बलपूर्वक दूकानें बन्द कराने की कोशिश की जिससे स्थिति और भी गम्भीर हो गई। ऐसी हालत में आम सभायें करने तथा जुलूस निकालने से शान्ति भंग होने की काफी आशंका थी। ऐसी परिस्थिति में जिलाधीश ने आम शोक सभा करने के लिये आज्ञा नहीं दी।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या सरकार को पहले से मालूम था कि कानपुर में अशान्ति होने वाली है और इसी कारण से कानपुर को वायरलेस नहीं दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार को यह तो नहीं मालूम था कि अशान्ति होने वाली है लेकिन यह मालूम था कि वहाँ दफा १४४ लग चुकी है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट भी थी कि यहाँ पर अशान्ति हो जाने की आशंका है इसीलिये सरकार ने उनकी डिस्प्रक्रेशन के मामले में दखल देना उचित नहीं समझा।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या माननीय मंत्री महोदय कृपया यह बतलायेंगे कि कानपुर की राजनैतिक पार्टियों, जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल है, ने कलेक्टर से यह कहा था कि शान्ति भंग होने की कोई आशंका नहीं थी लेकिन फिर भी कलेक्टर ने आज्ञा नहीं दी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हाँ, लेकिन काँग्रेस कमेटी की तरफ से तो शान्ति भंग होने की आशंका नहीं थी इसलिये कलेक्टर ने यही मुनासिब समझा कि इस किस्म की आज्ञा न दी जाय।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या जिन जिलों में शोक सभा करने की अनुमति दी गई तो क्या वहाँ शान्ति भंग हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—मीटिंग पर रोक लगाने के लिये फूलबाग में कितनी पुलिस लगाई गई थी ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि वह इस समय इतनी डिटेल बता नहीं सकेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—किन लोगों से शान्ति भंग होने की आशंका थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लोगों की तो बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसा कि उत्तर में कह दिया गया है भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से प्रोपेगेंडा हुआ था जिसके कारण जिला मजिस्ट्रेट को आशंका हुई थी।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या फूलबाग के आसपास किसी पत्रकार के प्रति अभद्र व्यवहार किया गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कई महीने की घटना हो गई है, मैं बिना सूचना के इसका उत्तर नहीं दे सकता।

देवरिया जिले में जेल और हवालात के निरीक्षक

*२८--श्री गेंदासिंह---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में जेल और हवालात के निरीक्षक कौन कौन से व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---देवरिया में जेल नहीं है और हवालातों के लिये निरीक्षक नहीं नियुक्त किये जाते हैं। इसलिये यह सवाल ही नहीं उठता।

श्री गेंदा सिंह---देवरिया जिले में कैदी जेलों में रहते हैं या और किसी स्थान में?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जेलों में ही रहते थे और मैं उनको सूचना दे सकता हूं कि वह जिला किसी जिले से पीछे नहीं रहेगा, वहाँ भी जेल तैयार हो गयी है।

श्री गेंदा सिंह---इस समय देवरिया के क़ैदी कहाँ रहते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गोरखपुर में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है।

श्री गेंदा सिंह--- क्या यह सच है कि देवरिया जिले के कुछ लोग निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं इस समय इस प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं दे सकता।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जेल का उद्घाटन किन के कर कमलों से होगा?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री गेंदा सिंह---क्या मैं यह प्रश्न पूछ सकता हूं कि माननीय मंत्री जी को याद दिलाते हुये कि पं० सरजू प्रसाद जेल के निरीक्षक नियुक्त हुये हैं और उनकी नियुक्ति में हवालात का भी जिक्र है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--- मुझे ठीक याद नहीं लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं तो ठीक ही होगा।

देवरिया जिले के कसया क्षेत्र में कत्ल, डकैतियां तथा चोरियां

*२९---श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)।---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस वर्ष के अन्दर देवरिया जिले के कसया पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में कितने कत्ल, डकैतियाँ तथा चोरियां हुई हैं?

*३०--- क्या सरकार कृपया बतायगी कि उपर्युक्त थाने द्वारा इन वारदातों के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गयी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आवश्यक सूचना संलग्न सूची में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४५६ पर)

श्री रामसुभग वर्मा--- क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पहले साल कितने क़त्ल और डकैतियाँ हुयी थीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द— १९५३ का सवाल है और १९५२ के आँकड़े मेरे पास नहीं हैं ?

थानेदारों को घोड़े रखने का आदेश

*३१—श्री रामनरेश शुक्ल— क्या गृह मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि पुलिस विभाग का कोई नियम या आदेश ऐसा है कि सब-इन्सपेक्टर व थानेदार घोड़े रक्खा करें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पुलिस विभाग में ऐसा कोई नियम या आदेश नहीं है जिसके फलस्वरूप घोड़ा रखना इन लोगों के लिए अनिवार्य हो ।

*३२—श्री रामनरेश शुक्ल—क्या गृह मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि प्रतापगढ़ में कितने थानेदारों के पास घोड़े हैं, और कितने के पास नहीं हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द — प्रतापगढ़ जिले में कुल ७ थानेदारों के पास घोड़े हैं और ४ के पास नहीं हैं ।

श्री रामनरेश शुक्ल—क्या सरकार ऐसा विचार कर रही है कि पुलिस के थानेदारों के लिये घोड़ा रखना अनिवार्य हो जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, मैं सोच रहा हूं लेकिन आर्थिक दिक्कत ऐसी है कि मैं कह नहीं सकता कि यह विचार कब तक और कैसे कार्यान्वित होगा ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार घोड़ा रखने वाले थानेदारों को कुछ घोड़ा अलाउन्स देती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, मैदानी क्षेत्रों के देहाती क्षेत्रों में ४५ रुपये माहवार, नगरों में ५० रुपये और पर्वतीय क्षेत्रों में ५५ रुपया माहवार देते हैं ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—पर्वतीय क्षेत्र से माननीय मंत्री का आशय हिमालय से है या विन्ध्याचल से है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हिमालय वाले क्षेत्र से ।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या सरकार बतायेगी कि घोड़ा रखने वाले थानदारों के लिये सरकारी आदेश है कि चौकीदार महीने में ३ दिन जाकर घास छोले ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार कोई गलत आदेश कभी नहीं देती ।

आजमगढ़ जिला बोर्ड के लिए सरकारी सहायता

*३३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला बोर्ड के शिक्षा विभाग के लिए सरकारी सहायता सन् १९४५ से सन् १९५२ तक अलग अलग वर्षों में कितनी कितनी दी गयी है ?

डाक्टर सीताराम—आजमगढ़ जिला बोर्ड को शिक्षा विभाग के लिये १९४५ से १९५२ तक निम्नलिखित अनुदान दिया गया है :—

वर्ष		सहायता	
१९४५–४६	..	२,६०,७२०	रु०
१९४६–४७	..	३,३०,५२०	,,
१९४७–४८	..	३,९६,०४७	,,
१९४८–४९	..	५,०९,१००	,,
१९४९–५०	..	४,०८,१२२	,,
१९५०–५१	..	५,१३,८१९	,,
१९५१–५२	..	८,५४,२९२	,,
१९५२–५३	..	८,४९,१८२	,,

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला बोर्ड को १९४८–४९ के मुकाबिले ४९–५० में १,००,९७८ रुपये कम देने का क्या कारण था?

डाक्टर सीताराम—१९४८–४९ में रुपया इसलिये कम दिया गया कि पिछले साल जितना रुपया था उसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने सब खर्च नहीं किया था। इसलिये यह आदेश दिया गया कि उस रुपये को वह अगले साल में काम में ले लें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१–५२ के मुकाबिले में १९५२–५३ में ५,१०० रुपये कम देने का क्या कारण था?

श्री हरगोविंद सिंह—वही कारण है कि पहले वर्ष का रुपया काफी बच गया था।

श्री रामसुदर पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला बोर्ड को १९४९ से ५३ तक कितना रुपया ज्यादा दिया गया है?

डाक्टर सीताराम—इसके लिये सूचना की जरूरत है।

पुलिस मालखानों में हथियारों की संख्या तथा उनका वितरण

*३४—**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५०–५१ में उत्तर प्रदेश के पुलिस मालखानों में कुल कितने हथियार पाये और कितने जब्त हुये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उत्तर प्रदेश के पुलिस मालखानों में सन् १९५० और सन् १९५१ में क्रमशः ३५२१ और ३२९७ हथियार आये तथा १९८४ और ११३७ हथियार जब्त हुये।

*३५—**श्री भगवान सहाय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब्त शुदा हथियारों का क्या किया जाता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—काम लायक जब्त शुदा हथियारों का कुछ भाग लाइसेंसदारों के हाथ बेच दिया जाता है तथा शेष सरकार की आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रक्खा जाता है। जो काम लायक नहीं होते उन्हें या तो नष्ट कर दिया जाता है या आर्डिनेंस डिपो भेज दिया जाता है।

*३६—**श्री भगवान सहाय**—क्या सरकार के पास कोई ऐसी रिपोर्ट आयी है कि जिसमें यह हथियार डकैतों को दिये गये या डकैतियों में इस्तेमाल हुये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, ऐसी एक रिपोर्ट आई है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह रिपोर्ट कहां से आयी है और उसमें किन-किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह रिपोर्ट रायबरेली से आयी है। वहां की एक डकैती में एक आदमी गिरफ्तार हुआ और जांच से यह मालूम पड़ा कि वह कानपुर के मालखाने की एक देसी पिस्तौल ले गया था।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के मालखाने के इंचार्ज के खिलाफ इसके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उस सिलसिले में एक हेड कांस्टेबिल और दो कांस्टेबिल की जिम्मेदारी पायी गयी, जो जेल में हैं।

श्री भगवान सहाय—क्या इस इंक्वायरी में मालखाना इंचार्ज की कोई जिम्मेदारी नहीं पायी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं पायी गयी।

गोंडा जिले के कामरेड केशवराम शुक्ल की हत्या पर सरकारी कार्यवाही

*३८—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि गोंडा जिले के क्रांतिकारी नेता कामरेड केशवराम शुक्ल को सोते समय रात में कुछ आदमियों ने गत १६ फरवरी, १९५२ को देवीपाटन (गोंडा) में गोली से मार डाला था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*३८—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि हत्यारों का पता लगाने के लिए क्या उपाय किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस मामले की जांच प्रारम्भ में स्थानीय पुलिस द्वारा की गई परन्तु कुछ पता न चल सका। तत्पश्चात् यह मामला सी० आई० डी० को दिया गया परन्तु अभियुक्तों का पता लगाने में सफलता प्राप्त न हो सकी।

*३९—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि इस विषय में कामरेड जोगेश चन्द्र चटर्जी और कामरेड झारखंडेराय की ओर से एक मेमोरेंडम मुख्य मंत्री की सेवा में दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। इस संबंध में जो कार्यवाही की गई, उसका उल्लेख प्रश्न संख्या ३८ के उत्तर में किया जा चुका है।

फैजाबाद जिले में बिछैला के निकट पुलिस चौकी की आवश्यकता

*४०—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या गृह मंत्री को यह ज्ञात है कि फैजाबाद जिले के आसापरा, बन्दीपुर, बिछैला तथा तिघरा में फसल कटने, चोरी, डाके आदि की कार्यवाहियां अधिकतर हुआ करती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, इन इलाकों में अपराधों की संख्या आस-पास के अन्य इलाकों की संख्या से अपेक्षाकृत अधिक नहीं है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि वहां अपराध खुल्लमखुल्ला हो रहे हैं और लोग अपराधियों के डर से रिपोर्ट नहीं करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी सूचना मुझको नहीं है कि लोग किस वजह से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं।

*४१—श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या यह सत्य है कि टोंस नदी को पार कर वहां पहुंचने के लिये सुगम रास्ता न होने के कारण जिला के अधिकारी तथा जलालपुर थाने के अधिकारी को प्रायः वहां पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

*४२—श्री राम नारायण त्रिपाठी—ऐसी परिस्थिति में क्या गृह मंत्री बिछैला के पास एक पुलिस चौकी कायम कराने की व्यवस्था करके इस क्षेत्र को उस चौकी के मातहत रखने का विचार रखते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन ग्रामों को पुलिस शासन के निमित्त आजमगढ़ जिले में सम्मिलित करने का सुझाव विचाराधीन है । यदि ऐसा न हुआ तो इस इलाके में एक पुलिस चौकी कायम करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जब वहां अपराधों की संख्या ज्यादा नहीं है तो सरकार वहां पुलिस चौकी क्यों कायम करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसलिये कि अगर किसी वक्त इत्तफाक से वहां जरायम बढ़ भी जाय तो उनको रोक की जा सके और इस वजह से कि बरसात में वहां आदमी नहीं पहुंच पाते हैं ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—उस क्षेत्र को पुलिस कामों के लिये आजमगढ़ में मिलाने अथवा वहां पुलिस चौकी कायम करने का अंतिम फैसला कब तक हो जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं कोशिश कर रहा हूं कि शीघ्र हो लेकिन कब तक होगा यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता ।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार इंटेलीजेंशिया डिपार्टमेंट द्वारा इसकी जांच कराने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं नहीं जानता कि किस जुर्म की तरफ माननीय सदस्य का इशारा है दूसरे इंटेलीजेंशिया विभाग भी अभी तक कोई कायम नहीं हुआ है ।

भटनी शुगर मिल (देवरिया) के चलाने की योजना

*४३—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भटनी शुगर मिल जो देवरिया में है लगभग ६ साल से बन्द है ? क्या सरकार के पास उसको चलाने के लिये कोई योजना है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९४८-४९ की पेराई की ऋतु के पश्चात् से मिल बन्द है । नहीं ।

श्री गेंदासिंह—कितने मजदूर बेकार हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके बारे में मैं कुछ नहीं बतला सकता हूं ।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस मिल को दूसरे स्थान पर ले जाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है । मिल के बन्द होने का कारण यह है कि मिल के प्रोप्राइटर्स में आपस में हगरी मुकदमेबाजी है, इस वजह से उसका काम चल नहीं रहा है ।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मिल के ऊपर सरकार के इनकम टैक्स का कितना रुपया बाकी है ? और क्या यह मिल किसी कस्टोडियन के चार्ज में है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके बारे में मैं ठीक नहीं बतला सकता हूं कि कितना रुपया बाकी है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार इस मिल को अपने कब्जे में लेकर अपने अथराइज्ड कंट्रोलर द्वारा इस मिल को चलाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसके लिये भी विचार किया गया लेकिन उस मिल की मशीनों वगैरह की हालत इतनी खराब है कि जांच करने पर मालूम हुआ कि उसका लेना ठीक नहीं है और उसे लेने के लिये कोई तैयार नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह—तो क्या माननीय गृह मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जो बकाया इस मिल के ऊपर है उसमें मिल को नीलाम करा दिया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, अगर और कोई उपाय नहीं हुआ तो इसके सिवा दूसरा कोई चारा समझ में नहीं आता।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह मिल कई बार नीलाम पर चढ़ी और उसकी तारीख आने पर बार बार टाल दी जाती है, नोटिस देने के बाद ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं नहीं कह सकता कि क्यों टाल दी जाती है और कब कब तारीख टली।

नैनीताल तराई में चोरी और डकैतियां

*४४—श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गत तीन महीने में नैनीताल तराई में कितने डाके पड़े और कितने गांव लूटे गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई नहीं।

*४५—श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या यह सत्य है कि जब से तराई में सरकार द्वारा पश्चिम पंजाब के जरायम पेशा लोग बसाये गये हैं तब से उक्त तराई में डाकों तथा लूटमारी की संख्या बढी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—शुरू में इन अपराधों में कुछ वृद्धि जरूर हुई मगर अब वे घट रहे हैं ।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन अपराधियों को हमारे प्रान्त से हटाने की भी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिन लोगों ने अपराध किया है उनमें कुछ ऐसे हैं जो इस सूबे में बस कर शांति के साथ रह जायेंगे लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो शांति साथ नहीं बसेंगे तो उनको हटाना भी होगा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि पंजाब से आने वाले इन जरायम पेशा लोगों की संख्या कितनी है और उनको कितनी जमीन दी गयी है तथा उनके गुजारे का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह प्रश्न ऐसा है कि उनको कितनी जमीन इत्यादि दी गयी है, उसकी सूचना तो इस वक्त मेरे पास है भी नहीं। संख्या उनकी बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही हजार है। इतना ही मैं इस वक्त कह सकता हूं।

परीक्षा केन्द्रों में नकल के कारण कतिपय केन्द्रों का तोड़ा जाना

*४६—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें पहुंची हैं कि बहुतेरे परीक्षा केन्द्रों के प्रबन्धकों की लापरवाही के कारण छात्रों में नकल कर के परीक्षा पास करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*४७—श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार ऐसे परीक्षा केन्द्रों के तोड़ने के लिये प्रश्न पर विचार कर रही है, जिनके बारे में ऐसी शिकायतें मिली हैं ?

डाक्टर सीताराम—माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने आठ केन्द्र तोड़ दिये हैं और अन्य केन्द्रों के संबंध में उचित कार्यवाही की है तथा कुछ केन्द्रों के विषय में वे जांच कर रहे हैं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी उन परीक्षा केन्द्रों के नाम बतला सकते हैं जिनके संबंध में शिकायतें आयी हैं।

डाक्टर सीताराम—इस साल २६ केन्द्रों के संबंध में शिकायतें आयी हैं। अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो मैं बतला सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इतने नाम बतलाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी उन परीक्षा केन्द्रों के नाम बतला सकते हैं जिनको तोड़ दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम—सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल, नजीबाबाद, बिजनौर, तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल बरेली, चहारवती हायर सेकेंडरी स्कूल, अन्दोला आगरा, राजाशंकर सहाय हायर सेकेंडरी स्कूल, उन्नाव, जयनारायण हायर सेकेंडरी स्कूल, बनारस, बी० एन० इंटर मीडियेट कालेज, मझौली राज, देवरिया, बसंत हायर सेकेंडरी स्कूल, मिर्जापुर, म्युनिसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल, जूही, कानपुर।

श्री बाबूनन्दन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन प्रबन्धकों की लापरवाही के कारण छात्रों में नकल करने की वृत्ति बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिये सरकार क्या सोच रही है ?

डाक्टर सीताराम—कुछ परीक्षा केन्द्र तोड़ दिये गये हैं जैसा अभी बतलाया है और कुछ प्रबन्धकों के सम्बन्ध में जाँच हो रही है तथा विचार हो रहा है कि क्या कार्यवाही की जाय।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या नकल करने की और नम्बर बढ़वाने की प्रवृत्ति यूनिवर्सिटी के छात्रों में भी पाई जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसा हो सकता है।

आगरा जिले में हरिजनों को मकान तथा कुएं बनवाने के लिये सहायता

*४८—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष हरिजनों के लिए मकान तथा पानी के कुएं बनवाने

के लिए कितना रुपया आगरा जिला को प्रदान किया गया तथा जिला अधिकारियों द्वारा यह रुपया किस प्रकार व्यय किया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वित्तीय वर्ष १९५१-५२ में आगरा जिला में ४,००० रु० मकानों के लिए तथा ८,००० रु० पानी पीने के कुएं के हेतु धन स्वीकृत हुआ था।

मकानों की मरम्मत हेतु नाला नूरी दरवाजा, आगरा नगर के ४९ हरिजनों को २,००० रु० दे दिया गया। शेष २,००० रु० ग्राम धनौली के २४ निवासियों को मकान निर्माण करने के हेतु वितरित किया गया।

कुंओं की मरम्मत के लिये ८,००० रु० स्वीकृत धन १७ हरिजनों को स्वीकृत किया गया।

*४९—श्री पुत्तू लाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत दो वर्षों में हरिजनों के रहने के लिये कितने मकानों का निर्माण आगरा जिले में किया गया और कहाँ कहाँ ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वित्तीय वर्ष १९५०-५१ में कोई अनुदान नहीं दिया गया।

वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के लिए सदस्य महोदय कृपया उपरोक्त प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर को देखें।

*५०—श्री पुत्तू लाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष जिला प्लानिंग आफीसर, आगरा के पास कितने हरिजनों ने कुआं खुदवाने के लिए प्रार्थना-पत्र भेजे और कुल कितने कुयें बनवाये गये ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वित्तीय वर्ष १९५१-५२ में लगभग ५० प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए।

कुंओं की मरम्मत के लिये १७ हरिजनों को धन स्वीकृत किया गया।

जिला फर्रुखाबाद में डकैतियों तथा कत्लों की संख्या

*५१—श्री चिरंजीलाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले दो वर्षों में जिला फर्रुखाबाद में प्रतिवर्ष कितने कत्ल तथा डकैतियाँ हुईं ? उनमें कितनों की जाँच तथा मुकदमें में पुलिस सफल हुई तथा कितने मुकदमें अभी चल रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माँगी हुई सूचना साथ में नत्थी नक्शे में देखी जर सकती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४५७ पर)

श्री चिरंजीलाल पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१-५२ में कत्ल और डकैतियां अधिक होने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तो इसका ठीक कारण मैं नहीं बता सकता।

श्री चिरंजीलाल पालीवाल—१९५१ से ५२ में कत्ल के चालान कम किये गये इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९५१ की अपेक्षा सन् १९५२ में चालान कत्ल के भी और डकैती के भी अधिक हुए।

श्री चिरंजीलाल पालीवाल—सन् १९५१ में कत्ल के मुकदमें कम कामयाब हुये इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—फर्स्ट इन्फारमेशन रिपोर्ट्स ठिकाने से नहीं हुई होगी या काफी सबूत नहीं मिल सकता होगा।

जिला गढ़वाल में शिल्पकार कालोनियों में पानी का अभाव

*५२—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गढ़वाल के पौड़ी, लैन्सडाउन, चमोली तहसीलों में शिल्पकारों के खेती करने को कुन्दीनगर, गरीबनगर, कस्त्रीनगर, बुशनगर, बमेला, आदि ग्रामों से जगह मिली हुई है ?

डाक्टर सीताराम—जी हाँ। किन्तु जिला गढ़वाल में बुशनगर नाम का कोई गाँव नहीं है।

*५३—श्री खुशीराम—क्या यह सही है कि उपर्युक्त शिल्पकार कालोनियों में कुन्दीनगर, कस्त्रीनगर वगैरह में पीने का पानी १ मील या डेढ़ मील से लाया जाता है ?

डाक्टर सीताराम—कस्त्रीनगर में पीने का पानी एक फर्लांग की दूरी पर है। गरीबनगर में भी पीने का पानी एक मील की दूरी पर है। कुन्दीनगर में पानी नयार नदी से लाया जाता है जो एक मील की दूरी पर है। बमेला गाँव में अभी कोई आबादी नहीं है।

श्री खुशीराम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो गरीबनगर या कुन्दीनगर में मील डेढ़ मील से पानी आता है इसके लिये कोई सुविधा देने का प्रबन्ध सरकार करेगी ?

डाक्टर सीताराम—इसके लिये सरकार ने इस साल १२ हजार ५ सौ रुपया डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर को दिया है और गाँव वालों को चाहिये कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर से सम्बन्ध रखें और उनको आवेदन-पत्र दें। वे कुछ कार्यवाही करेंगे।

गढ़वाल जिले में पुलिस के खिलाफ़ शिकायतें

*५४—श्री खुशीराम—विधान सभा की बैठक दिनाँक २७ मार्च, सन् १९५३ ई० के सवाल नं० ३८, ३९ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो शिकायतें पुलिस की घूसखोरी, मारपीट व बलात्कार की जिलाधीश के पास हुई उन पर कोई जाँच की गयी ? यदि हाँ, तो यह शिकायतें कहाँ तक सही थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हाँ, घूसखोरी और मारपीट की शिकायतें किसी हद तक सही पाई गईं।

टेहरी-गढ़वाल विद्या प्रसार ट्रस्ट को सहायता

*५५—श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह टिहरी-गढ़वाल विद्या प्रसार ट्रस्ट को, जिसके लिए टिहरी-

---

नोट—प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो जाने पर प्रश्न ५४—८८ सदन में नहीं लिये गये।

गढ़वाल स्टेट विधान सभा (Constituent Assembly) ने स्टेट से प्राप्त (assests) से २० लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की थी, कब तक देने का विचार रखती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—टेहरी-गढ़वाल विधान सभा के प्रस्तावानुसार २० लाख रुपये का ट्रस्ट राज्य के धनकोष में से ही बनना था। राज्य के इस प्रदेश में विलीन होने के बाद जाँच करने पर ज्ञात हुआ है कि ऐसी सम्भावना नहीं है कि राज्य में प्राप्त धनराशि में से राज्य की देनदारी (liabilities) निकालने पर कोई बचत होगी । राज्य की सम्पत्ति (assests) की काफी धनराशि ऋण तथा अग्रिम धन (advances) के रूप में बाहर है जिसका वसूल होना संदेहात्मक है। लेकिन शिक्षा विभाग टेहरी में शिक्षा प्रसार के सम्बन्ध में आवश्यक प्रबन्ध कर ही रहा है और करता रहेगा।

१८५७ के आंदोलन को कुचलने वालों के स्मारकों को हटाने पर विचार

*५६—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या सरकार प्रदेश में ऐसे स्मारकों को हटाने पर विचार करेगी जो उन लोगों की स्मृति में स्थापित किये गये थे जिन्होंने सन् १८५७ के स्वतन्त्रता आन्दोलन को कुचलने में विशेष प्रयत्न किया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इस समय ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राजापुर, जिला बांदा में तुलसी-स्मारक का निर्माण

*५७—श्री देवकी नन्दन विभव— क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेशीय साहित्य सम्मेलन के उस प्रस्ताव की ओर गया है जिसमें राजापुर, जिला बाँदा में महाकवि तुलसीदास जी के स्मारक बनाने की माँग की गई है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—राजापुर में तुलसी-स्मारक का संरक्षण करने के लिये सरकार को स्वयं ही बड़ी चिन्ता है और इस कार्य के निर्माण के लिये १९५२-५३ के वित्तीय वर्ष में २०,००० रु० का अनुदान दिया गया है।

जौनपुर में अपराध निरोधक समिति

*५८—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जौनपुर में अपराध निरोधक समिति कायम की गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जौनपुर जिले में उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति की जिला कमेटी कुछ साल पूर्व स्थापित की गई थी परन्तु कार्य सुचारुरूप से न चलाने की वजह से वह मई सन् १९५२ ई० में भंग कर दी गई थी और अब वहाँ ऐसी कमेटी नहीं है।

*५९—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—यदि हाँ, तो उस समिति में कितने और कौन कौन लोग मेम्बर हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सवाल नहीं उठता।

*६०—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या गृह मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि जौनपुर में बन्दियों के लिए कोई आश्रम (प्रिजनर्स होम) कायम किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द— जी नहीं।

कानपुर में पिस्तौल के लाइसेंस

*६१—श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर के जिलाधीश ने जनवरी, १९५३ ई० में किन किन लोगों को रिवाल्वर या पिस्तौल के लाइसेंस दिये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुल ५७ व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये। नामों की सूची लम्बी है। सदस्य महोदय चाहें तो मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

*६२—श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में किन किन लोगों को पिस्तौल या रिवाल्वर के लाइसेंस जनवरी, १९५३ ई० में वापस करने की आज्ञा दी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्री पुत्तन लाल शुक्ला को पिस्तौल का लाइसेंस वापस करने की आज्ञा दी गयी।

*६३—श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी—क्या सरकार कानपुर के उन लोगों के नाम बताने की कृपा करेगी जिन्होंने सन् १९५१-५२ और जनवरी १९५३ ई० में रिवाल्वर या पिस्तौल का लाइसेंस प्राप्त करने की दरख्वास्त दी थी पर वह स्वीकृत नहीं की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुल क्रमशः ७९, १५२ और २९ व्यक्तियों की दरख्वास्तें अस्वीकार कर दी गईं। नामों की सूचियाँ लम्बी हैं। सदस्य महोदय चाहें तो मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

मिर्जापुर जिले में हरिजन छात्रावास की आवश्यकता

*६४—श्री राम स्वरूप (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर में एक हरिजन छात्रावास के निर्माण हेतु कुछ रुपया मंजूर हुआ था और जिसका शिलान्यास मुख्य मंत्री ने किया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हाँ।

*६५—श्री राम स्वरूप—क्या सरकार को ज्ञात है कि यह अभी तक अधूरा पड़ा है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—जी हाँ।

*६६-६८—श्री बाबूनन्दन—[स्थानान्तरित किये गये।]

थाना छाता, जिला मथुरा में कत्ल के मामले

*६९—श्री राम हेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मथुरा जिला के छाता थाने में सन् १९४६ के बाद कितने कत्ल के केस हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१२।

जूनियर हाईस्कूल मुक्तेश्वर (नैनीताल) को मान्यता

*७०—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह जूनियर हाई स्कूल मुक्तेश्वर को कितनी आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष देती है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—वित्तीय वर्ष १९५२–५३ में २६७६ रु० अनुपालन अनुदान तथा ३६० रु० मंहगाई अनुदान दिया गया ।

*७१—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार के पास जूनियर हाई स्कूल मुक्तेश्वर (नैनीताल जिला) को हायर सेकेन्ड्री स्कूल की मान्यता प्रदान करने के संबंध में कोई आवेदन-पत्र आया है ? अगर हाँ, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हाँ, इस संस्था को वांछनीय मान्यता प्रदान कर दी गई है ।

*७२—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में हायर सेकेंड्री स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के नियमों में कोई परिवर्तन किये गये हैं यदि हाँ तो क्या और क्यों ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं ।

अलीगढ़ में बन्दूक, रिवाल्वर और पिस्तौल के लाइसेंसों का वितरण

*७३—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में सन् १९५२ तथा १९५३ में कितने व्यक्तियों को बन्दूक रिवाल्वर और पिस्तौल के लाइसेंस जिलाधीश द्वारा दिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला अलीगढ़ में सन् १९५२ में बन्दूक के २३३ और रिवाल्वर पिस्तौल के ४३ लाइसेंस दिये गये तथा १९५३ में बन्दूक के २१६ और रिवाल्वर, पिस्तौल के ५० लाइसेंस प्रदान किये गये ।

*७४—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि उपर्युक्त व्यक्तियों में से कुछ हिस्ट्रीशीटर (History Sheeters) तथा सजायाफ्ता भी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हाँ । केवल ६ ऐसे व्यक्ति हैं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल एम० एल० ए० द्वारा पडरौना मिल के मैनेजमेन्ट के खिलाफ शिकायत

*७५—श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि डी० एम० देवरिया के पास कुछ समय पहिले श्री जगन्नाथ मल्ल एम० एल० ए० ने यह शिकायत लिखकर भेजी है कि पडरौना मिल के मैनेजमेंट ने यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट की धाराओं का उल्लंघन किया है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हाँ, श्री जगन्नाथ मल्ल, एम० एल० ए० देवरिया ने इस प्रकार की शिकायतें जिलाधीश देवरिया के पास भेजी थी जिला धीश देवरिया ने इस मामले में जाँच करके श्री जगन्नाथ मल्ल को उत्तर दे दिया है ।

ग्राम आदमपुर, जिला आजमगढ़ में डकैती

*७६—श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम आदमपुर थाना घोसी जिला आजमगढ़ में २८ व २९ अप्रैल की दरम्यानी रात को कोई डकैती पड़ी थी ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, मारपीट की एक घटना अवश्य हुई थी । इस घटना के संबंध में जो मुकदमा श्री रामदास ने अदालत में दायर किया था वह खारिज हो गया ।

सरकारी हायर सेकण्डरी स्कूल अमरोहा में साइन्स क्लासेज की आवश्यकता

*७७—श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार के पास अमरोहा जिला मुरादाबाद की जनता के कोई प्रार्थना-पत्र गत दो वर्षों में इस आशय के आये हैं कि अमरोहा सरकारी हाई स्कूल में ग्यारहवाँ और बारहवाँ दर्जा साइन्स में खोल दिया जाय ?

श्री हरगोविंद सिंह—जी हाँ ।

गाजियाबाद थाने के अन्तर्गत कत्ल तथा मोटर एक्सीडेण्ट

*७८—श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद थाने में मई, जून, जुलाई, सन् ५३ के तीन महीने में कितने कत्ल हुये और कितनी मृत्यु मोटरों के एक्सीडेन्ट से हुईं ?

*७९—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दोषियों को दंड देने के लिये पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माँगी गई सूचना संलग्न नक्शे में देखी जा सकती है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४५८ पर)

भीषण वर्षा के कारण घाटमपुर जिला कानपुर के हरिजनों को क्षति

*८०—श्री व्रज विहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि कानपुर जिले के घाटमपुर कस्बे में वर्षा में पानी रुक जाने के कारण गरीब हरिजन श्रमजीवियों के घर पानी में घिर गये हैं और उनके निकलने, बैठने तथा पशुओं को बाँधने आदि में बड़ी परेशानी होती है ?

श्री हरगोविंद सिंह—गत अगस्त मास के अंतिम सप्ताह में भीषण वर्षा के कारण घाटमपुर ग्राम के हरिजनों के ७ मकानों को आँशिक क्षति पहुंची किन्तु कोई भी हरिजन गृहहीन नहीं हुआ। आबादी के बाहर तालाब में बाढ़ आने के कारण आबादी के कुछ भाग के अन्दर पानी घुस गया और दो तीन बार गलियों में पानी दिन रात भरा रहा किन्तु किसी घर या पशु गृह में पानी नहीं गया और न पानी इतना गहरा था कि ग्रामीणों को या पशुओं को आबादी के बाहर जाने से रोक सके।

*८१—श्री व्रज विहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार कोई व्यवस्था करेगी जिससे कि वर्षा में वहाँ पानी न रुका करे ?

श्री हरगोविंद सिंह—जी हाँ ।

*८२—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या इन श्रमजीवी लोगों को जिनके घर इस वर्षा में गिरे हैं गृह निर्माण के लिये सरकार कुछ सहायता दे सकेगी ?

श्री हरगोविंद सिंह—जी हाँ ।

बेरोजगारी दूर करने के लिये शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता

*८३—श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में पढ़े लिखे नवयुवकों की बढ़ती हुई बेकारी को देखते हुये वह शिक्षा पद्धति में क्या परिवर्तन करने जा रही है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—शिक्षा पद्धति में परिवर्तन पढ़े लिखे नवयुवकों की बढ़ती हुई बेकारी की समस्या का केवल एक अंग है। फिर भी हमारे नवयुवक अधिकाधिक स्वावलम्बी, आत्म निर्भर एवं स्वाध्याय के उपरान्त उपयोगी नागरिक हो सकें इस दृष्टि से उत्तर माध्यमिक शिक्षा सुधार समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

होम साइन्स कालेज में ट्रेनिंग के लिये बालिकाओं के प्रार्थना-पत्र

*८४—श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि होम साइन्स कालेज में ट्रेनिंग के लिये बालिकाओं के प्रार्थना-पत्र आये नहीं थे या सरकार की तरफ से लिये ही नहीं गये?

श्री हरगोविंद सिंह—प्रार्थना-पत्र आये थे।

स्कूल निरीक्षिका तथा निरीक्षक के वेतन तथा अन्य सरकारी कार्यों में अंतर

*८५—श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्कूल निरीक्षिका तथा स्कूल निरीक्षक की तनख्वाह और अन्य सरकारी सुविधाओं में कुछ अन्तर रखा गया है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री हरगोविंद सिंह—जी नहीं, कोई अंतर नहीं रक्खा गया है।

*८६—श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी है कि स्कूल निरीक्षक के बंगले पर फोन दिया गया है और स्कूल निरीक्षिका के बंगले पर नहीं? यदि ऐसा है तो क्यों?

श्री हरगोविंद सिंह—किसी भी स्कूल निरीक्षक या स्कूल निरीक्षिका के बंगले पर सरकारी टेलीफोन नहीं दिया गया है।

बस्ती जिले के हरिजनों के कुओं की सूची

*८७—श्री शिवनारायण—क्या सरकार कृपा कर के बस्ती जिला के अन्तर्गत जितने हरिजन कुंयें मार्च ५२ से मार्च ५३ तक बने हैं उनकी सूची तहसीलवार देने की कृपा करेगी?

श्री हरगोविंद सिंह—बस्ती जिले में मार्च १९५२ से मार्च १९५३ तक १५ नये हरिजन कुयें बने तथा १० पुराने कुओं की मरम्मत हुई। उनकी तहसीलवार सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ—४५९ पर)

कला अध्यापकों के वेतन पर निर्णय

*८८—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रदेश के कला अध्यापकों के वेतन क्रम के विषय में, जो सन् १९५० से सरकार के विचाराधीन था क्या निश्चय किया है?

श्री हरगोविंद सिंह—अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

अतारांकित प्रश्न

बुलंद शहर जिले की शिक्षण संस्था को सहायता

१—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले की किस-किस शिक्षण संस्था को कितनी-कितनी वार्षिक सहायता सरकार द्वारा दी जाती है?

श्री हरगोविंद सिंह—तीन तालिकायें सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४६०–४६२ पर)

गाजीपुर जिले में पुलिस कर्मचारियों पर मुकदमें

२—श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजीपुर जिले में पुलिस कर्मचारियों पर कितने मुक़दमें अदालतों में चल रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—६।

उन्नाव जिले में बांगरमऊ थाने के अंतर्गत डकैती

३—श्री घनश्याम दास (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव में थाना बाँगरमऊ के अन्तर्गत माह जुलाई, सन् ५३ ई० में कितनी डकैतियाँ पड़ीं और उनमें से प्रत्येक में कितने कत्ल हुये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माह जुलाई, सन १९५३ में बाँगरमऊ थाने के अन्तर्गत कोई डकैती नहीं पड़ी। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

थाना कन्धरापुर, जिला आजमगढ़ में १०७/११७ के मुक़दमे

४—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि थाना कन्धरापुर, जिला आजमगढ़ में कितने मुक़दमें १०७/११७ ताजीरात हिन्द के चल रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—२८।

शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश के पास सरकारी गाड़ियां

५—श्री गेंदा सिंह—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश के पास कितनी सरकारी गाड़ियाँ हैं, कब से हैं और जब से उनके पास हैं वे कितने मील चली हैं?

श्री हरगोविंद सिंह—(१)—एक जीपकार ता० १–१०–१९५१ से है। ५,६६२ मील चली है।

(२) शिक्षा प्रसार विभाग की एक स्टेशन वैगन ता० ५–८–५१ से है। यह २१,३२८ मील चली है।

स्वदेशी काटन मिल, कानपुर के झगड़े के सम्बन्ध में गृह मन्त्री का वक्तव्य

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अक्टूबर सन् १९५३ के शुरू में जब देश की कपड़े की मिलों में तयार माल की बिक्री कम हो जाने की वजह से उनके यहां स्टाक बहुत जमा हो गया था कानपुर के कपड़े की कुछ मिलों ने भी सरकार से इस बात की इजाजत चाही कि तीन पाली चलाने वाली मिलें सिर्फ दो पाली चलायें। इनमें स्वदेशी काटन मिल भी थी। इस बात की जांच हो ही रही थी कि भारत सरकार ने कपड़े की मिलों की हालत सुधारने

के लिये कुछ सहूलियतें दीं। इनसे कानपुर की भी अप्रत्यक्ष रूप से हालत कुछ संभल गयी, लेकिन स्वदेशी काटन मिल में विशेष फर्क नहीं हुआ। इस मिल के मालिकों ने अपने माल की तैयारी कम करने और खर्चा घटाने की गरज से मजदूरों की छटनी करके तीन पालियों के बदले दो पाली करने की मांग जारी रखी। चूंकि मौजूदा हालत में इस तरह छटनी की इजाजत देना मुनासिब नहीं समझा गया, इसलिये इस बात की जांच शुरू की गयी कि मुस्तकिल मजदूरों की छटनी के बिना यह मिल किस तरह चलायी जा सकती है। कई तरह के सुझावों को देखने के बाद ऐसा मालूम पड़ा कि मुस्तकिल मजदूरों की छटनी तभी बच सकती है जब मिल हफ्ते के सब दिनों में काम करे और मजदूरों का एक हिस्सा बारी-बारी अपनी हफ्तेवार छुट्टी मनाता रहे। इसका मतलब यह था कि पुरानी तीन पालियों के बदले मजदूरों की दो पूरी पालियां चलायी जायं और एक तीसरी छोटी पाली बनायी जाय जिसमें ११४ मजदूर काम करें। इस योजना के अनुसार इतवार को भी मिल चलाने की बात थी। लागू करने से पहले इस योजना की मोटी-मोटी बातें मिल के प्रमुख मजदूरों और उनके नेताओं को लेबर कमिश्नर ने बताई और उनसे जो बातचीत हुयी उससे सरकार को यह यक़ीन हुआ कि इस नयी योजना का कोई विरोध नहीं किया जायगा, लेकिन १६ नवम्बर को जब इस योजना के मुताबिक मिल में काम शुरू होने को था तब कुछ लोगों की ओर से इसका विरोध किया गया और मजदूरों को नये तरीके से काम पर जाने से रोका गया। इससे मिल पर कुछ गड़बड़ी भी पैदा हुयी लेकिन सरकार की ओर से मुनासिब इन्तजाम किया गया और उसको बढ़ने नहीं दिया गया।

उसी वक्त से इस मिल में काम रुका हुआ है। मजदूर पुराने तरीके से काम करने के लिये जाना चाहते हैं और मिल मालिक उस तरह से उनको काम पर लेने के लिये तैयार नहीं हैं। १६ नवम्बर के बाद से मिल के फाटक अपने वक्त पर खोले जाते हैं लेकिन मजदूरों के न आने की वजह से फिर बन्द कर दिये जाते हैं। इसी बीच में कुछ यूनियनों ने लेबर एपिलेट ट्रिब्युनल के सामने यह दरख्वास्त भी दी है कि नयी पालियों की योजना गैरक़ानूनी है और उसे रद्द करके पुराने ही तरीके से मिल चलाने के लिये हुक्म होना चाहिये। ट्रिब्युनल ने भी इस मामले में कोई फैसला नहीं दिया है।

यह झगड़ा शुरू होते ही सरकार की ओर से इसको तय कराने की कोशिश की गयी और अब भी की जा रही है। लेबर कमिश्नर ने कई बार दोनों तरफ के लोगों को बुलाकर उनसे बात चीत की और कई सुझाव इस झगड़े को हल करने के लिये उनके सामने रखे लेकिन कोई सुझाव सर्वमान्य नहीं हो सका। मैं भी इस झगड़े को हल करने के लिये खुद कानपुर गया और वहां लम्बे अरसे तक दोनों तरफ के लोगों से बातचीत की। मैंने भी मसले को तय करने का एक सुझाव अपनी ओर से रखा लेकिन अन्त में यह कोशिश भी नाकामयाब रही। फिर भी सरकार की ओर से झगड़े को तय करने की कोशिश जारी है और इस वक्त भी कई सुझाव दोनों ओर के लोगों के सामने हैं, जिन पर वे लोग गौर कर रहे हैं। सरकार अब भी यह समझती है कि स्वदेशी काटन मिल का यह झगड़ा ऐसा नहीं है कि जो आपसी समझौते से तय न हो सके। सरकार को यह उम्मीद है कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की दिक्कतों को समझेंगे और इस तरह झगड़े को तय कर सकेंगे। इस बात की आशा है कि दो चार दिन में यह मामला सुलझ जायगा। मुझे कानपुर से जो समाचार अभी आध घंटे पहले मिला है उसके आधार पर ऐसा कहता हूं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस सदन में ऐसी बातें न कही जायं, जिनसे कटुता बढ़े, और इस प्रश्न का जिसके साथ लगभग दस हजार व्यक्तियों की जीविका सम्बद्ध है सुलझाव और जटिल हो जाय। इस सिलसिले में कानपुर की और दूसरी मिलों में कोई गड़बड़ी नहीं हुयी है और उनका काम बराबर ठीक चलता रहा है। सरकार के सामने कोई ऐसी बातें नहीं हैं जिससे यह समझा जाय की कानपुर की दूसरी मिलों में निकट भविष्य में हड़ताल होने की सम्भावना है।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

इसके अलावा दूसरा मामला लक्ष्मी रतन काटन मिल्स का है और उसका लेबर से भी कोई सम्बन्ध नहीं है, वह तो केवल सुरक्षा ही से सम्बन्ध रखता है और कानपुर जिला मैजिस्ट्रेट की जो विज्ञप्ति निकली है उसने इस मामले पर काफी प्रकाश डाल दिया है। "कुछ दिन पहले हिन्द मजदूर सभा, (प्रजा सोशलिस्ट) न २५ से २७ दिसम्बर तक होन वाले अपने प्रस्तावित वार्षिक सम्मेलन के सम्बन्ध में लाउड स्पीकर से घोषणा करन की अनुमति प्राप्त की थी। आज १६-१२-५३ अपराह्न में लक्ष्मी रतन काटन मिल के पास जहां निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करके एक अवैध सभा करने का विचार था। जिस समय घोषणा की जा रही थी लाउड स्पीकर लगाये हुये तांगे के पीछे हिन्द मजदूर सभा के लगभग २०० समर्थकों का एक जुलूस चल रहा था। पुलिस के एक सब-इन्सपेक्टर ने जिन के अधीन पुलिस की एक छोटी सी टुकड़ी भी थी इस अवैध जलूस के संगठनकर्ताओं तथा समर्थकों से तितरबितर होने के लिये कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया और विरोधी रुख अपनाया और पुलिस वालों पर ईंट फेंकना आरम्भ कर दिया। घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस तुरन्त पहुंच गयी और कुछ प्रमुख उपद्रवी गिरफ्तार कर लिये गये, जिन के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उन्होंने यह गैरक़ानूनी काम किया। जो लोग अब तक गिरफ्तार किये गये हैं उनमें से श्री राजाराम शास्त्री एम०एल०सी०, श्री विमल मेहरोत्रा सम्मिलित हैं और स्थिति काबू में है।

मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि कानपुर में पूर्ण शांति है और कहीं भी इसकी ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं हुयी है।

कानपुर में श्री राजाराम शास्त्री तथा कुछ अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—पहले वक्तव्य के सम्बन्ध में तो कोई चर्चा नहीं होगी। उसके अलावा म श्री मदन मोहन उपाध्याय से पूछना चाहता हूं और वह बतलावें कि कामरेडों प्रस्ताव के विषय में मामूली इंतजाम के अलावा कुछ सरकार का इसमें हाथ है या नहीं, अगर सरकार का हाथ है तब तो विचार हो सकता है लकिन अगर मामूली इन्तजाम की ही बात होगी तो कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता है, ऐसा नियम है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय गृह मंत्री जी के बयान को सुन कर बड़ा दुख हुआ। मैंने जो कामरोको प्रस्ताव रखा था वह इसलिये रखा था कि मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी से कानपुर की परिस्थिति बिगड़ने की पूरी-पूरी सम्भावना है और वह कुछ हद तक बिगड़ भी चुकी है। मैं स्वदेशी काटन मिल की चर्चा न करूंगा लेकिन वहां के मामले को लेकर सारे भारतवर्ष में ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है कि हिन्द मजदूर सभा ने भी अपनी आल इंडिया कान्फ्रेंस, कानपुर में २५,२६,२७ को करना तय किया है जिसके चेयरमैन राजाराम शास्त्री हैं और जनरल सेक्रेटरी विमल मेहरोत्रा हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं जानना चाहता हूं कि आपने कोई परामर्श गवर्नमेंट से किया या जिलाधीश के हुक्म पर हो बहस कर रहे हैं?

श्री मदन मोहन उपाध्याय—परामर्श तो अभी हमने अपने लोगों से ही किया है।

श्री अध्यक्ष—आप यह बतायें कि उसमें (गिरफ्तारी में) गवर्नमेंट का हाथ कैसे है?

श्री मदन मोहन उपाध्याय--जी हां, मैं यही बता रहा हूं। यह तो ठीक ही है कि जहां तक साधारण लाऐन्ड आर्डर का सवाल है उस पर एडजर्नमेंट मोशन नहीं आ सकता है लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि यह इस तरह की साधारण बात नहीं है। कोई नहीं चाहता था कि किसी तरह का घपला हो और इस लिये पहले तो डुग्गी से ऐलान करने की इजाजत मांगी गयी और उसकी इजाजत भी राजाराम जी शास्त्री को ४ से ८ बजे तक एलान करने की मिल गयी लेकिन जब वह मिल के पास एलान करने जाना चाहते थे तो हिन्द मजदूर के दफ्तर में जा कर कहा गया कि अगर एलान करने कोई आयेगा तो हम उनको मारेंगे इस पर श्री राजाराम शास्त्री ने डी०एम० को एक पत्र लिखा कि हम हिन्द मजदूर कांफ्रेंस के सम्बन्ध में ऐलान करने जा रहे हैं और लेबर अफसर साहब कह रहे हैं कि झगड़ा होगा और इसी लिये वहां पुलिस का इन्तजाम काफी कर दिया गया ताकि कोई घपला न हो। जब वहां पर तांगा लेकर लोग एलान करने पहुंचे तो लक्ष्मी रतन मिल के लोगों ने उनके तांगे पर हमला किया, घोड़ा खोल दिया और तांगा हटा दिया और सामान भी फेंक दिया इसके बाद उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।

श्री अध्यक्ष--मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसमें कहां आती है। अभी तक तो नहीं आयी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, मैं वही बतला रहा हूं। जब राजाराम शास्त्री जी ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मदद मांगी थी और पुलिस भेजने को कहा था तो पहले तो पुलिस का इंतजाम नहीं किया जब राजाराम जी को पता चला कि ऐसा वाकया हो रहा है तो वह वहां जाते हैं और लोगों को शांत करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जब राजा राम शास्त्री लौटते हैं, उस वक्त वहां जो भीड़ थी वह दूसरी शिफ्ट वाले लोग थे जिनको कि एलान कर रहे थे। जब राजाराम जी थाने की तरफ रिपोर्ट करने के लिये गये तो कुछ लोग उनके पीछे लग गये।

श्री अध्यक्ष--मैं अब इससे ज्यादा आपको लैटीच्यूड नहीं दे सकता हूं आप समझ नहीं रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। आप कृपा करके बैठिये। मैं बतला दूं।

मैं यह चाह रहा था कि अगर वहां राजाराम शास्त्री जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिलते हैं और उससे मदद मांगते हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कुछ करता है तो वह लोकल मामला है और साधारण लाऐन्ड आर्डर का सवाल है। कोई गवर्नमेंट की नीति का सवाल उसमें नहीं आता। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की कोई नीति का सवाल या ऐसी कोई चीज अगर आप नहीं बतायेंगे.....

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, मैं उसी को समझा रहा था।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यहां पर सब लोग काफी समझदार हैं कोई और प्रचार करने का यह स्थान नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--हिन्द मजदूर सभा की जो कांफ्रेंस कानपुर में होने जा रही है इस स्वदेशी काटन मिल के झगड़े को हल करने का भी सवाल उसमें है और इसी हिन्द मजदूर सभा की कांफ्रेंस को कामयाब न होने देने की गरज से सरकार ने यह नीति अख्तियार की है कि अगर कहीं इसके प्रयत्नों से स्वदेशी काटन मिल का झगड़ा सुलझ जाता है तो उनका प्रभाव खत्म हो जायगा और इसीलिये उसके स्वागत कमेटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी आदि को गिरफ्तार कर लिया जाय ताकि यह कांफ्रेंस होने ही न पाये। हर राजनैतिक पार्टी अपनी-अपनी कोशिश करती है। उन्होंने यह कोशिश की है कि अगर कहीं हिन्द मजदूर सभा के जरिये इसका फैसला हो गया तो कानपुर के मजदूर सब उनके खिलाफ हो जायेंगे इसलिए सरकार इसमें आयी है।

श्री अध्यक्ष—आपके पास कोई इसका प्रमाण है कि सरकार का कोई इस तरह का हुक्म गया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ?

श्री मदन मोहन उपाध्याय—इस तरह के हुक्म तो अन्दरूनी हुआ करते हैं। यह सबको मालूम नहीं हो पाते ।

श्री अध्यक्ष—मैं गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यहां से कोई ऐसा डाइरेक्टिव तो नहीं गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। अगर हमको डाइरेक्शन देना होता तो हम कांफ्रेंस को ही बैन कर देते ।

श्री अध्यक्ष—तो मैं आपको बता दूं यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव काम है। इसके लिये कामरोको प्रस्ताव नहीं हो सकता है। इसके लिये मैं आपको एक पुरानी रूलिंग पार्लियामेंट की भी बता देना चाहता हूं और वह यह है :—" An adjournment motion was sought to be moved to discuss the arrest and detention of Mr. Sarat Chandra Bose under the orders of the Government of India. The Government objected on the ground that the order was passed in the ordinary administration of the Law but the President, holding the motion in order, observed:

I do not think this a case which can be said to be covered by the doctrine relating to ordinary administration of law. A question like this is analogous to cases which have been dealt with by this House on an adjournment motion relating to persons arrested under Regulation 3 of 1818. The phrase, "ordinary administration of Law", I might explain to the House, refers to cases where a person is arrested or detained under an ordinary process of law, for instance, by a magistrate or any other similar authority. Here what is complained of is an act of the Government of India itself." गवर्नमेंट की वहां प्रत्यक्ष आज्ञा थी इस कारण वहां मोशन इन आर्डर करार दिया गया था। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट कोई आर्डर देता है और आर्डनरी कोर्स आफ ला में अरेस्ट वगैरह होते हैं तो उसको आर्डिनरी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स समझा जाता है। गवर्नमेंट कहीं भी बीच में यहां आई नहीं है और न उसने हिदायत दी है। इसलिये मैं नहीं समझता हूं कि गवर्नमेंट का इस से कोई सम्बन्ध है और इसलिये मैं इसको अवैध करार देता हूं। मैं इजाजत नहीं देता हूं कि इसको अनुमति के लिये आप पेश कर सकें ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, कुछ जानकारी आप से करना चाहता हूं। जैसे कहीं का कोई लोकल मजिस्ट्रेट है, वह कोई अवैध आर्डर दे देता है जिससे नागरिकता का हनन होता है और सरकार की जानकारी में वह चीज होते हुये भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के उस अवैध आर्डर का सरकार की नीति से सम्बन्ध नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—उसके लिये पहले आपको सरकार के पास जाना चाहिये था और आप को बताना चाहिये था कि उस कांफ्रेंस का महत्व क्या है और दफा १४४ के होते हुये भी मांग करनी थी कि मीटिंग की इजाजत दी जाय। इसका मैंने इशारा भी किया था कि इस प्रकार आपको कार्यवाही करनी चाहिये थी। हालांकि यह मेरा काम नहीं है कि कोई उपदेश दूं लेकिन मैंने आपको यह इसलिये बतलाया कि आप यद्यपि इस तरह का कामरोको प्रस्ताव लाते हैं परन्तु आपको मालूम नहीं होता है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स कौन से होते हैं, इसलिये मैंने आपके लिये यह स्पष्टीकरण दिया।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३

वित्तमंत्री (हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब वाला, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४६३–४७९ पर)

*उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली ज़हीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं तजवीज़ करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३ एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (ज़िला फैज़ाबाद)—कल मैंने अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन किया था कि सरकार का यह कर्तव्य होता है कि पूरे हफ्ते का प्रोग्राम बना दें और इस सम्बन्ध में जब राजस्व मंत्री के दो विधेयक प्रस्तुत हुये थे उस समय मैंने आपत्ति उठाई थी और आपने हुक्म दिया था कि कोई विशेष परिस्थिति हो जाय तो सदन को अख्तियार होगा कि वह उस सम्बन्ध में प्रस्ताव ला करके कोई विधेयक सरकार सामने ले आवे, लेकिन माननीय न्याय मंत्री की ओर से कोई इस किस्म का प्रस्ताव आया नहीं। उनके प्रस्ताव की गैर हाज़िरी में मैं आपसे विरोधी दल के हकों की रक्षा के हेतु प्रार्थना करता हूं कि चूंकि ऐसा प्रस्ताव नहीं है और इसका नोटिस कल शाम को विधान सभा खत्म होते वक्त दिया गया था और इसमें ८ विभिन्न क़ानूनों में संशोधन होना है। इसके अलावा आप जानते हैं कि आज रिसेस के बाद लखनऊ फायरिंग के सम्बन्ध में वाद–विवाद में हमको हिस्सा लेना है। ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि कौन सी विशेष परिस्थिति है जिस में उनको इजाज़त दी जाय। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको पेश करने की आज्ञा न दी जाय।

श्री अध्यक्ष—आप १९ वां नियम देखें। इसमें दिया हुआ है: "The Government may arrange the order of business in such manner as it thinks fit."

[सरकार जिस प्रकार उचित समझे कार्य के क्रम की व्यवस्था कर सकती है।]

मुझे इस विषय में कोई अधिकार नहीं है कि मैं गवर्नमेंट को आदेश दूं कि वह अपना आर्डर आफ बिजनेस किस प्रकार रखे। लेकिन मैंने एक सुझाव की तरह एक सलाह दी थी कि सहूलियत के लिये यह अच्छा होगा कि हफ्ते के शुरुआत में सरकार यह बता दिया करे कि प्रोग्राम क्या है और उसमें अगर परिवर्तन करना हो और कोई बिल चल रहा हो तो बदलाव की सूचना दो तीन रोज़ पहले अगर दे दें तो अच्छा हो। यह मेरा सुझाव है। लेकिन नियम में यह दिया हुआ है कि अगर सरकार परिवर्तन करना चाहे और एक रोज़ पेश्तर अगर वह बता देती है तो वह कर सकती है। नियम इस प्रकार है—"If any change is considered necessary, the Government will, as far as possible, inform the House of it a day before, it is made."

[यदि कोई परिवर्तन आवश्यक समझा जाय तो ऐसा करने के एक दिन पूर्व सरकार को यथासम्भव इसकी सूचना देगी।]

अब मेरा हस्तक्षेप उसमें हो नहीं सकता। मैं इतना ज़रूर विचार करता हूं कि अगर बार-बार एक ही हफ्ते के अन्दर परिवर्तन होता है और उसमें एक दो रोज़ की

---

*१४ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री अध्यक्ष]

गुंजायश सूचना देने में कर दी जाती है तो किसी को एतराज नहीं हो सकता है। यह मैंने सुझाव दिया था। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उनके कार्यक्रम के बारे में क्या विचार है ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविंद वल्लभ पन्त)—यह जितने भी विधेयक हैं, यह पहले अजेंडा पेपर पर आ गये थे। असल में हम लोगों का ख्याल था, जो ख्याल गलत साबित हुआ कि चार दिन के भीतर यानी १७ तक यह आगरा यूनिवर्सिटी बिल यहां पूरा हो जायगा और इसमें चार दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। यह ज्वाइंट सिलक्ट कमेटी से हो करके आया है और इसके वादविवाद में किसी तरह से चार दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा और उसके बाद तरतीबवार और बिल ले लिये जायंगे, जो कि अजेंडा पेपर में थे। मगर वह बिल उतने समय के भीतर नहीं हो सके, इस कारण और यह लेने पड़े। मगर हमें कोई असुविधा यहां करनी नहीं है। अगर रामनारायण जी समझते हैं कि इस बिल के इस वक्त लेने में कोई कठिनाई है, तो मैं समझता हूं कि यह रोका जाय और रोका जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आज नहीं अगले हफ्ते हो जाय। मगर पूरा प्रोग्राम हफ्ते भर का तो अजेंडा पेपर पर दिया गया था और उसमें परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन इसलिये किया गया चूंकि आगरा यूनिवर्सिटी बिल के पूरा करने के लिये जो हमने अवधि रखी थी, उसके भीतर वह पूरा नहीं हो सका। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि यह आज रोका जा सकता है। इसका मोशन हो गया और इसकी कार्यवाही आगे किसी दूसरे दिन हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष—सोमवार को ले लिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री गोविंद वल्लभ पन्त—जब आप चाहें, तब ले लें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—सोमवार के लिये मुझे भी कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी अगर समझें तो ऐसा कर दिया जाय।

श्री गोविंद वल्लभ पन्त—मैं आशा करता हूं कि सोमवार को आगरा यूनिवर्सिटी बिल समाप्त हो जायगा और मंगल को इसे ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मंगल को हो सकता है।

श्री गोविंद वल्लभ पन्त—उसके समाप्त होते ही इसे ले लिया जाय।

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

*खण्ड ११ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर विचार जारी रहेगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड ११ में नयी धारा १४ की उपधारा (१) के सेनेट के मेम्बरों के (class 1) के उपभाग (iii) को निम्नलिखित रूप में परिवर्तित कर दिया जाय:—

"Representatives from any Universities not exceeding 10 of persons who have held the office of the Vice-Chancellor in the University for one complete term."

---

* १७ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

अध्यक्ष महोदय, यह सेनेट जो है वह १२५ व्यक्तियों की होगी और इसका एक खास अंग जो है, काफ़ी बड़ी तादाद जो वाइस चाँसलर साहब के आफिस में एक वर्ष तक रहे होंगे, उनके लिये हो जाता है। मैं समझता हूं कि यह अमेंडमेंट कोई ऐसा नहीं है जिस अमेंडमेंट में किसी नीति और किसी और तरह की बात की गुंजायश हो जिसकी वजह से कोई खास दिक्क़त खड़ी हो सके। इस संशोधन का केवल अर्थ यह है कि इन लोगों की संख्या निर्धारित कर दी जाय। बजाय इसके कि जितने लोग आफिस होल्ड करते हों उन सब को सेनेट का मेम्बर माना जाय, उनमें से केवल दस को ही सेनेट का मेम्बर माना जाय।

मैं इस सम्बन्ध में कुछ और बातें न कह कर केवल यह कहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी पुनः इस प्रश्न पर विचार करेंगे और इस संख्या को निर्धारित करेंगे जैसा इस संशोधन में दस व्यक्तियों के लिये सीमित कर दिया गया है।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)—मुझे यह संशोधन मंजूर नहीं है। यह इस कारण कि इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह १० वाइस चान्सलर कहाँ से आयेंगे।

(इस समय १२ बज कर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविन्द पन्त पीठासीन हुए।)

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने तो इसमें लिख दिया है कि यह कोई मजबूरी नहीं है कि १० वाइस चान्सलर खोजे ही जायं। मैं माननीय मंत्री जी को इस परेशानी में नहीं छोड़ना चाहता कि वे चिराग़ लेकर १० वाइस चान्सलर को ढूंढ़ने जायं बल्कि इसमें तो लिखा हुआ है "not exceeding 10" से ज्यादा न हो जायं। अगर कम हो गये तो कोई दिक्क़त नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी को केवल इतनी ही दिक्क़त थी तो अब वह दिक्क़त दूर हो गई है और अब वे कोई और दूसरी दिक्क़त न उठा कर, मैं समझता हूं, इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री हरगोविंद सिंह—अब तो श्री गेंदा सिंह जी को सन्तोष होना चाहिये क्योंकि वह तो पहले से ही इसमें मौजूद हैं: "All persons who have held the office of Vice-Chancellor in the University for one complete term".

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी जो कहा उसे मैं समझने में असमर्थ रहा। माननीय शिक्षा मंत्री जी का पहले यह कहना था कि इस संशोधन को इस लिये स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि दस वाइस चान्सलर्स ढूंढने पड़ेंगे, सिनेट के मेम्बर बनाने के लिये। उसके बाद मैंने यह निवेदन किया किया १० वाइस चान्सलर्स को ढूंढने की मजबूरी नहीं है इसमें तो लिखा हुआ है "not exceeding 10" १० मेम्बरों तक इसको सीमित कर दिया जाय और फिर इन शब्दों से मैंने शिक्षा मंत्री जी से यह दरख्वास्त की थी कि अब उन्हें इस संशोधन के मान लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। लेकिन फिर उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसे मैं समझ भी नहीं पाया कि उन्होंने क्या कहा। इसलिये मैं फिर उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वही बात जो पहले उन्होंने कही थी कि १० वाइसचाँसलर्स को ढूंढने की दिक्क़त उनको पड़ेगी, अब भी है तो वह तो दिक्क़त रफा हो गई, हमारी सफ़ाई देने के बाद। इस लिये इस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लेने में उन्हें कोई दिक्क़त नहीं होनी चाहिये। यों तो उनको अधिकार है कि वह जैसा सलूक इस अमेंडमेंट के साथ चाहें कर सकते हैं।

श्री हरगोविंद सिंह—जो संशोधन श्री गेंदा सिंह जी ने पेश किया है मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह संशोधन यह है कि दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी

"Representatives from any Universities not exceeding 10 of persons who have held the office of the Vice-Chancellor in the University for one complete term"

[श्री हरगोविन्द सिंह]

जो एक कम्पलीट टर्म तक वाइस चाँसलर रहा हो तो वह जैसा मैंने पहले कहा कि यह मुझे मंजूर नहीं है कि हम दुनिया भर की कुल युनिवर्सिटीज में घूमते फिरें इसलिये कि हमें १० रिप्रिजेन्टेटिव मिल जायं। एक बात और श्री गेंदा सिंह जी ने कही कि दस की आवश्यकता नहीं है उससे कम मेम्बरों से भी काम चल सकता है। उसके लिये मैंने तो कहा कि इसका प्रबन्ध पहले ही से इस विधेयक में कर दिया गया है कि आगरा युनिवर्सिटी के जितने भी पुराने वाइस चाँसलर्स हों सब सिनेट के मेम्बर रहेंगे। इसलिये जैसा कि मैंने पहले कहा यह संशोधन मुझे मंजूर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ११ में नयी धारा १४ की उपधारा (i) के सेनेट के मेम्बरों के class (i) के उपभाग (iii) को निम्नलिखित रूप में परिवर्तित कर दिया जाय:—

"Representatives from any Universities not exceeding 10 of persons who have held the office of the Vice-Chancellor in the University for one complete term."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ११ के सीनेट के मेम्बरों के class (ii) के उपभाग (iv) में से 'Director of Education' निकाल दिया जाय।

जहाँ तक सिनेट के निर्माण का सम्बन्ध है वहाँ अलग-अलग क्लासेज के लोग दिये गये हैं। उनमें से एक्स आफ़ीशियो और लाइफ़ मेम्बर्स हैं और कुल संख्या १२५ निर्धारित की गई है। ऐक्स आफ़ीशियो में चाँसलर, मिनिस्टर आफ़ एजूकेशन, वाइस चाँसलर चौथे नम्बर में है। डाइरेक्टर आफ़ एजूकेशन, डाइरेक्टर आफ़ इंडस्ट्रीज, डाइरेक्टर आफ़ एग्रीकल्चर इत्यादि। लेकिन इसी विधेयक के अन्दर एक धारा है जिसके अनुसार हाई स्कूल और इंटर की क्लासेज अलहदा की जा रही हैं तो डाइरेक्टर आफ़ एजूकेशन का रहना बहुत आवश्यक नहीं रह जाता, क्योंकि उनका सम्बन्ध सीधे गवर्नमेंट से होता है। जैसा कि अभी कहा गया है आटोनामी के अन्दर गवर्नमेंट अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है और डाइरेक्टर आफ़ एजूकेशन को रखना चाहती है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे और वह इस तरह सरकार के सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाना चाहेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमान् जी, मैं माननीय सदस्य की इत्तिला के लिये बतला देना चाहता हूं कि यू० पी० की कुल युनिवर्सिटीज में डाइरेक्टर आफ़ एजूकेशन सीनेट का मेम्बर है। इसलिये उनको निकालने का यह प्रश्न नहीं होना चाहिये और मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस प्रश्न पर फिर से विचार करें। अगर डाइरेक्टर साहब आफ एजूकेशन उस सीनेट में नहीं रहे तो कोई उसकी शोभा बहुत नहीं बिगड़ती है और यह दलील मेरी समझ में नहीं आई कि सभी सीनेटों में वे हैं। यदि ऐसा ही है तब तो और भी लोग रख लिये जावें और उससे सीनेट की शोभा बढ़ेगी। इसमें कुछ और डाइरेक्टर साहबान का भी जिक्र है कि कृषि और स्वास्थ्य विभागों के डाइरेक्टर साहबान भी रहेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर साहब का न रहना मैं इसलिये चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री तो उसमें रहेंगे ही। इसलिये यह कि एक स्थान डाइरेक्टर साहेब भी घेरे रहें, यह कोई बहुत जरूरी नहीं मालूम पड़ता। आखिर गवर्नमेंट का खर्चा होता है डायरेक्टर साहब के आने जाने में। उनको टी० ए० देना पड़ता है और कोई जरूरी नहीं है

क्योंकि शिक्षा संचालक हर युनिवर्सिटी की सीनेट का मेम्बर होता है, इसलिये आगरा युनिवर्सिटी की सीनेट का मेम्बर उसको न करके हम एक जगह का अनुभव करना चाहते हैं और देखें कि क्या उनके बिना आगरा यूनिवर्सिटी का काम खटकने लगता है। मुझे कोई ऐसी योग्यता मालूम होती कि उसके बिना यूनिवर्सिटी के चलने में दिक्कत होगी और उसकी योग्यता से हमें लाभ उठाना चाहिये तो मैं इस विधेयक का विरोध न करता और यहाँ पर अपना संशोधन कभी न लाता। मैं तो शिक्षा संचालक के नाम पर कह रहा हूं कि उनको नहीं रहना चाहिये। उनके ज्ञान का लाभ तो आज सारा हमारा प्रांत उठा ही रहा है और सारे प्रदेश की यूनिवर्सिटीज उठा रही हैं और इस लाभ से अगर आगरा युनिवर्सिटी को वंचित रखा जाय तो क्या हर्ज होगा, इसको देखा जाय और इसकी तुलना एक साल दो साल में और यूनिवर्सिटीज से की जाय जहाँ पर शिक्षा संचालक मेम्बर हों। फिर यहाँ शिक्षा मंत्री जी रहेंगे, वे देखें कि क्या आगरा यूनिवर्सिटी का काम और यूनिवर्सिटीज के मुक़ाबले में पिछड़ गया। यदि पिछड़ गया तो उनको कानून में संशोधन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और हम लोग भी इस बात को महसूस करेंगे कि शिक्षा संचालक के बिना यूनिवर्सिटी के काम में बड़ा हर्ज हो गया।

शिक्षा संचालक जी के बारे में मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मुझे इतनी जानकारी जरूर है जैसा कि आज मैंने सदन में उनके सम्बन्ध में सुना कि किसी स्कूल की बिल्डिंग के बारे में सवाल हो रहा था तो सिर्फ यह बतलाया गया कि कानपुर में जहाँ पर शरणार्थी रहते हैं वहाँ स्कूल की बिल्डिंग है लेकिन यह नहीं बतलाया जा सका कि कौन से मोहल्ले में बिल्डिंग है। कानपुर में शरणार्थी तो बहुत सी जगह रहते हैं। आज शिक्षा मंत्री जी द्वारा हमारे सवालों के कुछ जवाब आये हैं। मैंने जो पूछा था वह तो नहीं बतलाया गया लेकिन हाँ कुछ जवाब उन्होंने जरूर दिया जिसके लिये मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैंने पूछा था कि उनके पास कितनी सरकारी गाड़ियाँ हैं और उनका किस तरह से उपयोग होता है.....

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमन्, मुझे आपत्ति है। यहाँ पर शिक्षा संचालक के सवाल और जवाब से क्या मतलब है, क्यों भवन का समय ख़राब किया जा रहा है?

श्री गेंदा सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो शिक्षा मंत्री जी का विरोध कर रहा हूं कि उनको इस सिनेट में न रखा जाय और इस सम्बन्ध में कुछ मसाला सदन में न दे पाऊं तो यह मेरी मूर्खता होगी, ऐसा मैं समझता हूं। यदि शिक्षा मंत्री जी मुझे समझा दें कि उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहिये जिसके विषय में मेरा संशोधन है। मैं तो यह कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को सीनेट में न रखा जाय। ऐसे व्यक्ति को सीनेट में रखने से उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और इसके लिये मैं शिक्षा मंत्री जी को राज़ी करना चाहता हूं और उसके लिये कुछ दलीलें देना चाहता हूं। अगर वे उनको सुनने से गुरेज करते हैं तो फिर हमारी मजबूरी हो जाती है लेकिन मैं उनकी खिदमत में जरूर पेश करूंगा कि मैं क्यों विरोध कर रहा हूं। मेरी सख्त शिकायत है उनके खिलाफ़।

श्री हरगोविन्द सिंह---आपको जो शिकायत होगी वह तो किसी शिक्षा संचालक से होगी, उनके पद से नहीं होगी। इसमें जो भी शिक्षा संचालक होगा वही मेम्बर होगा। किसी व्यक्ति विशेष से इसका सम्बन्ध नहीं है, यही मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री गेंदा सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी उस व्यक्ति के ऊपर बहुत दूर तक नहीं जाना चाहता। मैं अपनी राय बदल भी सकता हूं। वर्तमान शिक्षा संचालक के जमाने में सारे प्रांत में जो शिक्षा की दुर्गति हुई है उसकी जिम्मेदारी उन पर डाले बिना नहीं छोड़ सकता।

श्री उपाध्यक्ष---यह तो भविष्य का सवाल है। वर्तमान शिक्षा संचालक सदा नहीं रहेंगे। लेकिन यह सदा रहने वाला है।

श्री गेंदा सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीनेट में रहने के एक आदमी के बारे में मेरे कुछ अनुभव हैं, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि ऐसे शिक्षा संचालक महोदय को किसी

[श्री गेंदासिंह]

भी सीनेट में न रहने दिया जाय। अगर कोई और योग्य शिक्षा संचालक आ जाय तो उस वक्त में सदन से यह कहने के लिये तैयार हो सकता हूं कि इनको रहने दिया जाय। दूसरी बात जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि इसमें जब बड़े-बड़े और शिक्षा विशारद हैं तब केवल शिक्षा संचालक के उसमें न रहने से सीनेट की कुछ भी शोभा न घट जायगी। उसके काम में कोई नुक्सान न होगा। हाँ हुकूमत को थोड़ी बचत हो जायगी। सरकार जो उनको दैनिक भत्ते आदि में देती है, उस खर्च की बचत हो सकती है। फिर माननीय शिक्षा मंत्री तशरीफ रखते हैं और वे आगे भी रहेंगे तथा बहुत से विद्वान् लोग और भी उस सीनेट में हैं। इन सब बातों को देखते हुये मुझे शिक्षा संचालक महोदय की वहाँ पर कोई आवश्यकता मालूम नहीं होती। मेरा तो खयाल है कि किसी भी शिक्षा संचालक की आवश्यकता नहीं हो सकती। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में जिनमें शिक्षा संचालक थे उनमें माननीय शिक्षा मंत्री जी के शब्दों में पुलिस की जरूरत पड़ी, वहाँ के विद्यार्थियों के लिये पुलिस की जरूरत पड़ी। इन कारणों से मैं यह कहने के लिये माफी चाहूंगा कि डायरेक्टर आफ एजूकेशन जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो सकते। इसलिये डायरेक्टर आफ़ एजूकेशन को सीनेट में नहीं रहने देना चाहिये। मैं उन सब बातों को बता कर सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि सदन के अधिकांश सदस्यों को इन सब बातों की जानकारी है इसलिये माननीय मिनिस्टर साहब से मैं यह निवेदन करूंगा कि वे अपनी मौजूदगी पर विश्वास करें। उनके न रहने से आगरा यूनिवर्सिटी का कोई काम खराब न होगा। अगर वे आवश्यकता ही समझें तो किसी को भी नोमीनेट कर सकते हैं या बाद में संशोधन ला सकते हैं, परन्तु मैं ऐसा नहीं समझता। आशा है माननीय मंत्री जी इस पर फिर से विचार करेंगे और मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री गंगाधर मैठाणी—उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि डायरेक्टर आफ़ एजूकेशन, उत्तर प्रदेश के पास इतना बड़ा काम है कि उनको दूसरे कामों के लिये अधिक समय नहीं है। हमारे प्रदेश में ५१ जिले हैं जिनके कालेजेज और स्कूल्स का काम उनको देखना होता है। उसके साथ ही साथ शिक्षा की अनेक नई-नई योजनायें होती हैं जिनके बारे में उन्हें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर उनको सीनेट में रख दिया जायगा तो उन सरकारी योजनाओं पर उसका असर होगा। अगर उनको सीनेट में न रखा गया तो वे उन योजनाओं पर ज्यादा समय लगा सकते हैं। इसी लिये हमें उनके रखे जाने में ज्यादा आपत्ति है। हमारा सुझाव है कि उनको ऐसे वैसे कामों से न लादा जाय। शिक्षा मंत्री महोदय कोई आल्टरनेटिव रखें तो उनको माना भी जा सकता है। लेकिन जब शिक्षा मन्त्री महोदय खुद उसमें होंगे तो फिर डाइरेक्टर साहब के रहने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं मालूम होती। डाइरेक्टर साहब के पास खुद का इतना लम्बा चौड़ा काम है। आप सभी जानते हैं कि ५१ जिलों में इतने स्कूल और कालेजेज हैं, शिक्षा प्रसार का काम है, ट्रेनिंग स्कूल्स हैं तो जब इतना लम्बा चौड़ा काम राज्य का उनके पास पहले ही से है तो फिर सीनेट में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। क्योंकि जहाँ सीनेट के अन्दर १२५ मेम्बर हैं, इसके अलावा और भी बहुत से एक्स आफिसिओ मेम्बर होंगे, काफ़ी लम्बी चौड़ी कमेटी होगी और आगरे में या जहाँ भी उसकी मीटिंग होगी यहाँ से आने जाने में भी उनका बहुत सा समय बर्बाद हो जायगा और उसके साथ ही साथ हमारे शिक्षा विभाग का काम सुचारु रूप से नहीं चल पायेगा। आज भी जब डाइरेक्टर साहब का आफिस इलाहाबाद में है और वे यहाँ रहते हैं तो इसमें बहुत आपत्ति होती है कि हमारे यहाँ के शिक्षा विभाग का काम बहुत खराब है। खुद हमारे शिक्षा मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है और डाइरेक्टर महोदय भी इसको जानते होंगे। इसलिये इस बात को सोचा गया कि उनको सीनेट से रिलीव कर दिया जाय जिससे वे अपना काम अच्छी तरह से कर सकें जिस काम के लिये कि वे रखे गये हैं। इससे एक लाभ यह होगा कि माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय का काम बहुत

हल्का हो जायगा, कम्पलेंट भी कम होंगे तथा इतने क्वेश्चन्स भी असेम्बली में नहीं होने पायेंगे। इसलिये मेरा तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस पर सोचें और इस संशोधन को स्वीकार कर लें। सीनेट में ऐसे सदस्यों को जाना चाहिये जो वहाँ की समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकें। वहाँ बहुत से सदस्य ऐसे भी जाते हैं जो वहाँ की बातों को अच्छी तरह समझ भी नहीं पाते हैं, फिर ऐसे सदस्यों के वहाँ जाने से क्या लाभ है। इसलिये सारी बातों को सोच समझ कर ही वहाँ सदस्यों को भेजना चाहिये। दूसरा प्रश्न यह है कि जब खुद माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय वहाँ होंगे तो शिक्षा संचालक की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री हरगोविंद सिंह—इसमें कोई अधिक दलील की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही इसकी मुखालिफत कर चुका हूं। भला एक यूनिवर्सिटी की सीनेट में प्रान्त का शिक्षा संचालक न रहे यह बात कम से कम मेरी तुच्छ बुद्धि में तो नहीं आती। हाँ, श्री राम नारायण त्रिपाठी जी ने कल यहाँ बोलते हुये यह कहा था कि जब उनकी सरकार होगी तो वे ऐसे सब विधेयकों को जला देंगे। इसी तरह से मैं यह समझता हूं कि जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि उनकी गवर्नमेंट में शिक्षा संचालक सिनेट में नहीं आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ११ में सीनेट के मेम्बरों के Class (II) के उपभाग (IV) में से "Director of Education" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं—

खण्ड ११ में नयी धारा १४ की उपधारा (i) के सेनेट के सदस्यों के लिये निश्चित Class VII के उपभाग (i), (ii), (iii), (iv) और (v) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय:

"Provided that representation of (*i*) to (*v*) shall not be less than 40 in the Senate."

उपाध्यक्ष महोदय, जिस धारा का मैंने जिक्र किया है और जैसा कि यह प्रोविजन रखा है वह इस प्रकार है :

"Class VII—Such number, as may be prescribed by the Statutes, of representatives of the Academic Staff and of the Managements of the affiliated colleges consisting of the following categories :—

(*i*) Teachers of the University ;
(*ii*) Principals of affiliated colleges of class A ;
(*iii*) Principals of affiliated colleges of class B ;
(*iv*) Teachers of affiliated colleges of class A ;
(*v*) Teachers of affiliated colleges of class B ;

यह नं० १ से ५ तक इस प्रकार है। तो मैं चाहता हूं कि १२५ जो मेम्बर सिनेट के हैं उनमें कम से कम इस कैटिगरीज के ४० आदमियों से कम न हों, इस क़िस्म का प्राविजन अन्त में जोड़ दिया जाय। कल इस सम्बन्ध में मैंने एक संशोधन उपस्थित किया था और इस बात की कोशिश की थी कि यूनिवर्सिटीज के टीचर्स डीन्स और वाइस चान्सलर वग़ैरह की संख्या १२५ के आधे से कम नहीं होनी चाहिये। लेकिन जो कुछ भी दलीलें विरोधी दल की तरफ से दी गयी थीं उनका जवाब देने की तो शिक्षा मंत्री जी में हिम्मत नहीं थी और या वह जवाब देना चाहते थे उसको देने में भय था और इस कारण हमें घोर निराशा हुई। कल हमारा वह पहला प्रयत्न तो निष्फल गया, लेकिन आज यह

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

दूसरा प्रयत्न है कि उनकी संख्या ४० से अधिक न हो। उस वक्त तो माननीय शिक्षा मन्त्री यह दलीलें दे सकते थे कि बाक़ी लोगों का अगर प्रभुत्व न होगा तो हो सकता है कि जो यूनिवर्सिटी का हिसाब किताब बने या शिक्षा कोर्स के सम्बन्ध में या अन्य एलाउन्सेज आदि के सम्बन्ध में जितनी आर्डिनेन्सेज और रेगुलेशंस वग़ैरह बनें उनमें गड़बड़ी हो। लेकिन आज तो मैं १२५ में से ४० यानी यह चाहता हूं कि उनका रिप्रेजेंटेशन एक तिहाई से कम न हो। अब शिक्षा मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में क्या कहना है यह मैं सुनना चाहता हूं।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं माननीय सदस्य की इत्तिला के लिये बतला देना चाहता हूं कि जो स्कीम इसकी है और जो स्टैट्यूट इसका बन रहा है उसमें क़रीब ६५ आदमी ऐसे होंगे जो उन शिक्षालयों से सम्बन्धित होंगे। अगर वह ४० ही चाहते हैं तो मुझे मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है वैसे अगर उनका इसरार ही हो तो मुझे ४० भी मान लेने में कोई एतराज नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, जब कल ६३ की संख्या चाहते थे तो उनको स्वीकार नहीं था लेकिन आज जब ४० चाहते हैं तो वे ६५ देने के लिये तैयार हैं, लेकिन यह पता नहीं है कि यह वादा कहाँ से पूरा होगा, कहीं बतावें कि स्टेट्यूट में कहाँ पर है कि उनकी संख्या ६५ हो जायगी। मैं अपने संशोधन को वापस ले लेना मुनासिब समझूंगा अगर मुझे यह मालूम हो जाय कि यह संख्या कैसे पूरी होगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—कल ऐसा प्रश्न नहीं था, कल जो संशोधन था वह शायद यह था कि कभी भी उनकी संख्या आधे से कम न हो। वह नहीं मानी गयी थी कि हमारे बिल में जो प्राविजन था वह यह था कि आधे से बढ़ने न पावे। लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि सिनेट में ६५ आदमी ऐसे होंगे जिनका सम्बन्ध इन संस्थाओं से होगा। तो अगर आपको हमारी बात पर विश्वास हो तो आप उसको वापिस कर लीजिये। अगर आप विश्वास न करते हों तो मझे दुःख नहीं है। मैं इसको भी मान सकता हूं कि ४० रहें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मुझे माननीय शिक्षा मंत्री जी की बात सुन कर प्रसन्नता हुई। अविश्वास की तो कोई बात नहीं है। अविश्वास का प्रश्न एक दिन पहले भी आया था तो उनको एक नाराजी हुई थी जब मैंने यह कहा था कि मुझको उनकी सरकार पर अविश्वास है। सरकार पर अविश्वास के यह माने नहीं हैं कि शिक्षा मंत्री के ऊपर मेरा अविश्वास है। अगर हम सरकार के ऊपर अपना कोई विरोध प्रकट करते हैं या अविश्वास प्रकट करते हैं तो उसमें किसी व्यक्ति का निजी तौर पर प्रश्न नहीं उठता और शिक्षा मन्त्री जी की तो हम बहुत इज्जत करते हैं। मैं अपनी बात को पुष्ट करने के लिये इस संशोधन को वापस लेता हूं और शिक्षा मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है वह उस पर ध्यान देंगे कि ऐसे लोगों की संख्या ६५ हो जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ११ में नयी धारा १४ की उपधारा "i" में सीनेट के मेम्बरों के लिये प्रस्तावित Class VIII में शब्द "ten" के बजाय शब्द "five" कर दिया जाय।

सीनेट के मेम्बरों के लिये जो धारा ८ है उसके नीचे यह लिखा हुआ है कि "nominees of the chancellor not exceeding ten" तो मैं इस दस के बजाय पाँच चाहता हूं। इस सम्बन्ध में आगरा यूनिवर्सिटी विधेयक जब पास हुआ था उस वक्त भी इसके बारे में ऐसा संशोधन आया था जिसमें मैंने इस बात की कोशिश की थी कि सरकारी लोगों का जितना प्रभाव सिनेट से कम हो उतना अच्छा है। इस संशोधन में यह कहा गया है कि १० के बजाय ५ नामजद

कर दिये जायं। १२५ आदमी सीनेट में हैं उसमें माननीय शिक्षा मंत्री के कहने के मुताबिक़ कालेज और दूसरी जगह से ६५ संख्या हो जायगी इसके अलावा ग्रेजुएट्स हैं, आगरा यूनिवर्सिटी के जितन वाइसचाँसलर हैं उनका ध्यान रखा है। जब १० की जगह ५ कर दिया जायगा तो वहाँ पर भी दूसरे लोगों को स्थान मिल जायगा। इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी को सुविधा होगी। हमारी आपत्ति यह है कि चाँसलर क द्वारा जो नामज़द हों वह कम से कम हों ताकि और लोगों को अवसर मिले।

श्री हरगोविन्द सिंह—उस हालत में यह नहीं होगा कि वहाँ पर टीचर ६५ हो जायं क्योंकि पहले यह रखा गया है कि उनकी संख्या क़रीब-क़रीब बराबर रहे। यह जो नामिनेशन चान्सलर के ज़रिये से होगा आप विश्वास मानिये कि यह कोई सरकारी अहलकार नहीं होंगे यह ऐसे लोग होंगे कि जिनको चाँसलर यूनिवर्सिटी में लाना चाहते हैं और दूसरे तरीक़े से नहीं आ सकते हैं। वह काबिल आदमी होंगे। इसलिये यह १० की संख्या ही ठीक है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ११ में नयी धारा १४ की उपधारा (I) में सीनेट के मेम्बरों के लिये प्रस्तावित Class VIII में शब्द "Ten" के बजाय शब्द "Five" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ में धारा १४ की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में शब्द "Five" के स्थान पर शब्द "Three" रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का मतलब यह है कि यह लोग जो एक्सआफ़िशियो हैं उनकी अवधि सीनेट आदि का कार्यकाल ५ वर्ष का रखा गया है, ५ साल की लम्बी अवधि होती है, मैं चाहता हूं कि ५ साल के बजाय ३ साल रखा जाय। अगर ऐसा किया जायगा तो पहली बार जो स्टेच्यूट में कोई ग़लती होगई होगी या सीनेट में कोई ख़राबी हो गई होगी तो वह जल्द ही ३ साल के बाद सुधारी जा सकती है और इस तरह से हमारे हाथ ५ साल के लिये बंध जाते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे निर्दोष संशोधन को स्वीकार करने में मंत्री जी को कोई आपत्ति न होगी।

श्री हरगोविन्द सिंह—दलील तो इसमें कोई नहीं है लेकिन चूंकि इस बिल में यह रखा गया है कि विश्वविद्यालय की तमाम अथारिटीज़ की अवधि या कार्यकाल ५ साल का होगा इसलिये इसमें भी ५ साल का समय रख दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ में धारा १४ की उपधारा (२) की पंक्ति ३ में शब्द "five" के स्थान पर शब्द "three" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन पेश करता हूं कि खण्ड ११ में धारा १४ की उपधारा (३) के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Provided that wherever the practicable system of proportional representation by means of single transferable vote shall be prescribed for the selection."

खण्ड १४ की उपधारा (३) इस प्रकार है—

"(3) The manner of selection of members of classes III, IV, V, VI, and VII shall be determined by the Statutes."

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जो चुनाव का तरीक़ा है वह साफ़ नहीं है और इसी बिल में कहीं-कहीं यह व्यवस्था भी की गयी है कि चुनाव सिंगिल ट्रांसफ़रेबिल वोट से होगा। परन्तु यहाँ पर यह चीज साफ़ नहीं होती है, अगर यह चीज साफ़ हो जाय तो अच्छा है। इस-लिये, अगर यह जोड़ दिया जाय कि चुनाव सिंगिल ट्रान्सफ़रेबिल वोट से होगा। इस सिस्टम के बारे में अधिक कहने की जरूरत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि जो बहुमत में नहीं हैं उनका भी प्रतिनिधित्व हो जाता है। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को इसके मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि अल्पमत के लोग भी अगर योग्यता रखते हों तो वे बहुमत से ठुकराये न जायं। बिल में और जगह भी इस तरीके को रखा गया है इसलिये यह कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हरगोविन्द सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि स्टेच्यूट में सब जगह सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट का सिस्टम रखा गया है। अगर आपने यहाँ यह रख भी दिया तो उसके रखने से कोई खास मतलब नहीं निकलता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—तो क्या आपको यह स्वीकार है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है, परन्तु मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी स्टेच्यूट की बात करते हैं अगर ऐक्ट में भी इसका प्राविजन हो जाय तो अच्छा है और मैं पुनः माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा क्योंकि अभी तक हमें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ शिक्षा मन्त्री जी के इस विधेयक में कि कोई हमारा भी संशोधन या सुझाव स्वीकार हुआ हो सिवाय एक के जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो मैं चाहता हूं कि नंबर २ भी मंजूर कर लिया जाय तो इसमें कोई खास एतराज उनको नहीं होना चाहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह—लेकिन मैं आपको बताऊं, उसमें एक दिक्क़त हो जायगी। स्टेच्यूट जो बनेगा उसमें यह प्रोवाइड कर दिया जायगा कि सभी सेलेक्शन सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से होगा तो उनके लिये यह लाजिमी होगा कि वह ऐसा करायें। अगर यह ऐक्ट में रख दिया जायगा तो उनको यह अधिकार हो जायगा और वे यह कह देंगे कि सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट प्रैक्टिकेबिल नहीं है। इसलिये स्टेच्यूट में ही इसका रहना अधिक अच्छा रहेगा और उसमें हम यह प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ रख देने से दूसरे के हाथ में चला जायगा और वह कह देंगे कि प्रैक्टिकेबिल नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, जो इनका संशोधन है उसमें मैं एक संशोधन करना चाहता हूं कि यह प्रैक्टिकेबिल शब्द हटा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो अब खत्म हो चुका है। अब यह उसमें नहीं आ सकता।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अभी खत्म तो नहीं हुआ लेकिन यदि आप समझते हैं कि खत्म हो गया तो बात दूसरी है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ११ में धारा १४ की उपधारा (३) के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Provided that wherever practicable the system of proportional representation by means of single transferable vote shall be prescribed for the selection."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गंगाधर मैठाणी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ११ में नयी धारा १४ की उपधारा (४) में शब्द "Chancellor" के स्थान पर शब्द "senate" रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी विश्वविद्यालय की सिनेट एक महत्त्वपूर्ण सभा होती है और जैसे कि दो क़िस्म के मेम्बरों के लिये एक्स आफिशियो और लाइफ मेम्बर्स को छोड़ कर लिखा गया है, अगर उसे ऐसा लिखें कि चाँसलर के स्थान पर सिनेट को यह अधिकार दे दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यह ज्यादा उपयुक्त मालूम पड़ेगा, जहाँ पर चाँसलर डिक्लेयर करेंगे कि यह सीट वेकेंट हो गई है वहाँ पर अगर उसके बजाय सिनेट ही इसको डिक्लेयर करती है तो उस सभा के सदस्यों का मान बढ़ता है और वह एक शोभाजनक बात होगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह—बहुत छोटा सा मसला है। तीन मीटिंग्स में जो न आये उसका स्थान चाँसलर रिक्त घोषित कर दे। सिनेट साल में एक दफा ही बैठेगी। तो उसमें यह सब मसले पेश होंगे यह जरा ठीक नहीं मालूम होता। इसलिये चाँसलर ही का रहना वहां ठीक है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, शिक्षा मन्त्री जी को बहुत ध्यान से मैंने सुना। उन्होंने यह जरूर कोशिश की है कि जो यह बहस है वह जल्दी से जल्दी खत्म हो जाय। मगर जब साल भर में वह खुद ही कहते हैं कि सिनेट की बैठक एक बार होती है और सीनेट की तीन मीटिंग्स में अगर कोई नहीं आयेगा तब वह चाँसलर को अधिकार देने जा रहे हैं कि वह उस स्थान को रिक्त घोषित कर दे। तो यह तो मैं समझता हूं कि खुद उन्हीं का जो तर्क है उससे उसका समर्थन नहीं होता है। अगर बजाय चाँसलर के सिनेट घोषित कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री हरगोविन्द सिंह—इस तरह से चार मीटिंग्स हुईं। तीन में अगर कोई नहीं आता है तो चौथी मीटिंग में जा कर उसका नाम रिक्त घोषित किया जा सकेगा और फिर पाँचवीं में दूसरा आ सकेगा। लेकिन अगर तीन मीटिंग के बाद चाँसलर डिक्लेयर कर देता है तो चौथी मीटिंग में ही दूसरा आ सकता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, वही मैं निवेदन कर रहा था। माननीय मंत्री जी जो तर्क दे रहे हैं वह माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन के समर्थन में ही जा रहा है। माननीय मन्त्री जी तर्क देते हैं कुछ, लेकिन चूंकि लिखा हुआ है कुछ और पहले से और उसी की भाषा में जब जाते हैं तो उलझ जाते हैं। इसलिये मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जरा अपने तर्क पर भी ख़याल करें। तीन लगातार मीटिंगों में यदि नहीं आयेगा तो वह कहते हैं कि चाँसलर उसकी सीट को रिक्त घोषित करे और संशोधन यह कहता है कि चाँसलर न करे बल्कि सिनेट करे। सिनेट एक ज्यादा डेमोक्रेटिक बाडी है और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन वहाँ आता है, तमाम चीजों को वह समझती है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि सीनेट की साल में एक मीटिंग होती है इसलिये तीन साल में तीन मीटिंग होंगी और चौथी मीटिंग में वह सीट को वैकेंट डिक्लेयर (खाली घोषित) करेंगे और पाँचवें साल में दूसरा जो एलेक्ट हो कर आयेगा वह बैठेगा। तो जहाँ तक इसकी व्यवहारिकता का सवाल है, अगर वह यह कहते कि तीन मीटिंगें नहीं होंगी और एक ही मीटिंग के लिये कहते तो मैं समझता कि उनका तर्क ठीक है लेकिन तीन साल तक जब कुछ नहीं होगा और तीन साल बीत जाते हैं और फिर केवल एक साल के लिये चाँसलर को यह अधिकार देने जा रहे हैं तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इसलिये अगर सिनेट को यह अधिकार दे दें तो वह ज्यादा उचित होगा। यह सब जितनी पेशबन्दियाँ लग रही हैं वह सारी की सारी एक मकसद को सामने रख करके ली जा रही हैं और वह मक़सद, चाहे उसकी सफाई हम कितनी दें, चाहे उसकी सफाई माननीय शिक्षा मंत्री कितनी दें, मगर सब के सामने यही है "पावर"। जिस व्यक्ति को जिस ढंग पर सरकार चाहे रखे या निकाले। फिर

[श्री नारायण]
भी डिमाक्रेसी का नाम लें और नाम लेते हुए भी सरकार अपनी मनोवृत्ति को कार्यान्वित करा पावें यह सारी की सारी कोशिश है। सिनेट को यह पावर देने से ही डिमाक्रेसी की ज्यादा दूर तक रक्षा हो सकती है। उनका कहना यह है कि केवल एक साल जा करके उस रिक्त स्थान पर कोई व्यक्ति नियुक्त हो सकेगा। तो वह नियुक्त किया गया व्यक्ति एक साल में कौन सा ऐसा काम चला सकेगा ?

श्री हरगोविंद सिंह—आपका संशोधन अगर मान लिया जाय तो उस पाँच वर्ष के अन्दर कोई दूसरा फिर नहीं आवेगा। तीन साल तक तीन सिटिंग्स में कोई नहीं आया तो सिनेट को आपने अख्तियार दिया कि रिक्त स्थान घोषित करे। तो चौथी मीटिंग में उस स्थान को रिक्त होने का निश्चय होगा और पाँच वर्ष का उसका टर्म है सिनेट का तो दूसरा कोई रिक्त स्थान पर आ ही नहीं सकता। मेरा अर्थमेटिक तो अच्छा नहीं था, लेकिन मैं समझता हूं आपका अर्थमेटिक मुझसे भी खराब है। इसलिये इसमें रखा गया है कि चांसलर को अख्तियार होगा कि वह रिक्त घोषित कर दे, जिससे चौथी मीटिंग में दूसरा मेम्बर आ जाय उसके स्थान पर एलेक्ट हो कर।

श्री राजनारायण—फिर मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि तीन मीटिंग्स में जब वह नहीं आता है तो चौथी मीटिंग के अवसर पर उसका स्थान रिक्त होगा।

श्री हरगोविन्द सिंह—चौथी सिनेट जब आवेगी तो वह कहेगी कि रीजनेबिल काज नहीं था इस लिए इनका स्थान रिक्त समझा जाय। तो चौथी सिनेट की मीटिंग में तो रिक्त होगा और पांचवीं तक एलेक्शन नहीं हो सकेगा।

श्री राजनारायण—अब माननीय मन्त्री जी प्रयत्न करने लगे हैं तो उनके समझने का प्रयत्न कामयाब होगा। वह यह कह रहे हैं कि तीन मीटिंग्स में नहीं आया, चौथी मीटिंग में बैठक होते समय तक वह क्यों नहीं आ पाये हैं उनसे सफिशियेंट काज (उचित कारण) पूछ लिया जायगा कि आपके न आने का समुचित आधार है या नहीं। यह सब चौथी बैठक ही में रख देंगे और चौथी ही में रख देने के बाद अगर सीनेट अच्छी तरह से समझती है, कि इनकी अनुपस्थिति का कारण उचित है, ठोस है, तो वह उनको मानेगी और अगर उनकी अनुपस्थिति का कारण उचित नहीं है, ठोस नहीं है, तो वह उनको रिक्त घोषित करेगी। चौथी मीटिंग में ही वही सिनेट आगे वाली जो बैठक सिनेट की हो, उसके लिए नये मेम्बरों को नियुक्त करे। माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि वाइस-चांसलर उस स्थान को रिक्त घोषित कर दें। हमारे कहने का मतलब यह है कि सीनेट रिक्त करे और सीनेट ही रिक्त स्थान की पूर्ति को आप्शन से करे।

श्री हरगोविन्द सिंह—जरा समझने की कोशिश कीजिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री नेता विरोधी दल की स्पीच में जो इण्टरवेंशन करते हैं, वह नियमावली की किस धारा के अनुसार है ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं आपकी राय से सहमत हूं।

श्री राजनारायण—मैं आपसे यह चाहता हूं कि अब तो समय नहीं है। इस सम्बन्ध में जो डिसकशन है, वह मैं माननीय मन्त्री जी से समझ लूंगा। और समझ लेने के बाद फिर इस पर विचार हो।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मन्त्री जी को दूसरे भाषण का मौका है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र-आन्दोलन के सम्बन्ध में गृह मन्त्री के वक्तव्य पर चर्चा

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने मैं जो वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसमें मेरा इरादा उन विवरणों का ब्योरेवार देने का नहीं है, कि जिन्हें प्रत्येक माननीय सदस्य ही नहीं बल्कि अखबार का हर एक पढ़ने वाला व्यक्ति जानता है। ३० अक्तूबर से लेकर २ नवम्बर तक लखनऊ में जो घटनाएं घटीं उन्हीं की पृष्ठभूमि में देना चाहता हूं। हमारे सामने वस्तुस्थिति का पूर्ण चित्र उसी दशा में आ सकता है जब हम उस पृष्ठभूमि में इन घटनाओं पर विचार करें, जो एक के बाद एक घटती गयीं।

लखनऊ और इलाहाबाद के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी यूनियनों के विधान के प्रश्न की ओर विद्यार्थियों और उनसे सम्बन्धित तथा उनसे रुचि रखने वाले अन्य लोगों का ध्यान गत जनवरी से ही लगा था। यह विषय मुख्यतः विश्वविद्यालय जीवन के एक विशेष पहलू से सम्बन्धित था और सरकार का इससे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था। इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने का हमारा विचार भी नहीं था। गत अगस्त तक कोई विशेष घटना नहीं घटी। मैं यहां इलाहाबाद से सम्बन्धित विवरणों का उल्लेख न करके केवल लखनऊ की घटनाओं को ही लूंगा क्योंकि उन्हीं के ऊपर लोगों का विशेष रूप से ध्यान है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर सर। स्पीकर महोदय, यहां वाद-विवाद हो रहा है, पुलिस की कार्यवाहियों पर जो कि विद्यार्थियों पर हुई। हम यह जानना चाहते हैं कि युनिवर्सिटी एक आटोनामस बाडी है और उसके अन्दर की जो बातें हुई हैं, उनकी इस सदन में चर्चा हो रही है, तो क्या हम लोगों को इस बात का अधिकार होगा कि एक्जीक्युटिव कौंसिल, वाइस चांसलर और युनिवर्सिटी के अन्दर की जितनी बातें हुई हैं, उनके ऊपर हम बहस कर सकेंगे। उस दिन जब इस सम्बन्ध में कामरोको प्रस्ताव आया था तब आपने यह कहा था कि चूंकि युनिवर्सिटी आटोनामस है, इसलिए यह मैटर यहां डिसकस नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं आपकी रूलिंग इस प्वाइण्ट पर चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं उसका फैसला दे देता हूं कि युनिवर्सिटी के अन्तरंग मामलों पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन यह हो सकता है कि कोई वक्तव्य देते हुए सिलसिला बांधने के लिए कि जहां से पुलिस का सम्बन्ध शुरू हुआ, उसकी चर्चा हो सकती है। उसके पूर्व रूपरेखा बताने के लिए जो इवेन्ट्स हुए हैं, जिन के अन्तरंग कोई चीज हुई है, उसके ऊपर चर्चा न होकर बल्कि जो चीज आप सब लोगों को मालूम है उसके ऊपर स्टेटमेंट दे सकते हैं, अन्तरंग बातों के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय सदस्य यह देखेंगे कि युनिवर्सिटी के अन्दर की जितनी बातें हैं, उनकी मेरिट्स पर मैंने एक लफ्ज नहीं कहा है और न मेरा कहने का विचार है। मैं कह रहा था---

लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रबन्धक समिति ने, जिसका ऐसे मामलों में निर्णय अन्तिम समझा जाता है, यूनियन के सम्बन्ध में एक विधान स्वीकार किया जिसको विद्यार्थियों के एक वर्ग ने पसन्द नहीं किया। २६ अगस्त को यूनियन भवन में ४ विद्यार्थियों ने भूख हड़ताल आरम्भ की और बाद में कुछ और विद्यार्थी उसमें सम्मिलित हुए। उपकुलपति ने यह देखकर कि इन परिस्थितियों में विश्वविद्यालय का कार्य चलना असम्भव है, २९ अगस्त को अनिश्चित काल के लिए विश्वविद्यालय बन्द कर दिया। ४ सितम्बर को विद्यार्थियों ने भूख हड़ताल बन्द कर दी, किन्तु उप कुलपति का यह स्पष्ट आदेश होते हुए भी कि यूनियन भवन, विश्वविद्यालय अधिकारियों को सौंप दिया जाय, उसे १४ सितम्बर को खाली किया गया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों द्वारा विशेष रूप से प्रार्थना किये जाने पर उन्होंने ५ अक्तूबर को अंशतः

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

विश्वविद्यालय को फिर खोल दिया और २१ अक्तूबर को सम्पूर्ण कार्य विधिवत् होने लगा। इसके बाद घटनायें तीव्र गति से घटीं। दो व्यक्तियों ने पुनः भूख हड़ताल शुरू कर दी। मैंने व्यक्ति शब्द का प्रयोग जान बूझकर किया है। इन व्यक्तियों में से एक तो विजय कुमार थे जो किसी भी दशा में नियमित विद्यार्थी नहीं कहे जा सकते। वे बिहार के प्रजा सोशलिस्ट दल के एक कार्यकर्त्ता थे, जिन्होंने अपने को विद्यार्थी बनाने के लिए केवल एक दिन पहले अपना दाखिला फ्रेंच कक्षा में करा लिया था। उप कुलपति १४ विद्यार्थियों को जिनमें दो भूख हड़ताल करने वाले भी थे विश्वविद्यालय से निकालने के लिए विवश हो गये, क्योंकि उनका व्यवहार विश्वविद्यालय के काम में बाधक था। इसके जवाब में उपद्रवी विद्यार्थियों ने, जिनमें निकाले गये विद्यार्थी भी शामिल थे यूनियन भवन के द्वार को तोड़ दिया और उसमें भूख हड़तालियों को बैठा दिया। परिस्थिति को पूर्णतया काबू से बाहर होते देखकर और विश्वविद्यालय की सम्पत्ति, कार्यालय, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं के लिए खतरा उपस्थित होने के कारण उप कुलपति ने सरकार को २८ अक्तूबर को विश्वविद्यालय में सामान्य स्थिति लाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने के हेतु लिखा।

जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि यूनियन के संविधान से सरकार का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था और न उसमें हस्तक्षेप करने की उसकी कोई इच्छा ही थी, यदि मामले को वैधानिक रूप से सुलझाने का प्रयास किया जाता, किन्तु विद्यार्थियों के ऐसे एक वर्ग ने जिसकी संख्या यद्यपि थोड़ी थी, फिर भी उसके राजनीतिक सम्बन्ध सुदृढ़ थे अपने व्यवहार से शुरू से ही यह प्रगट कर दिया कि वह वैधानिक तरीकों को अपनाने अथवा विश्वविद्यालय के भीतर ही अपनी कार्यवाहियों को सीमित रखने का कोई इरादा नहीं रखते।

२९ अगस्त को सैकड़ों विद्यार्थी जलूस बनाकर दारुलशफा पहुंचे और वहां उपद्रव करने लगे। अनेक माननीय सदस्यों को इस घटना का स्मरण होगा। इसी प्रकार के और भी अनेक जुलूस निकाले गये, जिनका एक आम नारा था--"लखनऊ में तीन चोर, गुप्ता, मुंशी, जुगल किशोर"। २ सितम्बर को शहर भर में एक हड़ताल करायी गयी, यहां तक कि खाने पीने तथा दवाओं की दूकानों को भी दुकान वालों को डरा धमका कर जबरदस्ती बन्द कराया गया। २३ अक्तूबर को कुछ विद्यार्थियों ने, जिनमें सी० बी० त्रिपाठी और रोबिन मित्रा प्रमुख थे, खुले आम यह धमकी दी कि यदि उन्हें यूनियन भवन वापस नहीं किया गया तो उस पर जबरन कब्जा कर लिया जायगा। जैसा कि हम सबको मालूम है उन्होंने २४ अक्तूबर को अपनी धमकी पूरी की। इसी तारीख को हजरतगंज में भाषण देते हुए एक विद्यार्थी ने यह धमकी दी कि यदि उनके नेताओं की गिरफ्तारी की गयी तो विद्यार्थी उनकी गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को मारने में नहीं हिचकेंगे। २८ अक्तूबर को विश्वविद्यालय की एक्जीक्युटिव कौंसिल के सदस्यों के निवास स्थानों पर भूख हड़तालें की गयीं। कुछ विद्यार्थी वाइस चांसलर लाज के वार्डन के मकान पर गये और खुले आम उनको धमकी दी।

यह हिंसा, उपद्रव तथा व्यवस्था की अवज्ञा के उन कृत्यों का एक संक्षिप्त विवरण है जो विचाराधीन घटनाओं के पूर्व किये गये थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे कार्यों के पीछे एक लम्बा इतिहास होता है। केवल कुछ ही महीने पहले विद्यार्थियों की एक भीड़ ने हजरतगंज के एक फल वाले की दूकान पर हमला किया था और उसकी चीजें सड़क पर फेंक दी थीं। सिनेमा मालिकों के साथ अक्सर उनके झगड़े होते रहे हैं और साइकिल चलाने वालों के लिए यातायात सम्बन्धी नियमों का वे बिलकुल पालन नहीं करते। इस प्रकार की घटनायें शिक्षा के अन्य बड़े केन्द्रों में घट चुकी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों में यह भावना भर दी गयी थी कि विद्यार्थी वर्ग कानून से परे हैं और सामान्य नागरिक जीवन में वे बिना रोक टोक हस्तक्षेप कर सकते हैं और यह भी प्रतीत होता है कि उन्होंने इसे अपना भी लिया है।

अतः यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की कार्यवाही को अन्ततः कहीं न कहीं और किसी न किसी दिन तो रोकना ही थी। कोई भी स्वतंत्र देश अनुशासनहीनता के वातावरण में प्रगति नहीं कर सकता। जनतंत्र के प्रत्येक वर्ग को कानून के प्रति निष्ठा रखनी ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता, तो अन्ततोगत्वा इसके लिए कोई उपाय होना ही चाहिए।

अतएव लखनऊ के जिलाधीश ने ३० अक्तूबर को दफा १४४ लागू कर दी और उसी दिन संध्या समय सिटी मैजिस्ट्रेट और पुलिस के सीनियर सुपरिण्टेंडेंट एक पुलिस दल लेकर यूनियन भवन को खाली करवाने तथा वहां से भूख हड़ताल करने वालों को हटाने के लिए गये। किन्तु इसके लिए उनके सभी शांतिपूर्ण प्रयत्न विफल रहे। दो घंटे तक समझाने बुझाने के असफल प्रयत्न के बाद उन्हें यूनियन भवन में विवश होकर बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ा। भूख हड़ताल करने वाले विद्यार्थियों की बलरामपुर अस्पताल के सुपरिन्टेंडेंट ने जांच करके यह घोषित किया कि वे हटाये जा सकते हैं। तब उन्हें जेल अस्पताल पहुंचाया गया। यह कोई सरल कार्य न था, क्योंकि इसमें पुलिस वालों को लगभग १००० नौजवानों की भीड़ का सामना करना पड़ा जो उन पर मिट्टी और ईंट पत्थरों की वर्षा कर रहे थे। इसमें चार सीनियर अफसर इन्चार्जों और बहुत से कांस्टेबिलों को चोटें आयीं। जिन थोड़े से विद्यार्थियों ने पुलिस को उसके कर्त्तव्य पालन में हठपूर्वक विरोध किया उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

३१ तारीख को प्रातःकाल नगर के विद्यार्थियों की एक बड़ी भीड़ ने विधान सभा के सामने उपद्रवपूर्ण प्रदर्शन किये। दफा १४४ के अधीन दिये गये आदेश की यह प्रत्यक्ष अवज्ञा थी, किन्तु फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ऐसी दशा में जब यूनियन भवन पर अधिकार किये हुए पुलिस की छोटी टुकड़ी पर दोतरफा आक्रमण करने के उद्देश्य से वहां पर पहले से एकत्र छात्रों के साथ मिलने के इरादे से भीड़ ने विश्वविद्यालय की ओर बढ़ना शुरू किया तो इस स्थिति की अवहेलना न की जा सकी। अतएव भीड़ को मंकी ब्रिज पर रोकने का प्रयास किया गया और घोर संघर्ष के बीच जिसमें पुलिस के अनेक सदस्यों को जिनमें सीनियर सुपरिण्टेंडेंट पुलिस भी शामिल थे, ईंटेबाजी से चोट आयी, लाठी चार्ज करना पड़ा और एक से अधिक बार अश्रूगैस का प्रयोग करना पड़ा। इस समय लगभग २ बजे अपराह्न में छात्रों के एक दल ने सेन्ट्रल टेलीफोन एक्सचेंज के पास टेलीफोन के तारों को काटना शुरू कर दिया। अन्य तारों के अतिरिक्त दिल्ली से लखनऊ को मिलाने वाली ट्रंक लाइन भी काट डाली गयी और उक्त विभाग के टेक्नीशियनों को काटे गये तारों की मरम्मत करने से रोका गया। एक मैजिस्ट्रेट के अधीन पुलिस दल की एक टुकड़ी जब वहां पहुंची तब उसे घेर लिया गया और उस पर बुरी तरह ईंटें बरसाये गये। मंकी ब्रिज की ओर से आने वाले विद्यार्थियों की भीड़ प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी ऐसी स्थिति में पुलिस पर भीड़ हावी न होने पाये, इस उद्देश्य से चेतावनी देने के बाद मैजिस्ट्रेट को गोली चलाने का आदेश देना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप कई व्यक्ति घायल हुए और एक व्यक्ति जो संभवतः रिक्शा चलाने वाला था, मारा गया। ज्योंही भीड़ तितर बितर हो गयी, गोली चलाना रोक दिया गया।

प्रमुख टेलीफोन लाइनों का काटा जाना तोड़-फोड़ का एकमात्र उदाहरण नहीं है। ऐसा प्रतीत होता था कि ये कार्य एक साथ ही कई स्थानों पर किसी योजनानुसार शुरू किये गये थे, जिस से किसी भी स्थान पर ध्यान देना पुलिस के लिए कठिन हो गया। जहां जहां पुलिस का किसी भीड़ से सामना हुआ, जनता को पुलिस का विरोध करने के लिए इस प्रकार सामने ला दिया गया कि पुलिस को गोली चलाना पड़े और इस प्रकार ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय जिसका बाद में राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाय। दिन भर रोडवेज, बसों, टेलीफोन जंक्शन के बक्सों और पोस्ट आफिसों का जलाया जाना और टेलीफोन के तारों का काटा जाना जारी रहा। एक फायर इंजन का हौज पाइप भी जला दिया गया और इस प्रकार इंजन को कुछ समय के लिए बेकार कर दिया गया। बिजली के बल्ब तोड़े गये और बिजली के तार आदि काट दिये गये। इसके फलस्वरूप नगर के एक बड़े भाग में घंटों तक पूर्ण अंधेरा छाया रहा।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

सायंकाल हिंसा के लिए उतारू एक भीड़ ने नजीराबाद कचहरी सड़क के चौराहे पर पुलिस की एक छोटी टुकड़ी को घेर लिया। एक सब-इन्स्पेक्टर जो उनकी रक्षा के लिए दौड़ा, उसी को घेर लिया गया। जोर शोर के साथ ईंटबाजी होती रही और पुलिस दल के प्रायः हर एक सदस्य को चोट आयी। सब इन्स्पेक्टर टांग में चोट लग जाने के कारण जमीन पर गिर गया और भीड़ उसको मार डालने और उसके रिवाल्वर को छीन लेने के लिए उसकी तरफ टूट पड़ी। अन्य कोई उपाय न पाकर सब-इन्स्पेक्टर ने अपनी रक्षा के लिए दो गोली चलायी, जिसमें एक आदमी को गोली लगी। यह व्यक्ति श्री गयंदर मेडिकल कालेज के एक छात्र थे जिनकी बाद में चोट के कारण मृत्यु हो गयी।

प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की कार घेर ली गयी तथा उन्हें एक मित्र के घर में शरण लेनी पड़ी जिन्हें भीड़ को डराने के लिए, जो निश्चय ही उन्हें मार डालने के इरादे से उनका पीछा कर रही थी, अपनी बन्दूक हवा में चलानी पड़ी। लगभग १० बजे दिन को पांच हजार व्यक्तियों की एक भीड़ ने एक पुलिस टुकड़ी पर ईंट पत्थरों से आक्रमण किया। लाठी चार्ज का कोई फल न हुआ, क्योंकि भीड़ में कुछ व्यक्ति भी लाठियां लिये हुए थे। बार बार चेतावनी का कोई परिणाम न देखकर पुलिस टुकड़ी के साथ जो मैजिस्ट्रेट थे, उन्हें गोली चलाने का आदेश देना पड़ा। जिससे भीड़ टुकड़ी पर हावी न हो जाय। इस गोली से एक व्यक्ति मारा गया।

नगर की परिस्थिति बिगड़ती देखकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को चार दिन लम्बा कर्फ्यू लगाना पड़ा, जिसमें प्रति दिन दो घंटे की छूट थी। छूट के घंटों में सम्पत्ति नष्ट करने की छुटपुट घटनायें होती रहीं परन्तु अन्ततः इस कदम ने परिस्थिति को सामान्य दशा में लौटाने में सहायता की। कर्फ्यू ५ दिसम्बर को उठा लिया गया और दिवाली शान्तिपूर्ण मनायी गयी, यद्यपि एक अत्यन्त शोकजनक घटना यह हुई कि उसी सन्ध्या को ५ बजे मेडिकल कालेज के छात्र श्री गयन्दर की मृत्यु हो गयी।

लखनऊ के छात्रों द्वारा किये गये उपद्रवों की देखा देखी प्रदेश के अनेक अन्य भागों में भी छात्रों द्वारा कानून की अवहेलना करने की घटनायें हुईं। टेलीफोन सम्बन्ध, रेलवे स्टेशन, रोडवेज के वाहन तथा भवन, सड़कों की बत्तियां तथा रेलवे ट्रेन आदि के रूप में सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रतापगढ़, फतेहपुर, बाराबंकी, बहराइच, फैजाबाद, कानपुर, हरदोई, खीरी, सीतापुर, राय बरेली, उन्नाव, गाजीपुर, जौनपुर, झांसी, इलाहाबाद, मेरठ, पीलीभीत तथा फर्रुखाबाद जिलों में प्रयत्न किये गये। इन तथा अन्य स्थानों में छात्रों ने हड़तालें संगठित कीं तथा काफी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक जीवन में हस्तक्षेप किया। कुछ स्थानों में सिनेमा गृहों पर भी आक्रमण किये गये। फतेहपुर जिले में रेलवे सम्पत्ति की क्षति काफी गम्भीर थी। इन सब स्थानों में स्थानीय अधिकारियों ने सामान्य परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए तथा उन कथित व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए जो उच्छृंखल विनाश के उत्तरदायी थे, उपयुक्त कदम उठाये। प्रतापगढ़ के जिले में छात्रों ने एक पुलिस टुकड़ी पर ईंट पत्थरों से आक्रमण किया तथा पी० डब्लू० डी० इन्स्पेक्शन हाउस तथा डाकखाने को क्षति पहुंचायी। पुलिस को केवल आत्म रक्षा में गोली चलानी पड़ी जिससे एक छात्र को चोट आयी। प्रदेश के शेष भागों में उपद्रव १४ नवम्बर तक जारी रहे, जिसके उपरान्त छात्र सम्बन्धी किसी घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। इन विनाशपूर्ण कांडों के कारण सार्वजनिक सम्पत्ति को काफी क्षति पहुंची।

पिछले दिन प्रश्न के उत्तर में मैंने कुछ विवरण दिया था। उस दिन माननीय सदस्यों ने यह ख्वाहिश की थी कि लखनऊ का यदि अलग विवरण बतलाया जा सके तो अच्छा है। लखनऊ शहर में पोस्ट ऐन्ड टेलीग्राफ का ३८,८७१ रुपये का नुकसान हुआ जिसमें टेलीफोन विभाग का ३७,२६० और टेलीग्राफ का ९५० रु० है, पोस्टल डिपार्टमेंट का ६६१ रुपया है। रोडवेज का ४८,२५० रुपया, फायर ब्रिगेड का ६,००० रुपया, पब्लिसिटी वैन का ८,००० रुपया। इस

प्रकार सरकारी नुकसान १,०१,१२१ रुपया हुआ। म्युनिसिपल बोर्ड का ८,१२३ रुपये का नुकसान हुआ। बिजली कम्पनी का १८,६५० रुपये का नुकसान हुआ। कुल २६,७७३ रुपये का नुकसान हुआ। इस प्रकार से कुल जोड़ मिलाकर १,२७,८९४ रुपये का नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त फतेहपुर तथा रायबरेली के दो जिलों को छोड़कर शेष जिलों के पोस्ट ऐन्ड टेलीग्राफ का नुकसान २,३२८ रुपये हुआ, रोडवेज का ९,४२४रु० का नुकसान हुआ और रेलवे का १,८०० रुपये का हुआ। इसके अलावा दूसरी सम्पत्ति का ५,२१२ रुपये का नुकसान हुआ। इस तरह से कुल १८,७६४ रुपये का नुकसान हुआ और ६,५३६ रुपये का नुकसान प्राइवेट प्रापर्टी का हुआ, जिसमें आगरा म्युनिसिपल बोर्ड के नुकसान का ब्योरा हमारे पास नहीं है। सब जोड़कर इस प्रकार है। सरकारी नुकसान १,१९,८८५ रुपया और गैर सरकारी ३३,३०९ इस तरह से कुल जोड़ १,५३,१९४ रुपये हुआ।

उन घटनाओं की ओर जिन्हें व्यक्तिगत कहा जा सकता है, मैंने इंगित न करने की चेष्टा की है। उदाहरण रूप में पहली नवम्बर को विश्वविद्यालय क्षेत्र में कुलपति, उपकुलपति, कोषाध्यक्ष तथा मुझ गरीब के पुतले जलाये गये। जिसके उपरान्त एक नकली मुकद्दमा हुआ जिसमें हम सबको फांसी द्वारा मृत्यु दण्ड दिया गया। ९ नवम्बर को श्री चन्द्रभानु गुप्त जो विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष भी हैं, अध्यापकों तथा कुछ छात्रों द्वारा जो स्पष्टतः तथाकथित कार्यसमिति के सदस्य थे छात्रों के समक्ष भाषण देने के लिए आमंत्रित किये गये। परन्तु न केवल सभा में उपद्रव ही किये गये वरन् उनकी कार पर आक्रमण भी किया गया और उन्हें भीड़ द्वारा घेर लेने का भी प्रयत्न किया गया।

उपद्रव १० नवम्बर को अन्ततः समाप्त हुए, जब छात्रों ने स्ट्राइक बन्द करने का निर्णय किया।

मैं यहां यह कह देना चाहता हूं कि गोली चलाने का वर्णन जो एक से अधिक बार करनी पड़ी थी, श्री राजेश्वर प्रसाद अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा दी गयी रिपोर्ट पर आधारित है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा इन घटनाओं की जांच करने के लिए नियुक्त किये गये थे। श्री राजेश्वर प्रसाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का भार ग्रहण करने एटा ज रहे थे। कभी कभी जुडीशियल जांच कहलाने वाली चीज की मांग की जाती है। इस संज्ञा की जैसा माननीय सदस्यों को अवश्य ज्ञात होगा कानून में कहीं पर कोई परिभाषा नहीं दी गयी है, तथा इसका कोई भी अर्थ हो सकता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जुडीशियल कार्यवाहियां उन कार्यवाहियों को कहते हैं जिनमें कि शहादत सौगन्ध पर ली जाती है या कानूनन ली जाय। यथा "In which Evidence is and may be taken legally on oath".

श्री राजेश्वर प्रसाद उस समय मैजिस्ट्रेट के रूप में कार्य नहीं कर रहे थे जब वे उपरोक्त जांच कर रहे थे तथा प्रत्येक साक्ष्य को साथ लेकर बयान ले रहे थे। इस प्रकार कानून के अनुसार जो कार्यवाहियां उनके समक्ष थीं, वे 'जूडीशियल कार्यवाहियां' थीं तथा उनकी जांच जुडीशियल जांच थी। यह कहना न्यायसंगत नहीं है, कि किसी जांच का परिणाम केवल इस कारण दोषपूर्ण है कि वह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की गयी है जिसका नाम मैजिस्ट्रेट केडर पर चढ़ा हुआ है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें किसी भी ऐसी रिपोर्ट से सन्तोष न होगा जो उनके मत को व्यक्त नहीं करती। जस्टिस मुकर्जी ने कलकत्ते की कुछ घटनाओं के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट दी है, उसकी जो आलोचना की गयी है वह हम जानते हैं।

मैंने जो यथार्थ वर्णन दिया है यदि आपकी अनुमति से मैं दो खास बातों की ओर तवज्जह न दिलाऊं तो वह अपूर्ण रह जायगा। पुलिस तथा सरकार पर एक छात्र आन्दोलन से व्यवहार करने में आवश्यक कड़ाई का आरोप लगाया गया है। छात्र आन्दोलन का शब्द गलत संज्ञा है। विश्वविद्यालय में छात्रों तथा सरकार अथवा विश्वविद्यालय अधिकारियों के बीच में लड़ाई के शब्द में बात करना निरर्थक है। छात्र हमारे ही कुटुम्बों के हैं। उन पर हमारी आशायें

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

केन्द्रित हैं। हमें उनकी जन्मजात हार्दिक उदारता, उनके साहस तथा देशभक्ति पर भरोसा है। पर हमें उनसे एक शिकायत है। वे अपनी परिपूर्ण उच्चता तक उठने का प्रयत्न नहीं करते और अपने विवेक के विरुद्ध इस प्रकार के कार्य में फंस जाते हैं जो उनके तथा उनके देश के सर्वाधिक हित के नीचे है तथा उस चारित्रिक स्तर (good conduct) के नीचे है, जिसकी एक सज्जन तथा एक भारतीय होने के नाते उनसे आशा की जाती है।

यह हमारी उनसे शिकायत है कि वे अपने को विवेकहीन राजनीतिक समूहों द्वारा एक उपास्त्र के रूप में इस्तेमाल किये जाने देते हैं जो प्रत्येक क्षुद्र शिकायत को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए छात्र आन्दोलन के रूप में बढ़ा देते हैं। हमारे युवकों को अत्यन्त शीघ्र शासनों, कानून निर्माताओं, मैजिस्ट्रेटों, उच्च पुलिस अधिकारियों तथा महान् सेनापतियों के गहन उत्तर-दायित्व को वहन करना होगा। वे अपने हृदय से पूछें कि क्या कानून का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन, कानूनी तौर से नियुक्त किये गये अधिकारियों की अवहेलना तथा सार्वजनिक मार्ग पर भद्दे कार्य करना ही उस दिन की सर्वोत्तम तैयारी है ?

कदापि नहीं, हम एक छात्र आन्दोलन का मुकाबिला नहीं कर रहे थे। स्वार्थी राज-नीतिक दल जान बूझ कर प्रश्नों को ढाकने के मंतव्य से इसी शब्द का व्यवहार करने पर तुले हैं। कुछ समय से छात्र संगठनों पर अधिकार जमाने के, छात्रों में अनुशासनहीनता की भावना उत्पन्न करने के तथा राजनीतिक आन्दोलन में छात्रों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के निरंतर प्रयत्न किये गये हैं। स्पष्ट कारण यह है कि छात्रों के सम्बन्ध में जो भी बात होती है, वह स्व-भावतः जनता की सहानुभूति पा जाती है। प्रजा सोशलिस्ट तथा कम्युनिस्ट दल इस खेल के निकट प्रतिद्वन्द्वी हैं। जैसा साधारणतया होता है इस दौड़ में अन्त में प्रजा सोशलिस्ट दल हार जाता है। यह पार्टी प्रजातंत्र तथा अहिंसा में विश्वास करती है पर अपनी इस इच्छा के कारण कि वह कम्युनिस्ट से कम घोरपंथी न समझे जायं, इसके सदस्य बहुधा ऐसी बातें कहते हैं और करते हैं जो उनके धर्म की आधारशिला के नितान्त विरुद्ध है। कम्युनिस्ट इस बात से परिचित हैं और वे इसका पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। लखनऊ में यही हुआ। दो भूख हड़ताली प्रजा सोशलिस्ट दल के थे और तथा कथित कार्य समिति के कुछ सदस्य भी यही लोग थे पर वास्तविक नेतृत्व सदैव कम्युनिस्टों के हाथ में ही था। अपने सब कामों के बावजूद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हाल में स्थापित छात्र कन्वेंशन में प्रमुख स्थानों को प्राप्त करने में असफल रही जिनमें अधिकांश कम्युनिस्टों को मिल गये। पर पी० एस० पी० के नेतागणों ने छात्रों का अनुशासन विध्वंस करने में जो कुछ कर सकते थे कर दिया है। मैं विरोधी दल के माननीय नेता से पूछता हूं, कितनी बार आप तथा आपके मित्रों ने विश्वविद्यालय की परिधि में छात्र सभा में भाषण देने के पूर्व उपकुलपति की अनुमति ली जो एक ऐसी परम्परा है जिसका राष्ट्रपति को भी पालन करना पड़ता है।

मैं यह नहीं कहता कि कम्युनिस्ट पार्टी की भारतीय अथवा जिला शाखा ने इस उपद्रव को भड़काने के लिए यथार्थ में एक प्रस्ताव पास किया। उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी। स्टूडेंट्स फेडरेशन उन्हीं का संगठन है और जहां भी छात्रों में कोई उपद्रव भड़काया जा सकता है, वह सदैव अग्रणी रहता है। ये प्रारम्भ से ही अगुवा बन बैठे। कई अनुमानतः शुभेच्छक सज्जनों ने पुलिस की बुराई में समाचारपत्रों में वक्तव्य दिये पर उन्होंने जिन शक्तियों से पुलिस का सामना था, उनके सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा। क्या विद्यार्थियों और इन हिंसात्मक कार्यों के प्रति आंख मूंदने वालों या इनमें भाग लेने वालों ने कभी यह सोचा कि महत्वपूर्ण ट्रंक लाइनों उदाहरणार्थ लखनऊ, दिल्ली ट्रंक लाइन को काट देने का क्या परिणाम होगा ? टेली-फोन के बक्सों को तोड़ने का अर्थ यह था कि किसी बीमार बच्चे को देखने के लिए डाक्टर भी न बुलाया जा सके। जिन बसों को नष्ट किया गया उनकी जगह दूसरी बसों को लाने के लिए धन कहां से आयेगा ? बिजली के तारों को काटने का क्या यह अर्थ न था कि चोर डाकू शहर

में मनमानी लूट पाट करें ? आग बुझाने वाली मशीनों को क्षति पहुंचाने के बारे में मैं क्या कहूं ? ऐसे काम तो युद्ध क्षेत्र में सेनायें भी नहीं करतीं। आग बुझाने की मशीन को बेकार कर देने से तो सम्पूर्ण नगर जल कर राख हो सकता था। डाकखाने को जलाने और रेलवे की सम्पत्ति को नष्ट करने से किसकी हानि हुई ? फिर भी सरकार और सरकार के कर्मचारियों को इसलिए बदनाम किया जाता है कि उन्होंने थोड़ा बल प्रयोग करके उन हानिकर कार्यों को करने वालों को शीघ्र नियन्त्रण में ला दिया। विद्यार्थियों को कुछ चोटें भी आयीं। जांच से ऐसा मालूम हुआ है, कि उनमें कुछ छात्रायें भी थीं।

श्री गयंदर की मृत्यु से भी हम सब संतप्त हैं। वह एक होनहार युवक थे, किन्तु मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि उनकी मृत्यु पर आंसू बहाने वालों में से अधिकांश ने बनावटी आंसू बहाये हैं। उनके लिए वे इसलिए चीख-पुकार करते हैं कि इसमें उनका राजनीतिक लाभ है। अन्य दो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई उनकी जानों की भी कीमत थी उनके घरवालों के लिए, उनके सम्बन्धियों के लिए, किसी को कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि उनके नाम का प्रचार की दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं दिखायी पड़ता है।

कुछ समय पूर्व कलकत्ता की सड़कों पर लगभग एक सप्ताह तक तोड़ने-फोड़ने के जो उपद्रव हुए थे, उनके विषय में माननीय सदस्यों ने अखबारों में पढ़ा ही होगा। अब यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी का इसमें हाथ था। क्या कलकत्ते की घटनाओं के समान ही लखनऊ की घटनायें नहीं हैं और उनके पीछे उन्हीं का छिपा हुआ एवं जघन्य हाथ नहीं झलकता ? जो तोड़-फोड़ के कार्य किये गये उनमें से बहुतों के लिए तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। अधिकांश माननीय सदस्य नहीं जानते होंगे कि लकड़ी में टेलीफोन किस चीज का क्या असर हो सकता है। इसका कहां से सम्बन्ध है। उनको तो वही जान सकता है जो सिग्नलिंग के विषय को अच्छी तरह से जानता हो। यह ज्ञान कहां से आया। मैं किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराता लेकिन मैं पूछता हूं कि आखिर यह कैसे हुआ ? कि उपद्रव के दिनों में एक साथ ही बहुत से प्रमुख कम्युनिस्ट नेता लखनऊ आ गये ? लखनऊ में ही काफी कम्युनिस्ट्स हैं फिर क्या बात है कि सर्वश्री रुस्तम सैटीन, सुनील दास गुप्ता और पी० सी० जोशी एकदम से आ धमके। मैं इसके सन्तोषजनक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं, किन्तु मेरा प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिल सकता।

मैं फिर कहता हूं कि विद्यार्थियों के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, परन्तु हम यह अनुभव करते हैं कि अब समय आ गया, जबकि उन व्यक्तियों की कुचालों को रोका जाय जो प्रजातंत्र अथवा भारतीय जीवनादर्श में विश्वास नहीं रखते। हम उनकी चालों को समझते हैं और हम विद्यार्थियों को उनके हिंसात्मक नाटक के लिए साधन नहीं बनने देंगे। ये लोग चाहते हैं कि सर्वसाधारण में कानून के प्रति अवज्ञा की भावना पैदा हो, जनता का मस्तिष्क अस्थिर हो जाय और उनका यह विश्वास भंग हो जाय कि यह सरकार उनके जानमाल की रक्षा कर सकती है। हम जानते हैं कि वे एक के बाद दूसरा आन्दोलन खड़ा करते रहेंगे लेकिन उन्हें सावधान कर देना चाहता हूं कि उनकी चालें नहीं चलेंगी। जो लोग हमारे देश की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए संकट उपस्थित करना चाहेंगे, हम उनको कुचल देंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अब जो भाषण भवन में हों, उनके लिए समय का नियंत्रण कर दिया जाय। उसके लिए मेरा प्रस्ताव यह है कि नेता विरोधी दल को ४५ मिनट और और पार्टी के नेताओं को आध घंटा और बाकी सदस्यों के लिए १५ मिनट का समय दिया जाय।

श्री मदन मोहन उपाध्यायक्ष—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि माननीय विरोधी दल के नेता को तो बोलने दिया जाय। तब उसके बाद जो भी समय का निर्णय किया जायगा वह ठीक रहेगा। वैसे हम आशा करते हैं कि माननीय विरोधी दल के नेता ज्यादा समय नहीं

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

लगायेंगे, लेकिन उनका समय निश्चित कर देना हमारी शान के प्रतिकूल है जब हमने मन्त्री महोदय के भाषण के लिए कोई समय नहीं निर्धारित किया। उनके भाषण के बाद हमें समय नियंत्रण के लिए सोचना चाहिए।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि विरोधी दल के नेता को २० मिनट दिया जाय, क्योंकि सदन के और सम्मानित सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय विरोधी दल के नेता महोदय को आध घंटा और अन्य सदस्यों के लिए १० मिनट तथा प्रधान मन्त्री को भी ३० मिनट दिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—मेरा सुझाव है कि विरोधी दल के नेता को २० मिनट तथा बाकी सदस्यों को १० मिनट का समय दिया जाय।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—मैं तो यह निवेदन करता हूं कि आप कोई निर्णय न लें। थोड़ी देर बाद इस पर कोई निश्चय करें।

महाराज कुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—मैं भी काटजू साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह सब के हित में होगा, क्योंकि बहुत से लोग इस पर बोलना चाहते हैं और प्रश्न पूछने वाले भी बहुत लोग थे और उन सब की इच्छा के कारण ही यह मौका दिया गया है और कुछ थोड़ा समय भी बढ़ा दिया गया है। अभी ३ घंटा १० मिनट का समय बाकी है। तो ऐसे अवसर पर समय निर्धारित करना उचित होगा। वक्तव्य सुनने के बाद मैं यह समय निर्धारित करता हूं कि विरोधी दल के नेता के लिए आधा घंटा काफी होगा और बाकी लोग जो नेता अपने दलों के हैं, उनके लिए १५ मिनट और बाकी सब लोगों के लिए १० मिनट का समय देना उचित होगा। इसमें प्रायः बहुत लोगों को बोलने का अवसर मिल जायगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, माननीय गृह मन्त्री के भाषण को सुनने के बाद मैं समझता था कि काफी समय मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में कुछ निजी ढंग पर मेरे ऊपर भी आक्षेप लगाया है। मगर मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं इसलिए नहीं कि मुझे कुछ कहना है, बल्कि मैं तमाम सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूं वह वस्तुस्थिति इसलिए नहीं रखना चाहता हूं कि मैं एक विरोधी पार्टी का नेता हूं और उस हैसियत से रखूं, बल्कि आज अपने देश में जो विषम परिस्थिति पैदा हो चुकी है, उस परिस्थिति को आगे फिर सुलझाने के लिए मैं कुछ निवेदन करूंगा।

माननीय गृह मन्त्री ने इस सदन में अभी तक जितनी बातें कही हैं मैं समझता हूं कि उनको गलत खबरें मिली हैं और उन गलत खबरों के आधार पर उन्होंने यह वक्तव्य दे डाला है। मैं यह समझता हूं कि अगर वे गलत बातों के आधार पर वक्तव्य दिया करेंगे तो वे न्याय नहीं कर पायेंगे।

विजयकुमार के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह बिहार पी० एस० पी० के सदस्य हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि वे काशी विद्यापीठ के शास्त्री हैं और लखनऊ युनिवर्सिटी के एम० ए० हैं और इस समय लखनऊ युनिवर्सिटी में फ्रेंच पढ़ते हैं। बिहार की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रीमन्, मैं थोड़ी बहुत जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि दो भूख हड़ताली सदस्यों के बारे में माननीय गृह मन्त्री के पास यह खबर पहुंची कि वह पी० एस० पी० के थे। मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि विजय कुमार तो यंग सोशलिस्ट

लीग के सदस्य हैं और अखिलानन्द स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदस्य हैं। पता नहीं कि इस प्रकार की खबरें किस प्रकार से गृह मन्त्री जी के पास पहुंचा करती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गृह मन्त्री जी ने लखनऊ युनिवर्सिटी के आन्दोलन के सम्बन्ध में जो बातें कहीं उस सम्बन्ध में थोड़ी बहुत बातें मैं भी कहना चाहता हूं और वह यह है कि सन् १९२८ ई० से जो यूनियन का विधान बना हुआ है, उस यूनियन विधान की ६४वीं धारा में यह स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि उस विधान में संशोधन तब हो जब विद्यार्थियों की जनरल बाडी से राय ले ली जाय। इसलिए आगे मैं यह निवेदन करूंगा कि जो विद्यार्थियों की मांगे थीं, वे मेरी दृष्टि में जायज और बिलकुल सही मागें थीं। विद्यार्थी इतना जानना चाहते थे कि उनको जो अधिकार प्राप्त हैं, २८ ई० के विधान के अनुसार वह उनको अधिकार जनतन्त्र कहने वाली सरकार के द्वारा न तोड़ा जाय, उसके जो सम्बन्धित पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा न तोड़ा जाय। श्रीमन्, माननीय गृह मन्त्री जी ने अपनी बातों में यह कोशिश की कि जो कुछ भी इस लखनऊ में घटना घटी, उसका सारा दोष विद्यार्थी समुदाय पर डाला जाय या ऐसे लोगों पर जाय जिन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित किया है।

मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय गृह मन्त्री जी ने मेरे बारे में भी एक बात कही कि मैंने युनिवर्सिटी क्षेत्र में जाकर भाषण दिये थे और मैंने कब-कब अधिकारियों से आदेश प्राप्त किये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बारे में भी मन्त्री जी की गलतफहमी है। जहां तक मुझे याद है लखनऊ विश्वविद्यालय में वहां के विद्यार्थियों में जाकर मैंने आज तक कोई भाषण नहीं किया, हां, एक बार ३ तारीख को जब कि तमाम अधिकारी मालूम नहीं कहां जा कर बैठे थे, उस समय मैंने विद्यार्थियों में जाकर शान्तिमय वातावरण बनाने के लिये अपील की थी, मुझे जब कि उससे पहले मालूम हुआ था कि विद्यार्थीगण एकत्र हैं और कुछ फैसला लेने वाले हैं, तब मैंने भाषण किया था और मैंने उनको बताया था कि आज उनका महत्व देश में बहुत अधिक है, इसलिए उनको इस शानदार मुल्क में एक शानदार कदम एक शानदार ढंग से उठाना चाहिए। मैं ने उन से यह भी निवेदन किया था कि उनको अपनी न्यायोचित मांगों को पूर्ण कराने के लिए संगठित रहना चाहिए, केवल इतना ही मैंने उनसे कहा था।

इसके बाद मैं एक बात की सफाई और दूंगा दो मिनट में। मन्त्री जी ने पी० एस० पी० और कम्युनिस्ट पार्टी की होड़ की बात कही थी कि उन दोनों में होड़ रहती है और पी० एस० पी० हार जाती है। पी० एस० पी० के बारे में उनका इतना कहना सत्य ही है, लेकिन उनसे इतना निवेदन करूंगा कि पी० एस० पी० यदि किसी से होड़ लेती है, तो वह होड़ लेती है डेमाक्रेसी के लिए, जनतन्त्र के लिए, ईमानदारी के लिए, न्याय के लिए वह होड़ लेती है, वह होड़ लेती है सच्चाई को प्रतिष्ठित करने के लिए। फिर चाहे उस के सामने कांग्रेस पार्टी आये या कम्युनिस्ट पार्टी आये, इसकी उसकी कोई चिन्ता नहीं रहती। लेकिन जहां तक लखनऊ युनिवर्सिटी क्षेत्र में हुई छात्र आन्दोलन से सम्बन्धित घटनाओं का सम्बन्ध है उनके बारे में मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनकी ऐसी धारणायें गलत आधार पर बनी हुई हैं। जहां तक मुझे याद है जिस तथाकथित एलेक्शन कमेटी की वह बात करते हैं उसमें ७ सदस्य तो स्टूडेंट फेडरेशन के थे और ३ यंग सोशलिस्ट लीग के थे और किसी पार्टी के नहीं थे। फिर उनका ऐसा कहना कहां तक उचित है इस पर सदन विचार करे। आगे माननीय गुप्त जी को याद होगा और मालूम होगा और मैं इस बात को सफाई के सथा कहूंगा कि जितनी घटनायें घटीं वे किसी दलगत राजनीतिक भेदभाव के कारण नहीं हुईं, बल्कि हम तो ईमानदारी और सच्चाई को सामने रखते हुए इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सरकार की गलत नीति के कारण, गलत हस्तक्षेप के कारण यह सब हुआ और इसका सबूत एक-एक करके मैं देने को तैयार हूं। यहां पर तमाम बातें कही गयीं और कहा गया कि ऐसे-ऐसे कांड हुए, १ लाख ५३ हजार १९४ रुपये का नुकसान हुआ। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब क्यों हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह सरकार चाहती थी कि पुलिस बर्बर होकर, निरंकुश होकर निहत्थे विद्यार्थियों पर लाठी प्रहार करे, गोली चलाये, अश्रु गैस बार-बार छोड़े और ऐसे पुलिस अधिकारियों को मंत्रिगण माला पहनायें और इस तरह के लोगों पर पुष्पवर्षा करें?

[श्री राजनारायण]

मैं तो कहता हूं कि इस तरह की चीज को भविष्य में नहीं रोका गया तो इससे भी खराब वातावरण पैदा हो सकता है और इससे भी खराब प्रभाव और मुश्किल परिस्थिति हमारे यहां पैदा हो सकती है। केवल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से ही नहीं बल्कि खद्दर पहने हुए प्रजासोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री त्रिलोकी सिंह से भी उस समय तक जब तक कि उनको पहचाना नहीं गया ऐसा व्यवहार किया गया कि उनके भी चोट लगी। हमें इस समय वस्तुस्थिति पर जाना चाहिए और ठंढे दिल से जाना चाहिये। वस्तुस्थिति क्या है, मैं एक-एक करके माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या यह बातें गलत हैं कि तीन स्थानों पर श्रीमन्, गोलियां चलीं और एक भी जगह जो जख्मी हुये उनको पुलिस ने नहीं उठाया। साधारण नियम है कि जिनको गोली लगे, जिनको चोट लगे उनको पुलिस उठावे। मगर क्या माननीय मंत्री जी इसको बतायेंगे कि जो गोली से घायल हुये उनको किसी पुलिस अधिकारी ने उठाकर अस्पताल में पहुंचाया? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां भी जलूस पर गोलियां चलीं यह अब साबित हो गया है कि पुलिस गोली चलाने के बाद घटनास्थल से भाग गयी जैसे कोई बदमाश किसी को गोली मारता है, निशाना मारता है और मारने के बाद लुकने की कोशिश करता है उसी तरह यहां की पुलिस ने कोशिश की है। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, मेरा मस्तक लज्जा से झुक जाता है जब मैं यह देखता हूं कि हमारे ऐसे सम्मानित प्रतिष्ठित, विद्या बुद्धिसम्पन्न गृहमंत्री के पास भी गलत खबरें पहुंच सकती हैं। माननीय मंत्री जी ने बताया कि क्वेश्चन आनसर के समय भी बहुत सी बातें हमने कही हैं और माननीय मंत्री जी का ख्याल है कि लड़कियों के ऊपर चोटें नहीं पड़ीं, लड़कियां घायल नहीं हुईं, पुलिस ने पत्थर नहीं फेंके, पुलिस ने ट्रक में पत्थर नहीं इकट्ठा किये। श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से चाहता हूं कि ये तमाम फोटो जरा आप भी देख लें और हमारे सम्मानित मंत्रीगण भी देख लें, हमारे माननीय गृह मंत्री जी जरा इनका अवलोकन कर लें। इससे क्या मालूम पड़ता है? आप देखें कि पुलिस ईंट और पत्थर लिये खड़ी है और उस पत्थर को देखकर आप बता सकते हैं कि वह किस निशाने पर मारने के लिये खड़ी है। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन हमारी बहनों के लिये कहा जाता है, छात्राओं के लिये कहा जाता है, गलत बयान किया जाता है कि छात्राओं पर चोटें नहीं पड़ीं, यह क्या है (फोटो प्रस्तुत करके) यह जो साड़ी पहने युनिवर्सिटी की पढ़ने वाली एक बहन है क्या उस पर चोट नहीं पड़ी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मुझे मालूम हुआ कि छात्राओं को भी चोटें लगीं और जिसका जिक्र मैंने अपने बयान में कर दिया था।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी के पास शायद बाद में फिर खबरें आयीं और मालूम हुआ कि उनकी पुलिस की क्या कारगुजारी है। मुझे यह निवेदन करना है अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये कि माननीय मंत्री जी अपनी गलत धारणाओं को फिर बदलें। (फोटो प्रस्तुत करके) यह माननीय मंत्री जी की पुलिस है जो झोलों में ईंट और पत्थर के टुकड़े भर-भर कर ले जा रही है और जरा माननीय मंत्री जी देख लें कि ये पुलिस के कर्मचारी ईंटें चलाते हैं और फिर भाग जाते हैं। मैं जरा निवेदन करूंगा कि ये जरा पत्रकारों को भी मिल जायं।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किस पुलिस के काम के लिये हमारे गृह मंत्री जी विद्यार्थियों के ऊपर दोष मढ़ते हैं? क्या किसी भी मुल्क में, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक भी उदाहरण वे इसका बता सकेंगे कि जिसमें एक भी जगह यूनिवर्सिटी के प्रबंध में पुलिस का इतना ज्यादा हस्तक्षेप हुआ हो। श्रीमन्, मैं भी किसी विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र हूं। १९४२ के जमाने में वकालत का मेरा दूसरा साल काशी विश्वविद्यालय में था। आदरणीय मदनमोहन जी मालवीय विद्यमान थे। १२ अगस्त,

को जब कि गवर्नमेंट की सेना विश्वविद्यालय को चारों तरफ से घेर रही थी मालवीय जी ने कहा था कि 'आई विल बी दी फर्स्ट मैन टु लाई डाउन आन दी गेट' मगर मैं किसी पुलिस के कर्मचारी को यूनिवर्सिटी के अन्दर नहीं आने दूंगा। मगर श्रीमन्, मैं आज देखता हूं कि वे हमारे विद्यामंदिर जिनको कि हम कहते हैं कि यहां हम विद्यादान करते हैं, ज्ञान देते हैं जिससे कि समाज की रचना हो, समाज का परिवर्तन हो, उसका आधार दृढ़ हो, उस विद्यामंदिर में पुलिस द्वारा यह नंगा नृत्य कराया जाता है, यह बर्बरता अख्तियार की जाती है और तिस पर हमारे गृह मंत्री जी उन पुलिस के कर्मचारियों पर परदा डाल रहे हैं और ऐसा भाषण सदन में देते हैं कि जिससे सारा का सारा दोष विद्यार्थियों के ऊपर चला जाय। श्रीमन्, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस सदन के सम्मानित सदस्य जरा इन बातों पर ध्यान दें। कितने आदमी घायल हुये और कितने आदमियों को चोटें आयीं, अगर मेडिकल कालेज की रिपोर्ट को देखा जाय और बलरामपुर अस्पताल की इंट्रीज को देखा जाय, तो सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि कितनों को गोली से चोट लगी, कितनों को ईंटों से चोट लगी और कितनों को लाठी से चोट लगी। माननीय मंत्री जी ने उन बातों को क्यों नहीं बताया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी से कि क्या माननीय गृहमंत्री जी आज इसका औचित्य साबित कर सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अनशनकारी जिस यूनियन बिल्डिंग में थे, ३० तारीख को ९ बजे रात जब कि विद्यार्थी भी जाग रहे थे, क्यों एक हजार के करीब पुलिस ने जाकर चारों तरफ से यूनियन बिल्डिंग को घेर लिया? श्रीमन् सरकार की ओर से कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी यूनियन बिल्डिंग पर विद्यार्थियों ने जबर्दस्ती कब्जा कर लिया। क्या युनिवर्सिटी के विधान में वाइस चांसलर महोदय को अधिकार प्राप्त नहीं हैं कि यदि विद्यार्थी गलत काम करें, तो वे उनको दंडित कर सकते हैं? लेकिन पुलिस के सुपुर्द कर देना कहां का औचित्य है? माननीय मंत्री जी कहते हैं कि यूनिवर्सिटी यूनियन बिल्डिंग का ताला खोल कर विद्यार्थी उसके अन्दर प्रवेश कर गये। दो ही तो अनशनकारी थे। उनकी सेवा सुश्रुषा में दस पांच विद्यार्थी रहे होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब वहां पुलिस का दल पहुंचा तब वहां मुश्किल से १५ या २० विद्यार्थी थे जो कि उन अनशनकारियों की सेवा सुश्रुषा कर रहे थे। आज हमारे माननीय गृह मंत्री बड़े उदार बन गये। जो विद्यार्थी मरने वाले थे यदि उनका हटाना आवश्यक था तो इतनी बड़ी तादाद में पुलिस को यूनियन बिल्डिंग को घेरने की क्या आवश्यकता थी? क्या इसका औचित्य है? अगर इसका औचित्य है, तो वह दो, तीन या चार बजे रात में गये होते जब कि विद्यार्थी सोये होते और तब जहां चाहते वहां उनको ले जा करके दूध पिलवाते। आज माननीय मंत्री जी के राग में ऐसी उदारता मालूम होती है कि वे किसी को मरने देना नहीं चाहते हैं।

मैं श्रीमन्, एक-एक करके आपसे निवेदन करूंगा और यदि कुछ थोड़ा समय ज्यादा हो जाय तो आप श्रीमन् देने की कृपा करेंगे क्योंकि यह विषय बड़ा गहन है। क्या तीन बार लाठी का प्रहार नहीं हुआ? क्या पैरों कुचला नहीं गया? ईंटों से मारा नहीं गया? क्या शहर में चारबार गोली नहीं चलाई गयी, जिससे ११ आदमी जख्मी हुये जिन में से तीन आदमी अस्पताल में जा कर मर गये? आज इसकी जिम्मेदारी किस पर है? क्या जिला अधिकारियों पर या जिलाधीश पर है? मैं कहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी पुलिस मंत्री पर है, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है, इसकी जिम्मेदारी सारी कैबिनेट पर है।

अगर मेडिकल कॉलेज और बलरामपुर अस्पाताल के रजिस्टर को देखा जाय, तो माननीय गृह मंत्री जी मेरी बात से इन्कार नहीं करेंगे और मेडिकल कालेज और बलरामपुर अस्पताल में कम से कम इतने योग्य डाक्टर जरूर रहते होंगे जो रजिस्टर रखते होंगे। यदि किसी देश के अस्पतालों में ऐसा कुप्रबन्ध हो कि रजिस्टर न रखे जाते हों, कोई इंट्री न की जाती हो कि कहां किस चोट से कोई आदमी घायल हुआ पीछे चोट लगी, आगे चोट लगी, गले में चोट लगी, हाथ में चोट लगी या कहां लगी, तो उस देश में दिन-दहाड़े आग लग जायगी। यदि माननीय मंत्री जी उन रजिस्टरों को न देखें तो, मैं

[श्री राजनारायण]

स्वयं उन रजिस्टारों से छांट कर बतला सकता हूं कि किसको कहां गोली की चोट लगी और कहां ईंट की चोट लगी। ३१-१०-५३ को जो गोली नील गेट पर चली उसमें इनको चोट लगी, श्री अवध बिहारी, कर्मचारी एस० डी० ओ० तार, श्री सुरेश तिवारी, कर्मचारी डिविजनल इंजीनियर, टेलीफोन, श्री सच्चिदानन्द त्रिवेदी, विद्यार्थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। एक और अज्ञात व्यक्ति हैं जिनकी इंट्री अस्पताल में है, पांचवें हैं बाबू राम तिवारी जो अभी तक शायद अस्पताल में पड़े हुये हैं। श्री सुरेश तिवारी, श्री सच्चिदानन्द त्रिवेदी और तीसरा एक अज्ञात व्यक्ति बलरामपुर अस्पताल में दाखिल हुये और श्री अवध बिहारी और बाबू-राम तिवारी मेडिकल कालेज में दाखिल हुये। इनको गोली की चोट लगी है और ऐसे समय में गोली की चोट लगी है कि साधारण से साधारण बुद्धिवाला व्यक्ति देखकर कह सकता है कि जब वे पीछे लौट रहे थे तब उनके ऊपर गोली चलायी गयी थी। ऐसी दशा में भी माननीय मंत्री जी को यह साहस हो सकता है कि इस सदन में आकर कहें कि विद्यार्थियों ने गड़बड़ी मचाई और इससे पुलिस वाले प्रभावित हुये। पुलिस के लिये मर्यादा सीमित है कि वह किस ढंग से काम करे। इसके लिये बहुत से कोड बने हुये हैं। यदि कोई डाकू भी मारा जाता है तो उसकी भी इंक्वायरी होती है। लेकिन जब इस तरह से निहत्थे नागरिकों पर गोली चली, लाठी चली तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उसकी इंक्वायरी एक मैजिस्ट्रेट ने कर दी, वह भी ठीक है। उनके टेक्निकल टर्म में वह भी जुडिशल इन्क्वायरी कही जा सकती है। लेकिन हम जो मांग करते हैं वह एक बहुत लम्बी मांग है जिसमें कि हाई कोर्ट के जज हों और वे आकर के इन्क्वायरी करें।

फिर मैं श्रीमन्, पूछना चाहता हूं कि ३१-१०-५३ को अमीनाबाद में गोलीकांड हुआ। जगदीश लाल गयन्दर की बात है। अगर आप श्रीमन्, हमारे साथ चलें तो आंसू आ जायेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को भी ले जाकर वहां साबित करने के लिये तैयार हूं। माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में चाहे जो भी रूप धारण करें लेकिन जब वह बाहर चलेंगे तो वह भी बगैर दो बूंद आंसू गिराये नहीं रहेंगे। वह बेचारा साइकिल ले करके खड़ा हुआ था और पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने निशाना लगाकर उसे गोली मार दी। कहा यह जाता है कि वह रिवाल्वर छीनने जा रहा था। जब हम देखते हैं कि इस सदन में एक सत्य पर परदा डालने के लिये इस तरह की बातें होती हैं तो हमारे हृदय की ज्वाला भड़क उठती है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह किसने कहा इस सदन में कि श्री गयन्दर रिवाल्वर छीनने जा रहे थे?

श्री अध्यक्ष—मैं भी यही सोच रहा था कि आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां ऐसी बात कही नहीं गयी।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अखबारों में बयान है। मैं श्रीमन्, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्री गयन्दर की मृत्यु के सम्बन्ध में क्वेश्चन और आनसर्स देख लिये जायं। अगर माननीय मंत्री जी ने यह बात नहीं कही है और वे पुलिस पर मैजिस्ट्रेट द्वारा की गयी रिपोर्ट पर यक़ीन करते हैं और उसी रिपोर्ट के आधार पर यहां अपना बयान देते हैं तो मैं श्रीमन्, क्षमा मांग सकता हूं। यह कोई बहुत बड़ा ऐसा अपराध नहीं है। मैं श्रीमन् आप से कहना चाहता हूं कि इस पर क्लैपिंग न की जाय, इस पर आंसू गिराये जायं, नहीं तो इस आदरणीय सदन का अपमान होगा। श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लाटूश रोड पर १-११-५३ को घटना हुयी। पांच आदमियों को इसमें चोटें लगीं। ३ बलरामपुर अस्पताल भेजे गये और २ की वहीं मरहम पट्टी हुई। इनमें श्री काशी राम अग्रवाल की मृत्यु अस्पताल में हुई। बाकी दो श्री चेलादास और पुत्तन लाल थे। श्री चेलादास तो ठाकुरदास स्कूल के

विद्यार्थी हैं और श्री पुत्तनलाल लखनऊ के एक दूध व्यापारी। श्री हनीफ और वाहिद अली हैं जो क्रमशः मछली मोहाल और घसियारी मंडी लखनऊ के रहने वाले हैं। इसी तरह से श्रीमन्, मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे ज़रा लड़कियों के बारे में भी देखें जिनको कि चोटें लगीं। उनके नाम भी मुझे मालूम हैं। कुमारी सरन मेहरोत्रा, सुदर्शन पाल, कुमारी सायला हुसैनी, दामिनी शाह और जयकिशोरी जो कि मेडिकल कालेज और बलरामपुर अस्पताल में भेजी गईं। मैं समझता हूं कि हमारे कोई भी इस सम्मानित सदन के सदस्य अगर बिना मेडिकल कालेज का रजिस्टर देखे हुये मेरे इस बयान का खंडन करेंगे तो यह उनका दुःसाहस होगा। इस पर श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि जब इतना ज़ोर जुल्म हुआ उसके बाद भी हमारे पुलिस मंत्री यह कहने का कैसे साहस करते हैं कि पुलिस की ओर से बर्बरता नहीं हुई और पुलिस की ओर से अमानवीय पाशविक कार्य नहीं किये गये। श्रीमन्, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने इतना ज़माना देखा है वे कोई एक भी ऐसा उदाहरण बतायें कि इस देश में साठ घंटे का करफ्यू आर्डर ब्रिटिश साम्राज्यशाही हुकूमत में भी कभी लगा हो। श्रीमन्, जहां तक मुझे याद है कि लखनऊ में पहले कभी इस प्रकार की घटना नहीं घटी। एक लखनऊ के बुजुर्ग ने तो यहां तक कहा कि लखनऊ में कयामत के दिन आये हुये हैं। तो फिर श्रीमन्, मैं पूंछना चाहता हूं कि ३ तारीख को पुलिस ने घर में घुस-घुस कर लोगों को मारा उसका क्या कारण था? इसके अलावा मैरिस मार्केट के तमाम खटिकों को पकड़ा गया। क्या पुलिस मंत्री बतला सकते हैं कि उनको क्यों पकड़ा गया? उनका क्या अपराध था? उनका क्या दोष था? फिर एक तपेदिक के रोग में परेशान श्री कुंवर बहादुर को पुलिस वाले पकड़ ले जाते हैं तो आखिर किस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसे पकड़ ले जाते हैं। फिर बराती हलवाई की ज़बरदस्ती लेकर दस सेर पूड़ियां खा गये। और जब वह अपने पैसे मांगता है तो पैसे न देने का बहाना बनाते हैं, उसके थोड़ी देर बाद वहां गोलियां चलती हैं। तो फिर कैसे माननीय मंत्री जी कुकर्म करने वाली पुलिस के पुलिस मंत्री बने हुये हैं, मुझे शर्म है। मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी का शिष्य हूं और मैं उनको प्रोफसर कह कर सम्बोधित करता हूं। पुलिस के इन कुकर्मों को तथा बर्बता को देखते हुये श्रीमान् सम्पूर्णानन्द जी को कभी भी पुलिस मंत्री का पद न लेना चाहिये।

श्रीमन्, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की घटना के समय श्री राजाराम शास्त्री काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर वहां मौजूद थे और श्री सम्पूर्णानन्द जी यदि उनपर यकीन करते हैं तो मैं चाहता हूं यदि श्री राजाराम जी के बयान लिये जायें तो ज्ञात होगा कि किस बर्बरता से पुलिस वालों ने गेट में घुस-घुस कर उनके कमरे के दरवाजे तोड़ कर उन्हें बाहर घसीटा और फिर पकड़-पकड़ कर उनको जेल में बन्द कर दिया गया और फिर पांच दिन जेल में रख कर उनको छोड़ दिया गया। इस प्रकार पुलिस बर्बरता पूर्वक विद्यार्थियों के साथ व्यवहार कर रही थी।

श्री राम नरेश शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, क्या यह 'बर्बरता शब्द' पार्लियामेंटरी है?

श्री अध्यक्ष—बर्बरता शब्द किसी व्यक्ति के लिये प्रयोग में नहीं लाया गया इसलिये वह अनपार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या आठ फायर सर्विस यूनिट्स इस लखनऊ शहर में नहीं हैं। जिस शहर में आठ फायर सर्विस हों उस शहर में तीन-तीन दिन तक सड़कों पर लारियां जलती रहें, तीन तीन दिन तक बसें जलती रहीं। आज माननीय मंत्री जी के साथ मैं भी इस बात से सहमत हूं और जो वह कहते हैं कि सरकारी सम्पत्ति का इतना बड़ा नुकसान हुआ न होना चाहिये तो मैं भी सरकारी सम्पत्ति को बचाना चाहता हूं। सरकारी सम्पत्ति का यदि कोई नाश करता है

[श्री राजनारायण]

तो मेरे दिल पर ठेस लगती है तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को सोचें और महसूस करें कि तीन तीन दिन तक इस तरह से दारुलशफा के सामने वाली सड़क पर लारी जलती रही, इसी तरह हजरतगंज पर भी एक लारी जलती रही, जहां से १०० गज की दूरी पर फायर सर्विस का दफ्तर था यदि वे बचाना चाहते तो बचा सकते थे। आखिर किस दिन के लिये यह फायर सर्विस रखा गया है। श्रीमन् शहर में जो नुकसान हुआ, अगर मुझसे कहा जाय तो मैं ईमानदारी के साथ कहूंगा कि जो दो ऐंटी सोशल एलीमेंट्स हैं, एक पुलिस और दूसरे गुण्डे ये आज शहर में बढ़ गये हैं जिनकी वजह से यह सारा नुक्सान हुआ है। पुलिस वाले जानबूझ कर बसों को जलता हुआ देखते हुये भी वहां नहीं गये, इसी तरह से शहर के गुण्डों ने तार के बक्सों को जलाना शुरू किया यह दोनों एलीमेंट ऐंटी-सोशल एलीमेंट्स हमारे यहां पैदा हो गये हैं। किस तरह से पुलिस ने बर्बरता की और किस तरह से यदि किसी रिक्शे वाले को पुलिस वालों ने १० दिन पहले पकड़ा था तो वह भी उसमें शामिल होगया। इस तरह से जो ऐंटी सोशल एलीमेंट गवर्नमेंट बनाये हुये हैं फिर उसकी देखरेख कौन करेगा ? यह हुकूमत करेगी, विरोधी पार्टी करेगी या प्रजा सोशलिस्टपार्टी करेगी ? श्रीमन् अभी जरा और लीजिये। मंदिर में पूजा करने के लिये एक विद्यार्थी गया हुआ था जिसका नाम त्रिलोकी नाथ नागर है। श्रीमन्, वह मंदिर में अपनी मां बहिन के साथ पूजा कर रहा था। पुलिस के लोग मंदिर से उसे घसीट लाये उसकी मां को चोट पड़ी है और उसके भी चोट लगी है। मैंने इसी लिये नाम बतला दिया है ताकि माननीय मंत्री जी यदि चाहें तो उसे बुलाकर पूछ भी सकें। इसके बाद श्रीमन्, मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि इन बेचारे प्रेस रिपोर्टस पर भी आफत आई। श्री अखिलेश जी जो स्वतंत्र भारत के हैं क्या उनका पास ले कर पुलिस ने नहीं फाड़ दिया ? क्या उनके चोट नहीं लगी ? जब उन्होंने कहा कि मैं प्रेस रिपोर्टर हूं तो पुलिस वालों ने कहा कि चल चल हमने बहुत देखा है रिपोर्टर। जहां तक मुझे मालूम हुआ है श्री गिरधारी लाल जी के पी० ए० को पुलिस ने रोका और जब उन्होंने यह कहा कि मैं पी० ए० हूं तो पुलिस ने कहा कि यह *[...] पिये हुये हैं। इस तरह की पुलिस है। श्रीमन् मैंने घटना का वर्णन किया है। अब मैं श्रीमन् आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि [.....
.....
.....
.....]

*श्री मंदाकिनी प्रसाद श्रीवास्तव, पी० के० टंडन तथा लक्ष्मीकांत तिवारी, इन लोगों के क्या चोटें नहीं आई ? क्या ये घायल नहीं हुये ?

अन्त में मैं अपनी मांगें पेश करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस आंदोलन में पुलिस ने जो बर्बरता की है उसके प्रति सरकार उपेक्षापूर्ण नीति न अख्तियार करे और आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो और इसकी जुडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिये जिसमें हाईकोर्ट के जज हों। इस विद्यार्थी आंदोलन में जो घायल हुये हैं, जिनकी सम्पत्ति नष्ट हुई है उनकी क्षतिपूर्ति सरकार को करनी चाहिये। जो सरकारी सम्पत्ति नष्ट हुई है उसकी क्षतिपूर्ति स्थानीय पुलिस अधिकारी तथा सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह से की जाय। इसके बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे सरकारी मंत्री, उपमंत्री तथा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं के पदाधिकारी न रहें। इसके अलावा अब भी हमारे चांसलर इस यूनिवर्सिटी के चांसलर बने रहने के लोभ का संवरण न करें।

---

*श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि राज्यपाल को बीच में नहीं लाना चाहिये क्योंकि क़ानून तो आप बनाते हैं। क़ानून बनाते समय आप जो चाहें करें।

श्री राजनारायण--मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसका ख्याल करें। अपने एक दोस्त की चन्द पंक्तियां पढ़कर मैं बैठ जाता हूं। वे इस प्रकार हैं--

"जो तालीम में भी गरज़ को मिला दें,
इशारों की टकसाल अपनी बना दें।
निहत्थे जवानों पै गोली चलाकर,
जो जम्हूरियत का जनाज़ा उठा दें।
और इंसानियत को यहां तक गिरा दें,
कि महिलाओं पर लात जूते चला दें।
वतन पर हुकूमत के लायक़ नहीं हैं,
जो जन्नत निशां को जहन्नुम बना दें।"

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि घटना के पश्चात् चतुर होना आसान है। लखनऊ में और लखनऊ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो घपला हुआ और जो हाल ही में यहां दुर्घटना हुई उनसे यदि हम चाहें तो दुख का सबक सीख सकते हैं। भूल की खोज किसी एक स्थान में करना मूर्खता होगी और न यह अब की जा सकती है। लेकिन दोषी का आम जनता के बीच में ज़िक्र करना यानी अपनी पब्लीसिटी करना हिम्मत का काम है। मगर जहां तक हो सके हमें आज यह देखना है कि दोषी इस सम्बन्ध में कौन हो सकता है। वस्तुतः इस सम्बन्ध में केवल तीन ही दोषी ठहराये जा सकते हैं। या तो विद्यार्थी वर्ग दोषी हो सकता है, या फिर विश्वविद्यालय के अधिकारी दोषी ठहराये जा सकते हैं या फिर हमारी सरकार दोषी ठहरायी जा सकती है। विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के अधिकारी या सरकार इन तीनों में से ही किसी न किसी का किसी हद तक दोष हो सकता है। मेरे लिए यह आवश्यक नहीं कि मैं दुर्घटना का विवरण दूं। माननीय गृह मन्त्री महोदय ने विस्ताररूप से और श्री राजनारायण सिंह जी ने एक नाटकीय रूप से घटनाओं का विवरण कर ही दिया है। मैं विवरण के सम्बन्ध में इतना ही कह कर सन्तुष्ट हूंगा कि बावजूद विपरीत स्पष्टीकरण के यह सबको मालूम है कि यहां घपला हुआ। यह भी सबको मालूम है कि विद्यार्थियों ने अपनी मांगें कीं, उनकी पूर्ति के लिए विद्यार्थियों ने अनशन किया। यह भी सबको मालूम है कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय के हाते से बलपूर्वक हटाये गये। यह भी सब को मालूम है कि विद्यार्थियों के ऊपर गोलियों की, लाठियों की और राजनारायण सिंह द्वारा पेश किये प्रमाणों से ईंटों वर्षा की गयी। और इस सदन के सब दलों को यह मानना पड़ेगा कि विद्यार्थियों की इस चेष्टा का नाजायज लाभ यहां के राजनीतिक दलों ने उठाया। लखनऊ के विभिन्न राजनैतिक दलों ने और लखनऊ शहर के गुन्डों ने विद्यार्थियों की इस चेष्टा का अनुचित लाभ उठा कर राजनीतिक हितों की पूर्ति का प्रयत्न किया। यह भी हम सब को मालूम है कि सरकार और मेडीकल कालेज की पोलिटिक्स और बेहूदा दलबन्दी के कारण संभवतः एक विद्यार्थी की मृत्यु हो गयी। और अन्त में हम सबको यह भी ज्ञात है और विशेषकर समाचार पत्रों द्वारा हमको यह कहा जाता है कि जब विश्वविद्यालय में इस प्रकार की चहल पहल थी तो लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय अपनी अनुपस्थिति का बहाना किये हुए थे। विवरण में अधिक न जाकर मैं आपकी आज्ञा से यह चाहूंगा कि जो दुर्घटनायें हुईं। हम उनके कारणों को खोजें कि जो घटनायें हुईं, वे क्यों हुईं और जिन कारणों से ये घटनायें हुईं, उनको खोजकर इधर और उधर के लोग, विद्यार्थी और विश्वविद्यालय के अधिकारीगण सचेत होकर ऐसा प्रयत्न करें कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनायें न होने पायें। जहां यह सवाल है कि ये घटनायें क्यों हुईं, इसका उत्तर देना सरल नहीं है और न यही सरल है कि किसी को यह कह दिया जाय कि यह उसका

[महाराज कुमार बालेन्दु शाह]

दोष है। मैं इस सम्बन्ध में यही कहूंगा कि दोष सबका है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों का दोष है और सरकार का भी उतना ही दोष है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को यह याद रखना चाहिए कि "Irresponsibility in youth may be condoned but indiscipline cannot be excused." [युवकों में अनुत्तरदायित्व क्षमा किया जा सकता है, किन्तु अनुशासनहीनता क्षमा नहीं की जा सकती।] जब तक विद्यार्थी अपनी मांग के लिए लड़ता है मैं मानता हूं कि उनकी उचित लड़ाई है। किन्तु विद्यार्थियों को यह याद रखना चाहिए था कि उनके चांसलर के पास वैधानिक अधिकार हैं जिसके अनुसार वे उनके यूनियन के विधान को परिवर्तित कर सकते थे। यदि वे चांसलर महोदय द्वारा परिवर्तित विधान से सन्तुष्ट नहीं थे तो वे उनके सामने विधिवत् वैधानिक ढंग से अपनी मांगें पहुंचाते। जहां तक विश्वविद्यालय के अधिकारियों का सम्बन्ध है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक लखनऊ युनिवर्सिटी के अधिकारियों का सवाल है, लखनऊ युनिवर्सिटी के सब कार्य हमारे एक गुप्त मन्त्री के गुप्त इशारों के अनुसार होते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों की भूल, उनकी गलती सरकार की ही भूल समझनी पड़ेगी। फिर भी विश्वविद्यालय के अधिकारियों का यह कर्त्तव्य है कि वे यह याद रखें "Respect cannot be enforced it has to be inspired." (सम्मान बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसके भाव लोगों में प्रेरित किये जाने चाहिये) और इस सम्बन्ध में सरकार को भी यह याद रखना है कि यदि विश्वविद्यालय के उच्च पद पर किसी एक ऐसे व्यक्ति को वह नियुक्त करती है जिसके लिए किसी कारण वह उचित हो या अनुचित विद्यार्थियों के बीच उतना मान नहीं है तो वह अपना काम निपुणता से कभी नहीं कर पायेगा।

अध्यक्ष महोदय, फिर जहां तक हमारी इस जनप्रिय सरकार का प्रश्न है, मेरे लिए यह गुस्ताखी होगी, यदि मैं उनको कोई आदेश दूं, लेकिन मेरा विचार है कि इस सरकार को अभी भी केवल एक ही सबक सीखना है। सब से पहला सबक वही था, किन्तु जहां तक मैं देख पाया सरकार इस सबक को अभी तक नहीं सीख पायी। इस बहुमत के अहंकार को दूर करना पड़ेगा। आज जो यहां बहुमत देख रहे हैं वह काल्पनिक वस्तु है और इस बहुमत के अहंकार को दूर करें। सरकार को यह कभी नहीं भूलना चाहिए :—

"Competency cannot go hand in hand with favouritism, nepotism and reward for services rendered."

(क्षमता, पक्षपात, नातेदारों की प्रीति और पुरस्कृत सेवाओं के साथ-साथ नहीं चल सकती।)

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, हमारे विद्यार्थीगण हमसे किसी पृथक् समाज के अंग नहीं हैं। वे हमारे सम्बन्धी हैं, निकट सम्बन्धी हैं, हमारे आत्मज हैं, और हमारे ही अंश हैं। यदि सरकार को कोई ऐसी कार्यवाही करनी पड़ी, जिसके फलस्वरूप वह घटनायें हुईं, जो लखनऊ में हुईं तो यह याद रखना पड़ेगा कि वह कार्यवाही अपने ही बच्चों के ऊपर, अपने ही बालकों के ऊपर करनी पड़ी। आज जो इस सरकार को चला रहे हैं, वे विद्यार्थियों से अलग नहीं हैं। बहुतों के बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और जो कुछ भी हुआ, या जो कुछ भी करना पड़ा, वह परिस्थिति को देखते हुए और उससे विवश होकर करना पड़ा। जो विवरण माननीय गृह मन्त्री ने इस सदन के सामने रखा है, उससे यह स्पष्ट है और उससे अधिक मतभेद की गुंजाइश भी नहीं है। कि जो कुछ भी किया गया वह मजबूरी के कारण किया गया और उसको करने में शुरू में बहुत हाथ रोकना पड़ा। लेकिन जब एक ऐसी स्थिति आ गयी, जब कि सरकार के सामने यह आवश्यक हो गया कि वह अपनी जिम्मेदारी

को बर्ते और जो उसका फर्ज है उसको पूरा करे तो उसकी हालत में सरकार को आदेश देना पड़ा और ला ऐण्ड आर्डर रखने के लिए कार्यवाही करनी पड़ी। परन्तु इस तरह की जो घटनायें घटीं, उससे इस सदन के सभी दुखी हैं। अगर किसी की मृत्यु हुई तो उस मृत्यु का शोक हम सबको है लेकिन हम परिस्थिति को भी नहीं भूल सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस घटना के पीछे एक बड़ी भारी समस्या है और वह समस्या यह है कि हम उन लोगों का मुकाबला कैसे करें, जो राज्य का परिवर्तन करना चाहते हैं लेकिन बैलट बाक्स से नहीं बल्कि नवयुवकों के कंधों पर बन्दूकें रख कर। आज नवयुवक अगर भावुक हो जावें और दूसरों के कहने में आजावें, मैं यहां पर यह स्पष्ट कर दूं कि बहुत थोड़े अंश में ही ऐसे नवयुवक विद्यार्थी हैं जो इसमें सम्मिलित होते हैं। यह बात मैंने अपने अनुभव से कहता हूं, क्योंकि मैं भी एक विश्वविद्यालय का पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ अंश में एक अध्यापक हूं और मैं जानता हूं कि ऐसे आंदोलन में बहुत थोड़े विद्यार्थी भाग लेते हैं। लेकिन विद्यार्थी समाज को राजनीति के अन्दर डालना और उनका इस्तेमाल करना कहां तक उचित है? जिस वक्त मेरे मित्र श्री राजनारायण जी बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ऐसी स्थिति यदि इंग्लैण्ड में होती, चर्चिल गवर्नमेंट में यदि यही घटना होती, जो लखनऊ तथा प्रान्त के दूसरे स्थानों पर हुई, तो एटली वहां की पार्लियामेंट में क्या कहते। वे कदापि इस तरह की बात नहीं करते जो कि यहां श्री राज नारायण जी ने की। जहां पर ला ऐण्ड आर्डर का प्रश्न है वहां सभी को एक मत से रहना चाहिए। रूल्स आफ ला का जहां तक प्रश्न है, उसमें सभी की जिम्मेदारी है। जनता की यह मांग है कि शासन अच्छी तरह चले और जो शासन में गड़बड़ी करता है, उसकी रोक थाम की जाय।

अध्यक्ष महोदय, लखनऊ में जो घटना घटी, तार काटे, लारियां जलीं, टेलीफोन बाक्स जले और जनता की सम्पत्ति का जितना नुकसान हुआ उसको क्या सरकार चुपचाप देखती और कुछ कार्यवाही नहीं करती? और इसके पीछे क्या था? इसके पीछे वे शक्तियां काम कर रही थीं, जो सरकार और जनता के सामने प्रकट रूप में नहीं आ सकतीं, लेकिन वे यह समझती हैं कि इस तरह करने से सम्भव है कि यह राज्य खतम हो जाय, यहां विप्लव हो जाय और उसके बाद कोई दूसरी रूपरेखा बने जिससे शायद वे आगे आ सकें। क्या ऐसी स्थिति में माननीय राज नारायण जी को योग देना चाहिए? क्या वे चाहते हैं कि हमारे देश में डिक्टेटरशिप आ जाय? क्या वे चाहते हैं कि हमारे देश में जो विधान है, वह समाप्त हो जाय? क्योंकि अगर वे इस सरकार से सन्तुष्ट नहीं, हैं तो उनको अधिकार है कि वे देश के सामने जावें और कहें कि यह सरकार निकम्मी है, और यदि देशवासी उनसे सहमत हों, तो वोट के द्वारा वे सरकार को पलट सकते हैं। पिछले म्युनिसिपल एलेक्शन ने यह साबित कर दिया है कि चुनाव में वास्तव में सरकार बिलकुल निरपेक्ष है। जहां जनता सरकार के विरुद्ध थी, वहां कांग्रेस भी हार गयी। तो आज कोई यह नहीं कह सकता कि वोट से हम अपनी मांगों को पूरा नहीं कर सकते।

लेकिन जहां इस सिद्धान्त को भुलाया जायगा और उन शक्तियों का साथ दिया जायगा जो विधान के सिद्धान्त को ठुकराना चाहती हैं, तो उससे देश का हित नहीं होगा बल्कि अहित होगा। श्रीमन्, समय अधिक नहीं है, मैं थोड़े से शब्दों में कहूंगा कि आज हमारे देश की परिस्थिति और भी गम्भीर होती जाती है। हमारी सरहदों के पार घटायें उठ रही हैं और बहुत मुमकिन है कि साल या दो साल के अन्दर हमारे सामने एक बड़ी भीषण स्थिति उत्पन्न हो जाय। उसके लिए क्या देश तैयारी नहीं करेगा और उसके लिए क्या माननीय राज नारायण जी का कर्त्तव्य नहीं है कि वह देश के अन्दर शान्ति स्थापना के लिए योग दें और देश को शक्तिशाली बनायें जिस से देश अपनी रक्षा कर सके। क्या राजनारायण जी ने यह नहीं देखा कि यह जो घटनायें घटीं, उसके अन्दर कौन शक्तियां काम करती थीं। मैं संकेत के भाषा में कहूंगा कि हमारे पड़ोसी देशवासियों की ओर से आसमानी लहरें दौड़ने लगी थीं और उस वक्त यहां की गलियों का नाम ले लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश की। क्या राजनारायण जी यह चाहते हैं कि हमारी जितनी योजनायें हैं, हालां कि वह किसी एक पार्टी की नहीं हैं, बल्कि देश को मजबूत करने के लिए हैं, हमारा जो कुछ कार्यक्रम है, जो देश का भविष्य है, वह बजाय उज्ज्वल होने के अन्धकारमय हो जाय। श्रीमन्, इन घटनाओं को हम सब जानते हैं। हमारे विद्यार्थी गण

[श्री शिवनाथ काटजू]

हमारे भविष्य की आशायें हैं। आगे चलकर हमारे देश में जो कुछ बनेगा उनकी ही चेष्टाओं से बनेगा। जैसा कि गृह मन्त्री जी ने कहा कि वही हमारे जनरल होंगे, वही हमारे एडमिरल होंगे और देश की रक्षा करने वाले होंगे और उनके हाथों ही हमारा देश सुरक्षित रहेगा। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों का जीवन बजाय उच्च होने के जो कि भारतीय परम्पर के अनुकूल हो और सभ्यता का प्रतीक हो, वे उसके विपरीत जायं और अपनी परम्पराओं को भूल जायं। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में रह कर वे भारत के योग्य नेता बनने की चेष्टा करें। जो कुछ यहां पर घटनायें घटीं मैं उनके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि अगर यह चिनगारी बढ़ जाती तो इस प्रान्त के अन्दर एक विप्लव का रूप अच्छी तरह से उठ जाता। हमारी सरकार ने जिस योग्यता और जिस धीरता से इस परिस्थिति का सामना किया उसके लिए देश और प्रान्त उनका ऋणी रहेगा। इन शब्दों के साथ जिन लोगों को इस घटना से दुख पहुंचा है और जो व्यक्ति मृत हुए हैं, मैं उनके परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करता हूं लेकिन साथ ही साथ पुनः यह निवेदन करता हूं कि सरकार ने जो कुछ किया है, वह मजबूर होकर किया है और अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए किया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन्, गृहमन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर माननीय नेता, विरोधी दल और नेता संयुक्त दल के जो भाषण हुए, उससे हृदय के एक बुनियादी उसूल को ठेस लगी। लखनऊ में उपद्रव क्यों हुए और लखनऊ के उपद्रवों में किन का हाथ था और बातों को अलग जाने दीजिये लेकिन उस संविधान के अन्तर्गत चुने गये लोगों के मुंह से जब हम उस तरीके की बात सुनते हैं जिस तरीके से राजनारायण जी और संयुक्त दल के नेता बालेन्दुशाह जी से सुनी तो मेरी बुद्धि परेशानी में जरूर पड़ जाती है।

(इस समय ३ बज कर ४५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

जिस जनतन्त्र और जिस संविधान के अधीन हम सब यहां चुन कर आये हैं उसमें कुछ बुनियादी बातें हैं और उनमें कुछ बुनियादी बातों की स्वतन्त्रता है, जिसमें हमें संगठन की भी स्वतन्त्रता है। संगठन की स्वतन्त्रता के सिलसिले में हमारे विद्यार्थियों में एक अजीब आन्दोलन चला और सवाल यह पैदा हुआ कि क्या विद्यार्थी विश्वविद्यालय में तभी भरती किये जायं कि जब वह यूनियन का मेम्बर होना स्वीकार कर लें। जब इस बुनियादी बात के विरुद्ध जो हमारे संविधान के अन्तर्गत मुमकिन नहीं है हमारे विद्यार्थियों ने नारा उठाया तो किन्हीं लोगों ने उन्हें मदद अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए दी। तो जाहिर है कि हमारे सामने एक ही रास्ता था कि आपकी अवैधानिक मांगें पूरी नहीं हो सकतीं। जब उनकी यह मांगें पूरी नहीं की गयीं, तब उसके पश्चात् भूख हड़ताल या दूसरी चीजों का सहारा लिया गया और एक आतंक फैलाकर मांगें पूरी करवाने की कोशिश की गयी। दूसरी ओर सरकार अपने को तभी कायम रख सकती है जब वह अपने बनाये हुए कानून को चला सके और उन लोगों को रोक सके, जिन्होंने संविधान की धाराओं के विरुद्ध आवाज उठायी है। कहा गया कि मंकी ब्रिज पर लाठी चलायी गयी और दूसरे कांड हुए; माननीय विरोधी दल के नेता ने फोटो भी दिखाये कि पुलिस कप्तान साहब किस लिए पत्थर बटोर रहे थे। सवाल यह होता है कि लाठी क्यों चलायी गयी? जब अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि आगे न आओ और बार बार कहा जाता है, लेकिन अगर अपने देश के कानून की मर्यादा को न मान कर आगे बढ़ने की कोशिश करने वालों पर जब विरोधी दल के नेता का राज्य आयेगा तो शायद फूल की मालायें पहनायी जायंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आगे भी कभी पत्थर फेंकने की बात आयी थी? क्या पुलिस वालों ने पत्थर फेंके? और केवल उन्हीं दिनों क्यों पत्थर फेंके? पुलिस के सामने जरूर एक कड़वा काम था, लेकिन उसे मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि देश में सरकार को चलाना है, जनतन्त्र को जिन्दा रखना है और जब तक हमारे दोस्तों के काबिल हाथों में राज्य पहुंचे और वह जनतन्त्र का गला घोंट न लें,

तब तक तो हमें जनतन्त्र की मर्यादा को कायम रखना ही पड़ेगा। मैं तो अब तक यह नहीं समझ सका कि विद्यार्थी आन्दोलन से सम्बन्ध किस चीज का है और कैसे क्या-क्या हुआ, कौन इसके पीछे था। माननीय गृह मन्त्री के वक्तव्य से मालूम हुआ कि उसके पीछे वह सत्ता चाहने वाले विरोधी दल के लोग हैं जिनके हृदय में देश की गद्दी पाने का लोभ है और वह भी वोट से नहीं बल्कि उपद्रव के द्वारा ही मिले तभी वह उस को पाने के लिए तैयार हैं, अन्यथा वह दूसरे देशों की सहायता और मदद से भी उसे पाने के लिए उत्सुक हैं। जो दल राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए अपने देश, समाज और भारतीय संस्कृति और संविधान के विरुद्ध कुछ भी कर सकता है, तो करे अगर ऐसी बात कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य की तरफ से आती तो मैं कह सकता था कि आपका यह नारा आपके जैसा नहीं, क्योंकि आपके राज्य में एक दल एक नारा और एक झंडे की बात चलती है, इसलिए उनसे शिकायत नहीं, परन्तु जहां तक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का सम्बन्ध है, जब वह विद्यार्थियों के नाम पर सरकार की शिकायत करते हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का राज्य होगा, तो न एक दल, न एक नारा और न एकझण्डा और न एक पार्टी रहने वाली है। तो जब उनकी पार्टी एक नारा, एक दल एक झंडे की बात नहीं मानती है, तो विद्यार्थियों में एक संगठन एक यूनियन ऊपर से लादकर विद्यार्थियों से गलत-सही बातें कह कर कैसे हाउस में वह उनके चैम्पियन बन कर बैठ सकते हैं। हममें से कोई इस सदन का सदस्य ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों से निरंकुशता और अनुशासन की अवहेलना की भावनाओं को बढ़ते देखने की इच्छा रखता हो।

(इस समय ३ बजकर ५० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसलिए जब कभी हममें से किसी की भी बात का उल्टा असर उन कच्ची मिट्टी के पुतलों पर पड़े, जो आज भी कच्ची उम्र के विद्यार्थी हैं, जो अपने जीवन में ढल रहे हैं, अभी तपे नहीं हैं, अभी पके नहीं हैं, तब उनके मस्तिष्क पर नेता विरोधी दल की तरह की बातों का क्या असर पड़ेगा? मैं आपसे यह निश्चय कह सकता हूं कि जनहित और प्रजातन्त्रवाद के हित में उनकी भावनायें बनने वाली नहीं हैं। अगर कांग्रेस पार्टी आज राज्य करती है, तो कल किसी दूसरी पार्टी का राज्य इस देश में हो सकता है और कांग्रेस पार्टी के राज्य काल में यहां के विरोधी दल के नेता इस तरह की भावनाओं को प्रोत्साहन देंगे कि कानून को तोड़ना ही शक्ति की निशानी है, कानून के विरुद्ध चलना ही शक्ति की निशानी है तो मैं उनसे आज यह निश्चय कह सकता हूं कि उनको फिर बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है उनको इस बात का मुकाबिला इसलिए न करना पड़े, क्योंकि उनको आशा नहीं है कि उनकी पार्टी भी कभी राज्य कर सकेगी, तब तो बात दूसरी है। फिर मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यह हमारे बहुत सारे दोस्त भी समझते हैं कि कांग्रेस के बाद तो कोई ऐसा दल आवेगा, तो पी० एस० पी० के नाम से तो कम से कम पुकारा जाने वाला नहीं ही होगा। बहरहाल, उस हालत में तो हम जितनी भी गैरजिम्मेदारी की बात चाहें कह सकते हैं। अगर यह ख्याल है, तो हमारी सारी बुनियादी उसूलों की बातें गलत साबित हो जायंगी। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि लखनऊ में हुए विद्यार्थी आन्दोलन के नाम पर एक गलत बात और एक गलत चीज को रखकर एक गलत ढंग से गलत आदमियों के जरिये सारे का सारा उपद्रव किया गया और सरकार ने उसमें जिस शक्ति तथा सद्बुद्धि से काम लिया, तो सरकार के लिए बजाय इसके कि उसकी बुराई की जाय हमें उसको मुबारकबाद देना चाहिए। यदि राज्य विद्रोहियों के हाथ में दे दिये जाने की बात हो तब तो सरकार सड़कों से पुलिस हटा ले, सारी व्यवस्था खत्म कर दे, बल्कि एक बार में यह सदन यह कर सकता है कि इस देश में, इस प्रदेश में अब राज्य रहना ही नहीं है, वह फाइनल स्टेज आ गयी है कि अब स्टेट 'विदर अवे' हो जाय और आज से सब आदमी अव्यवस्थित पर स्वतन्त्र हैं। पिछले दिनों में श्रीमन्, अनार्की के मुकाबिले में हमारे प्रदेश में, इस सरकार ने जिस शानदार तरीके से खड़े होकर देश की और देश हित की रक्षा की है, उसके लिए मैं उसे मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के भाई जब कोई बात उठाया करें तब कम से कम प्रजातन्त्रवाद को, हमारे संविधान की धाराओं को भूलने की कोशिश न किया करें।

अन्न मन्त्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मन्त्री जी के वक्तव्य पर मैं आशा नहीं करता था कि माननीय विरोधी दल के नेता तथा संयुक्त दल के नेता इस प्रकार के विचार व्यक्त करेंगे। देश के अन्दर हिंसा या देश को बरबाद करने वाली प्रवृत्तियों या वाद-विवाद को इस प्रकार नहीं बढ़ने देना चाहिए। यदि हम सब लोगों की श्रद्धा इस संविधान के अन्दर है और हम चाहते हैं कि हमारे देश के अन्दर जनतन्त्र का विकास हो तो हम सबको इस प्रकार की प्रवृत्तियों का दमन करना होगा। जनता के अन्दर विधान के प्रति, संविधान के प्रति, अहिंसात्मक प्रवृत्तियों के प्रति हमको श्रद्धा पैदा करनी होगी। मुझे यह जानकर दुख हुआ कि जो कुछ भी लखनऊ के अन्दर हुआ या अन्य स्थानों पर हुआ, उनकी निन्दा करने के लिए एक भी शब्द मान्य विरोधी दल के नेता की जबान से नहीं निकले। इसका अर्थ यह होता है कि वह इन सब चीजों का समर्थन करते हैं। अपनी दलीलों के अन्दर आपने यह भी कहा कि जब वहां पर पुलिस की तरफ से इस प्रकार का व्यवहार हुआ हो तो क्या वहां पर मालाओं से उनका स्वागत किया जाता। तो क्या वह इस बात का समर्थन करते हैं कि इन हिंसा की प्रवृत्तियों को एक उत्तेजना दें और देश के अन्दर एक हिंसात्मक भावना पैदा हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश के अन्दर एक ही प्रकार से शासन और शान्ति व्यवस्था चल सकती है। या तो आन्तरिक नियन्त्रण हो, नहीं तो फिर वाह्य नियन्त्रण आज लाना पड़ेगा। आज हमारे देश में ऐसा मालूम पड़ता है कि अंग्रेजी राज्य के समय जिस प्रकार की प्रवृत्तियां काम कर रही थीं, उनको हम आज फिर से दुहराना चाहते हैं। जब सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया गया था, उस वक्त कांग्रेस के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री शंकरन नायर ने एक किताब लिखी थी "गांधी जी और अनार्की"। उसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह देश के अन्दर एक कानून भंग करने की भावना घर कर जावेगी और फिर किसी के लिए भी यहां पर अपनी सरकार का चलाना नामुमकिन हो जायगा। गांधी जी ने कहा था, "मैं जानता हूं कि मैं आग के साथ खेल रहा हूं, लेकिन मुझको हिन्दुस्तान की आजादी के लिये यह खतरा मोल लेना पड़ेगा।" अंग्रेजी सत्ता के सामने कोई चारा नहीं था वहां पर क्योंकि वोट के बल पर सत्ता को नहीं बदला जा सकता था। गांधी जी चलते थे ब्रेक लगा कर, गांधी जी बराबर अहिंसा पर जोर देते थे। माननीय विरोधी दल के नेता कहते थे कि ६० घंटे तक कर्फ्यू लगाया, मैं कहता हूं कि आपको मुबारकबाद देना चाहिये क्योंकि अगर आप की यही प्रवृत्तियां रहीं तो जनता की शान्ति की रक्षा के लिये, जनता के धन और जन की रक्षा के लिये शायद १२० घंटा का भी कर्फ्यू लगाना पड़े। एक चौरा-चौरी की घटना हुई तो सारे का सारा आन्दोलन समाप्त कर दिया गया। यह था हिन्दुस्तान के नेतृत्व का बल। क्या आपके अन्दर यह साहस था कि आप इन हिन्सात्मक प्रवृत्तियों को अपने नैतिक बल के साथ रोक देते। अब आप तुलना करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में जनता की? क्या आपको मालूम नहीं है कि कम्युनिस्टों की स्ट्रेटेजी में, लेनिन के लेखों में, स्टैलिनिज्म के अन्दर उनका यह सिद्धान्त है कि अराजकता पैदा करो? उनका सिद्धांत है कि मजदूरों को, विद्यार्थियों को तुम अपना अड्डा बनाओ और अशान्ति पैदा करके, जनता के वोटों के द्वारा नहीं बल्कि हिंसा के द्वारा सरकार की मशीनरी पर क़ब्ज़ा करो।

मैं जानता हूं कि राजनारायण जी एक द्वंद्व के अन्दर पड़े हुये हैं। एक तरफ तो वे कम्युनिज्म का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ़ उनके महान् नेता जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि आज रूस के अन्दर जनतंत्र-वाद नहीं अभिनायकतंत्र-वाद है, वहां पर नंगी तलवार का राज्य है। वह हिंसा की निन्दा करते हैं लेकिन उनको जनता से इस क़दर निराशा हो गई है कि वह निराशा के अन्दर राजनीतिक विवेक को भूल करके सत्ता को हाथ में लेने के लिये उतावले हो कर उन्हीं क़दमों पर चलना चाहते हैं जिनको कम्युनिस्ट अपना कर चल रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रवृत्तियां बड़ी खतरनाक़ हैं। एक तरफ तो यह कहना कि हम युनिवर्सिटियों के अन्दर एटोनामी करना चाहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की एटोनोमी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? एटोनामी के सबसे बड़े शत्रु ये राज-

नीतक दल है। स्वयं आपके नेता आचार्य कृपलानी ने अभी हाल में कहा "विद्यार्थियों को मूर्ख बनाना बड़ा आसान है।" उन्होंने दूसरे सेंटेंस के अन्दर कहा, 'क्योंकि वह तो मूर्ख हैं ही, यदि न होते तो विश्वविद्यालय में क्यों आते ?" मैं समझता हूं कि सत्य को जान करके विरोधी दल के लोग विद्यार्थियों को अपना राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहते हैं।

कहा जाता है कि हम किस प्रकार के नियम बनायें जिसके अन्दर कोई मंत्री, कोई सरकार का व्यक्ति विश्वविद्यालय में न हो। मैं पूछना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के कौन से क़ानून के मातहत आप उसकी कोर्ट की स्दस्यता से एक मिनिस्टर को और दूसरे लोगों को हटाना चाहते हैं ? क्या यह वाक़यात नहीं है कि डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी हिन्दू महासभा के नेता कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप-कुलपति थे ? क्या आप नहीं जानते कि डाक्टर जयकर भी एक लिबरल पार्टी के नेता हैं ? हंसा मेहता हैं, सी० पी० रामास्वामी अय्यर और श्री मुदा-लियर हैं, आचार्य नरेन्द्र देव हैं। तो आपका असल मक़सद यह है कि आप चाहते हैं कि आप राजनीति का प्रवेश यूनिवर्सिटीज के अन्दर करें। आप चाहते हैं कि चूंकि कांग्रेस के ऊपर तो इस सरकार की जिम्मेदारी है तो आप सिद्धांत की आड़ के अन्दर एक विरोधी राजनीति का वहां पर अड्डा बनाएं। क्या सन् १९३८ में आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि यूनिवर्सिटीज के अन्दर कोई वाइस चांसलर, कोई एग्जिक्युटिव का सदस्य, कोई मिनिस्टर न बने ? क्या सर राधा कृष्णन की रिपोर्ट के अन्दर इस प्रकार का कोई भी जिक्र है ? क्या किसी युनिवर्सिटी की एग्जिक्युटिव ने, क्या किसी वाइस-चांसलर्स के किसी भी मण्डल ने इस तरह का प्रस्ताव पास किया है ? आप परस्पर विरोधी बातें करते हैं। एक तरफ एटोनामी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप सरकार का सहारा लेते हैं। उसके अन्दर मंत्री न हो तो आप क्यों कोर्ट के सामने जाने से डरते हैं ?

मुझे तो बड़ा खेद हुआ श्री बालेन्दुशाह के शब्दों को सुन कर के जहां पर किसी उप-कुलपति का मान नहीं है, वहां पर वह क्यों रहें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस प्रान्त में क्या इस देश में कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जिसमें एक छोटा सा अल्प-मत यदि किसी उप-कुलपति की टोपी उछलवाना चाहे तो न उछलवा सके। यहां पर आचार्य नरेन्द्रदेव उपकुलपति रहे। उनकी तरफ एक ऊंगली नहीं उठी। आगे चल कर जब आचार्य जुगुल किशोर पद ग्रहण करते हैं, तो उससे कौन सा आसमान गिरने वाला था, कौन सा राजनैतिक उद्देश्य था कि डिमांस्ट्रेशन किये जाते हैं। ब्रिटिश राज्य के अन्दर जब कि यह युनिवर्सिटीज ब्रिटिश सत्ता को कायम रखने के लिये क़ायम की गयी थीं, क्या हमने कभी उप-कुलपतियों या चान्सलर्स की एफीजीज निकाली थीं ? क्या हमने उस वक्त में इस प्रकार तोड़ फोड़ के काम किये थे ? हम भी विद्यार्थी थे। हम लोगों को गर्व है कि हम एक शानदार ढंग से, हिन्दु-स्तान की संस्कृति के मुताबिक और बुद्ध और महात्मा गांधी के आदर्शों के मुताबिक़ ब्रिटिश सरकार को चुनौती देते थे। उस वक्त के आचार्य, उस वक्त की जनता और उस वक्त की सरकार हमारे शब्दों का यक़ीन करती थी। हम लोग अगर जेल जाते थे, तो हम उनको चुनौती दे कर के जाते थे। यह एक हमारा तरीक़ा था। एक तरफ आटोनामी का स्वांग था और दूसरी तरफ़ आपके शब्दों में डिमोक्रेसी का अर्थ यह होता है कि आप विद्यार्थियों को तोप का फाडर बनाना चाहते हैं। आप उतावले हो गये हैं। अगर डिमोक्रेसी के अन्दर आप चाहते हैं कि वे रेल्स के मानिन्द हों उनपर कोई इंजन चले और यह सर्विसेज बिलकुल राजनीति से ऊपर चलें, तो क्या आपके सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य उस इंफेक्शन को ले करके यहां जनता की सरकार का भार ग्रहण कर सकेंगे। जो कल तक एक यूनियन का सेक्रेटरी है, एक पार्टी का सदस्य है, क्या वह कभी चीफ़ सेक्रेटरी और हमारा एक विश्वासपात्र आफिसर बन सकेगा ? गम्भीरता के साथ सोचिये। हमको यह परम्परा क़ायम करनी होगी कि विद्यार्थी राजनीतिक शोषण के शिकार न हों। आज जो कुछ भी हुआ देश के लिये एक लज्जा की चीज है। मैं जानता हूं कि विद्यार्थी लोग गम्भीरता से सोचेंगे। विद्यार्थियों का खून किया गया है, विद्यार्थियों का शोषण किया गया है, जिनके नाम पर इस वक्त आंसू बहाये जाते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक सत्ता की लोलुपता को पूरा करने के लिये इन निहत्थे लोगों की हत्यायें की गयी हैं और इनका खून आप लोगों के सिर पर है जिन्होंने यह सब कराया।

[श्री बनारसी दास]

इसलिये मैं विद्यार्थियों से भी आप के द्वारा, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि आज आज़ादी खतरे के अन्दर है, जनता की आज़ादी खतरे के अन्दर है, इसलिये इस आज़ादी की रक्षा कीजिये और हम भी साहस के साथ विश्वविद्यालयों को और इस विद्या मंदिर को राजनीतिक कुचक्र का केन्द्र नहीं बनने देंगे। हम इस विद्या मंदिर को देश की प्रयोग-शाला बनायेंगे, जहां विद्यार्थियों की प्रतिभा का विकास होगा, अनुसंधान होगा और तमाम राष्ट्र को उनके अनुभव से लाभ हो, तटस्थता के साथ, निर्भीकता के साथ विद्यार्थियों को विद्याध्ययन करने का मौक़ा होगा लेकिन किसी भी सत्तालोलुप व्यक्ति के लिये स्थान नहीं होगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यानपूर्वक माननीय गृह मंत्री जी का भाषण सुना और उसके बाद अपने कुछ और भाइयों के भाषण सुने। मैं उनके भाषणों का तो कुछ जवाब देना नहीं चाहता, वह इसलिये कि वे आज इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं रखते थे। जहां तक इस प्रदेश का सवाल है आज हमारे प्रदेश के अन्दर जो कुछ हुआ इस विद्यार्थी आन्दोलन को ले करके उसमें सरकार का कितना हाथ था, सरकार की कितनी जिम्मेदारी थी और पार्टीज़ की कितनी जिम्मेदारी थी उस पर भी हमें इस सदन के सामने विचार करना है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारी गवर्नमेंट ने बिना जाने बूझे बिना अच्छी तरह इंक्वायरी करवाये, इस सारे उपद्रव का जो कुछ भी श्रेय था उसके लिये कम्युनिस्ट पार्टी को मार्टर बना दिया है और कहा कि विद्यार्थी आन्दोलन में जो कुछ हुआ वह कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है और मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि कौन से कम्युनिस्ट आपने पकड़ डाले या कौन से पी० एस० पी० के मेम्बर आपने पकड़ डाले जब कि आप कहते हैं कि इन दोनों पार्टियों ने ही इस आन्दोलन को चलाया। आज हमारे माननीय मन्त्री जी ने इस सदन के सामने जो फैक्ट्स रखे उससे यह पता चलता है कि न तो इस सरकार का दोष, न पुलिस का दोष और न ही कांग्रेस पार्टी का दोष है।

विद्यार्थियों ने एक जुलूस निकाला और जब वह युनिवर्सिटी वापस जा रहे थे तो पुलिस वालों ने उनसे खड़े हो कर कहा कि तुम युनिवर्सिटी की तरफ नहीं जा सकते हो। विद्यार्थियों के पास न तो कोई डंडा था, न उनके पास कोई रिवाल्वर थे और न उनके पास कोई तोपें थीं। वह सिर्फ अपनी युनिवर्सिटी में जा रहे थे। उधर से पुलिस वालों ने उनका पत्थरों से सामना किया। उसके बाद श्रीमन्, पुलिस वालों ने लाठियों से मारा। एक लड़की के श्रीमन्, पुलिस वालों ने बाल खींचे। मैंने लड़की से पूछा तो उसने कहा कि पुलिस वालों ने उसके बाल खींचे। बाल खींचने के बाद श्रीमन्, यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि अगर विद्यार्थियों के कोई जोश भी आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लड़कियों पर जुल्म किया जा रहा हो तो श्रीमन, कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो कि रुक जाय। फिर भी लड़कों ने कोई लूटमार नहीं की और पुलिस वालों ने टीयरगैस डाली और बाद में गोली चलायी। वहां पर सिर्फ एक रिक्शे वाला मरता है और बाज़ दो चार और घायल हो जाते हैं। अगर वहां विद्यार्थी होते और वे पुलिस पर हमला करने वाले होते तो उनको भी चोट लगती लेकिन सिर्फ एक दो विद्यार्थियों के चोट लगी है। तो क्या किया विद्यार्थियों ने? आज यह कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों ने बड़े बुरे नारे लगाये कि लखनऊ में तीन चोर, गुप्ता, मुंशी, जुगुल किशोर। आज यह दिखाया जा रहा है कि लड़के बड़े बेहूदा नारे लगा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, लड़कों के जो प्रतिनिधि थे, यूनियन के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जा कर के माननीय चन्द्रभानु गुप्ता जी से हमारे गवर्नर महोदय से और श्री जुगुल किशोर जी से माफ़ी मांगी और जो ऐसे नारे लगे थे उनको कंडेम किया। कोई भी पार्टी इस बात को सपोर्ट नहीं कर सकती है कि इस तरह से ग़लत नारे लगाये जायं हमारे नेताओं ने भी इसका खण्डन किया।

आज हमारे बनारसी दास जी कहते हैं कि किसी ने कुछ किया ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि किसने इसे कंडेम नहीं किया। हम कभी भी बरदाश्त नहीं करेंगे कि कोई पार्टी इस तरह का

उपद्रव हमारे यहां करे। लेकिन यह क्या सबूत है कि सारे सूबे में उपद्रव करने का कार्य विद्यार्थियों का था। अगर वह पोस्टआफिस जलाना चाहते, अगर वह तार काटना चाहते, अगर वह सरकारी बिल्डिंग जलाना चाहते तो क्या युनिवर्सिटी में तारघर नहीं था, क्या युनिवर्सिटी में टेलीफ़ोन के तार नहीं थे, क्या युनिवर्सिटी में सरकारी बिल्डिंग्ज नहीं थीं। लेकिन वहां कोई टेलीफून नहीं काटा गया, कोई तार घर नहीं जलाया गया। बाजार में सारा उपद्रव तो गुन्डों ने किया। लेकिन इस पर यह कहना कि यह कम्युनिस्टों ने किया या सोशलिस्ट पार्टी ने किया यह सर्वथा अनुचित है। अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम यह है कि जो स्टूडेण्ट्स जेनरेशन है, जो आज कल के नवयुवक हैं वे किसी भी हालत में कांग्रेस में शरीक होने के लिये तैयार नहीं हैं, वे किसी दूसरी तरफ ही जांयेगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये सदन को बतलाना चाहता हूं कि जब यह उपद्रव लखनऊ में हुये उस समय मैं लखनऊ में ही था। यदि मैं कोई बयान अखबारों में निकाल देता तो सभी लोग यही कहते कि लखनऊ में बैठे हुये आप उपद्रव करा रहे हैं। उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी यहां थे तो मैं इस बात को पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश का सब से बड़ा शहर होते हुये और यहां पर सरकार का हेड होते हुये और मुख्य मंत्री के रहते हुये ६० घंटे तक इस शहर में कर्फू लगा रहे और बिलकुल हुकूमत खत्म हो जाये, पुलिस का ठीक तरह से प्रबन्ध न हो। कहीं-कहीं दो चार पुलिस वाले दिखाई दे जाते थे और उपद्रव भी कोई ऐसा नहीं था जिसमे ६० घंटे का कर्फू लगाया जाता यह बड़े शर्म की बात है। इसने सारे प्रान्त की हवा खराब कर दी। यदि यह बात जिले की होती तो बात दूसरी थी लेकिन जहां पर मुख्य मंत्री जी हों और सभी सरकारी बड़े-बड़े अफसर हों वहां इस तरह की घटना का होना शर्म की बात है। मैं तो यह कहूंगा कि इस हालत को गवर्नमेंट के बड़े-बड़े अफसरों ने ठीक तरह से हैंडिल नहीं किया। कानपुर के अधिकारियों ने अपने यहां की हालत को ठीक तरह से हैंडिल किया इसलिये वहां कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इस-लिये अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहूंगा कि इस की सारी जिम्मेदारी सरकारी अफसरों पर है जो इस उपद्रव के लिये जिम्मेदार हैं। जहां तक नारों का सम्बन्ध है मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या विद्यार्थियों ने इन भद्दे नारों के लिये माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी से माफी नहीं मांगी। इसके अलावा हम लोग भी इसको कन्डेम करते हैं और जो यह हिंसात्मक कार्यवाही की गयी उसको भी कन्डेम करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा अपना देश तरक्की करे। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसके पीछे कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ है कोई कहता है कि इसमें पाकिस्तान वालों का हाथ है तो कोई कहता है कि यह जो मूवमेंट हुआ वह मास्को द्वारा स्पान्सर्ड था। तो मैं कहता हूं कि विद्यार्थियों में कांग्रेसियों के बच्चे भी पढ़ते हैं, जन संघियों के भी बच्चे पढ़ते हैं और दूसरी पार्टी के लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं तो जब सब बच्चों ने देखा कि लड़कों पर इस तरह के जुल्म हो रहे हैं, लड़के मारे जा रहे हैं तो वह सब मिल कर इसके खिलाफ खड़े हुये और उन्होंने जलूस आदि निकाले।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय दारुलसफा के सामने बसें जल रही थीं लोग तार के खंभों को जला रहे थे तो उस समय उनको रोकने के लिये पुलिसवाले नहीं थे। मैं समझता हूं कि सरकार यह चाहती थी कि जो प्रापर्टी जलाई गयी है उसे न बुझाया जाय ताकि जो विद्यार्थी गोली से घायल हुये हैं तो यह सरकार दिखाये कि इस तरह का विद्यार्थियों ने उपद्रव किया है। इस तरह से तीन रोज तक आग जलती रही ताकि लोग यह समझें कि यह विद्यार्थियों के कारनामे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज यह कहा जाता है कि विद्यार्थियों ने बड़ा भारी उपद्रव हमारे इस प्रान्त में किया तो अध्यक्ष महोदय, उस दिन जब मैं ५ बजे पब्लिक एकान्ट कमेटी खत्म करने के बाद बाहर पहुंचा तो देखता क्या हूं कि पुलिस के बड़े बड़े अफसर आई० जी, डी० आई० जी० एक पुलिस अफसर को अजीब शकल बना कर लाये उसको बिलकुल बहु-रूपिया बना रखा था, मैंने कहा कि यह किसी मिनिस्टर को दिखाने आये हैं कि किस तरह से विद्यार्थियों ने इस आफिसर को मारा है इसलिये उन्होंने गोली चलाई। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, परमात्मा शरण, एम० एल० सी० के नौकर को पुलिस पकड़ ले गई। जिसको १७५ मील पर छोड़ा जो कि तीन दिन के बाद मिला। श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय, मुझे भी कर्फू का

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

पास नहीं मिल पाया अस्पताल जाना भी मुश्किल हो गया था। ऐसा कर्फ्यू पहले कभी देखा नहीं था। मैं एम० एल० ए० का पास लिये फिरता था। लोगों ने कहा कि आप लाल टोपी पहनते हो कहीं एक आध जगह पीट न दिये जाओ। श्री बेचन राम जी को पकड़ लिया गया और उनकी टोपी उतार ली। यह बात जरूर थी मैं इसको मानता हूं। लेकिन अपने विद्यार्थियों की इसकी जिम्मेदारी नहीं थी ऐसे खराब काम के लिये हम किसी को सपोर्ट यहीं कर सकते हैं। जो भी अहिंसात्मक तरीके से काम करेगा उसी का हम साथ देंगे और हम गुंडागिरी के काम में कभी भी सहायता नहीं देंगे और न साथ देंगे। आज गवर्नमेंट को सोचना चाहिये कि स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से पेश आना चाहिये जिससे हमारे देश की भलाई हो। यदि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो हमें तो उसका फल नहीं भुगतना होगा बल्कि उनको ही भुगतना होगा।

श्रीमती सईदजहां मख़फ़ी शेरवानी (ज़िला एटा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से इस वक्त बिलकुल आज़ादाना और गैर जानिबदाराना खयालात आप के सामने रखना चाहती हूं। यह मामला मेरे लिये बड़ा ही कठिन है। एक तरफ तो ला एंड आर्डर का सवाल है और दूसरी तरफ मेरे सामने डिसिप्लिन का सवाल है। एक तरफ तो मेरे सामने मासूम बच्चे हैं और दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट है। इन दोनों को एक तराजू के एक पल्ले पर रखना हमारा अव्वलीन फर्ज़ है।

इस मामले में जो गड़बड़ी हुई है, मैं समझती हूं कि जितने हम लोग मेम्बर्स हैं शायद हम लोगों की कोताही के सबब से ही हुई है। हम लोग यहां पर ४३० या शायद ४३१ हैं क्या हम लोग इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते थे? क्या हम अपने बच्चों को समझा नहीं सकते थे? जो जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट की है उसके हिस्सेदार हम भी हैं। गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी भी इस बुराई और कोताही की बराबर जिम्मेदारी है। ईमानदारी हमको मजबूर करती है कि हम भी इस जिम्मेदारी में अपना हिस्सा बंटायें।

मैंने कई दफा कोशिश भी की। उस वक्त मैं यहीं पर थी। जिस वक्त हमारे यहां यानी दारुलशफा में बच्चे आये तो उस वक्त मैं जाने लगी तो मेरे पड़ोस में चिरंजीलाल जी हैं, उन्होंने मुझ से मना किया कि आप न जाइये। लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं जरूर जाऊंगी। उस वक्त शेरवानी जी भी यहीं मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि आप इस वक्त बाहर न जायें लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं जरूर जाऊंगी। मैंने बाहर जा कर बच्चों से पूछा कि आप की आखिर शिकायत क्या है? नारे लगाने से तो महज़ काम नहीं चल सकता है। नारों से अगर आपका अखलाक़ अच्छा होता, आपका कुछ भला होता तो मैं भी कहती कि आप एक नहीं बल्कि चार नारे और लगाइये। लेकिन इससे कुछ होना नहीं है। इसलिये मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप लोग अपने मतालबात को रखिये और फिर अगर हम जिम्मेदारी न लें तो इल्जाम लगाइये। इसका जवाब किसी स्टूडेंट ने नहीं दिया। इससे साफ़ ज़ाहिर है कि उनमें उस वक्त भी डिसिप्लिन कायम था। अगर उनका डिसिप्लिन खत्म हो गया होता तो ज़ाहिर था कि वह दस गालियां मुझको भी दे सकते थे, क्योंकि मैं उस वक्त गवर्नमेंट की एजेन्ट समझी जाती और बात भी यही थी मैंने गवर्नमेंट की पोज़ीशन को महफूज़ रखते हुये उन लोगों से बातें की थीं। लेकिन वह चीज़ मेरे सामने नहीं आई। इससे मेरे ऊपर बड़ा भारी असर हुआ। एक तरफ मेरे बच्चे हैं और एक तरफ हमारी जिम्मेदारी है और जनता की जिम्मेदारी है उसीलिये हम यहां पर जमा होते हैं। हम जनता की तरफ से जिम्मेदार हैं। इससे कहीं करोड़ों गुनी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। इसलिये कि उसको बच्चों में डिसिप्लिन भी क़ायम रखना है और दूसरी तरफ ला एंड आर्डर भी मुल्क में बराबर क़ायम रखना है।

मैं आप लोगों को यक़ीन दिलाना चाहती हूं कि गवर्नमेंट की हमदर्दी उन के लिये है। गवर्नमेंट और कहीं की नहीं है। गवर्नमेंट भी उन्हीं की है। हर बच्चा या स्टूडेंट गवर्नमेंट का ही बच्चा है। फिर जब ऐसी बात हो जाय तो क्या उसके दिलमें कुढन न होगी।

यक़ीनन बात यह है कि गवर्नमेंट ने उनके मतालबे पूरे किये यह इस बात का सबूत है। लेकिन कब जब कि इतना झगड़ा हो गया और इतनी अबतरी के बाद। क्या गवर्नमेंट पहले इन मतालबों को पूरा नहीं कर सकती थी, यक़ीनन कर सकती थी। लेकिन सही तौरसे इसको कंट्रोल नहीं कर पाये। इसकी वजह यह है और जहां तक मैंने इस मामले की बारीकी पर ग़ौर किया है वह यह है कि इसमें एक तीसरा ही फैक्टर है।

स्टूडेंट्स का जहां तक ताल्लुक़ है, ला ऐंड आर्डर का जहां तक ताल्लुक़ है ज़ाहिर है, वह बराबर है। क़ानून के निफाज़ के लिये जो अख्तियारात (अथारिटीज़) को दिये जाते हैं वह उनको उसकी नज़ाक़त को देख कर इस्तेमाल करती है।

अगर मुझ से मेरा बच्चा बदजन हो जाय, जैसे कि आजकल तरह तरह के तरीके चल रहे हैं, कोई कम्युनिस्ट है, कोई सोशलिस्ट है, तो कोई-कोई और कुछ है, एक ही घर में एक बाप के अगर चार बच्चे हैं, वे चार तरफ जाते हैं, बड़ी-बड़ी शिकायतें उनसे हो जाती हैं तो क्या उनके लिए मैं पुलिस को घर में बुलाऊंगी। इसकी सारी जिम्मेदारी वाइस चांसलर की थी। क्या वाइस चांसलर यह नहीं समझते थे कि वे किन बच्चों के साथ और कैसा बरताव कर रहे हैं और गवर्नमेंट को किस नाज़ुक पोजीशन में डाल रहे हैं। देश की जो हालत हो रही है, उसके अन्दर उनको अपना पूरा कन्ट्रोल कायम रखना चाहिए था और हर तरह से समझने बुझाने की कोशिश करनी चाहिए थी और पुलिस को अन्दर नहीं बुलाना चाहिए था और पुलिस की इन्टर-फियरेंस के लिए गवर्नमेंट को खबर नहीं देनी चाहिए थी। जब यह मसला गवर्नमेंट के सामने आ गया तो यह गवर्नमेंट का फर्ज था कि वह पुलिस को हुक्म देती और वहां की हालत पर कन्ट्रोल करती। अगर वह ऐसा न करती तो अपना फर्ज अदा न करती। और इस तरह से उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी होती। अब देखना है कि इस चीज को कन्ट्रोल कौन करता है। गवर्नमेंट के पास जो रिपोर्ट जाती है, वह भी यूनिवर्सिटी से भेजी जाती है। पढ़े लिखे बच्चों पर कन्ट्रोल करना आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत बड़े आलिम होने की जरूरत नहीं बल्कि एक अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेटर होने की जरूरत है। मामूली ऐडमिनिस्ट्रेटर तो जाहिलों पर हुकूमत करते हैं लेकिन यहां पढ़े लिखों पर हुकूमत करने का सवाल है। हमारे देश की फ्यूचर की जो भी पालिसी होगी, उसके बनाने वाले ये बच्चे हैं, हमारे देश की आजादी को कायम रखने की जिम्मे-दारी इन्हीं बच्चों पर है। अगर वह उस नाज़ुक वक्त पर थोड़ा अच्छी तरह से काम लेते तो हम लोगों को इतनी दिक्कतें न उठानी पड़तीं। जो हमें पिछले चुनावों में उठानी पड़ीं।

मुझे पूछा गया कि मैंने लड़कियों के साथ क्या किया। मैंने उनको जवाब यह दिया कि उस वक्त जब मैं आपके सामने आयी थी, तो आपने मुझको अपना नुमाइन्दा क्यों नहीं बनाया। अगर आपने ऐसा किया होता तो मैं गवर्नमेंट से जाकर कहती और आपका मामला गवर्नमेंट के सामने रखती और उसके बाद भी अगर गोलियों की नौबत आती तो पहले गोली मेरे लगती बाद को आपके। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसका नतीजा यह हुआ कि वे मेरे साथ आ गयीं। किसी अपोजीशन वाले ने मेरा विरोध नहीं किया और मैं हर जगह कामयाब हुई। इन सब बातों को देखते हुए मैं यही समझती हूं कि जो सही चीज है, उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। मामला यह है कि जब कोई भड़क जाता है तो लोग उसे और भड़काते हैं गुन्डे इसकी ताक में रहते हैं और ऐसे मौके पर तरह-तरह की बातें पैदा हो जाती हैं और हर शख्स अपने माइन्ड का बैलेंस खो देता है, लेकिन जिम्मेदारी उसी शख्स की होती है, जिसके कन्ट्रोल में वह चीज होती है। यह खुद यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी थी, कि उसने गवर्नमेंट को इस तरह से मजबूर कर दिया कि उसको पुलिस के जरिये से इन्टरफियर करना पड़ा। अगर उनकी तरफ से कोई चीज न होती, तो कुछ भी न हुआ होता। यूनिवर्सिटी की अथारिटीज़ और वाइस चांसलर ने एक ऐसी नाज़ुक हालत पैदा कर दी और गवर्नमेंट को मुसीबत में डाल दिया। वह तो इन्टरनल मामला था, उसमें बाहर से दखल की क्या जरूरत थी। बच्चे अगर गलती करते हैं और माफी मांग लेते हैं तो उनको माफी दी जानी चाहिए। माफी मांगने के बाद सख्ती करना एक बेजा चीज है। अपने बच्चों के साथ और गुन्डों के साथ अलग-अलग तरह से बरताव

[श्रीमती सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी]

किया जाता है। गुन्डों को सुधारा जाता है और बच्चों को तो उनसे भी ज्यादा सुधारा जाता है और उनके साथ ज्यादा सख्ती की जाती है, लेकिन उनके साथ और गुन्डों के साथ अलग अलग तरह का बरताव किया जाता है। मेरी जो राय थी, उसको मैंने हाउस के सामने रख दिया और मैं समझती हूं कि इसमें गवर्नमेंट का दोष है, और न स्टूडेंट्स का, बच्चों से अगर कोई गलती भी हो जाती है, तो उसको माफ भी कर दिया जाता है, लेकिन जो दोष है, वह वाइस चांसलर का है।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही गौर के साथ माननीय गृह मन्त्री जी का बयान सुना। जिस तरह विस्तार के साथ और छानबीन के बाद गम्भीरतापूर्वक और दृढ़ता के साथ बयान उन्होंने दिया उसके लिए हम उनको बधाई का पात्र समझते हैं। वास्तव में माननीय नेता विरोधी दल के भाषण से मुझे तो बड़ी निराशा हुई। मुझे तो ऐसा लगा कि न तो उनके भाषण से इस समस्या पर कोई प्रकाश पड़ा, न उनके कारणों पर ही उन्होंने कोई प्रकाश डाला। मैं तो समझता हूं कि हमारे माननीय मित्र मदन मोहन उपाध्याय जी ने जो भाषण दिया, वे इस समस्या पर कहीं अधिक प्रकाश डाल सकें उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा कि जहां तक विद्यार्थियों का सवाल है, गुंडाइज्म से उन्हें अपने को अलग ही रखना चाहिए। और जो कुछ तोड़-फोड़ हुआ, या सरकारी और सार्वजनिक धन का नाश हुआ, उसकी उन्होंने निन्दा की। यह एक बहुत बड़ी देन है, जो उन्होंने इस समस्या के ऊपर विचार प्रकट किया है। मैं तो यह समझता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल को चाहिए था कि वे इस बात को समझते कि जितनी शान्ति के साथ ऐसे व्यापक विद्रोह को और अशान्ति की भावना को इस सरकार ने शान्त कर दिया उसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। यह सही बात है कि कोई भी सरकार गोली के बल पर काम नहीं कर सकती है। मैं माननीय नेता विरोधी दल को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इस बात को जितना हम समझते हैं, उतना शायद वे नहीं समझते। आज प्रजातन्त्र का युग है, यह सरकार जनता की ही बनायी हुई है। आज के युग में जिसके ऊपर जनता को विश्वास न हो, उस सरकार को जनता बाहर निकाल सकती है। इसके लिए इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि हमारे विद्यार्थियों को इस आन्दोलन में लाया जाय या उनको आगे खड़ा किया जाय। माननीय नेता विरोधी दल ने दो-तीन बातें कहीं जिनकी तरफ मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एक बात तो उन्होंने यह कही कि विश्वविद्यालय विद्या भवन हैं, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। उन्होंने पुलिस की शिकायत की और उन्होंने यह भी कहा कि इस आन्दोलन के सिलसिले में बहुत से घरों में पुलिस घुस गयी और उन्होंने यह भी बतलाया कि चन्द आदमियों के चोटें भी लगीं। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जैसा माननीय गृह मन्त्री जी ने बतलाया कि अगर विद्या भवन में विद्यार्थियों पर अत्याचार किया गया तो जरूर गलत है लेकिन विद्यार्थियों की आड़ में कोई पोलिटिकल गुट हो जाय जो पीछे से आक्रमण करे तो क्या उसको चुपचाप देखा जा सकता है। अगर आप इतिहास के पन्नों को उलटें, तो आपको मालूम होगा कि जब हिन्दुस्तान पर बाहर से हमला हुआ तो दुश्मनों ने गायों की एक पंक्ति आगे खड़ी कर दी और हिन्दुस्तान को जीत लिया। तो हमें तो पिछले इतिहास से सबक लेना चाहिए। अगर विद्यार्थी भवन से कोई पार्टी हमला करे तो ऐसी हालत में क्या हम पीछे हट जायं? अगर हमारे विद्रोही इस स्थिति से लाभ उठाना चाहें, तो क्या हम थोड़े से विद्यार्थियों के लिए उनको इस बात का मौका दें कि वे अपनी गैर जिम्मेदारी से सरकार का चलना भी मुश्किल कर दें। अगर अमीनाबाद के घरों से जनता के ऊपर, राह चलने वालों के ऊपर हमला हो, तो क्या पुलिस का यह कर्तव्य नहीं है कि वह उन घरों में जाकर अपराधियों को गिरफ्तार करे? या उनको शान्त करे? अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो यह आन्दोलन इतनी जल्दी कभी नहीं शान्त हो सकता था। इसलिए अगर हमें शान्ति कायम रखनी है, तो जनता के दुश्मनों से लड़ाई लड़ने के लिए वे जहां कहीं भी हों

वहां जाना हमारा कर्तव्य हो जाता है। और अगर ऐसे आन्दोलन को शान्त करने में किन्हीं आदमियों को चोटें लग गयीं, तो उसके लिए हमें दुख है। ऐसा होता है, ऐसे समय में। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। इसलिए अगर दो एक निर्दोष आदमियों को गोली लग गयी तो इसके लिए हमें दुख है और हममें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको उचित समझता हो। लेकिन हमें देखना यह है कि इस समस्या की तह में क्या है उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। माननीय गृह मन्त्री ने स्वयं कहा है कि हमारा लड़कों से कोई झगड़ा नहीं है वास्तव में लड़के हमारे जिगर के टुकड़े हैं उनसे हमारा क्या झगड़ा हो सकता है, लेकिन यहां प्रश्न दूसरा है। जिन लोगों को राज्य की सत्ता हथियाने के लिए जनता के पास जाना चाहिए वहां न जाकर वे लड़कों की आड़ में जाते हैं, और उनको उभाड़ते हैं वास्तव में यह झगड़ा है।

हमारे विरोधी पक्ष के नेता और विरोधी पक्ष कोई भी झगड़ा खड़ा हो, उनको यहां उसका समर्थन करने का मसाला मिल जाता है। विरोधी पक्ष को अधिकार है कि वे सरकार की गलत नीति के खिलाफ आवाज उठावें लेकिन उसकी एक सीमा होती है। हमारे जो भाई एलक्ट होकर आये हैं, उनको राष्ट्र के अन्दर शान्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए। जहां तक राष्ट्र का सवाल है सब को एक मत हो कर उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सब को एक मत हो कर काम करना चाहिए। अगर विरोधी पक्ष हमारी गलतियों को दिखायें, हम उसको शिर झुकाकर मानेंगे लेकिन जब कभी भी सरकार दृढ़ता के साथ निश्चित कदम उठावे, तो यह कहा जाय कि गवर्नमेंट ने गलती की।

जहां तक प्रश्न विश्वविद्यालय का है, उसमें दो रायें नहीं हो सकतीं, और मुझे ऐसा विश्वास है कि वह प्रश्न बहुत आसानी के साथ बिला हल्ला गुल्ला मचाये और बिला इस तरह का आन्दोलन चलाये हल हो सकता था और हल हो जायगा। इसमें सन्देह नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे आन्दोलन से शिक्षा लेनी चाहिए विरोधी पक्ष को और ऐसी शक्तियों को जो विध्वंसकारी हैं प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, यह हमारे राष्ट्र के लिए एक गलत रास्ता होगा। इसलिए म समझता हूं कि हमें समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और सबक लेना चाहिए और चाहे कोई आन्दोलन हो चाहे लड़कों का हो, चाहे पटवारियों का हो, चाहे और तबके का हो, हमें ध्यान रखना चाहिए हमें उस आन्दोलन को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए जो आगे चल कर तमाम राष्ट्र की शक्ति को नष्ट कर दे।

श्री नेकराम शर्मा--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र विरोधी दल के नेता का भाषण और उसके पश्चात् माननीय उपाध्याय जी के भाषण को गौर से सुना और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो कुछ लखनऊ में हुआ इसकी जिम्मेदारी वास्तव में विद्यार्थियों की नहीं है, न अधिकारियों की है, न हमारी सरकार की है, वह जिम्मेदारी है तो उन लोगों की है जो स्टूडेंट्स फ्रन्ट को राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहते हैं। उन लोगों की जिम्मेदारी है, जिन लोगों ने भोले भाले विद्यार्थियों को भड़काया और जो विद्यार्थी अपनी मांगों के लिए शान्ति पूर्ण आन्दोलन चला रहे थे उस आन्दोलन को भड़काने के लिए बाहर से लोग आये हुये थे जैसा कि गृह मन्त्री जी ने बताया। पी० सी० जोशी साहब कलकत्ते से आये, कलकत्ते से लोग आये, और प्रान्त के कोने-कोने से लोग आये, और आकर उन्होंने हमारे भोले भाले स्टूडेंट्स को गुमराह किया। उनको भड़काया और जब कभी समझौते की बातचीत होती थी, उस बातचीत को असफल होने में योग दिया।

अध्यक्ष महोदय, समाचारपत्रों में यह बात आयी थी कि हमारे स्टूडेंट्स नेताओं ने सदैव समझौते की बातचीत करने की कोशिश की, श्री त्रिपाठी जी ने हमारे गुप्त जी को विश्वविद्यालय में बुलाया और उनसे कहा कि आप भाषण दीजिये और उन्होंने वाइस चांसलर को भी एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि हम समझौते के लिए तैयार हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि हमारे विद्यार्थी शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलाना चाहते थे, लेकिन बाहरी शक्तियों ने जो विद्यार्थियों को एक्सप्लवायट करना चाहती थीं, जो लोग दूसरे फ्रण्ट में अपनी जगह न पाकर विद्यार्थी फ्रण्ट को अपने राजनीतिक उसूलों की कामयाबी का

[श्री नेकराम शर्मा]

अखाड़ा बनाना चाहते थे और उनमें क्रान्ति की भावना भरना चाहते थे। उन्होंने आखिर विद्यार्थियों को गुमराह किया। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे, कि जब यह आन्दोलन शुरू हुआ, तब वह एक बहुत ही शान्तिपूर्ण ढंग का था। विद्यार्थियों की एक छोटी सी मांग थी। वे कहते थे कि विधान में जो परिवर्तन किया गया है उस को वे नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी जो जनरल बाडी है, उससे पूछकर उसको नहीं बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, जब यह विधान लागू किया गया था उसके पूर्व विद्यार्थियों से राय ली गयी थी और यह भी स्पष्ट कह दिया गया था कि कोई भी विद्यार्थी अपने संशोधन चाहे तो भेज सकता है। उसके बाद यह हुआ कि यह विधान लागू किया गया और विद्यार्थियों ने यह कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। उन्होंने इस बात की कोशिश की कि शान्तिपूर्ण तरीके से यह मामला तय हो जाय। वह आचार्य जी और गुप्ता जी, जिन्होंने विश्वविद्यालय के लिए बहुत काम किया है और मांग-मांग कर विश्वविद्यालय के लिए रुपया इकट्ठा किया है और लाखों रुपयों की उसे ग्रांट सरकार से दिलाई है इन दोनों के खिलाफ कुछ नाराज अध्यापकों और राजनीतिक पार्टियों ने नारे लगवा दिये। भला छात्रों को गुप्ता जी या आचार्य जी से क्या दुश्मनी थी। आचार्य जी को तो अनशन के उपरान्त छात्रों ने हार पहनाये थे जो प्रेम का सबूत था, उनके पास जाना चाहते थे और मुंशी जी के पास जाना चाहते थे।

विद्यार्थियों ने जब जब बातों में समझौते का प्रयत्न किया, उसका उन बाहरी लोगों द्वारा बिरोध किया गया और गलत नारा लगाया गया। खासकर विद्यार्थियों के जो स्थानीय नेता थे, उन्होंने इन सब बातों तथा गलत नारों का बहुत बिरोध किया। जो-जो गलत बातें हुईं, उनको विद्यार्थियों ने डिनाउन्स किया और इस तोड़ फोड़ को भी डिनाउन्स किया, लेकिन जो विद्यार्थियों को गलत रास्ते पर चला रहे थे, उनकी तरफ से उक्त गलत बातों के विरोध का कोई भी प्रस्ताव नहीं आया और कोई उन बातों को डिनाउन्स करने की आवाज भी नहीं निकली। इससे सिद्ध है कि वे जो चाहते थे उसी प्रकार घटनायें हुईं यानी जैसा उपाध्याय जी ने कहा कि विद्यार्थियों को मंकी ब्रिज पर रोका गया और वहां पर भागते हुए लड़कों पर गोलियां चलायी गयीं और पीठ पर लगीं पीठ पर लगने का मतलब यही है कि वह भाग रहे थे और मारे वह गये जिनका उस दंगे से सम्बन्ध नहीं था। विद्यार्थियों का समूह तो शान्तिपूर्ण ढंग से जाना चाहता था, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे शामिल हो गये थे, जो अशान्ति उत्पन्न करना चाहते थे। विद्यार्थियों का जलूस शान्तिपूर्ण ढंग से जा रहा था और जो अन्य गड़बड़ करने वाले वहां से भागे उनको पीछे से गोली लगी। उन लोगों की पालिसी यही थी कि मारो और भागो और जितना यहां पर तोड़-फोड़ और नुकसान का काम हुआ, उसमें आप देखिये कि एक व्यवस्थित ढंग से हुआ। जिस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी अपना आन्दोलन चलाती है, उसी प्रकार से यह तार और बाक्सेज तोड़े गये। इन्हीं की कृपा से प्रान्त के अन्य हिस्सों में भी आन्दोलन फैला और प्रदेश के अन्य भागों में भी इसी व्यवस्थित तरीके पर आन्दोलन हुए। और तोड़ फोड़ हुई वह लोग यह जानते हैं कि विद्यार्थी भोले भाले हैं और उनकी पार्टी का अगर जोश बढ़ा दिया जायगा तो फिर उनका स्वार्थ सिद्ध हो सकता है। वे यह समझते हैं कि अगर सरकार को बदनाम करने के लिए विद्यार्थियों पर असर डाला जायगा तो जनता पर जल्दी असर पड़ सकता है। मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूं और यह कह सकता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं और न किसी ने भी तार या कोई नुकसान पहुंचाने की कार्यवाही करने की कोशिश की होगी। वह तो एक सीधे साधे और भोले नागरिक बनना चाहते हैं और उन्होंने कभी इस तोड़फाड़ में भाग नहीं लिया।

यदि विद्यार्थी ऐसा काम करते, तो यूनिवर्सिटी में भी तो पोस्टआफिस और टेलीफोन थे, वहां पर क्यों उन्होंने उनको नहीं तोड़ा? लेकिन यह सब चीजें तो उन विद्यार्थियों को बदनाम करने के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए की गयीं और जिसमें सारी जिम्मेदारी विद्यार्थियों पर ही लगायी गयी और उन के नाम पर जहां मौका मिला तोड़-फोड़ की गयी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं ने खुद देखा कि दारुलशफा में जो कमरे हैं वहां पर

जाकर लोगों को हिदायतें मिली थीं और मंत्रणा मिली थी। मैंने बसों को जलते देखा और ऐसा काम करने वालों को उन्हीं कमरों में प्रोटेक्शन मिलता था। इसलिए एक एक बात की तमाम जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है, जो इसके पीछे थे। श्री बालेन्दु शाह ने कहा कि लड़कों को दोष दें, सरकार को दोष दें, या दूसरे लोगों को दोष दें, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मैं तो साफ कहता हूं कि दोष उनका था जो छात्रों को चुपके-चुपके सलाह दे रहे थे।

हमारा एक विद्यार्थी मारा गया और लोग मारे गये, उस के लिए उस खून की जिम्मेदारी उन्हीं की है, जो उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देते थे ऐसे कृत्य करने के लिए और उन्हें उकसाते थे। लाखों रुपये का सरकारी और गैर सरकारी नुकसान हुआ। इस की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर है जो कलकत्ते और इलाहाबाद से और दूसरी जगहों से आकर यहां भड़काने के लिए जमा हुए थे। उन की तरफ से बाकायदा डिमान्स्ट्रेशन होते थे कि बम फेंको, आग लगाओ, तार काटो और तरह तरह से लालेसनेस क्रिएट करो। उन्होंने सोचा था कि अभी कांग्रेस म्युनिसिपल एलेक्शन में जगह जगह हार ही चुकी है, और यह वक्त परेशान करने और आन्दोलन चलाने का बहुत अच्छा है। यहां के विद्यार्थियों ने गुप्ता जी को बुलाया और उन्होंने वहां यूनिवर्सिटी में जा कर भाषण दिया और वहां के शान्तिप्रिय विद्यार्थियों ने उन की बात को माना और सुना और हमेशा शान्तिपूर्ण समझौते की बात की, लेकिन जो लोग बाहर से आये थे और दूसरे लोग जो मामले को भड़काना चाहते थे उन्होंने एतराज किया कि हम ऐसे समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। परन्तु विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने बड़े धैर्य से काम किया और अन्त में शान्तिपूर्वक सब बात ढंग से तय हो गयी। बार बार विद्यार्थियों की तरफ से शान्तिमय तरीका अख्तियार करने की बात अखबारों में निकली। बड़े प्रेम से गुरू और विद्यार्थी वहां मिलते रहे और आपस में वहां फूल मालायें भी पहनायी गयीं। वहां इतनी मोहब्बत थी इतना आपस में प्रेम था, लेकिन जो कुछ भी हुआ उस की जिम्मेदारी, इस खून की जिम्मेदारी, लाखों रुपये की सम्पत्ति के नुकसान की जिम्मेदारी उन्हीं राजनीतिक पंचमार्गियों पर है, जो हमेशा लालेसनेस क्रिएट करना चाहते हैं। परन्तु मैं उन से कहूंगा कि इस वक्त एक ऐसा समय है जब कि हम एक नाजुक समय से गुजर रहे हैं, जब कि पाकिस्तान में अमरीका की बेसेज बनने की सम्भावना दिखायी देती है। ऐसे समय में तो तमाम राजनीतिक पार्टियों का कर्त्तव्य हो जाता है कि सब मिलकर आने वाले खतरे का मुकाबिला करें और आपस के तमाम झगड़ों को सामने न आने दें, और इस तरह से रेल काण्ड और तारों का काटना आदि तोड़ फोड़ के कामों में न पड़ें। इस तरह की अनुशासनहीनता को चाहे समाजवादी सरकार हो या कम्युनिस्ट सरकार हो कभी बरदाश्त नहीं कर सकती। अगर हमें अपनी स्वतन्त्रता को मजबूत रखना है, और कायम रखना है, तो हमें शान्ति कायम रखनी होगी और कोई भी सरकार इस तरह की बातों को कभी बरदाश्त नहीं करेगी। मैं फिर एक बार कहूंगा कि विद्यार्थियों को चोटें लगीं, बहिनों के जो चोटें लगीं, जो एक विद्यार्थी का बलिदान हुआ उस के लिए सभी को बहुत दुख है और माननीय मन्त्री जी ने उस के लिए अपनी सहानुभूति प्रकट की है।

अन्त में मैं एक बात और सदन को बतला दूं कि एक अनशनकारी अनशन कर रहा था, उस समय उस का पिता उस से मिलने के लिए आया लेकिन इन आन्दोलन के चलाने वालों ने उस को मिलने तक नहीं दिया। यह लोग तो चाहते थे कि अगर आपस में विद्यार्थियों में मेल होगा तो हमारी दाल नहीं गलेगी। आखिर में मैं इतना और कहूंगा कि जो कुछ भी हुआ, वह हुआ और विद्यार्थियों द्वारा गुड फेथ में हुआ, लेकिन उन्हें हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है कि आगे गलत आदमियों के हाथ में पड़कर हमारे विद्यार्थी गलत कदम न उठा सकें। सरकार का भी यह कर्त्तव्य है कि वह लालेसनेस न होने दे। सरकार ने जिस तरह से कर्फ्यू लगाया और कन्ट्रोल किया वह उस में सफल हुई और अन्त में नतीजा यह हुआ कि बाहर के लोगों की दाल नहीं गली और शान्तिमय तरीके से एक समझौता हो गया।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—अध्यक्ष महोदय, आज जो विषय छिड़ा हुआ है, वह इस प्रांत के लिये ही नहीं, देश के लिये ही नहीं, बल्कि संसार के लिये बड़ा

[श्री जोरावर वर्मा]

दुखपूर्ण है। जहां शिक्षा का अध्ययन होता है, शांति का पाठ पढ़ाया जाता है, वहां गुम्मेबाजी हो, ईंटे चलायी जाती हों और गोलियों की बौछार हो, यह सबके लिये बड़े दुख की बात है। विश्वविद्यालय जब दुबारा खुला तब शांतिपूर्ण ढंग से विश्वविद्यालय को चलाने की कोशिश की गयी। लेकिन विद्यार्थियों ने कई ऐसी बातें कीं कि जिससे मसला सुलझने के बजाय और उलझता ही गया। यह मालूम हुआ कि जब विद्यार्थी गुप्ता जी के यहां इनवाइट करने आये कि चलिये, मसले को जैसा आप कहेंगे हम मानेंगे और अगर आपने समझौते की ठीक बात की तो हम उनको मानेंगे। परन्तु जब वह वहां गये तो बजाय उनकी स्पीच को सुनने के जब वह चलने लगे तो उनकी कार के ऊपर आक्रमण किया गया और उनका जीवन खतरे में पड़ गया। इस प्रकार से विद्यार्थियों ने जो धोखा दिया वह अत्यन्त ही निन्दनीय है। उस व्यक्ति ने जिसने कि विश्वविद्यालय को इस स्टेट्स तक ला दिया और अपना बहुत सा समय उसके लिये दिया उसे जब उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद उनके साथ जो विश्वासघात का व्यवहार किया वह कभी भी क्षम्य नहीं कहा जा सकता। विद्यार्थियों की जिम्मेदारी को यद्यपि उधर से बोलने वाले महानुभावों ने दूर किया लेकिन मैं उन विद्यार्थियों को इन कृत्यों का जिम्मेदार समझता हूं क्योंकि इस समय विश्वविद्यालय की बातें हैं। प्रांत के किसी भी विद्यालय की बात ली जाय विद्यार्थी जिस प्रकार से पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार और अध्यापकों के साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं वह हमारी सरकार के लिये और हमारे देश के लिये बड़े भारी दुख की बात है। जिस विद्यार्थी को बुरे व्यवहार के कारण कोई अध्यापक या प्रिंसिपल एक्सपेल कर देता है या उसके खिलाफ ऐक्शन लेता है तो विद्यार्थी उसे गोली से मारने के लिये तैयार हो जाते हैं।

पिछले वर्षों में इस आदरणीय हाउस का प्रत्येक मेम्बर जानता होगा कि एक दो प्रिंसिपल और कई प्रोफेसरों पर विद्यार्थियों ने आक्रमण किया, उनके जीवन को खतरे में डाला। इस प्रकार से जब विद्यार्थियों की यह मेंटलिटी देखी तो यह हो सकता है कि जो खिलाफ पार्टी है जो शासन की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिये लालायित हैं जिसकी लार बह रही है, उसने इस स्वर्ण अवसर को अपने हाथ में लिया और देखा कि विद्यार्थी जो अभी आपके हैं, उनको चाहे जिस दिशा में घुमाया जा सकता है, तो इसका एक अच्छा अवसर उन्होंने देखा और उनको भड़काया लेकिन उस समय पुलिस ने जो काम किया, जो ऐक्शन लिया उसे जस्ट और न्यायसंगत कहा जा सकता है क्योंकि पुलिस ने एकाएक उस आटोनामस चहारदीवारी के अन्दर बिना किसी इजाजत के हमला नहीं किया होगा। उसको वहां के वाइस-चांसलर ने जब देखा कि अनुशासन उनके बस में नहीं रह गया है तब उन्होंने गवर्नमेंट को इनवाइट किया होगा और गवर्नमेंट ने यह आदेश दिया होगा कि शांति को स्थापित करने के लिये, अनुशासन को कायम रखने के लिये जब कि ला और आर्डर बड़े खतरे में है तो पुलिस का ऐक्शन लेना आवश्यक है। जिस समय विद्यार्थियों ने दारुलशफा के सामने ही एक बस में आग लगायी और जब फायर ब्रिगेड उसको बुझाने के लिये आया तो फायर ब्रिगेड वाले कर्मचारियों को मारा और भगा दिया। उन्होंने दारुलसफा पर भी हमला किया और वहां जितने गमले थे उनको तोड़ा फोड़ा। जब वहां के माननीय सदस्यों ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उनपर भी विद्यार्थियों ने हमला किया जिससे उनको अपने कमरों में वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार विद्यार्थियों का आचरण कोई पार्टी पालिटिक्स की बात नहीं है, बल्कि इस प्रांत के लिये और इस देश के लिये एक बड़ा शोचनीय विषय है। हमारे विद्यार्थी जो कि हमारे भविष्य की आशायें हैं, जिनके हाथों में सारा भविष्य निर्भर करता है और राज्य की बागडोर जिनके हाथ में आनी है उनका आचरण अगर इस प्रकार है तो हमारा भविष्य फिर किस तरह से बन सकता है। जितनी पार्टियां हैं, उनको मैं यह सलाह दूंगा कि इस प्रकार की उच्छृङ्खलता लड़कों में लाना और उनके इस प्रकार के कार्य को प्रोत्साहन देना किसी भी पार्टी के लिये अच्छा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अभी जब हमारे आदरणीय वाइस प्रेसीडेन्ट राधाकृष्णन जी आये

तब उन्होंने भी विद्यार्थियों के इस बुरे आचरण की निन्दा की और जब उन्होंने दिल्ली विश्व-विद्यालय में कनवोकेशन एड्रेस दिया तो बड़े दुःख के साथ उन्होंने इस बात को प्रगट किया।

"In recent weeks the lawless activities of the students in some parts of the country filled us with shame and sorrow and I have had occasion to refer to them and tell the students that by these acts of defiance of authorities, they do a national disservice and imperil the future of the country, that they are traitors to the past and enemies of the future."

इसलिये पार्टीबन्दी के बहाने विद्यार्थियों को कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता है। जो उन्होंने काम किये हैं उनकी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। इसलिये विद्यार्थियों को सलाह दूंगा कि भविष्य में वह कभी भी ऐसी पार्टी बन्दी की दलदल में न फंस कर के उनका जो कार्य है, शिक्षा प्राप्त करना और शांति स्थापन करना, उसमें वे बराबर लगे रहें और जो हमारा प्राचीन एक शिष्य और गुरु का नाता है उसी के भुलाये जाने के कारण ऐसा कार्य हुआ है इसलिये सरकार को और यूनिवर्सिटियों को जिस प्रकार का वातावरण शिक्षा संस्थाओं में फैल रहा है उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिये। क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय के ही नहीं बल्कि सब जगह जितनी शिक्षा संस्थायें हैं वहां के विद्यार्थियों ने अनुशासन-हीनता का परिचय दिया है और जो उनके गुरु हैं या उन से बड़े हैं उनका मान न करना वे अपना धर्म समझते हैं। विद्यार्थियों ने जो गुप्ता जी, आचार्य जुगुलकिशोर और मुंशी जी की ठठरी बना कर जलाई और उसको गोमती में तैरायी यह काम इस बात को प्रदर्शित करता है कि इन विद्यार्थियों में नैतिकता बिल्कुल ही नहीं रही। ऐसे कार्यों को कोई भी भला आदमी सराहनीय नहीं कह सकता है और न उनको इस जिम्मेदारी से बरी कर सकता है। इसलिये मैं अपने विद्यार्थियों को इस बात की सलाह दूंगा कि वे हमारे भविष्य की आशा हैं और देश का ही नहीं संसार का सारा भविष्य उनके ऊपर निर्भर है। इसलिये उनको शांति पूर्वक विद्या-अध्ययन करना चाहिये और कभी पार्टी पालिटिक्स में भाग नहीं लेना चाहिये।

सदन के समय में एक घंटे की वृद्धि का प्रस्ताव

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--रखिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैं प्रस्ताव रखता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि सदन की यह इच्छा है कि ६ बजे तक हम बैठें और सर्व-सम्मति से यह स्वीकार हुआ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र-आंदोलन के सम्बन्ध में गृह मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा (क्रमागत)

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि आज माननीय गृहमंत्री जी ने इस विषय पर जो अपना वक्तव्य दिया है उसे मैं सुन नहीं सका, लेकिन उसकी जो बातें मुझे अपने अगल बगल बैठे हुये सदस्यों से मालूम हुयी हैं और जिस तरीके से और कांग्रेसी बेंच पर बैठे हुये माननीय सदस्यों ने व्याख्यान दिये हैं उससे मैं महसूस करता हूं कि आज सदन का इतना समय व्यर्थ ही जायगा। हम इतनी बड़ी अपने प्रदेश में हुई घटना का न पूरा विश्लेषण कर पायेंगे, न उसकी व्याख्या कर पायेंगे और न उस घटना के पूरे कारणों को ही समझ पायेंगे।

मैं देख रहा हूं कि सारी बहस आज फिर उसी एंटी-कम्युनिस्ट ट्रिंड, कम्युनिस्ट विरोधी दिशा में मोड़ने की कोशिश की जा रही है, या जो दो मुख्य विरोधी पार्टियां हमारे प्रदेश में हैं उनकी मुखालिफत करके इस पूरी घटना के ऊपर राख डालने की कोशिश की

[श्री झारखंडे राय]

जा रही है। नतीजा यही होगा कि वही मंजोभजाई स्पीच, स्टीरियोटाइप स्पीचेज कि जो माननीय मंत्री जी ने की हैं, बस उसी का समर्थन करते जाओ, उसी प्रकार के व्याख्यान देते जाओ और कोई नतीजा नहीं निकलेगा और न हम इतनी बड़ी घटना, इतने बड़े जनउभार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आंतरिक कारणों को समझ पायेंगे। इसलिए मैं अपील करूंगा इस बात की कि जैसे माननीया बेगम शेरवानी साहब ने निष्पक्ष भाव से इस घटना पर अपने विचार प्रगट किये हैं उसी तरह अन्य माननीय सदस्य भी इस पर अपने विचार प्रगट करें तभी हम सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। सचमुच इतनी बड़ी जो चीज हुई जिसमें दो रायें नहीं हैं इतने बड़े तोड़-फोड़ के काम भी हुये, इसमें भी दो रायें नहीं हैं क्यों हुये, इसके पीछे कौन से कारण थे जिनसे प्रेरित होकर इतना बड़ा जन समुदाय एक दिन उभड़ गया। किसी एक राबिन मित्रा या के० आनन्द अथवा चन्द्रभाल त्रिपाठी के उभाड़ने पर ५ हजार लड़के उभड़ गये, मैं समझता हूं कि यह मानना सरकारी बेंचों के लिये अपने आप अपनी तौहीन कबूल करना है। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां बैठे हुये थे जिनके हाथ में शासन की बागडोर थी, वे उन विद्यार्थियों पर कंट्रोल नहीं कर सके और उन्हीं के बराबर की हैसियत के दो चार लड़कों के कहने से इतना बड़ा विद्यार्थियों का समुदाय जिन्दगी और मौत के बीच में खेलने लगा क्या यह बात मानने लायक है?

मैं समझता हूं कि इतने अहम मसले को एक गलत दिशा में ले जाने का यह एक दुष्प्रयास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी का सम्बन्ध है कि कम्युनिस्ट पार्टी का इसमें हाथ है, उसने तोड़ फोड़ किया है, मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी अपने विचारों को छिपाना नहीं जानती, अगर उसके कभी गलत विचार भी रहे हैं तब भी उसने उनको छिपाया नहीं है। मैं यह भी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा विद्यार्थियों के आंदोलन के साथ रही है और आगे भी रहेगी। कम्युनिस्ट पार्टी सूबे में उभड़ते हुये सभी जन आंदोलनों के साथ हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। लेकिन जहां तक इन तोड़ फोड़ की घटनाओं का सम्बन्ध है हम समझते हैं कि यह जनता के गुस्से का एक इजहार था और इसकी सारी जिम्मेदारी आज की मौजूदा सरकार के ऊपर है। इसकी जिम्मेदारी न कम्युनिस्ट पार्टी पर है न सोशलिस्ट पार्टी पर और न विद्यार्थियों पर है बल्कि सरकार की जनविरोधी नीति के ऊपर है, उसकी दमन की कार्यवाहियों के ऊपर है, उसके पुलिस ऐक्शन के ऊपर है जिसके प्रतिफलस्वरूप ये सारे कार्य किये गये हैं। मुझे आज लगता है कि हम सन् ४५ की असेम्बली में बैठे हुये हैं जब कि अंग्रेजों के जमाने में केवल यही दलील दी जाती थी कि हर बात के लिये कांग्रेस दोषी है, चोरी करे तो कांग्रेस, डाका डाले तो कांग्रेस, यहां तक कि जितने खुराफात सन् ३०–३२ और ४२ में हुये उनके लिये कांग्रेस ही दोषी ठहरायी जाती थी। उसी तरह से आज कोशिश की जा रही है कि जो कुछ हो रहा है, बस कम्युनिस्ट और दूसरी विरोधी पार्टियों की तरफ से हो रहा है। मुझे बड़ा दुख है कि माननीय गृहमंत्री जी समाजवाद के इतने प्रकांड विद्वान् हैं जिन्होंने समाजवाद विषय पर पुस्तकें लिखी हैं और जो आज भी अध्ययन करते रहते हैं वे इतने बड़े कांड को उसी तरह से टाल देना चाहते हैं विरोधी पार्टियों का नाम लेकर। इससे समस्या का हल नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों का एक ऐसा समुदाय है जिसमें अनेक वर्गों से विद्यार्थी आते हैं, और उनके साथ अपने अपने वर्ग की भावनायें और कठिनाइयां भी आती हैं। जो व्यक्ति किसी शिक्षा संस्था में पढ़ने जाते हैं तो वे विद्यार्थी होते हैं और जब वे अपने घरों पर होते हैं तो नागरिक होते हैं इन दोनों परिस्थितियों में जो आर्थिक चपेट उनके ऊपर आ रही है, जो राजनीतिक कारण उनके ऊपर असर डाल रहे हैं, जो मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां पैदा हो रही हैं देश में, उसका उनके ऊपर असर पड़ रहा है।

आज एक विद्यार्थी अपने घर में जाता है तो उसे खाने को नहीं मिलता है। जब वह स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसका बाप उसकी फीस नहीं दे पाता है। किताबों

के बहुत दाम बढ़ गये हैं। होस्टलों में जगह नहीं है। क्लासों में भी बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है। भूखों रह करके वह पढ़ता है और जब वह घर जाता है तो घर की परेशानियां भी उसे तंग करती हैं। ऐसी स्थिति में उसका दिमाग बोझिल है, यह सारी परेशानियां आज के समाज के कारण हैं। इसलिये श्रीमन् मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों पर जो उनके वर्ग के या उनके अपने विद्यार्थी समुदाय की आर्थिक समस्यायें और इसके कारण हैं, उसके साथ ही साथ उनके बीच राजनीतिक घुसपैठ भी की जा रही है। यूनिवर्सिटियों के अन्दर जो आज शासक वर्ग है उसकी तरफ से बिना सोचे समझे अपनी राजनीति चलाने की कोशिश की जाती है। अगर यह किया जायगा तो उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा, उसका प्रतिवाद और उसका प्रतिरोध जरूर होगा। कम्युनिस्ट करें चाहें न करें, कम्युनिस्ट जहन्नुम में जायं मगर उसका प्रतिवाद जरूर होगा। यह अनिवार्य है। शिक्षा संस्थाओं को राजनीति का अखाड़ा बनाना हम तो समझते हैं कि उचित नहीं है लेकिन एक पार्टी, चूंकि वह सरकार की पार्टी है, चूंकि उसके हाथ में शासन की बागडोर है, वह उसको अखाड़ा बनावे और दूसरों से उम्मीद करे कि वे बैठे रहें, यह नामुमकिन बात है। हम समझते हैं कि यह बिल्कुल गलत कल्पना है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर, क्या किसी पार्टी को जहन्नुम भेजना पार्लियामेंटरी भाषा है?

श्री अध्यक्ष—जी हां, यदि कोई खुद अपनी पार्टी को वहां भेजने की बात कहे।

श्री झारखण्डे राय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कह रहा था कि आज हमारी यूनिवर्सिटियों में जो विद्यार्थियों की एकता तोड़ने की कोशिश की जा रही है यूनिवर्सिटी यूनियन के विधान बदलने और नया बनाने के नाम पर जो कुचेष्टा की जा रही है आज यूनिवर्सिटियों की आटोनामी पर जो तरह तरह के क़ानून बनाकर हमला करने की कोशिश की जा रही है और आज पूरी शिक्षा प्रणाली में एक खास प्रकार की विचार धारा घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है, हम समझते हैं कि इसका फल जो हुआ है वही अनिवार्य था। हम जानते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्यपाल महोदय एक खास तरह की अमरीकन जनवादी विचारधारा के पोषक हैं.....

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। राज्यपाल पर आप कोई टीका नहीं कर सकते।

श्री झारखंडे राय—खैर, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा संस्थाओं को आज एक खास तरीके से एक ऐसे टकसाल घर के रूप में बदलने की कोशिश की जा रही है कि उसमें एक एक किस्म के ही सिक्के बन कर निकलें। हम समझते हैं कि इसका नतीजा जो हुआ, जो कुफल हमारे सामने आया वही आगे भी आयेगा। इसलिये आज जो समस्यायें हैं, विद्यार्थी समुदाय की दुरावस्था के जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं, जो शासक वर्ग की तरफ से जान अनजान में विद्यार्थियों के जीवन में राजनीतिक घुसपैठ की जाती है, उसको रोका और संभाला जाय और उसके बाद शिक्षा संस्थाओं को राजनीति से बिलकुल ऊपर और परे रखा जाय। मैं इसका समर्थक हूं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—श्रीमन्, आज इस विषय पर जो सदन में वादविवाद हो रहा है उसका सम्बन्ध उन घटनाओं से है जिनके कारण हमारे प्रदेश के सभी व्यक्तियों को दुख हुआ शर्म भी महसूस हुयी तथा चेतावनी भी मिली। इस सम्बन्ध में माननीय गृहमंत्री जी ने अपना विवरण इस भवन के सामने रखा उसको तथा उसके उत्तर में जो माननीय नेता विरोधी दल के अपना आवेशपूर्ण तथा भावुक भाषण दिया उसको भी मैंने बड़े ध्यान से सुना। उनके क्रोकोडाइल टियर्स भी देखे जो कि उन्होंने नाटकीय ढंग से मृतकों तथा जख्मी विद्यार्थियों के ऊपर बहाये। परन्तु और साथियों की तरह मुझको उनके भाषण से निराशा तो नहीं हुयी, क्योंकि आज ही नहीं, मैं काफी समय से उनके इस तरह के भाषण सुनने का आदी हो चुका हूं। उन्होंने फरमाया कि इस शानदार मुल्क के अन्दर इसके

[श्री नवलकिशोर]

शानदार विद्यार्थियों ने एक शानदार कदम शानदार ढंग से उठाया तो यह कोई नया वाक्य नहीं था। मैं नहीं जानता कि उनका शान का स्टैंडर्ड क्या है ? यदि यही शान है तब यह शान उनको व उनकी पार्टी को ही मुबारक हो ? श्रीमन्, अगस्त के महीने में जब कौंसिल हाउस के सामने विद्यार्थियों ने अपना डिमान्ट्रेशन किया था और जब उनके सम्मुख के माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना भाषण दिया था तो उस भाषण की समाप्ति बाद जब श्री राजनारायण जी ने उनको सम्बोधित किया तो उन्होंने ऐसे ही वाक्यों का प्रयोग किया था जिससे विद्यार्थियों में काफी उत्तेजना पैदा हुई और विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिला। उनके भाषण ने एक मानी में आग में घी का काम किया। उन्होंने उस दिन यहां तक कहा था कि यह जो कौंसिल हाउस का फाटक बन्द कर दिया गया है यह अनुचित बात है और क्या सरकार समझती है कि विद्यार्थी उन फाटकों को तोड़ कर अन्दर नहीं घुस सकते ? तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि आज जो वह यह कहते हैं कि ये जो घटनाएं हुईं उनके करने में उनकी पार्टी का कोई हाथ नहीं था।

जहां तक कि यूनियन के विधान की बात थी तो मैं उसके डिटेल में जाना नहीं चाहता, हो सकता है कि उस पर मतभेद हो। जहां भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटीज कमीशन बने हों और उनकी इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न राय हों, तो उसके सम्बन्ध में मैं अधिक न कह कर श्रीमन्, मैं यह मान लेता हूं कि यदि उससे किसी विद्यार्थी वर्ग में असन्तोष था तो उनको यह अधिकार था कि वे अपनी मांगें पेश कर सकते थे। वही हुआ भी और यदि उसकी अवहेलना की जाये तब उनको शान्तिप्रिय ढंग से अपनी बातें मनवाने के लिए आन्दोलन भी करने का अधिकार था परन्तु यदि शुरू से ही इसका विश्लेषण किया जाय और जहां तक इसको मैंने समझा है शुरू से ही इसके पीछे जो इमीडियेट काज था वह विधान नहीं था बल्कि उसमें दूसरी पार्टियों का हाथ था और लखनऊ में जो घटना घटी जहां सरकार का केन्द्र है, उसका सारा उत्तरदायित्व उन भाषणों पर था जो कुछ दिन पूर्व दिये गये थे। इसके अलावा जितने डिमासन्ट्रेशन हुये तथा उनमें जो नारे लगाये गये वे सब हिंसात्मक प्रवृत्ति को उत्तेजित कर रहे थे। उन डिमासन्ट्रेशनों में लोगों को गालियां दी गयीं ऐसे नारे लगाये गये जिसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी के तीन चोर गुप्ता, मुंशी, जुगल किशोर। उसके बाद वे लोग कहते हैं "जुगलू जुगलू हाय हाय", यह उनकी अश्लीलता का परिचायक था। बड़े यह शर्म की बात है कि श्री राजनारायण जी ने एक शब्द भी विद्यार्थियों के खिलाफ नहीं कहा !

हमारे प्रान्त के पुलिस कर्मचारियों ने जो काम उठाये मुमकिन है कि वह शानदार न हों और मैं यह दावा नहीं करता हूं कि हमारे प्रान्त की पुलिस कोई आदर्श पुलिस है लेकिन जो कदम विद्यार्थियों ने उठाया और जो गड़बड़ी उन्होंने की, और जिस हिंसात्मक प्रवृत्ति को उन्होंने अपनाया वह भी कोई शान की बात नहीं थी। मुझे दुःख है कि इस अनुशासन हीनता पर हमारे नेता विरोधी दल ने एक शब्द भी नहीं कहा। जगह जगह कांग्रेस टोपियां जलाई गईं, राष्ट्रीय पताकाएं जलाई गईं, तो इसके पीछे क्या था अगर अन्य दलों का हाथ नहीं था ! यह आन्दोलन यूनिवर्सिटी अथारिटीज के विरुद्ध था न कि सरकार या कांग्रेस संस्था के विरुद्ध ! राष्ट्रीय पताका कोई कांग्रेस की बपौती नहीं है, वह सारे देश व राष्ट्र की धरोहर है। हमारे भारतवर्ष की भावी आशायें उन्हीं विद्यार्थियों पर निर्भर हैं। सारे देश का उत्तरदायित्व व संचालन एक दिन उनके ही कंधों के ऊपर आयेगा, राष्ट्रीय पताका की रक्षा उनके हाथों में है लेकिन जब आज मैं यह देखता हूं कि उस राष्ट्रीय पताका को वही विद्यार्थी अपने पैरों से कुचलता है, वह उसको जलाता है तब मैं एक बारगी घोर अंधकार में डूब जाता हूं और सोचने को मजबूर होता हूं कि इस अभागे देश का भविष्य क्या होगा और यह विद्यार्थी वर्ग कहां जायगा ! यह कोई महत्व की बात नहीं है कि कौन पार्टी शासन करेगी। आज कांग्रेस हटकर दूसरी पार्टी आ सकती है, लेकिन जहां तक देश का प्रश्न है, जहां तक राष्ट्र का प्रश्न है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आन्दोलन यूनीवर्सिटी

की अथारिटीज के खिलाफ था, ठीक था, लेकिन वह वहीं तक सीमित नहीं रहा और यहां तक बढ़ा कि गांधी टोपी तक की नौबत आ गई। जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी को भी इसका स्वाद चखना पड़ा, मैं नहीं समझ पाया कि यह सब क्यों हुआ। आज विराधी पार्टियां कुछ भी कहें लेकिन ४-५ साल पहिले तक यह गांधी टोपी हम सभी के लिये एक शोभा की चीज थी और यह बापू की एक देन थी। हो सकता है कि हम में कुछ कमियां आ गई हों और हम अब उन आदर्शों के पालन करने में शायद असमर्थ हों जो कि बापू ने हमें दिये थे। लेकिन जहां तक टोपी की मान मर्यादा का सवाल है तो वह मैं समझता हूं कि हर पार्टी के लिये उतना ही महत्व रखती है जितना महत्व हमारे लिये इसका है और उतना ही हमारे साथी माननीय राजनारायण जी के लिये भी है। मुझे फिर बड़ा दुःख है कि इस संबंध में भी हमारे विरोधी दल के माननीय नेता जी ने एक शब्द भी नहीं कहा!! हमारे माननीय अलगूराय जी शास्त्री जो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि हमारे प्रान्त की कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको घेर लिया गया और अगर वह एक मित्र के मकान में न घुस गये होते और वह मित्र हवा में फायर नहीं करते तो शास्त्री जी का उस दिन जीवित बचना मुश्किल था। इसके संबंध में भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा।

हमारे साथी श्री झारखंडे राय जी ने जो अपनी स्पीच अभी इस सदन में दी उसमें उन्होंने बड़ी खूबी के साथ यह बतलाया कि इस झगड़े में उनकी पार्टी का कोई हाथ नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात की कोई दलील नहीं दी कि उसी समय श्री पी० सी० जोशी, सुनीलदास और रुस्तम जी सब कम्यूनिस्ट क्यों लखनऊ में जमा हो गये। इसके सम्बन्ध में उनका कोई जवाब नहीं आया।

जहां तक विरोधी नेता की तरफ से जो मांगें पेश की गई हैं उनसे मैं समझता हूं कि उनका मन्शा और भी स्पष्ट हो जाता है। असली झगड़ा जो विद्यार्थियों का था वह तो यूनियन के कांस्टीट्यूशन के ऊपर था, लेकिन जो मांगें पेश की गई हैं उनमें बहुत सी नई बातें न जाने कहां की रख दी गई हैं? जैसे कि एक मांग है कि मंत्री तथा अन्य उपमंत्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के पदाधिकारी न हों। इससे हम समझते हैं कि यह मांगें विद्यार्थियों की आड़ लेकर अपने स्वार्थ साधन के लिये रक्खी गयी हैं और इनके पीछे राजनीतिक दलों की चालें हैं।

गुप्ता जी की यूनीवर्सिटी में क्या स्थिति है इसको सभी जानते हैं। मैं भी यहां का विद्यार्थी रहा हूं। जहां तक मुझे मालूम है वह यह है कि इन्होंने इसकी बड़ी सेवा की है। कई बार माननीय गुप्ता जी की इच्छा भी हुई कि वह विश्वविद्यालय से इस्तीफा दे दें। लेकिन श्रद्धेय नरेन्द्रदेव आचार्य जी ने इनको विवश किया कि आपको यूनीवर्सिटी की सेवा करनी चाहिये और करनी पड़ेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि निरी भावुकता में कोई बात कह देना ठीक नहीं है। वह दिन हमारे विश्वविद्यालय के लिये बड़ा ही दुखद होगा जब कि हमारे गुप्ता जी इसको छोड़ देंगे।

अन्त में मुझे इतना ही कहना है कि जो घटनायें हुई हैं वह बड़ी दुखद हैं। हमको इनसे सबक सीखना चाहिये। मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों का जो स्थान समाज में है उसको वह ग्रहण करें और उत्तम नागरिक बनें और उन तिनके के समान न हों जिनको जो भी हवा जिस भी दिशा से आये बहा ले जाये, बल्कि राष्ट्र के उच्चतम निर्माता बनें। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम और वह सभी इन बातों से सबक सीखेंगे और हमारी सरकार भी जो इन राजनीतिक पार्टियों की जो चालें हैं, साजिशें हैं, उनकी ओर से सजग होगी और उनके षडयंत्रों को दबाने में सफल होगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं जिस प्रकार की आशा सरकारी दल की तरफ़ से करता था, इस महत्वपूर्ण प्रश्न के सिलसिले में, वह मेरी आशा पूरी नहीं हुई। इस प्रश्न को एक ऐसे ढंग से उपस्थित किया गया जैसी किसी भी सरकार की नीति रहती है। अध्यक्ष महोदय, आज यह प्रश्न नहीं है कि टेलीफोन के तार क्यों काटे

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

गये, बसें क्यों जलाई गईं और न मैं विद्यार्थियों या अन्य लोगों ने जो ऐसे कार्य किये उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं लेकिन मुझे तो यह कहना है कि लखनऊ में जो कुछ हुआ उसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि वह प्रिप्लान्ड था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं थी। मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान दो तीन बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री जी को यह मालूम है कि ३१ अक्तूबर को विद्यार्थी यूनिवर्सिटी से इधर को आते हैं और मंकी ब्रिज पर रुकावट डाली जाती है। वे डालीगंज के लोहे के पुल से निकलते हैं। उस समय वहां पर ५ हजार के क़रीब विद्यार्थी थे तथा हजारों की संख्या में बांस और बल्लियां वहां पड़ी हुई थीं। अगर यह सब प्रिप्लान्ड होता तो वहां जो थोड़े से सिपाही थे लड़के उनको चीर कर फेंक सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और विद्यार्थियों का दल आगे बढ़ता गया। जब यह कौंसिल हाउस के सामने आया तो उनकी संख्या २० हजार के क़रीब हो गयी थी। २० हजार की संख्या पर काबू पाने के लिये लखनऊ में कहीं भी ऐसे साधन नहीं थे कि उनके खिलाफ वे कोई क़दम उठा सकते। वे उस वक्त कुछ भी कर सकते थे चाहे बाद में कुछ भी होता।

मैं माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या गोली काण्ड के पहले कोई घटना घटी? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं हो सकता। क्योंकि जितनी भी घटनायें हुई हैं वे सब गोली कांड के बाद की हैं या मंकी ब्रिज पर विद्यार्थियों के साथ जो संघर्ष हुआ उसके बाद की हैं। जब गोली कांड हुआ, मैं निजी तौर पर उसकी जानकारी रखता हूं कि उस समय विद्यार्थी उससे १ फर्लांग दूर एक मक़बरे में घिरे हुये थे। गोली जो चली वह हाईकोर्ट कंपाउण्ड और विद्यार्थियों की तरफ़ चली। और इस बात का सबूत है कि रिक्शेवाला हाईकोर्ट कंपाउण्ड की तरफ था न कि विद्यार्थियों की तरफ। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सेन्ट्रल ऐक्सचेंज को जलाते हुये कितने विद्यार्थी पकड़े गये। वहां कितने विद्यार्थी थे जिनके कारण गोली चलानी पड़ी। मुझे बड़ा अफसोस है कि श्री गयन्दर के बारे में माननीय मंत्री जी ने ऐसा भ्रमात्मक बयान दिया। कहा गया कि लोग उसकी पिस्टल छीनना चाहते थे। जहां तक मेरी जानकारी है वहाँ डेढ़ फर्लांग तक उस वक्त कोई उत्तेजना नहीं थी। जब श्री गयन्दर पर गोली चलायी गयी तो एक फर्लांग तक कोई भीड़ न थी। वहां के जो लोग गवाह हैं उनका कहना था कि उस वक्त वहां कोई उत्तेजना नहीं थी और ऐसी हालत में उस नवयुवक की हत्या कर दी गयी। इस पर भी यह कहा जाता है कि यह सुनिश्चित था। जब यूनिवर्सिटी कैम्पस में रात पुलिस गयी तो पिच्ड बैटिल हुई और पुलिस स्ट्राइकर्स को ले कर चली आई। लेकिन अगर ऐसा होता तो वहां उसी समय ईंट से ईंट बज सकती थी।

आज श्री बनारसी दास जी ने गांधी जी की याद दिलायी। गांधी जी को कौन नहीं मानता? लेकिन गांधी जी की सब से बड़ी खूबी यह थी कि वे अपनी भूल को स्वीकार कर लिया करते थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के एक गृह मंत्री १४ तारीख को कहते हैं कि किसी लड़की को चोट नहीं लगी और.....

श्री अध्यक्ष—उन्होंने सदन से इसकी माफी तो मांग ली। इसके लिये उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं उस खेद प्रकट करने का स्वागत करता हूं। इसके लिये मैं उनका दिल दुखाना नहीं चाहता। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने १४ तारीख को यह एक वक्तव्य दिया, उसके बारे में जो ३१ अक्तूबर और १, २ नवम्बर को हुआ था। इस प्रकार से पुलिस के अधिकारियों ने सरकार को डेढ़ महीने तक धोखे में रक्खा। इसी प्रकार से श्री गयन्दर की मृत्यु के बारे में तथा सेन्ट्रल ऐक्सचेंज के वाकये के बारे में भी उनको धोखे में रखा गया है। माननीय गृह मंत्री कई प्रकार से इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते थे। जुडीशियल इंक्वायरी करा सकते थे, सी० आई० डी० से भी इंक्वायरी करा सकते थे। उन्होंने जो इस प्रकार से एक ऐडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी करायी यह बिलकुल गलत है।

आज मुझे आशा थी कि माननीय गृह मंत्री जी अपनी भूल को स्वीकार करेंगे । पुलिस की ग़लती को जस्टीफाई करना उनके लिये यह एक शोभा की बात न थी । गांधी जी तो बड़ी-बड़ी भूलों को स्वीकार कर लिया करते थे । यही उनमें महत्व की बात थी । लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने जो पुलिस वालों ने बयान दिया, उसी को दुहरा दिया । मुझे सबसे बड़ा दुख तो इस बात का हुआ कि लखनऊ के चन्द कर्मचारियों ने माननीय मुख्य मंत्री को और पूरी केबिनेट को धोखे में डाल दिया । यह बड़ा सख्त खतरा है । यह तो एक बड़ा सख्त खतरा है जिसको हम विधान सभा के सदस्यों को देखना चाहिये कि यह नौकरशाही आगे कौन सा रंग लाने वाली है । सख्त कौन सा दिन हिन्दुस्तान में आने वाला है इस बात की तरफ माननीय गृह मंत्री का ध्यान जाना चाहिये । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें विद्यार्थियों का हाथ था या नहीं था यह सब तो बाद में होगा। क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी जुडिशियल इंक्वायरी हाई कोर्ट के जज द्वारा तो नहीं करा रहे हैं लेकिन यह साबित हो गया कि जो तोड़ फोड हुये, जो ध्वंसात्मक आन्दोलन हुए उनमें इनका हाथ नहीं था, इस बात को माननीय गृह मंत्री जी भी जानते हैं । ऐसी सूरत में लखनऊ यूनिवर्सिटी को एक प्रेस्टिज का प्रश्न बना लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर के बारे में कुछ नहीं कह सकता लेकिन चांसलर के बारे में कहता हूं कि जब विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधि मण्डल उनसे मिलने गया तो उन्होंने ये उद्गार प्रकट किये कि –"इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने तो बिलकुल आत्मसमर्पण कर दिया ।" इस बात को तो सारी दुनिया जानती है कि विद्यार्थी उच्छृंखल होते हैं, जैसा कि अभी बेगम साहिबा ने कहा, उससे उनका मंतव्य माननीय गृह मंत्री जी भी अच्छी तरह समझ गये होंगे लेकिन यह पुलिस तो एक सुनियोजित सरकार की थी । उसको इस तरह के खेल खेलने की क्या जरूरत थी ? आज तो यहां की हालत इतनी बदतर हो गई है कि इसी सरकारी केबिनट के अन्दर का एक सुपरिंटेंडेंट एक हजार रुपये लेकर जिसमें उसकी तथा उसके एक साथी की तनख्वाह थी शहर के अन्दर गया जिसे वहां छीन लिया गया । वह डर के मारे यहां कह भी नहीं सकता, क्योंकि अगर कहता है तो उसकी नौकरी जाती है । अगर इस समय बच भी जायगा तो ४, ६ महीने बाद कोई न कोई बहाना निकाल कर उसे हटा दिया जायगा । तो जो हमारी सरकार है वह आज इस तरह खुला नृत्य कर रही है । सरकारी कर्मचारी ही, कैबिनेट के आदमी ही अपनी सरकार से इतना डरते हैं, यह देखकर मुझे बहुत दुख होता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी मालूम हुआ है कि जगदीश गयन्दर के मामले के सिलसिले में पुलिस ने एक आदमी से यह कहा कि तुम कह दो कि विद्यार्थियों की एक भीड़ बड़ी उत्तेजित थी जो सब-इंस्पेक्टर पर हमला कर रही थी । लेकिन उस शख्स ने इस तरह की कोई गवाही नहीं दी । अब सुनने में आया है कि उनके ऊपर एक चार्ज शीट लगा दिया गया है कि ये जेल डिपों पर हमला करने की योजना बना रहे थे । माननीय अध्यक्ष महोदय, लालबाग का एक केस मुझे मालूम हुआ कि पुलिस एक पान वाले को पकड़ लायी, जिसे रेलवे-यार्ड के उधर ले जाया गया और उससे कहा गया कि तुम इस बात को कह दो कि हमने देखा कि ये आदमी बसों में आग लगा रहे थे । लेकिन उसने कहा कि इस आन्दोलन को देख कर मैं तो अपनी दूकान ही बन्द करके चला गया था । तो मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि आज इतने दिन हो गये लेकिन सरकार ने इसको अपनी प्रेस्टिज का प्रश्न बनाये रखा है । इलाहाबाद में भी इसी क़िस्म की बात थी, यानी विद्यार्थी यूनियन कांस्टीट्यूशन में विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों का हाथ हो ।वहां की समस्या तो आसानी से सुलझ गयी लेकिन यहां के वाइस-चांसलर, चांसलर और ट्रेजरर ने इस विषय को सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया । उसका सबूत यह है कि जिस वक्त श्री चन्द्रभानु गुप्त ने विद्यार्थियों को बुला कर यह कहा कि तुम्हारी सब मांगें मंजूर हो जायंगी, एक मिनट के अन्दर ही उनकी सारी मांगें मंजूर हो गयीं और सारा विद्यार्थी आन्दोलन भी समाप्त हो गया । जब भी विद्यार्थियों के ऊपर इस बात का दोष लगाया जाता है तो चाहे विजय कुमार रह हों या चन्द्रभाल त्रिपाठी उसके नेता रहे हों, मैं तो उन विद्यार्थियों के धैर्य की सराहना करता हूं कि जो चार महीने से हंगर

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

स्ट्राइक कर रहे थे फिर भी वे शान्त रहे। पुलिस जब भारतीय ललनाओं के केश खींचने लगी, अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इस मौक़े पर द्रौपदी की कहानी याद आ जाती ह, मुझे तो इन पुलिस वालों के ऊपर शर्म आती है जब कि इतने निहत्थे लोगों पर गोली चलायी ,उसके बाद विद्यार्थी उत्तेजित हो गये तो फिर इसमें आश्चर्य की बात ही क्या थी ? माननीय अध्यक्ष महोदय, एसी परिस्थिति में उन निहत्थे विद्यार्थियों क ऊपर गोली चलाना कोई जस्टिफिकेशन नहीं कहा जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर इस बात को दोहरा देना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी को अपनी ग़लती मान लेनी चाहिये और चन्द पुलिस अधिकारियों की ही तो बात है, जो अपराधी हों उनको सजा देनी चाहिये।

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरा नाम अभी मेरे माननीय मित्र राम नारायण जी ने लिया है जिसमें उन्होंने कुछ यह कहा है कि मैंने विद्यार्थियों से इस प्रकार की बातें कहीं, मैं परसनल एक्सप्लैनेशन देना चाहता हूं कि जिस रूप में उन्होंने इस विषय को रखा उस रूप में मैंने विद्यार्थियों से कोई बातें नहीं कहीं। क्यों कि जब जब मुझसे विद्यार्थी मिलने आये तो मैंने कह दिया कि जो तुम्हारी उचित बातें हैं, जो तुम्हारे हित की बातें हैं, जो विश्वविद्यालय के हित की बातें हैं वह सदैव विश्वविद्यालय मानेगा और हर एक्जी-क्यूटिव कौंसिल के सदस्य और शिक्षक गण जितने विश्वविद्यालय के हैं, मानेंगे, लेकिन जो विद्या-र्थियों के हित में नहीं है, विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, उसे विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव कौंसिल, जहाँ तक मैं जानता हूं, कभी स्वीकार नहीं करेगी।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से माननीय राजनारायण जी और श्री झारखंडे राय की व्याख्या को सुना। इसमें संदेह नहीं है कि तीस अक्तूबर से दूसरी नवम्बर तक जो घटनायें लखनऊ नगर में घटी हैं वे सब एक दुःख की बात हैं। इस प्रकार की घटनायें घटित होना हमारे देश और समाज के लिये हित कर नहीं है। जहां तक इन घटनाओं से पीड़ित लोगों का सम्बन्ध है उनके प्रति सभी को सहानुभूति है और सभी को उसका अफसोस है लेकिन घटनाओं का कारण क्या रहा और इस हद तक इन मामलात को बढ़ाने की जरूरत क्यों पेश आयी इस पर हाउस में मतभेद है। माननीय राजनारायण जी ने अपनी स्पीच म शुरू से ही हर वाक्य में पुलिस का नाम लिया। कोई बात उन्होंने ऐसी नहीं कही जिसमें पुलिस का नाम शामिल नहीं था। और यदि कहीं पुलिस को भूल भी गये तो उसके स्थान पर सरकार को शामिल कर लिया लेकिन उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं कही जिससे कोई सुनने वाला आदमी यह समझ सके कि यह एक बिलकुल आजादाना दिमाग़ और आजादाना ख्याल की बात कही जा सकती है। उनकी पक्षपात से भरी हुई बातों को सुनने के बाद यह जाहिर होता था कि वह एक खास पार्टी और किसी खास उद्देश्य से दिलचस्पी रखते हैं और उसके मातहत उनकी भाषा और उनका एक एक शब्द निकल रहा था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पुलिस और विद्यार्थियों के संघर्ष का सम्बन्ध है मैं तो यह समझता हूं कि न पुलिस वाले ही कोई अलग चीज़ हैं और न विद्यार्थी ही और वह इसलिये कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी भी सन्तानें विद्यार्थी के रूप में विश्वविद्यालय में हैं। जो विद्यार्थी हैं उनमें से ही लोग आज पुलिस के अधिकारी हैं या भविष्य में भी उनमें से पुलिस के अधिकारी बनेंगे। यही नहीं, जिनको हम आज विद्यार्थी के रूप में देख रहे हैं भविष्य में उनमें से ही हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का स्थान ग्रहण करेंगे, अथवा माननीय गृह मंत्री जी का स्थान ग्रहण करेगे। फिर मैं नहीं समझता कि किस तरह से हम आज पुलिस और विद्यार्थियों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं? किस तरह से विद्यार्थियों को अपनी सरकार से अलग कर सकते हैं? फिर इस तरह की बात कहना जिससे विद्यार्थी बिलकुल हमसे अलग मालूम हों, पुलिस और विद्यार्थियों का कोई सम्बन्ध न हो, या सरकार का विद्यार्थियों का कोई सम्बन्ध न हो, कहां तक उचित हो सकता है। और यदि उनको अलग किया जाना है तो सिवाय इसके कि इसमें कोई खास उद्देश्य शामिल है, और कुछ नहीं। हम एक वर्ग को अपने हाथ में लेकर उनकी भावनाओं

को अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिये उभार कर उसकी पूर्ति के लिये यह सब कुछ कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो लखनऊ का रहने वाला नहीं हूं, लखनऊ से बहुत दूर का रहने वाला व्यक्ति हूं और जो कुछ घटनायें घटीं उन सबको मैंने अखबारों में पढ़ा है, और लोगों के व्याख्यान सुने हैं और विरोधी दल के लोगों के भी व्याख्यान सुने हैं। झारखंडे जी की बात भी सुनी और सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह विद्यार्थियों का मामला केवल विद्यार्थियों का मामला बन कर ही नहीं रह गया है बल्कि एक राजनैतिक दंगल बन गया और राजनैतिक दंगल बनने के कारण ही इस मामूली बात ने एक भयानक रूप धारण कर लिया। इसके फलस्वरूप १, २ नहीं, बल्कि कई हत्यायें हुईं। श्री गयेन्द्र जैसे होनहार नवयुवक स्वर्गवासी हुये। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजनारायण जी ने अपने भाषण में यह कहा कि गयेन्द्र की मृत्यु पर कोई अफसोस भी जाहिर नहीं किया गया। शायद वह इस बात को भूल गये कि श्री गयेन्द्र जब अस्पताल में थे तो उनको देखने के लिये हमारे मुख्य मंत्री जी स्वयं गये थे। इससे बड़ी सहानुभूति और क्या हो सकती है।

जहां तक और जिम्मेदारी की बातें हैं माननीय राजनारायण जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि वह उन दिनों यहां पर मौजूद थे। माननीय उपाध्याय जी ने तो यह माना ही है कि वह यहां उपस्थित थे और श्री रामनारायण जी ने भी ऐसा जाहिर किया है कि उनको व्यक्तिगत तरीके से इन सब मामलों की जानकारी अच्छी तरह से है। मैं नहीं जानता कि इतनी चीजें उनके इल्म में जब हैं और यह सब लखनऊ में मौजूद थे तो फिर उन्होंने इन मामलों में कितनी जिम्मेदारी ली और वह इस बीच में सरकार के पास क्यों नहीं पहुंचे और सरकार को जाकर क्यों नहीं बताया कि इस तरह से गलती हो रही है और वह ऐक्शन नहीं होना चाहिये ! मैं समझता हूं कि सिवाय इसके इनका उद्देश्य कुछ नहीं है कि विद्यार्थी समुदाय के संघर्ष को राजनैतिक दंगल बना लें और उनको एक राजनैतिक खिलौना बना कर उनकी जान और माल के साथ खेलें। वह जनता की सम्पत्ति थी जिसके विनाश का हमारे गृह मंत्री महोदय ने विवरण दिया कि एक लाख ५३ हजार की हानि हुई वह हमारे समाज की ही हानि हुई है।

जहां तक झारखंडे राय जी की बात का सम्बन्ध है मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि एक तरफ तो वह आर्थिक विषमता को मिटाने की बात करते ह और दूसरी तरफ उन्होंने यह कहा कि हमारी कम्युनिस्ट पार्टी छिपकर नहीं बल्कि सामने आकर काम करना चाहती है। उनका कहना यह है कि यह आर्थिक और सामाजिक विषमता का ही फल है जिसकी वजह से देश में आज मुसीबतें हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि उस आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता और राजनैतिक विषमता को मिटाने के लिये दूसरी पार्टियां भी कटिबद्ध हैं। जिनको वह पूंजीपतियों की पार्टी कहते हैं उस पार्टी के अन्दर भी ऐसे बहुत लोग मौजूद हैं जो इस मामले में उनसे कहीं आगे हैं। उनका भी रास्ता ऐसा है कि जिससे देश का हित होगा और देश के रहने वाले गरीबों को लाभ होगा। वह बतलावें कि आज विनोबा भावे जी के साथ कहां कहां गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिये घूमे हैं ? हमारे गांधीवादी भाई देहात देहात उस गरीबी को मिटाने के लिये आज घूमते हैं और उन गरीबों की हमदर्दी लेकर इस आर्थिक विषमता को मिटाना चाहते हैं, रचनात्मक कार्य करके समाज में जो विषमतायें हैं उनको मिटाना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ जो घटना घटित हुई है उस पर मुझे अफसोस है और मैं अपने विद्यार्थी भाइयों से आशा करता हूं कि वे राजनैतिक झंझटों से दूर रह कर अपने देश को ऊपर उठाने की बात सोचें।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पंत)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अत्यन्त खेद है कि हमारे सदन में इस प्रकार के विषय पर विवाद की आवश्यकता हुई। आज क्या

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

सदन में और क्या सदन के बाहर बहुत से रचनात्मक कार्यों को करना है जिसका जिकर झारखंडे जी ने किया कि आर्थिक और दूसरे प्रश्नों का हमें हल करना है और उनमें हमारी सारी सामूहिक और व्यक्तिगत शक्ति का लगाना आज आवश्यक है। हम यह देखते हैं कि जब कोई इस किस्म की बातें होती हैं तो हमारा कार्यक्रम पिछड़ जाता है। हम उन बातों में, जिनसे देश बनता नहीं, फंस जाते हैं, इसलिये मुझे दुःख होता है। मुझे इस बात की वेदना है कि इन घटनाओं में श्री गयन्दर की और दूसरे दो गरीबों की मृत्यु हो गई। मैं नहीं जानता उनका कोई दोष था या नहीं, क्योंकि एस अवसरों में सबसे बड़ी दुःख की बात यह होती है कि जो इस तरीक़े पर शिकार बनते हैं वह निरपराध होते हुये भी फंस जाते हैं। इसलिये उनके लिये सबको दुःख होता है। मुझे इसका भी अत्यन्त क्षोभ है कि इन घटनाओं से हमारे उत्तर प्रदेश की बदनामी हुई, यहां के लोगों की हुई, यहां की सरकार की हुई और हम में से हर एक की हुई और इससे चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल के हों, सिवा शायद कम्युनिस्ट पार्टी के, इन बातों से कभी भी किसी को कोई अपने कार्य के करने में या अपने प्रोग्राम को सफल बनाने में सहायता नहीं मिल सकती है, चाहे क्षणिक सन्तोष किसी को भले ही हो जाय, पर यह सब चीजें हमारी बुनियाद को तोड़ती हैं। आखिर विरोधी दल के नेता जी ने डेमोक्रेसी का नाम कई बार लिया। हम सब लोग जो यहां बैठे हैं यहां डेमोक्रेसी के नाम पर ही आये हैं। तो क्या हमारी डेमोक्रेसी के पनपने के लिये इस बात की आवश्यकता है या नहीं कि हम सब कुछ मौलिक बातों को मानें और अहिंसा, शान्ति और अमन को क़ायम रखना अपना सबका कर्तव्य समझें? और बातों में हममें भेदभाव हो सकता है और चाहे हमारी विचारधारा कुछ भी हो परन्तु उसके अनुसार कार्य करने का अवसर हमें तभी मिल सकता है जब कि हमारे समाज में शान्ति हो। अगर शान्ति अलग हो जाय तो हम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। हमें अपनी नाजुक स्थिति को समझना चाहिये।

हमारे पड़ोस में देश हैं जिनके बारे में सुना जाता है कि वह यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका से सैनिक सन्धि करने का उद्योग कर रहे हैं। हमें अभी आजाद हुये थोड़े से वर्ष ही हुये हैं। हमारे यहां धर्म सम्प्रदाय के तमाम भेदभाव हैं और उन सबके होते हुये भी हमें समझना है कि हमारी वास्तविक अवस्था क्या है और इसके साथ साथ करोड़ों आदमी दुखी हैं, करोड़ों नंग हैं, रात दिन जाड़े में थरथराते हैं और हम उनके लिये अभी तक खाने पहिनने के लिये सामान मुहय्या नहीं कर पाये हैं। ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में हम राजनीतिक शतरंज की चालों में पड़कर वास्तविक बुनियादी बातों को भूल जायं, यह हमारे लिये हितकर नहीं है।

मैं आप से कहता हूं कि मुझे इस बात का बहुत दुःख हुआ कि हमारी इतनी राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान हुआ, गयन्दर जैसे नवयुवक और दो वह जिनका नाम भी हम नहीं जानते, चले गये। कई को चोटें लगीं, पुलिस वालों के भी लगीं औरों के भी लगीं। यह सब हुआ, तार काटे गये, कितने ही बल्ब टूटे। इस पर भी किसी को जिम्मेदारी महसूस नहीं हुई। आखिर हमारा देश कैसे चल सकेगा, अगर इस तरीके पर हम लोग राष्ट्रीय सम्पत्ति का ध्वंस करते जावें और हमारी जनता में उससे न तो कोई क्षोभ हो, न कोई उसके कारण यह प्रवृत्ति पैदा हो कि इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, नहीं करते तो हमारी चीज जाती है। मैं समझ सकता हूं कि नवयुवकों को कभी रोष आ जाय, मैं समझ सकता हूं कभी एक भला आदमी भी गलत काम कर जाय, परन्तु सारी जनता जो कि लाखों की तादाद में है, वह सब की सब अकर्मण्य हो जाय और उसके सामने सारी राष्ट्र की दौलत बरबाद हो, यह एक बड़ी चिन्ताजनक

बात है और इससे मुझे काफी धक्का लगा और सब से ज्यादा धक्का लगा मुझे इस बात से कि हमारे उत्तर प्रदेश के नवयुवकों की बदनामी हुई। वे हमारे नौनिहाल हैं, हमारा भविष्य उन पर निर्भर है। आज यदि मैं अपनी तरफ से सेवा करने का उद्योग करता हूं तो इसी भरोसे पर कि कल को मेरे लड़के और मेरे भतीजे और सब नवयुवक जिनको कि मैं अपने लड़कों का साथी समझता हूं, वे जिस काम को मैं नहीं कर सकता उसे करके दिखायेंगे। मैं समझता हूं हमारे देश ने बड़े बड़े नेताओं को पैदा किया, मदनमोहन मालवीय जी हुए, मोती लाल जी हुए, परन्तु उस पीढ़ी से बढ़कर आज जवाहर लाल हैं जो कि आज सारे देश के, संसार में एक राष्ट्रीय नेता हैं और मैं चाहता हूं और मैं आशा करता हूं और यही हम लोगों के हौसले को बढ़ाने वाली बात है कि हमारे नवयुवकों में जवाहर लाल से भी बड़ा लाल निकले। इसी आशा से हम काम करते हैं। पर जब उनकी किसी तरह से गिरावट का मामला होता है, जब उनकी शान में बट्टा लगता है, तो हम समझते हैं कि आखिर हमारे जीवन का आदर्श क्या रह जाता है? हम किस चीज के लिए खड़े हैं? और मैं यह भी मानता हूं कि जो कुछ हुआ, उसमें म अपनी कमी समझता हूं। मैं समझता हूं ठीक ऐसी अवस्था नहीं आनी चाहिए थी। मुझमें यह योग्यता होनी चाहिए थी कि मैं नवयुवकों के दिल को अपने साथ रख सकता। अगर नहीं रख सकता तो उतनी कमी है। इसलिए मुझे हर तरह से उसका रंज है, उसका अफसोस है और उसकी लज्जा है। और आज मेरे सामने अगर कोई प्रश्न है, तो वह यह है कि हम क्या करें जिस से कि हमारे नवयुवकों के दिल फिर हौसले से भर जायं। जो भविष्य उनकी तरफ ताकता रहा है, वह उस भविष्य में इस सारे भारत को ऊंचा उठाने का काम कर सकें। हमें उसमें अपने मन को लगाना है और उसके लिए अपने तमाम कर्त्तव्यों को पूरा करना है और मैं आशा करता हूं कि जो कुछ होता है, वह कुछ न कुछ सबक सिखाता है। भली बात हो चाहे बुरी बात हो, जितनी घटनायें हुईं, उनसे हम सब सबक सीखेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी इसमें कमियां रही हों, हमारी समझ में, हमारे सम्पर्क में, हमारे पारस्परिक विश्वास में, वह दूर हो जायं, क्योंकि नवयुवकों के ऊपर ही भरोसा है और अगर वह टूट जाय तो देश फिर स्वयं टूट जाता है।

परन्तु जहां तक इस विशेष घटना का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इसको बेलाग तरीके पर देखा जाय, तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ राजनीतिक एक्सप्लायटेशन या राजनीतिक प्रेरणा की और राजनीतिक दलबन्दी में फंस जाने की बात है और उससे उठने की जरूरत है। यहां पर झारखंडे राय जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों के साथ कोई किसी किस्म की राजनीतिक संस्था का सम्बन्ध न हो। मैं चाहता हूं कि वह स्टूडेंट्स फेडरेशन को तोड़ दें और स्टूडेंट्स फेडरेशन को तोड़ देंगे तो मालूम पड़ेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ने संगठित रूप से विद्यार्थियों पर कब्जा करने का तरीका छोड़ दिया है। और जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव किया और सबसे इसबात की प्रार्थना की है कि जहांतक नव-युवकों का ताल्लुक है उनको राजनीतिक दलबन्दियों में न फंसाया जाय। कहा जाता है कि कांग्रेस राजनीतिक भावों से पूरित होकर बालकों में काम करती है। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल निराधार और मिथ्या बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सभी मानते हैं कि कांग्रेस वालों की टोपी जलायी गयी, कांग्रेस का प्रतीक जलाया गया, कांग्रेस आज जैसी भी सत्ता को रखती है, परन्तु किसी दूसरे राजनीतिक दल की कभी टोपियां या कभी किसी की ध्वजा जलायी गयी? कहीं के नवयुवकों ने किसी दूसरे रंग की टोपी को जलाया? किसी के प्रतीक को जलाया? तो कौन फिर एक्सप्लायट करने की कोशिश कर रहा है? कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि यह विश्वविद्यालयों पर कब्जा करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि आज नरेन्द्रदेव जी काशी विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर हैं और वह सोशलिस्ट पार्टी के एक सर्वमान्य नेता हैं और हमारे हृदय में भी उनके लिए काफी श्रद्धा है और इससे पहले वे यहां भी हमारी इस लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर थे। आप तमाम विश्वविद्यालयों को देखिये। आपको कहां कांग्रेस के वाइस-चांसलर मिलते हैं? कहां कांग्रेस ने उद्योग किया है कि हम विश्वविद्यालयों पर कब्जा करें?

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

कौन सी बात कांग्रेस ने की है ? मगर आचार्य जुगल किशोर के लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर होने ही से एक राजनीतिक वातावरण पैदा करने का ऐसा कुछ व्यक्तियों ने उद्योग किया जिस से वह कार्य ठीक न कर सकें और वह एक राजनीतिक भ्रान्ति में आ कर फंस जावें। इसलिए मैं एक बात साफ करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि नवयुवकों में जाऊं और कांग्रेस वाले जायं, और गांधी जी का उद्देश्य और गांधी जी का जो आदर्श था वह उनके सामने रखें, मगर मैं नहीं चाहता कि वे कांग्रेस के बन्धन में पड़ें, वे किसी दल के बन्धन में पड़ें। वे सब से ऊंचे बनेंगे, कांग्रेस को भी ऊंचा बनायेंगे अगर वे राजनीतिक बन्धनों में न पड़कर अपना कर्त्तव्य पालन करेंगे। मैं चाहता हूं कि उनके हृदय का विकास हो, उनका मस्तिष्क सुसज्जित हो और उनकी आत्मा हर तरह से आगे आकर अपने प्रभाव को दिखलावे और वह इस भारत को बनावें। उनका किसी दलदल में फंसना हमारे लिए किसी तरह से हितकारी नहीं है।

पर विश्वविद्यालयों के लिए मैं आप से कहता हूं कि गवर्नमेंट यह चाहती है कि जहां तक सम्भव हो, हम अलग रहें और आप को मालूम हो या न हो, इलाहाबाद युनिवर्सिटी के अधिकारियों ने बार बार कहा कि यहां गवर्नमेंट आकर मदद करे, मगर हमने उससे अलग रहना ही ठीक समझा और मना किया। इसी तरह से यहां, आपको मालूम हो—मैं कोई लड़कों की यहां पर भर्त्सना करने के लिए कोई बात नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ वाकयात को कह रहा हूं—विश्वविद्यालय के अन्दर बालकों ने जो किया उसमें कभी कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। लड़के बाहर आये। बाहर आकर उन्होंने हड़ताल करायी। यह कहना मेरी समझ में अत्युक्ति नहीं होगी कि दुकानदारों ने हड़ताल की, अपनी रोजी खोयी, नुकसान उठाया, इसलिए नहीं कि वह कोई इस बात को जानते थे कि यह ठीक है, बल्कि इसलिए कि लड़कों को नाराज करना नहीं चाहते थे। इसे आप डर की बात कहें या नहीं, लेकिन कुछ डर की मात्रा तो हो ही जाती है। लोगों ने हमसे कहा कि सरकार क्या अपने फर्ज को अदा नहीं कर सकती ? दुकानें बन्द कर दी गयीं, लोग रिक्शा और तांगे नहीं चला सकते और सरकार है कि मूक की तरह खड़ी रहती है, उसका क्या कर्त्तव्य है? परन्तु फिरभी हम खामोश रहे, हमने कुछ करना आवश्यक नहीं समझा, गोकि करना उचित होता और यह एक भावना हमारी थी कि हम शायद अपने कर्त्तव्य को नहीं कर रहे हैं। अगर सर्वमत से विद्यार्थी कुछ करना चाहें, तो कोई रोक नहीं सकता। मगर बहुमत विद्यार्थियों का किसी काम को करना न चाहे, और कुछ थोड़े से विद्यार्थी सारे विद्यार्थियों के समाज को कोअर्स करना चाहें, यह बात उचित नहीं है, किसी संस्था के लिए उचित नहीं है और विद्यार्थियों के लिए भी उचित नहीं है। आप जानते हैं कि ५ तारीख से २१ तारीख तक लखनऊ युनिवर्सिटी में कोई दंगा नहीं हुआ। मगर २१ तारीख को जब हड़ताल हुई तब युनिवर्सिटी का वायुमंडल बिलकुल बदलने लगा। लड़कों की पढ़ायी की तरफ से हड़ताल की तरफ नजर जाने लगी और जो विद्या पढ़ रहे थे उन्होंने अपने कर्त्तव्य को छोड़कर इस आन्दोलन की तरफ जाना शुरू कर दिया। ऐसी अवस्था में फिर जैसा कि आपके माननीय गृह मन्त्री जी ने बतलाया बहुत सी बातें हुईं, तरह तरह के नारे लगाये गये। यह जो कहा जाता है कि विश्वविद्यालयों को स्वतंत्र रखना चाहिए, हमने तो वही किया। हमने तो यहां तक किया कि अमीनुद्दौला पार्क में लड़कों ने पब्लिक मीटिंग की, गवर्नमेंट की खूब भर्त्सना की मगर उस पर हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो कुछ किया, उस पर हम खामोश रहे। परन्तु जब २८ तारीख को वाइस-चांसलर का लेटर आया तब हमें कुछ करने के लिए विवश होना पड़ा। मैं आपको उस खत का कुछ हिस्सा सुना देना चाहता हूं, उसमें आखिर में यह है—

"As you will see the expelled students, who have constituted themselves into a Council of Action, have with a view to imposing their will upon the University authorities:

(*a*) systematically defied the discipline of the University ;

(*b*) held meetings in the University campus, organised demonstrations in defiance of the directives of the authrotities ;

(*c*) have, by criminal force, broken open the University building and unlawfully taken possession of the same, and have been in its occupation ;

(*d*) have been trying to create more tension among the students and incited them to violence ;

(*e*) have sent batches of students for starting hunger-strike before the houses of the members of the Executive Council, thus creating widespread panic ;

(*f*) have threatened to conduct a series of demonstrations which would disturb the normal life of the city ; and

(*g*) have been in contact with the students in other parts of the State fomenting an agitation so that their defiance may lead to a general movement of defiance among the students of the State.

The University property, building property and offices are at the mercy of this group and are in danger of being seriously damaged."

खैर, यह इस तरीके पर उन्होंने कहा कि आप इसमें कार्यवाही कीजिये, आप का फर्ज है। अब मैं आप से पूछता हूं कि क्या हमने मुदाखिलत की ? सवाल हमारे सामने यह था कि जिस गवर्नमेंट से मदद पाने का हर शख्स हकदार है, अगर उसका यह अन्देशा होता है कि नियम के अनुसार चलने में और जो उसका कर्त्तव्य है उसको पूरा करने में उसके ऊपर जब्र हो रहा है, और वह नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट क्या कह सकती है कि हम युनिवर्सिटी को मदद नहीं देंगे ? जो गवर्नमेंट हर एक को, और ऐसे आदमियों को जो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तमाम बुराइयां करते हैं, मदद देती है, तो अगर युनिवर्सिटी की अथारिटीज कहें कि हमारे यहां बड़ा भारी उपद्रव हो रहा है, हमारी जायदाद खतरे में है, मकानों के तोड़े जाने का हम खतरा देख रहे हैं, पढ़ाई बिलकुल बन्द हो गयी है, हमने युनिवर्सिटी को बन्द किया, फिर भी काम नहीं चला, आप हमारी मदद कीजिये, तो गवर्नमेंट का क्या फर्ज है ? क्या दुनिया की कोई गवर्नमेंट ऐसी दशा में कह सकती है कि हम मदद नहीं करेंगे ? और फिर जब मदद में वहां पुलिस को जाना पड़ा, तो पुलिस क्या करती ? पुलिस ने दो घंटे इसमें लगाये कि कोई बात न हो।

आज कहा जाता है कि पुलिस को फौरन उठा ले जाना चाहिए था। क्या एक मनुष्यत्व दिखलाना और इस तरीके का व्यवहार करना अपराध है ? वह जब लड़कों को समझाने में सफल नहीं हुए तो जब पुलिस जाती है, तो खाली हाथ तो जा नहीं सकती है, उसको अपना कर्त्तव्य पूरा करना ही है, फिर वह मारे जायं, या पीटे जायं। फिर भी मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। एक आदमी के सामने दब जाना जरूरी है या लाखों आदमियों के लिए ऐसी अवस्था लायी जाय कि वे अपने हकों को पूरी तरह से एंज्वाय कर सकें। इस गवर्नमेंट का फर्ज हो जाता है कि चाहे कितनी भी मुहब्बत किसी से हो, उसको ऐसी बात न करने दें जिससे लाखों को अपनी दिनचर्या को ईमानदारी से पूरी करने में बाधा पड़े। इसलिए जब यह करना पड़ा, तो इसमें आपत्ति किस बात की है।

अब फिर कहा जाता है कि साहब दूसरे दिन क्या हुआ। दूसरे दिन जो हुआ वह बड़ा दुखप्रद हुआ। मैं आप से कहता हूं कि पहले दिन जो कार्यवाही हुई, मैं नहीं समझता था कि ऐसी बात लखनऊ में हो सकती है और न मुझे ऐसी कल्पना ही थी। मैं अपने नगर को एक बहुत ऊंचे तबके का समझता आया हूं। हमने क्या किया। सीधी सी बात है, हम हंगर स्ट्राइक करने वालों को ले आये। आपको मालूम हो या न हो। एक लड़के का बाप आया और उसने कहा कि किसी तरह से हमारे बच्चे को बचा लीजिये। मेरे पास भी आया और शायद गृह मन्त्री जी के पास भी गया होगा और जो लड़के हंगर स्ट्राइक

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

कर रहे थे उनके पास भी गया मगर वह कामयाब नहीं हुआ । उसने कहा कि साहब क्या अनर्थ की बात है, आप हमारे बच्चे को नहीं बचायेंगे ? अब आप बतलाइये कि गवर्नमेंट का क्या फर्ज हो जाता है ? फिर लड़कों को वहां से हटाया गया तो कौन सी अनर्थ की बात हो गयी । क्यों यह परिणाम उसका हो ? उनमें इतनी उत्तेजना नहीं होनी चाहिए ।

फिर दफा १४४ लगी हुई थी । लड़के हजारों की तादाद में आये । कुछ वहां से आये और कुछ शहर से जमा हो गये, बावजूद इसके कि ५ आदमियों से ज्यादा के जमा होने की इजाजत नहीं थी । पर लड़कों की वजह से फिर अथारिटीज खामोश रहीं। कुछ नहीं किया। एक तो उनको कानून के खिलाफ सब कुछ करने दिया गया, फिर कहा जाता है कि फायरिंग हुई । मैं कहता हूं कि पहले टेलीफोन एक्सचेंज के तार काटे गये और उन तारों के कटने के कारण लोगों में चिन्ता हुई । अब ऐसा मालूम होता है कि इन तारों के कटने में शायद पहले से कुछ ऐसा प्लान रहा हो । उन तारों के कटने पर एक ऐसी भावना पैदा हुई कि अब तो इसकी रक्षा करनी है । एक तरफ से हजारों लड़के खड़े थे और फिर गुण्डे भी आ गये जिनको कि कहा जाता है कि उन्होंने यह सब किया । मैं नहीं जानता कि उनमें कौन कौन थे और कौन कौन नहीं थे । मगर ऐसी अवस्था आ गयी कि तमाम टेलीफोन एक्सचेंज कट जायं, वहां के सब तार काट डाले जायं और फिर किसी जगह से भी सम्बन्ध न रह सके । तमाम कम्युनिकेशन्स को दूर कर देना और उनको बेकार कर देना किसी खास पार्टी का प्लान था । इस लिए इस बात की जरूरत थी कि आखिर क्या किया जाय । उस वक्त मैजिस्ट्रेट ने उसकी रक्षा करने के लिए यह समझा कि फायरिंग करना लाजिमी हो गया है । आपको इस से भी मालूम हो सकता है कि यह जो फायरिंग हुई, ज्यादातर टेलीफोन एक्सचेंज के आदमियों को इसमें ज्यादा चोट लगी और टेलीफोन एक्सचेंज के पास ही सब कुछ हुआ । इससे जाहिर होता है कि अगर टेलीफोन की रक्षा करना आवश्यक था तो फिर और क्या किया जा सकता था ? मैं यह नहीं कहता कि पुलिस हमेशा जिस बात को करती है, वह ऐसा ही करती है जैसा कि उसे करना चाहिए । हर गवर्नमेंट में डिफेक्ट्स रहते हैं । लेकिन अगर आप मोटे तौर पर देखें कि १५ सौ तार कटे, सैकड़ों बल्ब तोड़े गये, कितनी बड़ी तादाद में टेलीफोन जंक्शन जलाये गये, बसेज जलायी गयीं, जगह जगह तार काटे गये मगर पुलिस ने फायरिंग कितने दफे की ? तीन या चार दफे । तो यह कहना कि पुलिस ने मनमाने तरीके से गोली चलायी ठीक नहीं मालूम देता । पुलिस की गाड़ियां बराबर गश्त लगा रही थीं तो क्या वह लोगों पर बराबर गोली चलाती रहीं । लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ । इसलिए इन बातों को देख कर यह ख्याल होता है कि पुलिस ने जहां तक हुआ फोर्स का इस्तेमाल कम किया । जबकि इतनी जगह तार, पोस्ट आफिस और बसेज आदि जलायी जायं और सिर्फ फायरिंग तीन चार जगह हो, तो यह कहना कि पुलिस ने अपनी तरफ से गोली चलायी, यह कोई उनका इन्सेन्टिव नहीं दिखलायी देता, बल्कि उसने रेस्ट्रेन्ट से काम लिया । इससे जाहिर होता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी ।

इसके अलावा जहां तक इन्क्वायरी की बात है, उसकी इन्क्वायरी एटा के कलेक्टर ने की, जिसकी रिपोर्ट भी सबमिट हुई । अब दिक्कत यह है कि आप किसी से इन्क्वायरी करायें और यदि वह आपको पसन्द न हो तो वह झूठी है और इन्क्वायरी करने वाले का दिमाग ठीक नहीं । जब तक आपकी तबियत के अनुसार कोई इन्क्वायरी न करे, तब तक आप उसे मानने के लिए तैयार नहीं होंगे । दूसरी दिक्कत यह है कि यदि हम अपने मैजिस्ट्रेट को बेईमान समझ लें, तो आप ही बतलाइये ऐडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल सकता है ? इसी प्रकार जस्टिस मुखर्जी ने कलकत्ता के झगड़ों के बारे में जो अपनी इन्क्वायरी रिपार्ट दी तो आज उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने पहले इन्क्वायरी की मांग की थी, अब उस फैसले को मानने के लिए तैयार हैं ? मेरा ख्याल है कि पांच परसेंट भी ऐसे लोग न होंगे । सभी कहते हैं कि बिलकुल गलत है, यह तो होना नहीं चाहिए । अब इससे नतीजा यही निकलता है कि ऐसी इन्क्वायरी करायी जाय, जिसके

फैसले को श्री राज नारायण जी मंजूर करें, और यदि वह मंजूर नहीं करते हैं तो फिर दूसरी कमेटी बिठलायी जाय, यदि उसका भी फैसला मान्य न हो तो तीसरी। इस तरह से एक तो खर्चा अधिक होगा और फिर कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा, इसका भी कुछ पता नहीं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि आखिर पुलिसमें हैं कौन लोग ? वे एम० ए० हैं, बी० ए० हैं और इन्हीं यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थी ह। क्या उनका दिमाग खतम हो गया, जो वे अपने नवयुवकों पर गोली चलावें ? उनसे गलती हो सकती है, मुझसे कोई गलती होती है तो मैं उसको मान लेता हूं मगर मैलिस से या बदनियती से कोई बात न होनी चाहिए। यदि मलिस से कोई बात होती है तो वह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यह जो दर्दनाक वाक़यात हुये, उनको आप लोग बदनियती से न देखें। आप लोग आइडियलिस्टिक ज्यादा हैं, मगर हम लोग रियलिस्टिक ज्यादा हैं। आइडियलिज्म बिलकुल अलग चीज होती है। इस तरह लखनऊ शहर में जो दर्दनाक वाक़यात हुये और इनमें जिन लोगों को नुकसान पहुंचा या चोटें आयीं, उन आफिशियल्स तथा नान आफिशियल्स से हमारी हमदर्दी है।

अन्त में हमें यही उम्मीद है और यही हमारा ध्येय है कि हमारे प्रदेश में कभी भी ऐसी बात न हो।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ७ मिनट पर सोमवार, २१ दिसम्बर, १९५३, के ११ बजे दिन तक क लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१८ दिसम्बर, १९५३।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६८ पर।)

नक्शा भ्रष्टाचार संबंधी मामलों का, जो रायबरेली जिले में गत ३ साल (१९५०-१९५१ और १९५२) के भीतर पुलिस विभाग में पकड़े गये।

क्रम-संख्या	नाम, पद	आरोप	नतीजा	टिप्पणी
१९५०				
१	राम प्रताप सिंह, सब-इन्सपेक्टर	३६३ धारा के मुकदमें में भ्रष्टाचार किया	एक साल के लिये १२६ रु० वेतन कर दिया गया।	
२	नन्द बहादुर सिंह, हेड कांस्टेबुल	मुलजिमों की तलाशी का सामान नहीं दिखलाया	एक साल की तरक्की रोक दी गई	
३	पृथ्वी पाल कांस्टेबिल			
४	दामोदर पांडे, कांस्टेबिल	चोरी करने के जुर्म में	बरखास्त किया गया	
५	आशिक अली, कांस्टेबुल	१५० रु० एक आदमी से लिया	बरखास्त किया गया	
६	अख्तर हुसेन जैदी, सब-इन्सपेक्टर	७०० रु० एक बनिय से लिया	बरखास्त किया गया	अपील करने पर बहाल हुये और बाराबंकी तब्दील हो गय।
७	श्रीदत्त, हेड कांस्टेबुल	१४० रु० एक पासी से लिया	बरखास्त किया गया	
८	सफर उल्ला, कांस्टेबुल	३८ रु० एक आदमी छोटे लाल से लिया	बरखास्त किया गया	
१९५१				
	कोई नहीं			
१९५२				
१	जोखू खां, आफीशियेटिंग हेड कांस्टेबुल	२०० रु० श्री जगदीश प्रसाद मुन्शी इन्सपेक्टर को दिया	उसकी तरक्की ३ साल के लिये रोक दी गई और कांस्टेबुल बना दिया गया	
२	श्री सहदेव मिश्रा, सब-इन्सपेक्टर	लालगंज के एक कपड़े वाले से २५० रु० नाजायज लेने के जुर्म में	अमालनामा में इन्दराज किया गया।	

क्रम-संख्या	नाम, पद	आरोप	नतीजा	टिप्पणी
३	श्री राम औतार दायना, सब-इन्सपेक्टर			
४	महमूद इलयास, हेड कांस्टेबुल			
५	नन्द बहादुर सिंह, हेड कांस्टेबुल			
६	मुहम्मद इस्माइल, कांस्टेबुल			
७	नूर मोहम्मद, कांस्टेबुल	एक कपड़े वाले से २५० रु० नाजायज़ लेने के जुर्म में।	कोई चीज़ साबित न होने से बहाल किये गये। इन सबों को चेतावनी दी गई।	
८	मोहम्मद जलील, कांस्टेबुल			
९	बदरी बिशाल, कांस्टेबुल			
१०	मोहम्मद इशाक, कांस्टेबुल			
११	शिव पलटन, कांस्टेबुल			
१२	राम भजन, कांस्टेबुल			
१३	हसन रजा, कांस्टेबुल			
१४	अहमद हुसेन, कांस्टेबुल	श्रीमती गुलाबी को धमका कर १२५ रु० नाजायज़ तरीके से वसूल करने का शक था	३८ रु० से ३६ रु० पर तनज्जुल २ साल के लिये किया गया।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ व ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७८ पर)

देवरिया जिले के कसया पुलिस स्टेशन के अधिकार-क्षेत्र में इस वर्ष १-१-५३ से ३०-११-१९५३ तक किये गये त्ल, डकैतियां और चोरियों का विवरण--

क्रम संया	अपराध	रिपोर्ट हुई	जांच हो रही है	लापता	जांच नहीं हुई	मुकदमे अदालत में चल रहे हैं	सजा हुई	रिहा हुये
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	डकैती	१	–	–	–	१	–	–
२	कत्ल	–	–	–	–	–	–	–
३	चोरियां	३५	५	१७	२	१०	–	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८५ पर)

जिला फर्रुखाबाद में सन् १९५१ और १९५२ में क़त्ल और डकैती का विवरण—

वर्ष		कत्ल तथा डकैतियों की संख्या	जांच की गई	चालान किया गया	सजा हुई	अभी मुकदमा चल रहा है
कत्ल	१९५१	३३	३३	२५	१२	३
	१९५२	४४	४४	२६	३	२१
डकैती	१९५१	१२	१२	१०	२	७
	१९५२	२०	२०	२०	०	२०

विधान सभा फर्रुखाबाद

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७८ व ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९० पर)

मेरठ जिले के गाजियाबाद थाने में मई, जून तथा जुलाई, १९५३ में हुये क़त्लों तथा मोटर एक्सीडेंट द्वारा हुई मृत्युओं का विवरण --

कत्ल			मोटर दुर्घटनाओं द्वारा मृत्यु	
महीना जिसमें अपराध हुआ	कत्लों की संख्या तथा आई० पी० सी० की धारा, जिसक अन्तर्गत अपराध दर्ज किया गया	दोषियों को दंड देने के लिये पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही।	मृत्युओं की संख्या तथा आई० पी० सी० की धारा, जिसके अन्तर्गत अपराध दर्ज किया गया	दोषियों को दंड देने के लिये पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही
१	२	३	४	५
मई, १९५३	२ ३०२	एक मामले में भरसक प्रयत्न करने पर भी संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कोई सबूत न मिल सका। इसलिये पुलिस ने जांच समाप्त कर दी और फाइनल रिपोर्ट लगा दी। दूसरे मामले में अभियुक्त का चालान कर दिया गया है और मुकदमा अदालत में चल रहा है।	१ ३०४ ए	जांच के बाद पुलिस ने अभियुक्त का चालान कर दिया। मुकदमा अदालत में चल रहा है।
जून, १९५३	कोई कत्ल नहीं हुआ।	..	कोई दुर्घटना नहीं हुई	..
जुलाई, १९५३	१ ३०२	पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु डूबने के कारण हुई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच समाप्त कर दी और फाइनल रिपोर्ट लगा दी	४ ३०४ ए	तीन दुर्घटनायें हुई। एक में दो की मृत्यु हुई परन्तु मोटर गाड़ी के नम्बर का पता न चलने के कारण जांच समाप्त करके पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। दूसरी में एक की मृत्यु हुई। ड्राइवर का चालान कर दिया गया है। मुकदमा अदालत में चल रहा है। तीसरी में भी एक की मृत्यु हुई। गाड़ी के नम्बर तथा ड्राइवर का पता चल गया है। मामला अदालत में भेज दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९१ पर।)

नाम तहसील	किस्म कूप नये	मरम्मत
१—बस्ती	४	३
२—खलीलाबाद	३	३
३—बांसी	५	१
४—हरैया	३	३
योग	१५	१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९२ पर)

द्वितीय सत्र १९५३ के तीसरे शुक्रवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर से संबंधित तालिका।

तालिका नं० १ (उपाधि महाविद्यालय)

क्रम-संख्या	नाम शिक्षण संस्था	अनुपालन अनुदान
१	ए० एस० के० ई० एम० यू० जाट कालेज, लखावटी, बुलन्दशहर	६३,५३८
२	एन० आर० ई० सी० कालेज, खुर्जा, बुलन्दशहर	६२,०००

तालिका नं० २ (माध्यमिक विद्यालय,)

(अ) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

अनुदान वर्ष, १९५२–५३

क्रम-संख्या	शिक्षण संस्था का नाम	अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष वेतनवृद्धि अनुदान	शुल्क छूट के घाटे के संबंध में अनुदान	योग
१	२	३	४	५	६	७
१	एस० एम० जे० ई० सी० खुरजा ..	१३,१०४	१,०८०	७६८	..	१४,९५२
२	नैशनल खलौर दारोरा ..	३,७६८	७२०	..	..	४,४८८
३	डी० ए० वी० ..	१४,०२८	१,१४०	२,९६०	४,१५७	२२,२८५
४	गूजर ए० एस० दादरी ..	३,७०८	६९०	..	..	४,३९८

क्रम-संख्या	शिक्षण संस्था का नाम	अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	शुल्क छूट के घाटे के संबंध में अनुदान	योग
१	२	३	४	५	६	७
५	मुस्लिम राजपूत शेखूपुरा ..	४,५३६	४८०	..	..	५,११६
६	कुबेर दिवाई ..	१४,२२०	६००	२,२४४	..	१७,०६४
७	डी० ए० मोहल्ला ..	४,५८४	४८०	..	..	५,०६४
८	लक्ष्मण प्रसाद डी० ए० वी० अनूपशहर	११,४९६	६००	६८०	२,४३०	१५,२०६
९	मुकुन्द स्वरूप सिकन्दराबाद ..	१२,७५६	४८०	१,६७२	१,१६७।।)	१६,०७५।।)
१०	शिव चरन	४,५२४	३००	..	..	४,८२४
११	ए० एस० जहाँगीराबाद ..	६,०४८	४२०	८००	..	७,२६८
१२	माडल थोरा	४,५१२	९६०	१२०	..	५,५९२
१३	मुकर्रम पहासू ..	४,०५६	७१०	२४०	..	५,००६
१४	जानकी प्रसाद ऐंग्लो संस्कृत खुर्जा ..	१०,०३२	१,०८०	१,४१६	..	१२,५२८
१५	जाट हिरोज मेमोरियल साईदपुर ..	६,१४४	७२०	..	..	६,८६४
१६	डी० ए० पालीवाल, शिकारपुर ..	५,८५६	६००	३९२	..	६,८४८
१७	अमरसिंह किंग एडवर्ड मेमोरियल उदयभानु जाट लखौटी ..	७,५९६	९६०	७४४	..	९,३००
१८	देवनागरी गोलीवथी ..	५,२५६	६६०	..	..	५९१६
१९	मुस्लिम	१४,५०८	७२०	३४०	..	१५,५६८
२०	पब्लिक सियाना ..	४,२७२	७८०	..	५८८।।)	५,६४०।।)
२१	आर० आर० के० के० कुचेसर ..	६,९००	७२०	१२०	१,१२५	७,७४०
२२	अग्रवाल सिन्दराबाद ..	६,५१६	५४०	१,०४०	..	८,०९६
२३	आर्य कन्या विद्यालय खुर्जा ..	१०,८६०	१,२००	३१२	१६४	१२,५३६

अवध प्रदेश विधान सभा

(ब) पूर्व माध्यमिक विद्यालय

क्रम-संख्या	नाम शिक्षण संस्था	अनुदान		
		अनुपालन	महंगाई	योग
१	बिहारी लाल डनकौर ..	३,२६४	६६०	३,९२४
२	आर्य कन्या पाठशाला	४,४६८	१,०२०	५,४८८
३	आर्य कन्या पाठशाला गुलौठी	१,८२३	३००	२,१२३
४	कन्या शिक्षा सदन	३,५७६	७८०	४,३५६
५	आर्य कन्या पाठशाला अनूपपुर	२,४२४	७२०	३,१४४
६	स्वामी दयाल पुत्री पाठशाला सिकन्दराबाद ..	४,९८०	१,०२०	६,०००
७	कन्या पाठशाला दैवई	३,२८८	७२०	४,००८
८	वैदिक कन्या पाठशाला दावरी	१,१७७	३००	१,४७७
९	रामप्यारी कन्या पाठशाला	३,५८४	८४०	४,४२४

तालिका नं० ३
संस्कृत विद्यालय ओरियन्टल विद्यालय

क्रम-संख्या	नाम शिक्षण संस्था	अनुपालन अनुदान
१	सांगदेव विद्यालय नटवर	२,९४४
२	एन० आर० संस्कृत कालेज, खुर्जा	९००
३	राधाकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय, खुर्जा	३,५५२
४	श्री १०८ स्वामी भिक्षानन्द श्रीमती कट्टो देवी एवम् मनोरमा देवी सरस्वती वेजीटेरियन एंग्लो हिन्दी इन्टर कालेज ..	८४०
५	देशबन्धु श्री महाराणा प्रताप विद्यालय, वियारा घुम	४८०
६	श्री लक्ष्मण दास शुक्ला आयुर्वेद विद्यालय, खुर्जा	७२०
७	गुरुकुल सिकन्दराबाद पोआ खास	१,०८०
८	श्री सरस्वती संस्कृत पाठशाला, पक्का घाट, अनूपशहर	५१६

(ब) अरेबिक मदरसा

१	मदरसा कासिमिया अटविया	५१६

मेरा प्रदेश मेरा विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३९७ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ ई० पर प्रवर समिति (सिलेक्ट कमेटी) की रिपोर्ट

[उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३, दिनांक १२ अगस्त, १९५३ ई० को उत्तर प्रदेश सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।]

२—प्रवर समिति (सिलेक्ट कमेटी) की बैठकें ७ अक्तूबर, १९५३ ई०, ३० नवम्बर, १९५३ ई०, १ और २ दिसम्बर, १९५३ ई० और १४ दिसम्बर, १९५३ ई० को (१४ दिसम्बर को १० बजे सुबह और ५ बजे शाम दोनों समय) वित्त मन्त्री के सभापतित्व में हुईं।

३—प्रवर समिति ने विधेयक में जो प्रमुख संशोधन किये हैं, वे नीचे दिये जाते हैं :—

(१) विधेयक के खंड २ का उपखंड (४) जिसका सम्बन्ध "स्पष्टीकरण ४" से है, निकाल दिया जाय।

(२) प्रस्तावित धारा ७ ग के खण्ड (५) के मसविदे में शब्द "इस धारा के अनुसार" के पश्चात् और शब्द "कर निर्धारण" पूर्व शब्द "किये गये" जोड़ दिये जायं।

(३) विधेयक के खंड ८ के उपखंड (१) "तुरन्त ही" के स्थान पर शब्द "उपधारा (२) के अनुसार" रख दिये जायं।

(४) विधेयक के खंड १० के उपखंड (१) में शब्द और अंक "धारा ७, ७ क या ७ ख" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा ७, ७क, ७ख, १८ या २१" रख दिये जायं।

(५) विधेयक के खंड १० के उपखंड (१) में शब्द "की तामील होने से ३० दिन के भीतर" के स्थान पर शब्द "के तामील होने के दिनांक से ३० दिन के भीतर" रख दिये जायं।

(६) मूल ऐक्ट की धारा १० में जोड़ी जाने वाली प्रस्तावित नयी उपधारा (३-ख) (विधेयक का खंड ११ देखिए) के सम्बन्ध में नीचे दिये गये निर्णय किये गये :—

(क) शब्द "६ माह" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" जोड़ दिये जायं।

(ख) शब्द "उक्त आज्ञा के दिनांक से" के स्थान पर शब्द "उक्त आज्ञा के तामील होने के दिनांक से" रख दिये जायं।

(७) मूल ऐक्ट की धारा ११ के प्रस्तावित संशोधित मसविदे (विधेयक का खंड १२ देखिये) के सम्बन्ध में समिति ने निम्नलिखित निश्चय किये :—

(क) उपखंड (१) में शब्द "६० दिन" के स्थान पर शब्द "एक सौ बीस दिन" रख दिये जायं।

(ख) शब्द "दी गयी आज्ञा के दिनांक से" के स्थान पर शब्द "आज्ञा तामील होने के दिनांक से" रख दिये जायं।

(ग) उपखंड (३) में शब्द "और मानो कि शब्द 'साठ दिन' के स्थान पर शब्द 'एक सौ बीस दिन' रख दिये गये हों" निकाल दिये जायं।

(घ) उपखंड (८) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "अधिक कर" के पश्चात् और शब्द "लौटा दिया जायगा" के पूर्व शब्द "ब्याज सहित जिसकी दर २ प्रतिशत से अधिक न होगी, जैसी भी हाई कोर्ट अनुमति दे" जोड़ दिये जायं।

(८) विधेयक के खंड १३ के उपखंड (२) में शब्द "वर्गों के माल का" के पश्चात् और शब्द "अलग अलग लेखा रखेगा" के पूर्व शब्द "जहां तक सम्भव हो" जोड़ दिये जायं।

(९) मूल ऐक्ट की धारा १३ के प्रस्तावित संशोधित मसविदे (विधेयक का खंड १४ देखिए) के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय किये गये :—

(क) उपखंड (१) में शब्द "ऐसा अधिकारी" के पश्चात् और शब्द "जिसको राज्य सरकार ने" के पूर्व शब्द "जिसका पद कर निर्धारक अधिकारी (असेसिंग अथारिटी) से निम्न न होगा और" जोड़ दिये जायं।

(ख) उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य (प्रोविजो) जोड़ दिया जाय :—

"प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण वर्ष से ४ वर्ष पूर्व से अधिक अवधि की बहियां, लेख-पत्र या लेखे तलब नहीं कराये जायेंगे, जब तक कि किसी विशेष स्थिति में, जिसके लिए कारण अभिलिखित करने होंगे, उक्त अधिकारी उनका किया जाना आवश्यक न समझे।"

(ग) उपखंड (२) में से शब्द "तथा वस्तुयें" निकाल दिये जायं।

(१०) धारा १४ के प्रस्तावित मसविदे (विधेयक का खंड १५ देखिये) का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

(११) प्रस्तावित नयी धारा १५-क के मसविदे के सम्बन्ध में, जो दण्ड आरोपण के बारे में है, निम्नलिखित निर्णय किये गये :—

(क) शब्द "ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जो" के पश्चात् आने वाले शब्द "उक्त धनराशि" के स्थान पर शब्द "यदि कर की राशि १०,००० रु० तक हो तो देय कर के २५ प्रतिशत से और यदि कर की राशि १०,००० रु० से अधिक हो तो देय कर के ५० प्रतिशत" रख दिये जायं।

(ख) उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पूर्वोक्त खण्ड के अधीन कोई अर्थ दण्ड (पेनालटी) न दिया जायगा :

(१) जब तक कि व्यापारी को सूचना न दे दी गयी हो,

(२) खंड (क) के अन्तर्गत आने वाले मामलों की स्थिति में जब तक कि धारा ७ के अधीन अपेक्षित विवरण-पत्र (रिटर्न) प्रस्तुत करने के दिनांक के पश्चात् सात दिन की अवधि व्यतीत न हो गयी हो।"

(ग) उपधारा (२) में शब्द और अंक "१५ दिन" के स्थान पर शब्द "३० दिन" रख दिये जायं।

४—विधेयक की एक प्रति, जिसमें समिति द्वारा किये गये निर्णयों के अनुसार संशोधन कर दिये गये हैं, इस रिपोर्ट के साथ नत्थी कर दी गयी है।

५—प्रवर समिति इस विधेयक को फिर से प्रकाशित कराना आवश्यक नहीं समझती।

(१) हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम
(२) हनुमान प्रसाद*
(३) बाबूलाल मित्तल
(४) सईदा जहां बेगम मख़फ़ी (श्रीमती)
(५) शाहिद फ़ाख़िरी
(६) रामकुमार शास्त्री
(७) जयपाल सिंह
(८) नेकराम शर्मा
(९) कालीचरण टण्डन
(१०) पुलिन बिहारी बनर्जी
(११) परिपूर्णानन्द वर्मा
(१२) अवधेशप्रताप सिंह
(१३) गेंदा सिंह
(१४) रामनारायण त्रिपाठी*

असहमति टिप्पणी

१—(१) उपस्थित विधेयक द्वारा सेल्स टैक्स सम्बन्धी बहुत सी कानूनी दिक्कतें समाप्त कर दी गयी हैं।

प्रवर समिति ने विधेयक में निम्नलिखित तीन सुधार किये हैं, जिनका हम स्वागत करते हैं :—

१—(१) धारा १२ की उपधारा ८ में अधिक वसूल किये गये सेल्स टैक्स की अपील के फैसले के बाद अधिक वसूल किये गये धन पर व्यापारी को २ प्रतिशत तक ब्याज देने की व्यवस्था पायी है।

२—(२) धारा १५ की उपधारा (२) निकाल दी गयी है जिससे सेल्स टैक्स सम्बन्धी उपधाराओं के लिए किसी कम्पनी के प्रत्येक डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, भागीदार, एजेन्ट आदि सभी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है।

३—(३) धारा १५-ए में सेल्स टैक्स सम्बन्धी विभिन्न उपधाराओं के लिए अर्थ-दण्ड १०,००० रु० तक सेल्स टैक्स देने वालों पर टैक्स के धन का २५ प्रतिशत तक तथा १०,००० रुपये से अधिक सेल्स टैक्स देने वालों पर टैक्स के धन का ५० प्रतिशत तक कर दिया गया है, जहां कि पहले टैक्स के धन के डेढ़ गुना अर्थ-दण्ड की व्यवस्था की गयी थी।

परन्तु इस विधेयक द्वारा सरकार ने बहुत से व्यापक अधिकार सेल्स टैक्स विभाग को दे दिये हैं, जिनसे बहुत ही अनर्थ हो सकता है, उनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं :—

(१) मूल अधिनियम की धारा २ की उपधारा (जी) में जो माल की परिभाषा दी गयी थी, उक्त परिभाषा इस विधेयक द्वारा बहुत ही व्यापक बना दी पायी है। अब माल के अन्तर्गत उगने वाली फसल, घास, पेड़ और ऐसी वस्तुएं भी रख दी गयी हैं, जो भूमि से लगी हुई किसी वस्तु से जकड़ी हुई हों। इस परिभाषा से सरकार किसानों के ऊपर भी सेल्स टैक्स का भार लाद सकती है, यह नितान्त अनुचित है।

---

* असहमति टिप्पणी सहित।

(२) अब तक उन्हीं व्यापारियों पर सेल्स टैक्स लगाया जाता था जिनका साल का विक्रय-धन १५,००० रुपये या इससे अधिक होता था, परन्तु इस विधेयक की धारा ३ की उपधारा (१) द्वारा विक्रय धन की सीमा १२,००० रुपये कर दी गयी है। व्यापार में व्यापक मन्दी के कारण यह सीमा कम से कम २०,००० रुपये होनी चाहिए।

(३) धारा ११ की उपधारा (१) में सेल्स टैक्स सम्बन्धी आज्ञा के पुर्ननिरीक्षण के सम्बन्ध में अनुचित पाबन्दी लगा दी गयी है। पहले व्यापारियों को अपील और रिवीजन दोनों करने का अधिकार था, परन्तु उक्त धारा द्वारा जिस मामले में अपील हो सकती थी, और नहीं की गयी हो, उस मामले में रिवीजन करने का अधिकार छीन लिया गया है।

(४) धारा २३ में प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (२) में व्यापारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे ऐसी वस्तुओं के क्रय-विक्रय का (१) जिन पर सेल्स टैक्स लगता हो, और (२) जिन पर सेल्स टैक्स नहीं लगता हो, अलग-अलग हिसाब रखें। इस व्यवस्था से व्यापारियों को व्यर्थ की परेशानी उठानी पड़ेगी।

(५) धारा १४ में प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा ३ और ५ में अधिकार प्राप्त सेल्स टक्स अधिकारी को व्यापारी के कार्यालय, गोदाम, दुकान तथा यानपात्र में प्रवेश करने का अधिकार दिया गया है। यानपात्र को छोड़ कर कार्यालय, गोदाम या दुकान में अधिकारी का काफी समय के भीतर ही प्रवेश करने का अधिकार होना चाहिए। सेल्स टैक्स अधिकारी इस धारा का दुरुपयोग करके व्यापारियों का मनमाना निरादर कर सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ने की सम्भावना है।

(६) धारा १५ में प्रस्तावित धारा १४ तथा धारा १६ में प्रस्तावित धारा १५-क में सेल्स टैक्स का धन निश्चित अवधि के भीतर न देने तथा अन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की पहले की व्यवस्था के बजाय अर्थ दण्ड की व्यवस्था की गयी है। सरकार इस विधेयक द्वारा यह असाधारण अधिकार ले रही है।

अर्थदण्ड लगाने का अधिकार अपील सुनने वाले अधिकारियों के बजाय सेल्स टैक्स विभाग को ही दिया गया है, यह और भी अनुचित है।

(७) धारा १८ में प्रस्तावित धारा २१ में कर निर्धारक अधिकारी को किसी व्यापारी के किसी वर्ष के विक्रय धन पर उक्त वर्ष के कर निर्धारण के तीन वर्ष के भीतर फिर से उक्त वर्ष के हिसाब से पूरे अथवा किसी भाग पर कर निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है।

कर निर्धारक अधिकारी इस व्यवस्था से व्यापारियों को परेशान कर सकते हैं। इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार भी फैलेगा। यदि आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में फिर से कर निर्धारण करने का अधिकार सेल्स टैक्स सम्बन्धी अपील सुनने वाले अधिकारी को दिया जाना चाहिए।

(१) राम नारायण त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा।

(२) गेंदा सिंह, सदस्य, विधान सभा।

(३) हनुमान प्रसाद मिश्र, सदस्य, विधान सभा।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५३

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों "[ ]" में है तथा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है।)

कुछ प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० में और संशोधन करने का

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८।

विधेयक

यह आवश्यक है कि इसमें आगे चलकर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० में और संशोधन किया जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५३ होगा।

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति देकर निश्चित करे।

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा २ का संशोधन।

२—संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० (जिसे इसमें आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में—

(१) खंड (ग) में—

(क) शब्द "बेचने" और शब्द "का कारोबार करने" के बीच में आने वाले शब्द "और पूर्ति करने (सप्लाई करने)" निकाल दिये जायं।

(ख) शब्द "माल बेचने" और "हों" के बीच में आने वाले शब्द "या पूर्ति करते (सप्लाई करते)" निकाल दिये जायं।

(ग) स्पष्टीकरण में शब्द "बेचने" और शब्द "का काम करता" के बीच में आने वाले शब्द "या उसकी पूर्ति करने (सप्लाई करने)" निकाल दिये जायं।

(२) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(घ) "माल" का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की चल सम्पत्ति से है और इसके अन्तर्गत उगने वाली फसल, घास, पेड़ और ऐसी वस्तु है जो भूमि से लगी हुई (attached) अथवा भूमि से स्थायी रूप से लगी हुई (attached) किसी वस्तु से जकड़ी हुई (fastened) हों किन्तु जिसका बिक्री के मुआहिदे (contract of sale) के अन्तर्गत पृथक करना तय हो चुका हो परन्तु इसके अन्तर्गत वाद योग्य दावे (actionable claims) स्टाक, हिस्से या सिक्योरिटियां सम्मिलित नहीं हैं।"

(३) वाक्य-खंड (ङ) निकाल दिया जाय।

[(४) वाक्य-खंड (ज) में "स्पष्टीकरण (३)" के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण (४) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"स्पष्टीकरण (४)—किसी ऐसे माल की बिक्री जो उक्त बिक्री के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में उपभोग के लिये उक्त राज्य में वस्तुतः दिया गया हो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त राज्य में की हुई समझी जायगी, चाहे ऐसी बिक्री के कारण उक्त माल का स्वत्व हस्तान्तरण किसी दूसरे राज्य में हुआ हो।"]

[(५)] (४) वाक्य-खंड (झ) में—

(क) दूसरे प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नांकित तीसरे प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि उत्तर प्रदेश के बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति का एजेन्ट उत्तर प्रदेश में उसकी ओर से माल बेचे तो उक्त बिक्री से प्राप्त धनराशि एजेन्ट के विक्रय-धन (turnover) में सम्मिलित कर ली जायगी।"

(ख) "स्पष्टीकरण" के उप-वाक्यखंड (३) में शब्द "उस माल को उक्त ग्राहक के हाथ बेच दे" के स्थान पर "उस माल को बिना लाभ लिये उक्त ग्राहक के हाथ बेच दे" रखा जाय।

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ३ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"अधिनियम के अधीन कर का निर्धारण किया जा सकता।

३—(१) इस अधिनियम के आदेशों के प्रतिबन्ध सहित, प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष में पूर्व वर्ष के अपने विक्रय-धन (turnover) पर, जो उस रीति से जैसी निर्धारित की जाय, निश्चित किया जायगा, तीन पाई प्रति रुपये की दर से कर देगा :

किन्तु पहला प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यापारी को, धारा १८ में की गयी अन्यथा व्यवस्था के न रहते हुये, कर नहीं देना पड़ेगा यदि बदनी (भविष्य के मुआहिदों) (forward contracts) के विक्रय-धन को छोड़ कर जिनमें वास्तव में माल नहीं दिया गया हो, पूर्व वर्ष का उसका विक्रय-धन १२,००० रुपये से या उस अधिक धनराशि से जो इस सम्बन्ध में निर्धारित की जाय, कम हो;

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति देकर किसी माल या माल के वर्गों क सम्बन्ध में विक्रय-धन पर कर की दर कम कर सकती है और तत्पश्चात् ऐसे विक्रय-धन पर कम की हुई दर स कर देय होगा;

तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में पहिले प्रतिबन्धात्मक खंड में निर्धारित धनराशि कम कर दी जाय तो व्यापारी द्वारा पूर्वोक्त प्रकार के देय कर का हिसाब निम्नलिखित ढंग से लगाया जायगा; अर्थात्

(क) कम करने के पूर्व की अवधि के विक्रय-धन पर उस हिसाब से, मानों कि धनराशि कम नहीं की गई है, और

(ख) शेष धनराशि पर उस हिसाब से, मानो कि कम की हुई धनराशि उन सभी दिनांकों पर प्रचलित थी जिनका उस विषय में कोई महत्व हो on all material dates)।

(२) राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है कि कोई व्यापारी या व्यापारियों का वर्ग पूर्व वर्ष के विक्रय-धन पर कर भुगतान करने के बजाय कर-निर्धारण वर्ष के विक्रय-धन पर कर भुगतान कर और तत्पश्चात् इस अधिनियम के सभी आदेश ऐसे व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों जहां कहीं भी प्रसंगानुसार अपेक्षित हो, शब्द "पूर्व वर्ष" के स्थान पर शब्द "कर-निर्धारण वर्ष" रख दिया गया है।"

४—वर्तमान धारा ३-ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :— सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ३-ख का संशोधन।

३-ख—बदनी (भविष्य के मुआहिदों) के सौदों के संबंध में, जिनमें वास्तव में माल नहीं दिया जाता, किसी व्यापारी के विक्रय-धन का हिसाब कर निर्धारण और कर भुगतान के प्रयोजनार्थ उसके शेष विक्रय-धन से अलग लगाया जायगा और अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी उस पर कर लगाया जा सकेगा जो ऐसी दर से, जो दो रुपया प्रति इकाई (यूनिट) से अधिक न हो, जैसा कि निर्धारित किया जाय, देय होगा।" "बदनी (भविष्य के मुआहिदों) के सौदों के विक्रय-धन पर कर।

५—मूल अधिनियम की धारा ६ निकाल दी जायगी। सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ६ का निकाला जाना।

६—मूल अधिनियम की धारा ७ में— सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ७ का संशोधन।

(१) वर्तमान उपधारा (१) और पहिल प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(१) प्रत्येक व्यापारी, जिस इस अधिनियम क अधीन कर भुगतान करना है, पूर्व वर्ष या कर-निर्धारण वर्ष के विक्रय-धन का ऐसा विवरण-पत्र (return) या ऐसे विवरण-पत्रों को जो ऐसी अवधि में लागू होता हो या होते हों, ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति में प्रमाणित (तसदीक) करके देगा जो निर्धारित की जाय।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यापारी को जो केवल ऐसे माल का व्यापार करता है जिसके विक्रय-धन पर कर भुगतान करने का उसका दायित्व न हो, कोई विवरण-पत्र देने की आवश्यकता न होगी।"

(२) उपधारा (३) में शब्द "व्यापारी के पूर्व वर्ष की धनराशि" के स्थान पर शब्द "व्यापारी का विक्रय-धन" रखा जाय।

७—मूल अधिनियम की धारा ७ क पश्चात् निम्नलिखित नई धारायें ७-क, ७-ख और ७-ग बढ़ा दी जायं :— सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ७-क, ७-ख और ७-ग का बढ़ाया जाना।

"७-क—(१) राज्य सरकार किसी व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग को धारा ७ में उल्लिखित विवरण-पत्र या विवरण-पत्रों क अतिरिक्त कर-निर्धारण

वर्ष के ऐसे भाग के विक्रय-धन का विवरण-पत्र, ऐसी अवधियों पर और ऐसी रीति से जो निर्धारित की जायं, देने के लिये आदेश दे सकती है और कर-निर्धारक अधिकारी उक्त धारा के आदेशों पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के आदेशानुसार जहाँ तक वे लागू हो सकते हों, वर्ष के भाग के संबंध में अस्थायी रूप से (provisional) कर निर्धारित कर सकता है।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन किसी व्यापारी से कर-निर्धारण वर्ष के भाग के लिये भी विवरण-पत्र देने के लिये कहा जाय और कर-निर्धारक अधिकारी ने वर्ष के ऐसे भाग के लिये अस्थायी रूप से कर निर्धारित किया हो, तो इस प्रकार कर निर्धारित किये जाने के कारण पूरे वर्ष का कर-निर्धारण करने तथा पूरे वर्ष का विक्रय-धन पुनः निश्चित करने में कर निर्धारक अधिकारी को कोई बाधा न होगी।"

"किसी वर्ष में सभी कर-निर्धारणों में कर की दर या उससे मुक्ति समान होगी।

७-ख--(१) किसी विशेष कर-निर्धारण वर्ष में किसी माल या माल के वर्ग के विक्रय-धन के सम्बन्ध में कर की दर या उससे मुक्ति (exemption) उक्त वर्ष के सभी कर-निर्धारणों में समान होगी चाहे निर्धारित विक्रय-धन पूर्व वर्ष का हो या कर-निर्धारण वर्ष का हो।

(२) यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में किसी माल या माल के वर्ग के विक्रय-धन के सम्बन्ध में कर की दर बदली जाय या ऐसे वर्ष के दौरान में धारा ४ के अधीन कोई मुक्ति दी जाय और नई दर या मुक्ति के प्रचलित होने के पहिले पूर्व वर्ष के विक्रय-धन पर ऐसे वर्ष के लिए कोई कर निर्धारित किया जा चुका हो तो नई दर या मुक्ति को ध्यान में रखकर फिर से ऐसा कर-निर्धारण किया जायगा।"

"मृत व्यक्ति के कर का भुगतान उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जायगा।

७-ग--(१) यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाय, तो उसका निष्पादक (executor), प्रशासक (administrator) या अन्य विधिक प्रतिनिधि (legal representative) ऐसे व्यक्ति द्वारा देय निर्धारित-कर या कोई अर्थदंड (penalty) जो यदि वह न मरा होता तो इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय होता, मृत व्यक्ति की संपत्ति (Estate) से उस सीमा तक, जहां तक व्यय संपत्ति से पूरा हो सकता हो, भुगतान करेगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति उसके ऊपर धारा ७ के अनुसार जारी किये गए नोटिस, यदि कोई हो, के तामील होने के पूर्व मर जाय, तो उसका निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि, पूर्वोक्त नोटिस तामील होने पर उसका पालन करेगा और कर-निर्धारक अधिकारी मृत व्यक्ति के विक्रय-धन पर उसी प्रकार कर-निर्धारण करेगा, मानो ऐसा निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि ऐसा व्यक्ति है जिस पर कर निर्धारित करना है।

(३) यदि कोई व्यक्ति धारा ७ के आदेशों के अधीन अपेक्षित विवरण-पत्र प्रस्तुत किये बिना या ऐसा विवरण-पत्र प्रस्तुत करके, जिसके संबंध में कर-निर्धारक अधिकारी को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि वह अशुद्ध या अपूर्ण है, मर जाय, तो कर-निर्धारक अधिकारी ऐसे व्यक्ति का विक्रय-धन निश्चित कर सकता है और ऐसे निश्चित किये गये विक्रय-धन के आधार पर उसके द्वारा देय कर निर्धारित कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये नोटिस द्वारा मृत व्यक्ति के निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि से कोई लेखा, लेख-पत्र (document) या अन्य साक्ष्य, जिसे इस अधिनियम के आदेशों के अधीन मृत व्यक्ति से प्रस्तुत करने के लिये कहता, प्रस्तुत करने के लिए आदेश दे सकता है।

(४) उपधारा (१) से (३) तक के आदेश किसी भागीदारी (partnership) फर्म पर, जिसके एक या एक से अधिक भागीदार मर गये हों, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(५) धारा ९, १० और ११ के अधीन अपील, नि ोण (revision) और समाधान (reference) से सम्बद्ध आदेश इस धारा के अनुसार किये गये कर-निर्धारण पर उसी प्रकार लागू होंगे, मानो पूर्वोक्त निष्पादक, प्रशासक अथवा विधिक प्रतिनिधि स्वयं ही व्यापारी है।"

८—(१) मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ८ [बदल कर] को धारा ८ की उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित [की जायगी] किया जाय और उसमें शब्द "उसी प्रकार वसूल की जायगी मानो वह मालगुजारी का शेष (बकाया) हो" के स्थान पर शब्द "[तुरन्त ही] उपधारा (२) के अनुसार वसूल की जा सकेगी" रखा जायगा। सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ८ का संशोधन।

(२) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जायगा—

"(२) कोई कर अथवा अन्य शेष धनराशि (due) जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को देय हो, उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह मालगुजारी का शेष (बकाया) (as arrears of land revenue) हो।"

९—मूल अधिनियम की धारा ८-क में निम्न लिखित उपधारा (३-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय :— सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ८-क का संशोधन।

"(३-क) उपधारा (३) के अधीन किसी क्रेता (purchaser) से कर वसूल करने के प्रयोजनों के लिये कोई रजिस्टर्ड व्यापारी मूल्य में आठ आना तक रुपये की भिन्न (fraction of a rupee) की गणना नहीं करेगा और आठ आना से अधिक भिन्न को एक रुपया मान कर गणना करेगा।"

१०—मूल अधिनियम की धारा ९ में— सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ९ का संशोधन।

(१) वर्तमान उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(१) कोई व्यापारी, जो धारा १५-क के अधीन अर्थदंड लगाने वाली आज्ञा अथवा धारा ७, ७-क [या], ७-ख, १८ या २१ के अधीन निर्धारित-कर के विरुद्ध आपत्ति करता है, आज्ञा की प्रतिलिपि अथवा कर-निर्धारण का नोटिस, जैसी भी दशा हो, [की] के तामील होने के दिनांक से ३० दिन के भीतर ऐसे अधिकारी के सामने अपील कर सकता है जो निर्धारित किया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील गृहीत (entertain) न होगी यदि उसके साथ इस बात का संतोषप्रद प्रमाण न होगा कि अपीलकर्ता (appellant) ने उतने कर का, जिसका दायित्व वह मानता हो, अथवा उसकी ऐसी किस्तों का, जो देय हो गई हों, भुगतान कर दिया है।

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि अपील सुनने वाला अधिकारी किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग न करेगा और न किसी ऐसे अन्य कार्य का सम्पादन करेगा, जो ऐसे अधिकारी की हैसियत से उसे दिये या सौंपे न गये हों।"

(२) उपधारा (३) में वाक्य-खंड (ख) के अन्त के पूर्ण विराम के स्थान पर अर्द्ध-विराम रखा जाय, जिसके बाद शब्द 'अथवा' होगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित एक नया वाक्य-खंड (ग) बढ़ाया जाय :—

"(ग) अर्थदंड लगाने वाली आज्ञा का समर्थन (confirm) कर सकते हैं या उसे निरस्त (cancel) कर सकते हैं या लगाये गये अर्थदंड की धनराशि को कम कर सकते हैं।"

(३) उपधारा (५) के बाद निम्नलिखित उपधारा (६) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(६) इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली अपीलों पर इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५ लागू होगी।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा १० का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा १० में—

(१) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(३) फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी (Revising Authority) किसी भी समय स्वतः (suo motu) अपने विवेक से (in his discretion) या बिक्री-कर कमिश्नर या असंतुष्ट व्यक्ति की प्रार्थना पर इस अधिनियम के अनुसार किसी अपील सुनने वाले अधिकारी या कर-निर्धारक अधिकारी की किसी आज्ञा का लेखा (record) आज्ञा के विधान युक्त या उचित होने के सम्बन्ध में अपने को सन्तुष्ट करने के लिये मांग सकता है तथा उसकी जांच कर सकता है और ऐसी आज्ञा, जिसे वह उचित समझे, दे सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी मामले में कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र गृहीत न किया जायगा यदि ऐसी आज्ञा के विरुद्ध अपील हो सकती हो, किन्तु की न गई हो।"

(२) उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (३-क) और (३-ख) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"(३-क) उपधारा (३) के अधीन दी गई आज्ञा की एक प्रतिलिपि प्रार्थी पर तामील की जायगी।"

"(३-ख) उपधारा (३) के अधीन प्रार्थना-पत्र उस आज्ञा के तामील होने के दिनांक से [६ माह] एक वर्ष के भीतर दिया जायगा, जिसके सम्बन्ध में आपत्ति की गई हो, किन्तु फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी (Revising Authority) पर्याप्त कारणों के प्रमाण पर किसी प्रार्थना-पत्र को और अधिक ६ मास की अवधि के भीतर गृहीत (entertain) कर सकता है।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा ११ का संशोधन।

१२—मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"हाई कोर्ट के मामले का विवरण।

११—(१) धारा १० की उपधारा (३) के अधीन [दी गई] आज्ञा के तामील होने के दिनांक से [६०] एक सौ बीस दिन के भीतर, असन्तुष्ट व्यक्ति लिखित प्रार्थना-पत्र द्वारा जिसके साथ १०० रु० शुल्क (फीस) दिया जायेगा, फिर से कर-निर्धारित करने वाले अधिकारी से प्रार्थना कर सकता है कि वह उक्त

आज्ञा से उत्पन्न होने वाले किसी कानूनी प्रश्न को समाधान (reference) के लिये हाई कोर्ट को भेज दे और फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी, यदि वह प्रार्थना-पत्र को गृहीत करने से इनकार न कर दे, ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने से एक सौ बीस दिन के भीतर मामले का विवरण तैयार करेगा और समाधान के लिये हाई कोर्ट को भेज देगा।

(२) यदि फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी उपधारा (१) के अधीन मामले को समाधान के लिये भेजने से इनकार करे तो वह प्रार्थी को नोटिस द्वारा तदनुसार सूचित करेगा और तब प्रार्थी उक्त इनकार की नोटिस पाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपना प्रार्थना-पत्र वापस ले सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो शुल्क (फीस) उसे लौटा दिया जायगा।

(३) उपधारा (१) के आदेश इस परिवर्तन के साथ बिक्री-कर कमिश्नर पर भी लागू होंगे कि उसके लिये कोई शुल्क (फीस) जमा करना आवश्यक न होगा [और मानो कि शब्द "साठ दिन" के स्थान पर शब्द "एक सौ बीस दिन" रख दिये गये हों।]

(४) यदि उपधारा (१) या (३) के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी इस आधार पर मामले का विवरण देने से इनकार करे कि उसमें कोई कानूनी प्रश्न नहीं उत्पन्न होता तो असन्तुष्ट व्यक्ति या बिक्री-कर कमिश्नर यथास्थिति, उस पर उक्त इनकार का नोटिस तामील किये जाने से नब्बे दिन के भीतर हाई कोर्ट में प्रार्थना-पत्र दे सकता है और हाई कोर्ट, यदि इस बात से सन्तुष्ट न हो कि फिर से कर-निर्धारित करने वाले अधिकारी का निर्णय सही था, फिर से कर-निर्धारित करने वाले अधिकारी से कह सकता है कि वह मामले का विवरण समाधान के लिये भेज दे और इस आदेश के प्राप्त होने पर फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी मामले का विवरण देगा और उसे समाधान के लिये भेजेगा।

(५) यदि हाई कोर्ट को इस बात का संतोष नहीं होता कि इस धारा के अधीन समाधान के लिये भेजे हुये मामले का विवरण इस बात के लिये पर्याप्त है कि वह उसके आधार पर उठाये गये प्रश्न का निर्णय कर सके, तो वह उस विवरण में ऐसी बातें सम्मिलित करने और उसमें ऐसे परिवर्तन करने के लिये, जैसा कि उक्त कोर्ट निदेश दे, उस विषय को फिर से कर-निर्धारित करने वाले अधिकारी के पास वापस भेज सकता है।

(६) किसी ऐसे मामले की सुनवाई करके हाई कोर्ट उसमें उठाये गये कानूनी प्रश्न का निर्णय करेगा और उसके संबंध में अपनी तजवीज देगा जिसमें उन कारणों का उल्लेख किया जायगा जिनके आधार पर उक्त निर्णय किया गया है और उस तजवीज की एक प्रति फिर से कर-निर्धारित करने वाले अधिकारी तथा बिक्री-कर कमिश्नर के पास भेजेगा, जिस पर न्यायालय की मुहर लगी होगी और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे और तदुपरान्त फिर से कर-निर्धारित करने वाला अधिकारी उस मामले के उक्त तजवीज के अनुरूप निबटारे के लिये ऐसी आज्ञायें देगा जो आवश्यक हों।

(७) जब कोई मामला इस धारा के अधीन समाधान (reference) के लिये हाई कोर्ट को भेजा गया हो, तो उसका व्यय दिलाना जिसमें उपधारा (१) में निर्दिष्ट शुल्क सम्मिलित है, हाई कोर्ट के विवेक पर निर्भर होगा।

(८) फिर से कर-निर्धारित करने वाले अधिकारी की आज्ञा के अनुसार देय करों की उस धनराशि का, यदि कोई हो, भुगतान जिसके संबंध में उप-धारा (१) या (३) के अधीन समाधान के लिये प्रार्थनापत्र भेजा गया हो, उक्त समाधान के विचाराधीन होने तक स्थगित न किया जायगा, किन्तु यदि उक्त समाधान (reference) के परिणामस्वरूप वह धनराशि कम कर दी जाय तो भुगतान किया हुआ अधिक कर ब्याज सहित, जिसकी दर २ % से अधिक न होगी, जैसा भी हाईकोर्ट दिलाये लौटा दिया जायगा।

(९) इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५, उप-धाराएं (१), (३) और (४) के अधीन प्रार्थना-पत्रों पर लागू होंगी।

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा १२ का संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की धारा १२ में—

(१) शब्द "तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसको धारा ६ के अधीन लाइसेंस दिया गया हो" के स्थान पर शब्द "जिसमें कोई ऐसा व्यापारी भी सम्मिलित है जो उक्त अधिनियम के किसी आदेश क अधीन शुल्क देने पर कर से मुक्त कर दिया गया हो," रखे जायं।

(२) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के बाद निम्नांकित को द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रत्येक व्यापारी, जिसके द्वारा कर देय हो और जो कर लगने योग्य माल तथा ऐसे माल का व्यापार करता हो जिस पर उसके द्वारा कर देय न हो, दोनों वर्गों के माल का जहां तक सम्भव हो अलग-अलग लेखा रखेगा।"

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा १३ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा १३ के स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय :—

"लेखों को दिखाने की आज्ञा देने का अधिकार तथा प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार।

१३—(१) कोई ऐसा अधिकारी जिसका पद कर-निर्धारक अधिकारी से निम्न न हो और जिसको राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिकार दिया हो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी व्यापारी को यह आदेश दे सकता है कि वह उसके सामने ऐसी बही, लेख-पत्र या लेखे उपस्थित करे जिनका संबंध उसके व्यवसाय से हो और उक्त अधिकारी उनका निरीक्षण और परीक्षण कर सकता है तथा उनकी प्रतिलिपि ले सकता है और व्यापारी से उसके व्यवसाय के संबंध में एसी जांच कर सकता है जो आवश्यक हों।

किंतु प्रतिबंध यह है कि कर-निर्धारण वर्ष से ४ वर्ष पूर्व से अधिक की अवधि की बहियां, लेख-पत्र या लेखे तलब नहीं किये जायंगे जब तक कि किसी विशेष स्थिति में जिसके लिये कारण अभिलिखित करने होंगे, उक्त अधिकारी उनका तलब किया जाना आवश्यक न समझे।

(२) ऐसी सब बहियां, लेख-पत्र और लेखे, जिनको कोई व्यापारी अपने व्यवसाय के संबंध में साधारणतया रखता हो, माल [तथा वस्तुएं] जो उसके पास हों, और उसका कार्यालय, दूकान, गोदाम, यान-पात्र (vessel) अथवा गाड़ी सब यथोचित समयों पर ऐसे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण क लिये प्राप्य रहेंगे जिनको राज्य सरकार इस संबंध में अधिकार दे।

(३) उपधारा (२) के अधीन अधिकार-प्राप्त कोई अधिकारी उक्त उपधारा में उल्लिखित किसी भू-गृहादि (premises), यान-पात्र (vessel) या गाड़ी में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सब यथोचित समयों पर प्रवेश कर सकता है।

(४) यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसको अभिरक्षा (custody) या नियंत्रण में ऐसी बही, लेख-पत्र या लेखा हो जिसके निरीक्षण का अधिकार उपधारा (२) के अधीन किसी अधिकारी को दिया गया हो, ऐसी बही, लेख-पत्र या लेखे को निरीक्षण के लिये उपस्थित करने से अनुचित रूप से इन्कार करे या जानबूझ कर उपस्थित न करे या यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो कोई ऐसी सूचना दे सकता हो जो इस धारा के अधीन आवश्यक हो, उक्त सूचना देने के लिये कहे जाने पर अनुचित रूप से इनकार करे या जानबूझ कर न दे, या जानबूझ कर ऐसी सूचना प्रस्तुत करे जो किसी महत्वपूर्ण विवरण-पत्र के संबंध में असत्य हो, तो प्रथम श्रेणी के किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा अपराधी ठहराये जाने पर उसे अर्थदंड दिया जा सकेगा जो १,००० रु० से अधिक न हो।

(५) यदि बिक्री-कर कमिश्नर के पास ऐसा विश्वास करने के लिये यथोचित कारण हों कि कोई व्यापारी इस अधिनियम के अधीन किसी बिक्री-कर के भुगतान के दायित्व से बचने का प्रयत्न कर रहा है, और यह कि उसके दायित्व की जांच के प्रयोजनों के लिये आवश्यक कोई बात किसी लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्रों में प्राप्त की जा सकती है, तो वह ऐसे कारणों सहित लिखित आज्ञा द्वारा किसी कर-निर्धारक अधिकारी को यह अधिकार दे सकता है कि वह उक्त व्यापारी के किसी कार्यालय, दूकान, गोदाम, यान-पात्र या गाड़ी में प्रवेश करे और ऐसे लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र पर अपना अधिकार कर ले जो आवश्यक हों। उक्त लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र पर अधिकार करने वाला अधिकारी उनके लिये तुरन्त रसीद देगा और वह उनसे ऐसी प्रतिलिपियां या उद्धरण लेने के बाद, जो आवश्यक समझी जायं, इस प्रकार अधिकार करने के दिनांक से १५ दिन की अवधि के भीतर उन्हें उस व्यापारी या व्यक्ति को लौटा देने के लिये बाध्य होगा जिसकी अभिरक्षा से लेकर उन पर अधिकार किया गया हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त व्यापारी उस लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र के लिये, जो उसे लौटाया जाय, लिखित रसीद दे। कर-निर्धारक अधिकारी उक्त व्यापारी को लेखा, खाता (रजिस्टर) या लेख-पत्र लौटाने के पूर्व उस पर एक या अधिक स्थानों पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है और अपनी सरकारी मुहर लगा सकता है, और ऐसी दशा में व्यापारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह अपनी दी हुई रसीद में उन स्थानों की संख्या का उल्लेख करे जहां पर कर-निर्धारक अधिकारी की मुहर या हस्ताक्षर, या दोनों ही प्रत्येक लेखे, खाते (रजिस्टर) या लेख-पत्र में लगाये गये हों।"

१५—मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नांकित रखा जाय:— सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा १४ का संशोधन।

"१४—(१) अपराध तथा दंड—किसी ऐसे व्यक्ति को जो—

(क) जानबूझ कर असत्य विवरण-पत्र प्रस्तुत करे, अथवा ऐसा विवरण-पत्र प्रस्तुत न करे जो इस अधिनियम के आदेशों के अधीन अथवा तद्धीन निर्मित नियमों के अधीन प्रस्तुत करना आवश्यक हो; अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन उस पर लगाया गया कर नियत समय के भीतर जानबूझ कर न दे या देने से बचे; अथवा

(ग) किसी ऐसे अधिकारी को, जिसे धारा १३ के अधीन अधिकार दिया गया हो, किसी भूगृहादि, यान-पात्र या गाड़ी में प्रवेश न करने दे अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अधिकारी को उसक कर्त्तव्य के पालन के संबंध में निरीक्षण करने से रोके या उसम बाधा डाले; अथवा

(घ) जानबूझ कर इस अधिनियम के या तद्धीन निर्मित नियमों के आदेशों का उल्लंघन करे; अथवा

(ङ) किसी ऐसे माल की बिक्री पर, जो धारा ४ के या उसके अधीन जारी की गयी किसी विज्ञप्ति के अधीन बिक्री-कर से मुक्त कर दिया गया हो, बिक्री-कर मांगे या वसूल करे, या इस अधिनियम के आदेशों के अधीन देय–दर से अधिक दर से कर मांगे या वसूल करे।

प्रथम श्रेणी के किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा अपराधी ठहराये जाने पर, किसी अन्य कानून के अधीन, जो उस समय प्रचलित हो, उसके दायित्व पर बिना किसी विपरीत प्रभाव के ऐसा अर्थदंड दिया जा सकेगा जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, और यदि अपराध बराबर होता रहे, तो और भी अधिक अर्थदंड दिया जा सकेगा जो पहले दिन के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें अपराध बराबर होता रहे, ५० रु० तक हो सकता है।

[(२) यदि धारा १३ की उपधारा (४) या उपधारा (१) के अधीन, दंडनीय उक्त उल्लंघन किसी कम्पनी, भागीदारी (पार्टनरशिप) फर्म या अन्य निगमित निकाय (body corporate) द्वारा हो तो उसका प्रत्येक डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, या अन्य अधिकारी, भागीदारी (पार्टनर) या एजेंट, जब तक कि वह यह प्रमाणित न करे कि उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिये पूर्णरूप से यथोचित सावधानी से काम किया, ऐसे उल्लंघन का दोषी समझा जायगा।]"

स० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० में एक नई धारा १५-क का बढ़ाया जाना।

१६—मूल अधिनियम की धारा १५ के बाद निम्नांकित एक नयी धारा १५–क क रूप में बढ़ा दिया जाय:—

"विवरण न प्रस्तुत करने के लिए दंड।

१५-क—(१) यदि कर-निर्धारक अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान में इस बात का संतोष हो जाय कि—

(क) किसी व्यापारी ने बिना यथोचित कारण के अपने विक्रय-धन का विवरण-पत्र जिसे उसे धारा ७ क अधीन प्रस्तुत करना आवश्यक था, प्रस्तुत नहीं किया है अथवा बिना यथोचित कारण के नियत समय के भीतर तथा निर्धारित रीति से प्रस्तुत नहीं किया है, अथवा

(ख) अपने विक्रय-धन के ब्योरों को छिपाया है अथवा जान बूझ कर ऐसे विक्रय-धन के ठीक-ठीक ब्योरे प्रस्तुत नहीं किये हैं, अथवा

(ग) बिना यथोचित कारण के, नियत समय के भीतर, उस पर निर्धारित किये गये कर का भुगतान नहीं किया है।

तो वह यह निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी, दंड के रूप में, वाक्य-खंड (क) और (ग) में अभिलिखित दशाओं में, उसके द्वारा देय कर की धनराशि के अतिरिक्त, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा, जो [उक्त धनराशि] यदि कर की राशि

१०,००० रु० तक हो तो देय कर के २५% से और यदि कर की राशि १०,००० रु० से अधिक हो तो देय कर के ५०% से अधिक न होगी, और वाक्यखंड (ख) में अभिलिखित दशाओं में, उसके द्वारा देय किसी कर के अतिरिक्त, ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो कर की उस धनराशि के डढ़ गुना से अधिक न होगी, जिसके भुगतान से वह बच जाता यदि वह विक्रय-धन, जिसको ऐसे व्यापारी ने विवरण-पत्र में दिया था, सही विक्रय-धन के रूप में मान लिया गया होता।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पूर्वोक्त खंड क अधीन कोई अर्थदंड (पेनल्टी) न लगाया जायगा :

(१) जब तक कि व्यापारी को सूचना न दे दी गई हो,

(२) खंड (क) के अन्तर्गत आने वाले मामलों की स्थिति में, जब तक कि धारा ७ के अधीन अपेक्षित विवरण-पत्र (रिटर्न्स) प्रस्तुत करने के दिनांक के पश्चात् साठ दिन की अवधि व्यतीत न हो गई हो।

(२) कोई भी धनराशि जो उपधारा (१) के आदेशों के अधीन दंड के रूप में लगाई गई हो, उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह मालगुजारी का शेष (बकाया) हो, यदि उसका भुगतान, ऐसे समय के भीतर, जो दंड लगाये जाने के दिनांक से १५ दिन से कम न होगा, जैसा कि कर-निर्धारक अधिकारी अनुज्ञात करे, नहीं किया जाता।

(३) उपधारा (१) के अधीन उस समय तक कोई आज्ञा नहीं दी जायगी, जब तक व्यापारी की सुनवाई न कर ली जाय अथवा उसकी सुनवाई के लिये यथोचित अवसर न दे दिया जाय।

(४) धारा १४ क अधीन कोई अभियोग (prosecution) उन्हीं बातों के संबंध में नहीं चलाया जायेगा, जिनके लिये इस धारा क अधीन कोई दंड लगाया जा चुका हो।

(५) कर-निर्धारक अधिकारी, बिक्री-कर कमिश्नर अथवा किसी ऐसे अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना, जिसे राज्य सरकार ने सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस संबंध में अधिकार दिया हो, इस धारा के अधीन कोई दंड नहीं लगायेगा।

(६) इस धारा के आदेश, आवश्यक परिवर्तनों के साथ (*mutatis mutandis*) धारा ७-ग में अभिलिखित निष्पादक (executor), प्रबन्धक तथा विधिक प्रतिनिधि पर भी लागू होंगे।"

१७—मूल अधिनियम की धारा १८ में:— सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा १८ का संशोधन।

(१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(२) उस दशा में जब किसी कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में ऐसा परिवर्तन हुआ हो अथवा व्यापार बन्द हो गया हो, और व्यापारी पर पूर्व वर्ष के विक्रय-धन के आधार पर ऐसे वर्ष के लिए कर निर्धारित किया गया हो, तो निर्धारित कर अनुपाततः कम कर दिया जायेगा।"

(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(३) (क) प्रत्येक व्यापारी अथवा पुनर्निर्माणित फर्म, जिसने किसी कर-निर्धारण वर्ष के बीच व्यापार आरम्भ किया हो, और जिसका अनुमानित मासिक औसत विक्रय-धन वर्ष की शेष अवधि के लिये कम से कम एक हजार रुपया हो, अथवा उससे उतनी बड़ी धनराशि का १/१२ हो, जो धारा ३ के प्रथम प्रतिबंधात्मक वाक्य के अधीन निर्धारित की गई हो, उस मास के समाप्त होने से ३० दिन के भीतर जिसमें वह व्यापार आरम्भ किया गया था, इस बात की सूचना कर-निर्धारक अधिकारी को दे देगा और साथ ही अपने विक्रय-धन का एक विवरण-पत्र ऐसे रूप में, ऐसी अवधि पर और ऐसी रीति से प्रमाणित करके देगा, जो निर्धारित किये जायं।

(ख) यदि कर-निर्धारक अधिकारी को, ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, संतोष हो जाय कि वाक्यखंड (क) के अधीन दिया गया विवरण-पत्र या दिये गये विवरण-पत्र सही और पूर्ण हैं और यह कि औसत मासिक विक्रय-धन उस धनराशि से कम नहीं है जो उपर्युक्त वाक्यखंड (क) के अनुसार हिसाब लगाकर आती है, तो वह उक्त व्यापारी पर उस कुल विक्रय-धन के संबंध में, जो विवरण-पत्र या विवरण-पत्रों में दिखाया गया हो, कर निर्धारित करेगा।

(ग) यदि कोई व्यापारी वाक्यखंड (क) के अधीन उसके लिये नियत अवधि के भीतर कोई विवरण-पत्र नहीं प्रस्तुत करता अथवा यदि उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई विवरण-पत्र अशुद्ध अथवा अपूर्ण प्रतीत हो, तो कर-निर्धारक अधिकारी, ऐसी जांच के पश्चात् जिसको वह आवश्यक समझे, व्यापारी के विक्रय-धन को अपने विवेक बुद्धि के अनुसार निश्चित करेगा, और वह देय कर को, यदि कोई हो, निर्धारित कर सकता है, किन्तु यह प्रतिबन्ध सदैव रहेगा कि यदि कर-निर्धारण वर्ष के अन्त में, औसत मासिक विक्रय-धन वाक्य खंड (क) में निर्दिष्ट धनराशि से कम पाया जाय, तो भुगतान किया गया कर लौटा दिया जायगा, सिवाय उस धनराशि के जिसके जमा करने का दायित्व व्यापारी पर धारा ८-क की उपधारा (४) के अधीन आता हो।"

(३) उपधारा (४) निकाल दी जाय।

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा २१ का संशोधन।

१८—मूल अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"उस विक्रय धन पर जिस पर वर्ष के भीतर कर निर्धारित न किया गया, हो, कर निर्धारित करना।

२१—यदि किसी भी कारण से किसी वर्ष म किसी व्यापारी के विक्रय-धन के पूरे अथवा थोड़े भाग पर कर लगने से रह गया हो, तो कर-निर्धारक अधिकारी, ऐसे वर्ष के समाप्त होने से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय और व्यापारी को नोटिस देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच कर के, जो आवश्यक हो, ऐसे विक्रय-धन पर देय कर को निर्धारित कर सकता है।"

१९—(१) मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (२) में वाक्य-खंड (ङ) क बाद शब्द "तथा" निकाल दिया जाय और वाक्यखंड (च) के बाद निम्नलिखित नये वाक्यखंड (छ) और (ज) जोड़ दिये जायं:—

सं० प्रा० ऐक्ट १५, १९४८ ई० की धारा २४ का संशोधन।

"(छ) धारा ८-क की उपधारा (४) के अधीन जमा की गई धनराशियों की वापसी (refunds), ऐसी वापसियों (refunds) के लिये प्रक्रिया तथा वह अवधि जिसके भीतर वे की जा सकती हैं; और

(ज) ऐसे विषय जिनको निर्धारित करना है अथवा जिनको निर्धारित किया जा सकता है।"

उद्देश्य और कारण

संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट सन् १९४८ ई० को कार्यान्वित करने में कुछ त्रुटियां तथा दोष पाये गये हैं। न्यायिक निर्णयों के फलस्वरूप कुछ धाराओं में संशोधन करना भी आवश्यक हो गया है। तदनुसार, संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विचार है। इस अवसर पर इस बात के लिये भी उपबन्ध रख जा रहे हैं जिससे ऐसे व्यापारियों पर, जो अपने विक्रय-धन के विवरण-पत्र प्रस्तुत नहीं करते अथवा अपने विक्रय-धन क ब्योरे छिपाते हैं, दंड लगाया जा सके।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों से प्रस्तुत किया जा रहा है।

हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१०४ एल० ए०—??—८५०।।